दशम माला, 25 February,1992

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 25 फरवरी, 1992 / 6 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि – पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषयसूची (1)	5	"सपथ" के स्थान पर "शपथ" पढ़िये।
18	8	"(ख) और (घ) के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।
31	15	"[illegible]विद्यालय" के स्थान पर "विश्वविद्यालय" पढ़िये।
55	3	प्रश्न संख्या "13" के स्थान पर "18" पढ़िये।
62	4	राज्य मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" अन्त:स्थापित कीजिए।
62	नीचे से पंक्ति 10	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
63	7	"श्री [illegible]न्द्र सिंह हुड्डा" के स्थान पर "श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा" पढ़िये।
	15	"आर" के स्थान पर "और" पढ़िये।
66	नीचे से पंक्ति 7	"श्री [illegible]ल्कार्जुन" के स्थान पर "श्री मल्लिकार्जुन" पढ़िये।
67	11	"श्री [illegible]ल्कार्जुन" के स्थान पर "श्री मल्लिकार्जुन" पढ़िये।
81	नीचे से पंक्ति 12	"(ख) और (ग)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।
81	नीचे से पंक्ति 15	राज्य मंत्री के नाम के पश्चात "(क) और (ख)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	[illegible]
109	2	"श्री [illegible] राव" के स्थान पर "श्री वी. शोभना [illegible]" पढ़िये।
110	11	"श्री [illegible]" के स्थान पर "श्री [illegible] नरायन" पढ़िये।
133	नीचे से पंक्ति 2	"श्री [illegible]" के स्थान पर "श्री ऑस्कर फर्नान्डिस" पढ़िये।
134	5	"संसाधन" के स्थान पर "संसाधन" पढ़िये।
141	नीचे से पंक्ति 1, 2	प्रश्न संख्या 93 का भाग "(क)" इस प्रकार पढ़िये। "(क) क्या देश में स्टेशनों के निकट रेल लाइन के पार-पथ पर अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?"
143	नीचे से पंक्ति 10	"श्री मल्लिकार्जुन" के स्थान पर "श्री मल्लिकार्जुन" पढ़िये।
147	11	"आरक्षण" के स्थान पर "आरक्षण" पढ़िये।
157	9	राज्य [illegible] के नाम के पश्चात "(क) से (ग)" अन्तःस्थापित कीजिए।
158	नीचे से पंक्ति 3	"मानक" के स्थान पर [illegible] पढ़िये।
215	1	"लिए [illegible] निर्णय" के पश्चात "(ड)" भी पढ़िये।
223	9	शीर्षक में "[illegible]8[illegible]" के स्थान पर "1986" पढ़िये।
223	अंतिम पंक्ति	"(जो)" के स्थान पर "[illegible]" पढ़िये।
228	14	"(ग)" के स्थान पर "[illegible]" पढ़िये।
235	4	"पाजपेयी" के स्थान पर "वाजपेयी" पढ़िये।
236	8	"(क)" के स्थान पर "[illegible]" पढ़िये।
	10	"(घ)" के स्थान पर "[illegible]" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
238	6	"श्री धर्णपाल सिंह मलिक" के स्थान पर "श्री धर्मपाल सिंह मलिक" पढ़िये।
246	4	प्रश्न संख्या "24" के स्थान पर "204" पढ़िये।
257	नीचे से पंक्ति 9	प्रश्न संख्या "215" के स्थान पर "216" पढ़िये।
262	4	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
303	11	"ऊपाध्य" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
332	अंतिम पंक्ति	"लिईं" के स्थान पर "लिए" पढ़िये।

विषय सूची

दशम माला, खंड 8 तीसरा सत्र, 1992/1913,(शक)

अंक 2 मंगलवार, 25 फरवरी, 1992 6 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		2—5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	1	5—11
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	2 से 20	11—40
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1 से 230,	40—267
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 4148 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण		267
बजट (रेल), 1992-93—प्रस्तुत		
श्री सी. के. जाफर शरीफ		272—290
सभा पटल पर रखे गए पत्र		290—291
विधेयकों पर अनुमति		291—292
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
केन्द्रीय सरकार के बजट-पत्रों तक विश्व बैंक की कथित पहुंच		
श्री मनमोहन सिंह		295
बजट प्रस्तावों का विश्व बैंक को कथित प्रकटीकरण तथा वित्त मंत्री द्वारा सभा की कथित अवमानना के बारे में		295—332

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार 25 फरवरी, 1992/ 6 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अनुवाद]

11.00 म. पू.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो मामला हमारी जानकारी में आया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का है। इसके बारे में मैंने एक सूचना भी भेजी है। यह विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र है। बजट अभी पेश किया जाना है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बजट संबंधी प्रस्तावों के बारे में विश्व बैंक तथा इस देश की जनता को पहले से ही जानकारी है। इस सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही विश्व बैंक को इसके बारे में बता दिया गया है। हमारी सरकार द्वारा तथा वित्त मंत्री महोदय ने विश्व बैंक के साथ अत्याधिक गम्भीर मुद्दों पर वायदे किये हैं और इन्हीं के आधार पर ही इस देश का बजट तैयार किया गया है। हम जिसे विकास नीति का पत्र बता रहे हैं वह हमारे वित्त मन्त्री महोदय इसका विश्व बैंक को लिखा गया पत्र है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इस समाचारपत्र की इस रिपोर्ट मैंयह आरोप लगाया गया है कि वित्त मन्त्री महोदय ने विश्व बैंक के साथ कुछ वायदे किये हैं जिनके आधार पर विश्व बैंक ने अपनी शर्तें रखी हैं। इस पर हम सरकार का वक्तव्य चाहते है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे बजट सम्बन्धी प्रस्ताव विदेशी मुद्रणालयों तक पहुचे हैं। क्या हम प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हैं अथवा नहीं। क्या हमने अपनी संप्रभुत्ता खो दी है। तमाम किस्म की शर्तें भी प्रकाशित हुई हैं वे यहा क्यों नहीं हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पत्र लिखा हुआ है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री महोदय की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या श्री मनमोहन सिंह अभी भी इस देश के वित्त मन्त्री हैं। इन्होंने आर्थिक सम्प्रभुता को समर्पित कर दिया है और इसके बारे में संसद तक को भी कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार का काम करने का यही तरीका है। संसद को विश्वास में नहीं लिया गया है। क्या हमारे बजट सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में विश्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आपको सूचना प्राप्त हुई है अथवा नहीं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में सूचना दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, कुछ समय के लिये हम इस बात को बन्द कर सकते हैं यदि आप वित्त मन्त्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें कि क्या उन्होंने इस तरह के वायदे और आश्वासन दिये हैं अथवा नहीं। यदि उन्होंने ऐसे वायदें नहीं किये हैं तो इसे रोक दिया जाएगा और यदि उन्होंने ऐसे वायदे किये हैं, तब उन्हें पूरे देश को इसका उत्तर देना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके लिए मुझे कहना पड़ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहना था, कह लिया है। अब, इससे पहले कि हम आगे कार्यवाही शुरू करें पंजाब से एक सदस्य निर्वाचित होकर यहां पधारें हैं, जिन्हें शपथ ग्रहण करनी है। मैं आशा करता हूं कि आप उन्हें शपथ ग्रहण करने देंगे और तत्पश्चात् जिस ढंग से आप चाहेंगे, उसी तरह हम इस मामले पर आगे बढ़ेंगे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री यश (जालन्धर)

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? क्या आपने इसे पढ़ लिया है ? क्या आपने इसे देख लिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुलाया ···(व्यवधान) अब मुझे भी चिल्लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, सदन में जो सदस्य आपकी अनुमति लेकर बोलना चाहता है, इसके लिए तो बोलना भी बहुत मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बुलाया । उन्हें बुलाया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको पहले ही लिख चुका था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं भी लिख चुका था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर आपने यह नहीं लिखा था कि आप क्वेश्चन-आवर के पहले ही शोर मचायेंगे ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह किसी भी मेम्बर ने नहीं लिखा था ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, समाचार पत्रों के आधार पर कोई मामला उठायेंगे ···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मैंने लिखा था, प्रश्नकाल के बाद इंडियन एक्सप्रेस में जो समाचार छपा है और समाचार का निचोड़ यह है कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर कुछ शर्तें लगाई हैं । अभी तक आई. एम. एफ. की शर्तों की चर्चा होती थी, अब वर्ल्ड बैंक भी प्रकाश में आ गया है । उसने शर्तें लगाई हैं और हमारे वित्त मंत्री ने वर्ल्ड बैंक को कुछ आश्वासन दिए हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दिए हैं या नहीं दिए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने कौन-सा पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा ? जब इससे पहले सदन में चर्चा हो चुकी है, तो वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा, आईएफ की कंडिशनेलिटीज के बारे में सदन को विश्वास में लिया था, तो फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में वित्त मंत्री क्यों चुप रहे ? आज जो समाचार छपा है, वह चिन्ता पैदा करने वाला है । समाचार पत्रों के आधार पर हम लोग मामला उठायें, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन हमारे पास सूत्र क्या है, जरिया क्या है । इसलिए मैंने आपको लिखा था कि आप इस मामले को उठाने की अनुमति दें । आप अगर चाहें, वित्त मन्त्री को प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देने के लिए बुलायें, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि यह केवल पार्टी का मामला नहीं है, कांग्रेस के सदस्य भी आश्वस्त होना चाहेंगे कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के साथ कोई समझौता तो नहीं किया जा रहा है, अगर समझौता किया जाएगा तो सदन उसकी निन्दा करेगा ।

[अनुवाद]

श्री चित बसु (बारसाट) : मैंने भी आपको लिखा है । (व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : एक वर्तमान सदस्य श्री सेनापति गौंडर का निधन हुआ है । उचित यही होगा कि इस सभा द्वारा पहले संवेदना प्रकट की जाए और तब इस मामले पर सीधे ही स्पष्ट चर्चा हो । मैं विपक्ष से यह अपील करता हूं कि राजनीति में न जायें और पहले यह कार्य करने दें । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं, तो आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब हमारे किसी मित्र का निधन होता है तो हमें बहुत दु:ख होता है। लेकिन प्रक्रिया यह है कि जब तक कि हमे कोई प्रमाणिक सूचना न मिले, हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष की ओर से मन्त्रियों ने बताया है और अब हमें सूचना भी मिल गयी है। कृपया आप अपने सिर यह जिम्मेदारी न लीजिए। हमें सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. की कान्फ्रेंसेज मे जाने का मौका मिला था। उस समय जब अफ्रीकन कन्ट्रीज की बात चलती थी तो उनके प्रतिनिधि कहते थे कि हम लोग अपना बजट वर्ल्ड बैंक को पहले दिखाकर पास करा लेते हैं, तब अपने यहां लागू करते हैं।

मुझे ताज्जुब होता था कि यह भी क्या संभव हो सकता है लेकिन मुझे दुख होता है कि वही चीजें आज हम अपने देश में चरितार्थ देख रहे हैं। आज सब के दिल में इधर से ही नहीं बल्कि उधर से भी यह प्रश्न उठ गया है कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की दशा क्या है।

मान्यवर, जो विपक्ष के सदस्य है वह जब से यह सरकार आई तब से एक श्वेत पत्र की मांग करते रहे है यह हमेशा कहते रहे कि देश की कोई भी आर्थिक स्थिति है लेकिन हम लोग मजबूती से उसको सुधारने के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन, उसके लिए आप देश को विश्वास में लीजिए और विपक्ष को भी विश्वास में लीजिए, जो भी चीजें हैं वह हम लोगों के सामने रखिए, लेकिन उसका तिरस्कार करके वार्ल्ड बैंक के सामने हमारे जो सारे प्रस्ताव आज बजट में होने वाले हैं उनको पहले ही बताया जाए और विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाए।

मान्यवर, यह प्रीविजन का मामला है, मैंने आपके सामने प्रीविलेज के लिए प्रस्ताव भी किया है और यह बहुत ही गंभीर मामला है। राष्ट्र का सम्मान, आई. एम. एफ. के कदमों पर रखकर हम इस देश का नहीं बना सकते हैं। यह झूठा सा माहौल जो बनाया जा रहा है और आजादी के के सारे जो मूल्य हैं वे उनके चरणों पर समर्पित हो रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए हम उम्मीद करते है कि इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हमारे माननीय मित्रों ने अभी अभी जो भाव व्यक्त किये हैं उनके बारे में मैंने अपने यहां आने से पूर्व ही माननीय वित्त मन्त्री जी को जानकारी दे दी थी। और माननीय वित्त मन्त्री जी हमारे माननीय मित्रों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

इस समय वे राज्य सभा में प्रश्न-काल में व्यस्त हैं। वे प्रश्न काल के समाप्त होने के तत्काल बाद अथवा रेलवे बजट को प्रस्तुत करने के तत्काल बाद प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इसलिए वे पहले से ही सहमत है। मैं नहीं समझता कि इसे और अधिक तूल देने की कोई आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने अभी तक आपको विश्वास में नहीं लिया है। वे कैबिनेट मंत्री हैं। स्थिति क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यह कैसी मंत्रीमंडल है यह कैसा भारत की संसद है? आपको कुछ भी पता नही है। यह कैसी भारत की सरकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आप इसे अनावश्यक क्यों घसीटते जा रहे हैं। बड़े खेद की बात है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : सभा को हर घटना को जानने का अधिकार है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल कर्मचारियों की बहाली

*1 श्री तरित बरण तोपदार :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील), नियम के नियम 14 (ii) के अन्तर्गत वर्ष 1980 के बाद बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) ऐसे सभी कर्मचारियों को कब तक बहाल कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) और (ख) ट्रेड यूनियन गतिविधियों में लेने के सम्बन्ध में रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 14 (ii) के तहत 1.4.1980 और उसके बाद बर्खास्त किए गए/सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारियों में से, उन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है जिनकी अपीलों पर अनुकूल निर्णय लिया गया था और जिन्हें न्यायालय के निदेशों के अनुसार नौकरी में वापस लिया जाना अपेक्षित था, शेष कर्मचारियों को बहाल करने का प्रस्ताव नहीं है, बहरहाल, उन्हें कुछ आर्थिक राहत देने का प्रस्ताव है,

श्री तरित बरण तोपदार : रेल अधिकारियों द्वारा रेल संगठन के पक्ष में शपथ ग्रहण करने के पश्चात्, निम्नानुसार हल्फनामा लिया गया है :—

"1981 की हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में संसद में व उसके बाहर उठाई गई मांग के सन्दर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों से सम्बद्ध पूरा मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।" (व्यवधान)

"यह मुद्दा उच्चतम स्तर पर सरकार के विचाराधीन है और निर्णय की प्रतिक्षा है।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें, इसे पढ़ें नहीं ·

श्री तरित बरन तोपदार : जब एक शपथ-पत्र में दिया गया ब्यान यह है। तो सरकार ने केवल आर्थिक राहत देने का निर्णय कैसे लिया और इस बारे में सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की क्या शीघ्रता थी ? (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : नियम 14 (2) के अन्तर्गत बर्खास्त या हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करनेके मामले पर उच्चतम-स्तर, यानि मन्त्री मण्डलीय स्तर परविचार विमर्श किया गया था और मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि बहाली का कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि हटाए गए कर्मचारियों को पेंशन के लाभ देने के बारे में नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें उत्तर देने दें।

श्री तरित बरन तोपदार : जब लगातार दो सरकारों ने आदेश पारित कर दिया, जो कि सभी कर्मचारियों को बहाल किए जाने के बारे में मन्त्रिमण्डलीय अनुमोदना की प्रतिक्षा की जा रही है तो मन्त्रिमण्डल में रेल कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने का निर्णय क्यों नहीं लिया ? और इस सरकार ने भी, पिछले सत्र, प्रथम सत्र से पहले, सभा के समुख यह स्वीकार किया था कि वे उन्हें वापिस लेने के पक्ष में निर्णय लेंगे। यह केवल औपचारिकता की बात थी। फिर, क्या कारण था ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक पिछली दो सरकारों के निर्णय का संबंध है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 6 नवम्बर, 1990 को निर्णय लिया था। लेकिन, मन्त्रिमण्डल का निर्णय रद्द करने संबंधी था। अतः इसे रद्द कर दिया गया।

श्री तरित बरन तोपदार : इसे किसने रद्द किया था ?

श्री मल्लिकार्जुन : फिर अगली सरकार अर्थात हमने हाल ही में संसद में यह स्वीकार किया था कि हम इसे मन्त्रिमण्डल की बैठक के समक्ष लाएंगे और वर्तमान रेल मन्त्री ने 25-7-1991 को माननीय सभा को यह सूचित किया था कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया जाएगा। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने ही रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील के नियम 14 (2) के अंतर्गत इस बारे में की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। यही वर्तमान स्थिति है और अब उसके निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय अनुशासन के हित में, यह उन्हें बहाल न करने का फैसला किया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस सरकार द्वारा यह उलटा कदम उठाया गया है।

8

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विश्वास घात है ।

श्री वसुदेव आचार्य : हां, यह विश्वासघात है । इन कर्मचारियों को वर्ष 1981 में हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त किया गया था । कर्मचारियों ने हड़ताल की, क्योंकि रेल प्रशासन की ओर से एक विश्वासघात था । 1973 में लोकोमैन के काम के घण्टे घटाकर दस घण्टे करने का एक समझौता हुआ था । परन्तु इस निर्णय को लागू नहीं किया गया । 1973 में भूतपूर्व रेल मन्त्री, श्री ललित नारायण मिश्र ने इस सभा में एक बयान दिया था कि इसे लागू किया जाएगा । परन्तु इसे लागू नहीं किया गया, यद्यपि एक शिकायत समिति गठित की गई थी ।

फिर 1990 में भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज, जो यहां उपस्थित हैं, ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसे विद्यमान मंत्रिमंडल ने बर्खास्त किये गए रेल कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने हेतु पहले अनुमोदित कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : हमारी मांग आर्थिक सहायता देने की नहीं थी । हमारी मांग उन कर्मचारियों को बहाल करने की थी, क्योंकि उन्हें बर्खास्त किया गया था, उनका शोषण किया गया था; उनकी सेवाएं भंग कर दी गई थी; उनका हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया गया था । हमारी मांग केवल उन्हें रुपया-पैसा देने की नहीं थी । हमारी मांग उन्हें बहाल करने की थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् आचार्य, कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

श्री वसुदेव आचार्य : न तो रेल सलाहकार समिति की बैठक में और न ही सभा पटल पर किसी भी मौके पर यह जाहिर किया गया कि बहाल करने की बाधाएं उन्हें कुछ आर्थिक राहत दी जाएगी । इन सभी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों ने बहाली के पक्ष में निर्णय दिया है (व्यवधान) और जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह सच नहीं है क्योंकि अभी भी 284 कर्मचारियों···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् आचार्य, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि आप विषय पर नहीं आते तो मैं आपका प्रश्न अस्वीकृत कर दूंगा ।

श्री वसुदेव आचार्य : जिन की बहाली के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आदेश दिए हैं । परन्तु रेल प्रशासन ने उन्हें वापिस सेवा में नहीं लिया है । महोदय, क्या मैं रेल मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे सत्तासीन दल से लेकर विपक्ष सहित, सभा के समूचे वर्ग द्वारा प्रकट की गई सभा की भावनाओं का आदर करेंगे ? महोदय यह एक सार्वभौमिक मांग है । अर्जुन सिंह जी यहां मौजूद हैं । इन्होंने भी सभा को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें बहाल कर दिया जाएगा । महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा में व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करेंगे और उन्हें बहाल करेंगे । व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् आचार्य, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपके प्रश्न को अस्वीकृत कर दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी मांग बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली करने की थी और न कि केवल उन्हें आर्थिक राहत का भुगतान करने की।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं स्थिति बिलकुल साफ करना चाहूँगा। 611 कर्मचारियों में से…

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : 611 नहीं, यह संख्या 822 है…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन। मुझे सभा को अवगत कराना है कि इन कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के पश्चात्, उनमें से कुछ ने अपील की और कुछ न्यायालयों की शरण में गए…(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे सभी न्यायालयों की शरण में गए।

श्री मल्लिकार्जुन : ठीक है। सभी न्यायालयों की शरण में गए।

महोदय, जिस किसी मामले में भी न्यायालय ने बहाल किये जाने का आदेश दिया, हमने उन्हें बहाल किया। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया सभा को बताएं कि न्यायालय ने क्या कहा है –(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : अपील करने पर 20 लोगों को बहाल किया गया। न्यायालय के निदेश पर 293 कर्मचारियों को बहाल किया गया। इसलिए लोको कर्मचारियों में से 313 कर्मचारियों को बहाल किया गया। और एल. आर. एस. ए. के अलावा 56 मामले थे। इनमें से 5 को न्यायालय को निदेश पर बहाल किया गया। इस प्रकार अब शेष कर्मचारियों की संख्या 349 है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपके आंकड़े सही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : इन 349 कर्मचारियों में से भी 66 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और 14 कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। शेष हुए मामलों में, जैसाकि मंत्री जी सदन को अवग कराया है, हमने उन कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनायात है। हमारे पास रेलवे पेंशन नियमावली उपलब्ध है। हमारी पुर जोर कोशिश यह है कि शेष कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिल सके। और उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। यह मंत्री मण्डल का निर्णय है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों नहीं ? उन्हें (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : यह पीछे की ओर ले जाने वाला कदम नहीं है। यह राष्ट्र के हित में भविष्य प्रभावी कदम है।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से संक्षिप्त और सटीक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि इस सदन के समस्त सदस्यों ने बार-बार रेलवे कर्मचारियों को बहाली की मांग की है। इस विषय में, मंत्री जी ने कहा है कि कुछ सदस्यों को बहाल किया गया है और कुछ भी नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनमें रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य भी शामिल हैं और क्या

इनमें से कुछ को बहाल किया गया है। और यदि नहीं तो सरकार इनकी बहाली के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। यह स्पष्ट आश्वासन हमें सदन के नेता से प्राप्त हुआ था कि इस विषय को सरकार और रेल मन्त्री जी के साथ उठाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से नवीनतम स्थिति जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सदन के सेंटीमेंट का नहीं है और सभी लोगों की क्या राय है, यह भी नहीं है। यह सवाल इस सरकार द्वारा इस सदन में दिए गए वायदों का है। एक नहीं अनेक मंत्रियों ने इस सदन में वायदे किए हैं। वे वायदे, इस सदन के वायदे हैं और इस पर सरकार वापिस गई है और उन वायदों पर जाने का काम हुआ है। इस पर सरकार का बकायदा आदेश था। मंत्री जी ने कहा कि वह आदेश रिसेंड हो गया। किसने रिसेंड किया। सितंबर 1990 के प्रथम सप्ताह में दिया गया आदेश था कि किस तरह से इन लोगों को काम पर वापिस लेना है। इस आदेश को किसने रिसेंड करने का काम किया। जिस सरकार के हम सदस्य थे तो उस मंत्रिमंडल ने इस आदेश का समर्थन किया था और एक राय से समर्थन किया था। मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, ये बातें सही नहीं हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आपको फाईल में नोटिंग है कि उन्हें निकाला गया वह गलत ढंग से निकाला गया और उन्हें वापिस लेना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने बताया है कि 6.11.90 को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यह निर्णय था कि रिसेंड करें।

[अनुवाद]

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह किया है। यह इस सरकार ने नहीं किया। यहां तक कि श्री चन्द्रशेखर सरकार ने भी नहीं किया है। यह उसी मंत्रीमंडल द्वारा रद्द किया गया था जिसने यह निर्णय भी लिया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या फाइल में नोटिंग है कि इन लोगों को वापिस लेना चाहिए, इन पर कोई आरोप नहीं है।

[अनुवाद]

मैं एक विशेष मामला उठा रहा हूं। क्या फाईल में किसी प्रकार की शासकीय टिप्पणी दर्ज है। दो मामले है। एक मामला इस निर्णय के विषय में है। इस निर्णय को रद्द करने का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। यह बिलकुल बकवास है। दूसरा मामला जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या फाईल पर किसी प्रकार की टिप्पणी है कि इन कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन : जो कहा गया है उसे मैं पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक तो प्रश्न यह है कि किसने रिसेंड किया और दूसरा यह कि उस फाईल पर किसी की नोटिंग है कि यह हो गया और हर फाईल की नोटिंग रखनी चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : हम नहीं रखेंगे। (व्यवधान)

हम सिर्फ निर्णय दिया करते हैं। हमारा कार्य पूरी फाईल, टिप्पणी आदि दूसरे दस्तावेजों को उद्धृत करना नहीं है। हमारा कर्तव्य इतना है कि जो निर्णय लिया जाता है उसे हमें बता दें। वह निर्णय इस प्रकार है (व्यवधान)

6-11-1990 के मंत्रीमण्डल के निर्णय को तत्कालीन प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा रद्द कर दिया गया था। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, उन्हें तारीख बतानी चाहिए वह गलत है। वह 15 तारीख बता रहे हैं। हमारी सरकार 7 तारीख को गिरी थी। यह बिलकुल गलत हैं। (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : आपको स्मरण करना होगा। मैं गलत नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा ।

[हिन्दी]

हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं हमें बाहर निकाल द। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप समझने की कोशिश करें। इस तरह व्यवधान मत डालिए। हम जो कह रहे हैं उसे कृपया समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं। एक मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री यहां मौजूद हैं। यह वास्तव में उनका अधिकार है कि वह उस तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने प्रश्न किया है। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप क्यों अनावश्यक रूप से चिल्ला रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि (व्यवधान) 6-11-1990 को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री मंडल की बैठक हुई थी और उन कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उसी रात्री को जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया तो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति ने निदेश दिया कि इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लागू नहीं किए जा सकते। इस प्रकार इसे बंद किया गया। (व्यवधान)

11.33 म. पू.

इस समय श्री अनिल बसु और कई अन्य माननीय सदस्य सभापटल के निकट आकर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : सभा 15 मिनट पश्चात् पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.35 म. पू.

तत्पश्चात लोक सभा पचास मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

11.55 म. पू.

लोक सभा ग्यारह बजकर पचपन मिनट पर पुन. समवेत हुई :

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, रेल मंत्री कहां हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज सुबह रेलवे मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में जो स्टेटमेंट दिया था, उसका क्या हुआ। इस वक्त रेलवे मिनिस्टर साहब कहां हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मंत्री कहां है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा बारह बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

11.57 म. पू.

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सातवीं योजना में रेल परियोजनाएं

*2. **श्रीमती भावना चिखलिया** :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान शुरू की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान संभवतः पूरी होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(केवल 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं को सूची-बद्ध किया गया है)

क्रम. सं./राज्य	परियोजना का विवरण	बजट में शामिल किये जाने का वर्ष	परियोजना की अनुमानित/प्रत्याशित लागत	परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1. गुजरात					
1. नई लाइनें	गोधरा-इन्दौर और देवास मकसी (216 कि.मी.) 100 कि.मी. गुजरात में	1989-90	297.14 करोड़ रु.	कार्य की प्रगति और उसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।	कार्य प्रगति पर है।
2. कंप्यूटरीकरण	कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली अहमदाबाद	1987-88	10.4 करोड़ रु.	31 मार्च, 1990	कार्य पूरा हो चुका है।
II राजस्थान					
1. विद्युतीकरण	धौलपुर-बयाना (टुण्डला-आगरा-बयाना विद्युतीकरण परियोजना का भाग)	1985-86	10.87 करोड़ रु.	कार्य पूरा हो चुका है।	कार्य पूरा हो चुका है।

1	2	3	4	5	6
II उत्तर प्रदेश					
1. नई लाइन	शिवपुरी-ग्वालियर-भिंड के रास्ते गुना-इटावा के बीच नई लाइन का निर्माण (348 कि.मी)	1985-86	248.00 करोड़ रु.	कार्य की प्रगति और उसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और यह लाइन चरणों में खोली जायेगी।	कार्य प्रगति पर है।
2. आमान परिवर्तन	छपरा-औंड़िहार का आमान परिवर्तन (171 कि.मी.)	1989-90	85.13 करोड़ रु.	31 मार्च, 1994	कार्य प्रगति पर है।
दोहरी लाइन बिछाना					
3.	मुरादाबाद-रामपुर (27.41 कि.मी.)	1987-88	20.27 करोड़ रु.	31, मार्च 1993	इस खंड का कुछ भाग (19 कि.मी.) पूरा हो चुका है।
4.	जैतपुर-मानिकपुर (57.51 कि.मी.)	1987-88	28.29 करोड़ रु.	31, मार्च 1992	कार्य पूरा होने वाला है।
5.	लखनऊ-उन्नाव और गंगा पुल के ऊपर तथा कानपुर सेन्ट्रल से कानपुर अनवरगंज	1987-88	52.38 करोड़ रु.	31, मार्च 1993	कार्य प्रगति पर है।

	तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार (56 कि.मी।)				
6.	रामपुर-बरेली (चरण-11) (63.87 कि.मी.)	1989-90	58.40 करोड़ रु.	31, मार्च 1994	कार्य प्रगति पर है।
विद्युतीकरण					
7.	टूण्डला-धोलंण्डा (टूण्डला-आगरा-बयाना विद्युतीकरण परियोजना का भाग)	1985-86	22.63 करोड़ रु.	कार्य पूरा हो चुका है।	कार्य पूरा हो चुका है।
कारखाने और शेड					
8.	डी. रे. का. वाराणसी (डी. रै. का. की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 155 रेल इन्जन/170 इन्जन करना)	1989-90	15.50 करोड़ रु.	31, मार्च, 1994	कार्य प्रगति पर है।
सिगनल और दूर संचार					
9.	दिल्ली-मुगलसराय खंड पर चल रेडियो संचार को नियंत्रित करने के लिए गाड़ी	1987-88	15.35 करोड़ रु.	31, मार्च, 1993	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
10.	टूण्डला-मुगलसराय खंड का मौजूदा सूक्ष्मतरंग सम्पर्क का 34 एम. बिट डिजिटल सूक्ष्म तरंग प्रणाली द्वारा बदलाव	1989-90	82.92 करोड़ रु.	31, मार्च 1994	कार्य प्रगति पर है।
11.	वाराणसी में [illegible]	1987-88	8.74 करोड़ रु.	31, मार्च 1993	कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल-प्रदूषण की रोकथाम

* 3. श्री ताराचन्द खन्डेलवाल :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने राजधानी में बढ़ते हुए जल-प्रदूषण को रोकने हेतु यमुना नदी में नजफगढ़ नाले से केवल मल रहित पानी का बहाव सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी नीति बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और क्या इस सम्बन्ध में और आगे कोई उपाय करने का विचार है ; और

(ग) ये उपाय कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा नजफगढ़ नाले में प्रवाहित होने वाले सीवेज को रोकने, सीवरेज प्रणाली का विस्तार करने और यमुना नदी का प्रदूषण निवारण करने की एक योजना तैयार की गई है । नजफगढ़ नाले में गिरने वाले 38 नालों में से 31 नालों के कम पानी के महीनों में जल प्रवाह को रोक लिया गया है और शेष 7 नालों के निमोचन को रोकने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान सीवरेज प्रणाली के लगभग 60% से 80% तक के वर्तमान स्तर तक विस्तार करने के लिए अन्य स्कीम तैयार की गई है । इसके अतिरिक्त, यमुना नदी के प्रदूषण निवारण की एक योजना तैयार की गई है जिसमें दिल्ली खण्ड में नजफगढ़ नाले के प्रदूषण निवारण का कार्य भी सम्मिलित है । इन स्कीमों के आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की आशा है ।

चीनी का उत्पादन और खपत

* 4. श्री शंकरराव वे. काले :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले वर्ष के दौरान चीनी के भंडार एवं खपत सम्बन्धी स्थिति क्या रही;

(ख) चालू वर्ष में इसका कितना उत्पादन और कितनी खपत होने के अनुमान हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खपत के लिए तथा इसका अन्य देशों को निर्यात करने हेतु चीनी का बफर स्टाक रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) 1990-91 मौसम के लिए चीनी उत्पादन, प्रारम्भिक स्टाक एवं उपभोग से सम्बन्धित स्थिति तथा 1991-92 के चालू मौसम के लिए आकलन निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	चीनी उत्पादन	आंतरिक उपभोग	1 अक्तूबर को प्रारम्भिक स्टाक
1990-91 (अनन्तिम)	119.05	105.92	21.78
1991-92 (अनुमानित)	120.00	114.54	32.84

(ख) और (घ) चीनी का अलग से बफर स्टाक रखने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। चीनी का स्टाक फैक्ट्रियों द्वारा खुद अपने गोदामों में रखा जाता है। 1990-91 के पिछले मौसम के दौरान चीनी की 5.61 लाख टन मात्रा निर्यात के लिए निर्धारित की गई थी। उक्त मात्रा के निर्यात के पूरा होते ही इस मौसम की उत्पादन प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए और मात्रा उपलब्ध करवा दी जाएगी।

कैंसर के रोगियों का उपचार

* 5. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

श्री फूल चन्द शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार, कैंसर के रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी रही है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां कैंसर के इन रोगियों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज कराने हेतु अस्पताल स्थित है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, प्रत्येक अस्पताल में अलग-अलग, कितने मरीजों का उपचार किया गया/कितने रोग मुक्त हुए और कितने मरीजों की मृत्यु हुई; और

(घ) आठवीं योजना-अवधि के दौरान कैंसर के रोगियों के बेहतर उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) :

(क) अनुमान है कि देश में किसी भी समय लगभग 1.5 से 2 मिलियन कैंसर रोगी हैं। देश में कैंसर रोगियों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) देश के लगभग सभी प्रमुख अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए शल्य चिकित्सीय

तथा रसायन चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंसर रोगियों के उपचार हेतु विकिरण विज्ञान सुविधाएं संलग्न विवरण-क के अनुसार देश में 77 स्थानों पर उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद, बेंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली गुवाहाटी, ग्वालियर, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम स्थित दस संस्थाओं को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में मान्यता दी है जो कैंसर के लिए व्यापक नैदानिक तथा उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ग) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में दाखिल किए गए रोगियों एवं मौतों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण "ख" संलग्न है।

(घ) देश में कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण, कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के आनकोलाजी स्कंधों का विकास करने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा तथा कैंसर का शुरू में पता लगाने एवं दर्द राहत उपायों के लिए जिला परियोजनाओं की एक स्कीम शुरू की गई है। इन स्कीमों के अंतर्गत संस्थाओं/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों वित्तीय सहायता देने एवं कोबाल्ट थिरेपी यूनिटें स्थापित करने सम्बन्धी स्कीमों को जारी रखा गया है।

विवरण—क

भारत में राज्य/संघराज्यक्षेत्र वार उन स्थानों की सूची जहां कैंसर के उपचार के लिए विकिरण विज्ञान सुविधाएं उपलब्ध हैं

राज्य/संघराज्यक्षेत्र	स्थान
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूर, हैदराबादकाकीनाडा, कुरनूल, वारंगल, तिरुपति विशाखापटनम
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी
बिहार	बोकारो, जमशेदपुर, पटना
चंडीगढ़	चंडीगढ़
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद, बड़ोदा, जामनगर, राजकोट, सूरत
हरियाणा	रोहतक
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
कर्नाटक	बेंगलूर, गुलबर्गा, हुबली, मैसूर, मनिपाल
केरल	त्रिचूर, कालीकट, कोट्टायम, तिरुवनन्तपुरम,

1	2
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, पढ़ार, रायपुर
महाराष्ट्र	बम्बई, नागपुर, शोलापुर, अकोला, पुणे, औरंगाबाद मिराज, संगली
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय,	शिलौंग
उड़ीसा	बरहमपुर, बुरला, कटक
पांडिचेरी	पांडिचेरी
पंजाब	अमृतसर लुधियाणा, पटियाला
राजस्थान	बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर
तमिलनाडु	अम्बिलिकै, कांचीपुरम, नैपयूर, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, मदुरै, मद्रास, वेल्लोर
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी,
पश्चिम बंगाल	बांकुरा, कलकत्ता

विवरण—ख

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में दाखिल किए गए रोगियों और मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

1	2	3	4	5	6	7
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संस्था	1988 दाखिल किए गए	मौतें	1989 दाखिल किए गए	मौतें	1990 दाखिल किए गए	मौतें
असम						
डा. बी. बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी	615	20	577	23	655	28
दिल्ली						
इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल, नई दिल्ली।	3482	99	3745	73	4087	67
कर्नाटक						
किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर	3117	290	3041	247	3226	180
केरल						

1	3	4	5	6	7	8
रीजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	3072	153	2877	174	3045	181
महाराष्ट्र						
टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई	9846	293	11015	355	11617	383
मध्य प्रदेश						
कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर	1590	36	2347	50	2931	66
उड़ीसा						
रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक	1932	65	1851	66	1627	70
तमिलनाडु						
कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	4704	59	2723	42	4933	88
पश्चिम बंगाल						
चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	1342X	214X	1456X	262X	1409X	230X
	X (वर्ष 1988-89 के आंकड़े)		X (वर्ष 1989-90 के आंकड़े)		(वर्ष 1990-91 के आंकड़े)	

[हिन्दी]

चीनी उद्योग में सहकारी/निजी क्षेत्र को प्राथमिकता

* 6. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री पंकज चौधरी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों की कमी के कारण नई औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग के लिए हाल ही में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में निजी क्षेत्र की तुलना में सहकारिता/सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के चीनी मिलों की अपेक्षा अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नई नीति का पुनरावलोकन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) नई औद्योगिक नीति में उद्योग के सभी क्षेत्रों, चाहे वे सार्वजनिक, निजी या सहकारी हों, को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिक अनुमोदन की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है।

(ख) चीनी उद्योग में नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने में सहकारी क्षेत्र को वरीयता दी गई है जिससे कि फैक्ट्री के प्रबंधन में किसानों, जो मूल रूप से कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, की भागीदारी बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। इसके अतिरिक्त सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र अक्सर नए क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में पहल करते हैं जिससे ऐसे क्षेत्रों का पूर्ण विकास होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए इस नीति में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

"इमारती लकड़ी का विकल्प"

* 7. श्रीमती डी. के. भन्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इमारती लकड़ी के विभिन्न विकल्पों का विकास कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वनों की कटाई को रोकने के लिए इमारती लकड़ी के इन विकल्पों को लोकप्रिय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) देश में इमारती लकड़ी के स्थान पर विकसित विभिन्न विकल्पों में पी. वी. सी. इस्पात, एल्यूमिनियम, रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आर सी सी) तथा कृषि अपशिष्टों से मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड (एम. डी. एफ.) के उत्पाद आते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लकड़ी के विकल्पों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई ।

— बागवानी उत्पादों की पैकिंग के लिये इस्तेमाल में आने वाले क्राफ्ट पेपर को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दे दी गई है;

— प्लास्टिक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है;

— एल्यूमिनियम के दरवाजे, खिड़की के फ्रेमों तथा पेनल बोर्डों पर भी उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है।

— रेलवे पटरियों के लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग बन्द करना तथा उनके स्थान पर रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के स्लीपरों का प्रयोग ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

"जंगली पशुओं द्वारा फसलों को बरबादी"

* 8. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में नीलगायों और हिरणों जैसे संरक्षित जंगली पशुओं द्वारा की जाने वाली फसलों की बरबादी तथा मानव जीवन को पहुँचाई जाने वाली हानि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गये सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों को इसके लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हिरण और एंटीलोप प्रजातियों, जिनमें नीलगाय भी शामिल हैं, द्वारा फसलों को पहुँचाई जाने वाली हानि के बारे में रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इन पशुओं द्वारा मानवों को मारे जाने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कृष्णसार और हिरण द्वारा फसलों को पहुंचाया गया नुकसान अधिकांशत: स्थायी होता है, लेकिन नीलगाय द्वारा किया गया नुकसान कई राज्यों में अधिक गंभीर है। तथापि, पहुंचाई जाने वाली क्षति की मात्रा का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को कार्यान्वित करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है, जो फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या के नियंत्रण के लिये अनेक उपाय करती रही हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के साथ-साथ कांटेदार तारें लगाने से लेकर नीलगायों को मारने के लिये शिकारियों को लाइसेंस देने के लिये जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार देना तक शामिल है। राज्य सरकारों को "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिये सहायता" तथा "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों का पारि-विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन दोनों स्कीमों में एक पहलू मानव और पशुओं के बीच संघर्ष के मामलों को कम करना है। तथापि इस सहायता राशि में से राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई सही-सही राशि, जिससे नीलगाय सहित हिरण और एंटीलोप प्रजातियों द्वारा फसलों को पहुँचाए जाने वाले नुकसान रोकथाम में सहायता मिली हो, का उल्लेख करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जिले

* 9. श्री रूपचन्द पाल :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने जिलों में पूर्ण साक्षरता का अभियान चल रहा है;

(ख) कितने जिलों ने शतप्रतिशत साक्षरता हासिल कर ली है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1991 के दौरान, राज्य-वार, दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस अभियान को शेष जिलों में भी चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) देश में 79 पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये गये हैं। इनमें से कुछ पूर्ण साक्षरता अभियानों में जिलों को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। केरल, गोवा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी को पूरी तरह से शामिल किया गया है।

(ख) केरल राज्य, संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी तथा बर्दवान (पश्चिम बंगाल), सिंधु दुर्ग (महाराष्ट्र तथा दक्षिण कन्नड़) (कर्नाटक) जिलों ने अपने साक्षरता अभियानों को पूरा कर लिया है तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों को शुरू कर दिया है।

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/जिलों में चल रही 79 परियोजनाओं से 78 परियोजनाओं को वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में अनुदान दिया गया था। एक विवरण संलग्न है।

(घ) वास्तविक गतिशीलता तथा राज्य सरकारों की इसमें भाग लेने की इच्छा के आधार पर यह आशा की जाती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता अभियानों के द्वारा देश के लगभग तीन-चौथाई जिलों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण

अनुबंध

पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए दिए गए अनुदान

क्रम संख्या	परियोजना क्षेत्र (जिला आदि)	(रुपये लाखों मे) 1990-91	1991-92
1	2	3	4
	राज्य स्तर		
1.	केरल	292.15	—
2.	गुजरात	375.00	—
3.	पांडिचेरी	36.00	11.00
	जिला स्तर		
	आंध्र प्रदेश		
4.	चित्तूर	300.00	50.00

1	2	3	4
5.	कुडप्पा	250.00	—
6.	हैदराबाद जिला	200.00	45.00
7.	नेल्लौर	200.00	45.00
8.	विशाखापत्तनम	150.00	—
9.	करनूल	150.00	—
10.	महबूब नगर (6 मंडल और 2 नगर पालिकाएं)	38.00	—
11.	खम्माम	184.81	—
12.	निजामाबाद	100.00	—
13.	पश्चिम गोदावरी	240.00	—
14.	करीम नगर	100.00	—
15.	नलगोंडा	—	132.00
16.	9 जिला में 9 मंडल	—	75.00
17.	मेडक	—	40.00
18.	वारंगल	—	30.00
19.	श्री काकुलम	—	66.00
	बिहार		
20.	मुजफ्फरपुर	171.60	यूनिसेफ द्वारा
21.	जमशेदपुर	49.22	दिये गए
22.	रांची	127.56	अनुदान
23.	मधेपुरा	—	50.00
	दिल्ली		
24.	अम्बेदकर नगर	—	16.00
	हरियाणा		
25.	पानीपत	81.50	—
	हिमाचल प्रदेश		
26.	सिरमौर	—	25.00

1	2	3	4
	कर्नाटक		
27.	बीजापुर	300.40	30.00
28	दक्षिण कन्नड़	200.00	40.00
29.	मंड्या	100.00	71.00
30.	रायचूर	150.00	65.00
31.	तुमकुर	—	75.00
32.	बिदर	—	55.00
33.	शिमोगा	—	90.00
	मध्य प्रदेश		
34.	दुर्ग	200.00	00.65
35.	नरसिंहपुर	20.00	30.70
36.	इन्दौर	—	100.00
37.	रायपुर (8 ब्लाक)	130.00	—
38.	बिलासपुर (6 ब्लाक)	148.86	—
39.	रतलाम	—	10.00
40.	बेतुल (1 ब्लाक)	—	15.00
41.	रायगढ़ (7 ब्लाक)	—	70.00
	महाराष्ट्र		
42.	सिंधुदुर्ग	66.09	—
43.	वर्धा	92.36	—
44.	बम्बई शहर	—	21.00
45.	पुणे जिला	—	100.00
46.	लातूर	—	43.00
	उड़ीसा		
47.	सुंदर गढ	111.64	28.36
48.	राउरकेला शहर	55.80	—
49.	गंजम	50.00	122.37
50.	क्योंझर	—	85.00

1	2	3	4
	पंजाब		
51.	7 जिलों में (7 ब्लाक)	—	65.00
	राजस्थान		
52.	डूंगरपुर	—	139.30
53.	भरतपुर	—	20.00
	तमिलनाडु		
54.	कामराजर	20.00	70.00
55.	पी. टी. टी. शिवगंगा	20.00	23.19
56.	पुडुकोट्टई	—	75.00
57.	कन्याकुमारी	—	25.00
58.	मदुरै	—	75.00
59.	उत्तरी आर्काट	—	85.00
60.	तिरुनेलवेली	—	50.00
	उत्तर प्रदेश		
61.	फतेहपुर	170.00	—
	पश्चिम बंगाल		
62.	मिदनापुर	500.00	33.00
63.	बर्दवान	300.00	160.00
64.	हुगली	200.00	—
65.	बीरभूम	150.00	—
66.	कूच बिहार	150.00	—
67.	बांकुरा	100.00	192.00
68.	उत्तरी—24 परगना	100.00	272.46

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार

*10. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उच्च शिक्षा के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा को वरीयता प्रदान करते हुए, इसके योजना परिव्यय में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि नियत किये जाने की संभावना है; और

(ग) देश में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार करने तथा इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आठवीं योजना के मुख्य लक्ष्यों तथा वृहत आयामों संबंधी दृष्टिकोण पत्र (अप्रोच पेपर) में अवाक यह कहा गया है कि आठवीं योजना का मुख्य केन्द्र बिंदु मानव विकास होगा तथा मानवीय संसाधनों का विकास सरकार की मुख्य जिम्मेवारी होगी, उसमें प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राथमिकता दी गई है जिसमें कमजोर वर्गों की लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों पर विशेष बल देते हुए नामांकन, सहभागिता तथा उपलब्धि जैसे तीनों पहलू शामिल होंगे। तथापि, आठवीं योजना के आवंटन को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाए जाने के लिए उठाये गए कुछ मुख्य कदम ये हैं।—

(I) देश के समस्त सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक निःशुल्क शिक्षण का प्रावधान।

(II) 300 जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में एक कि. मी. की पैदल दूरी के भीतर के प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में जिन बस्तियों की जनसंख्या 200 है, की मानदंड में छूट दी गई है।

(III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा लड़कियों को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, बालिकाओं के लिए उपस्थिति-छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

(IV) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का सुधार;

(V) शिक्षक प्रभावशीलता में सुधार के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और।

(VI) पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वालों, लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों के लिए अंश-कालिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान।

गेहूं की वसूली

*11. श्री भाग्य गोबर्धन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान गेहूं की वसूली में कमी आई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) गेहूं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए इसकी वसूली में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) नौवें दशक के मध्य में खाद्यान्नों के मामले में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता कैसे सुनिश्चित की जायेगी ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं की वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। 1991-92 के दौरान बाजार में आमद कम हुई थी और निजी व्यापारियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशतता में खरीदारियां की गई थीं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए और खुली बिक्री द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के लिए गेहूं के अधिक आवंटन कर।

(घ) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करके, जिसके लिए कृषि मंत्रालय उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए योजनाएं चला रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में संशोधन हेतु विधेयक

*12. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1992 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "डीयू टीचर्स फ्लै यूजीसी एमेंडमेंट बिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस विधेयक में क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक 1991 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतनमान व सेवा शर्तें निर्धारित की जा सकती है। विधेयक में "विश्वविद्यालय" के शब्द के प्रयोग तथा उन संस्थानों के अलावा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, अन्य संस्थाओं द्वारा डिग्री प्रदान करने पर दण्ड का प्रावधान है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन व गैर अध्यापन स्टाफ की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि "विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के समनुरूप कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एक रूपता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी पहलुओं की जांच करें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल नीति

*13. श्री राम बदन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेलों का स्तर सुधारने के लिये सरकार का विचार एक राष्ट्रीय खेल नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय खेल नीति पहले ही 1984 में बनाई जा चुकी है और 21 अगस्त, 1984 को संसद के दोनों सदनों में रखी गई थी।

(ख) और (ग) नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(I) बुनियादी खेल सुविधाओं का विकास और खेल मैदानों तथा खुले स्थानों का संरक्षण।

(II) शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संस्थानों में खेल और शारीरिक शिक्षा का संवर्धन।

(III) विभिन्न प्रकार के खेल संस्थानों की स्थापना और स्वैच्छिक खेल निकायों का सहयोग प्राप्त करना।

(IV) खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अल्प-आयु में प्रतिभाशालियों का पता लगाना और उनका पोषण करना।

(V) खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों प्रोत्साहन और रोजगार प्रदान करना।

(VI) राष्ट्रीय टीमों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन।

[अनुवाद]

एक परिवार, एक बच्चा

*14. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए "एक परिवार एक बच्चा" का नारा अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) इस बारे में प्रचार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री माखनलाल फोतेदार) : (क) जी, नहीं। समय में यह व्यावहारिक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यदि लोगों द्वारा इस प्रकार के छोटे परिवार का आदर्श अपनाया जाता है तो सरकार इसकी सराहना करेगी।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जाली डिग्रियां दिया जाना

*15. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री साईमन मरान्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाली डिग्रियां देने वाले विश्वविद्यालयों तथा कालेजों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा राज्य-वार ऐसे किन-किन संस्थानों का पता लगाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वि. अ. आ. अधिनियम का उल्लंघन करते हुए डिग्रियां प्रदान करने वाली 27 संस्थाओं की आयोग को जानकारी है। पिछले 3 वर्षों में जिन संस्थाओं का पता चला है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आयोग ने समय-समय पर प्रेस विज्ञाप्तियां जारी की हैं जिनमें छात्रों और आम जनता को इन संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। इन संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं कि वे अपने आप को विश्वविद्यालय न कहलायें और डिग्रियां प्रदान न करें। वि. अ. आ. ने कुछ संस्थाओं के विरुद्ध कोर्ट केस भी दायर किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे कड़ी निगरानी रखे और वि. अ. आ. अधिनियम तथा अन्य दण्डनीय कानून का उल्लंघन करने के लिए ऐसी संस्थाओं पर मुकदमा चलाएं।

नकली विश्वविद्यालयों की वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने पहले ही संसद में वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया जिसमें जेल भेजने और जुर्माने में वृद्धि करने का प्रावधान है।

विवरण

विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नकली डिग्रियों के संबंध में लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं. 15 दिनांक 25.5.92 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

1989 : केरल 1. श्री नारायण मुक्त विश्वविद्यालय, क्वाइलोन : जून, 1989

2. यूनिवर्सिटी न्यूक्कलम, कुपूपरम्मा, केन्नोव : 1989

3. वर्ल्ड सोशल वर्क यूनिवर्सिटी, पेरूमगडी : नवम्बर, 1989

तमिलनाडु

1. टेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, कोडोन्यूम कूनर : मार्च, 89

उत्तर प्रदेश

1. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद : जुलाई, 1989

2. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय, अचलताल, अलीगढ़ : नवम्बर, 1989

1990 जम्मू और कश्मीर

1. आर्य विश्वविद्यालय, श्री नगर : 1990

महाराष्ट्र

1. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर : 1990

तमिलनाडु

1. बाईबल विश्वविद्यालय, अम्बूर (उत्तरी आर्कोट) तमिलनाडु : 1990

2. पूर्वी अर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर (उत्तरी आर्कोट) : 1990

3. ग्लोब विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्बाकोनम (तमिलनाडु) : 1990

4. सेन्ट विज्ञान विश्वविद्यालय, किम्भानट्टम (तिमलनाडु) 1990

5. सेल्फ-कल्चर विश्वविद्यालय, किम्भानट्टम (तमिलनाडु) : 1990

उत्तर प्रदेश

1. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगलसराय उ. प्र. 90

2. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यापीठ, कोसीकला (उ. प्र.) : 1990

दिल्ली

1. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली

2. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली

पंजाब

1. अमृतसर विश्वविद्यालय, अमृतसर : 1990

2. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अमृतसर : 1990

3. पश्चिमी विश्वविद्यालय, कपूरथला : 1990

1991 उत्तर प्रदेश

1. संत रविदास विश्वविद्यालय, मुमरेजपुर, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) 1991

8. मेसर्स उत्तराखण्ड विश्वविद्यापीठ, देहरादून : 1991

महाराष्ट्र

1. अरबी रजा विश्वविद्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) अगस्त, 1991

[अनुवाद]

सी. जी. एच. एस. डाक्टरों की हड़ताल

*16. श्री प्रबीन डेका :

श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूरे देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के डाक्टरों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी हड़ताल न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री माखनलाल फोतेदार) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकांश सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों ने 11-12 नवम्बर, 1991 की मध्य रात से हड़ताल कर दी थी। विशेषज्ञ, रेजीडेंट डाक्टर और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सक इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे।

(ख) और (ग) यह हड़ताल सेवारत डाक्टरों के संगठन की संयुक्त कार्रवाई परिषद (जे ए सी एस डी ओ) के आह्वान पर की गई थी जिसने श्री आर. के. टिक्कू की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट को संपूर्णतः स्वीकार करने की मांग की थी।

(घ) सरकार डाक्टरों की सभी न्यायोचित शिकायतों पर खुले दिमाग से विचार करने पर सहमत हुई है। अधिकारियों की एक समिति उनकी मांगों पर विचार कर रही है।

संस्कृत, राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन

*17. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संस्कृत, राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितना धन खर्च किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन भाषाओं में से प्रत्येक को बढ़ावा देने के लिए किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

	संस्कृत भाषा	राजभाषा (हिन्दी सहित	क्षेत्रीय भाषा
1988-89	552.89	1008.68	376.06
1989-90	624.40	890.68	564.69
1990-91	629.73	968.63	397.89

विवरण

देश में संस्कृत, राजभाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम चलाए गए हैं :—

(क) संस्कृत

(1) संस्कृत के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय अनुदान।

(2) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय अनुदान।

(3) आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात वयोवृद्ध संस्कृत अध्येताओं को वित्तीय सहायता।

(4) संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता।

(5) दुर्लभ पांडुलिपियों की खरीद तथा उनके प्रकाशन के अलावा संस्कृत साहित्य के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(6) पुरालेखशास्त्र तथा प्रतिमा-विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष अवस्थापना पाठ्यक्रम।

(7) वैदिक पाठ में मौखिक परम्परा का परिरक्षण।

(8) अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता तथा वैदिक सम्मेलन आयोजित करना।

(9) वैदिक स्थायी निधि।

(10) संस्कृत के विख्यात अध्येताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करना।

(11) मन्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।

(12) परम्परागत तथा वैदिक शिक्षा के विकास के लिए मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त

निकाय के रूप में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की भी स्थापना की गई है।

(13) संस्कृत शिक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए भारत के उप-राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) राजभाषा :

I. राजभाष को बढ़ावा देने के लिए रेडियो स्पाट तैयार किए हैं जिन्हें आकाशवाणी से प्रसारित किया गया है तथा फिल्मों अर्थात् "हिन्द की वाणी", "देश की वाणी" आदि को दूरदर्शन से प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कई पोस्टर तैयार किए गए जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों/उपक्रमों को भेजा गया।

(ख) II. 1. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण।

2. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सहित हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान।

3. इसके अलावा, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा का गठन किया गया है, जो कि हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाते हैं।

(ग) क्षेत्रीय भाषाएं :

1. आदिवासी भाषा विकास सहित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र।

2. गुजराल समिति तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड।

3. गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता (सिन्धी, उर्दू तथा हिन्दी के अलावा)।

4. सिन्धी विकास बोर्ड सहित सिन्धी के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता तथा सिन्धी में पुस्तक उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता।

जनसंख्या नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय अभियान शुरू करना

*18. श्री आर्स्कर फर्नान्डीज :

श्री एस. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या के संबंध में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने तथा जनसंख्या नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भी शुरू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (ग) जनसंख्या नियन्त्रण पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं नहीं है। ऐसा समझा गया है कि जनसंख्या समस्या को बहु-आयामी और जटिल स्थिति को देखते हुए गहरे वैयक्तिक विश्वासों, धारणात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से प्रौद्योगिकी मिशन के दृष्टिकोण से समस्या साध्य नहीं होगा।

2. जनसंख्या नियंत्रण की सफलता के लिए कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय जन-आन्दोलन में बदलने के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति और समाज के सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों में देश में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सहमति तैयार करने हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(क) जनसंख्या समस्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में विचार किया गया था जहां पर सभी इस बात पर एकमत थे कि जनसंख्या नियंत्रण को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति जनसंख्या विषयों को देखने और एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए गठित की गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के जनवरी 1992 में हुए सम्मेलन में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि जनसंख्या नियंत्रण तात्कालिक राष्ट्रीय महत्व के विषयों में है। सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के घनिष्ठ परामर्श से तैयार की गई कार्य योजना को कार्यान्वित करने पर सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

(ग) जनसंख्या नियंत्रण के कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रमुख कार्य के रूप में चुना गया।

3. राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से इस कार्य में शामिल करना उपर्युक्त कार्य योजना के मुख्य कार्यों में से एक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(क) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की घनिष्ठ रूप से मानीटरिंग करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तंत्र को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिवों से हर माह परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। निचले स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिला कलेक्टरों और

अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को शामिल करने के लिए भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ट और सतत तालमेल से कार्य करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई है।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करें और इन निकायों और संस्थाओं से संबंधित संगत अधिनियमों और नियमों में यदि इन निकायों/संस्थाओं द्वारा "जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के आदर्श" के बारे से प्रावधान मौजूद नहीं हैं तो उन्हें शामिल करने के लिए उनमें आवश्यक संशोधन करें।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की उच्चतर स्तर की सहभागिता के लिए देश के विभिन्न भागों में कई क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उनके दृष्टिकोण पर इन संगठनों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसे संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इन संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही स्कीमों में समन्वय रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

रेलवे उपक्रमों द्वारा खर्च में कटौती

*19. श्रीमती मारगाथम चन्द्रशेखर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय से जारी हुए निदेशों को देखते हुए, रेलवे उपक्रमों में खर्च में अपेक्षित कटौती करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे में प्रशासनिक खर्च में कमी करने के लिए अनेक पदों को समाप्त करते समय सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षित संख्या बनाये रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरती गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) वित्त मंत्रालय के जनवरी, 1992 के निर्देशों के अनुसार, रेल मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रमों, यथा रेल इण्डिया-टेक्निकल एंड इकानमिक सर्विसेज लि. (राइट्स), इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (इरकान), भारतीय कंटेनर निगम (कनकोर), भारतीय रेल वित्त निगम (आई. आर. एफ. सी.) और कोंकण रेलवे कारपोरेशन (के. आर. सी.) द्वारा खर्च को घटाने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) 10% टेलीफोन कनेक्शनों को अभ्यर्पित करना;

(2) 1992-93 में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों में 20% की कमी करना; और

(3) अभ्यर्पित किए जा सकने वाले पदों का पता लगाना और इन्हें अभ्यर्पित करने के उद्देश्य से कर्मचारी आवश्यकताओं की समीक्षा करना;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में कोई कटौती या उनकी पदावनति नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का बन्द होना

*20 श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में उन चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है जिनमें चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) इन राज्यों में इस समय कुल कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं और इन मिलों को पुनः खोलने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं; और

(ग) देश में तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, चालू पेराई-मौसम के लिए चीनी उत्पादन के अलग-अलग क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991-92 मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश की 105 संस्थापित चीनी फैक्टरियों में से 104 चीनी फैक्ट्रियों तथा बिहार की 30 चीनी फैक्ट्रियों में से 25 चीनी फैक्ट्रियों ने पेराई का कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 1 चीनी फैक्ट्री तथा बिहार की पांच चीनी फैक्ट्रियों ने पेराई का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है ' संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन फैक्ट्रियों को शीघ्र पुनः चालू करवाने के उपचारात्मक कदम उठाएं।

(ग) चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने देश में 1991-92 मौसम के लिए 120.66 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस सम्बन्ध में राज्यवार अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों का बन्द करना

1. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ नवोदय विद्यालय बन्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं ।

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विद्यालयों को पुन: खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में महिलाओं के लिए होस्टल

2. श्री पी. सी. थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए होस्टलों के लिए धनराशि के आबंटन हेतु केरल सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए एवं अभी कितने विचाराधीन हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति निम्नानुसार है :—

क.सं	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1.	1988-89	7	7
2.	1989-90	8	8
3.	1990-91	3	1

हृदय रोग और रक्तचाप के उपचार के लिए इन्जेक्शन

3. श्री जीवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा इन्जेक्शन विकसित किया गया है, जो अवरुद्ध धमनियों में कोलेस्ट्राल साफ करके हृदयरोग और रक्तचाप के उपचार में सहायक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इसे सरकारी अस्पतालों और सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरियों में भी उपलब्ध कराया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि अब तक ऐसा कोई इन्जेक्शन विकसित नहीं किया गया है जिससे अवरुद्ध धमनियों में से कोलेस्टेराल साफ करके दिल के दौरे और उच्च रक्तचाप के उपचार में सहायता मिले सके।

बहरहाल, हृदय की धमनियों में हार्ट अटैक के दौरान रक्त के थक्कों को समाप्त करने के लिए इन्जेक्शन विकसित किया गया है। भारत में स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस तथा टिशू प्लाज्मिनोजेन एक्टीवेटर जैसे तीन ऐसे यौगिक उपलब्ध हैं। प्रथम दो इन्जेक्शन का इस्तेमाल कुछेक अस्पतालों अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली में नेमी तौर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इन इन्जेक्शनों का इस्तेमाय डिस्पेंसरियों में नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्जेक्शन लगाए जाने के दौरान एवं उसके उपरान्त कुछेक दिनों तक रोगियों को विशिष्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है। तथापि उसका इस्तेमाल गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नेमी तौर पर किया जा रहा है।

हुम्नाबाद में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

4. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में हुम्नाबाद में रहने वाले लोगों को टिकटों और माल को बुकिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो हुम्नाबाद के लोगों को बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) हुमनाबाद में बुकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

अस्पताल

5. **श्री वी. देवराजन।**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समय देश में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.87 को स्थिति के अनुसार देश में केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन अस्पतालों का ब्योरा उपाबन्ध में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल अस्पताल	अस्पताल का नाम/विवरण और संख्या	(कोष्ठक में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(6)
			रेलवे अस्पताल	(7)
2.	असम	13	कोल इण्डिया अस्पताल	(1)
			रेलवे अस्पताल	(6)
			आल इंडिया अस्पताल	(2)
			असम आयल इण्डिया कम्पनी अस्पताल	(1)
			नामरूप एच एफ सी अस्पताल, नामरूप	(1)
			रिफाइनरी अस्पताल, नूनमाटी	(1)
			एन. ई. ई. पी. सी. ओ अस्पताल, कपीलियो डाइड्रा प्रोजेक्ट	(1)

1	2	3	4	5
3.	बिहार	17	रेलवे अस्पताल	(9)
			के. एस. आई. अस्पताल, धनबाद	(1)
			केन्टोनमेंट/मिलिट्री/आर्मी अस्पताल	(3)
			कोइलरी अस्पताल	(2)
			कोनारी अस्पताल	(1)
			टाटा मेन रेलवे अस्पताल, भुरखुण्डी	(1)
4.	गोवा	1	मिलिट्री अस्पताल, पणजी	(1)
5.	हरियाणा	3	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(3)
6.	हिमाचल प्रदेश	6	जनरल हास्पीटल	(5)
			भारत तिब्बत सीमा पुलिस अस्पताल, रैकानपिलो	(1)
7.	कर्नाटक	18	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(5)
			व्हील एण्ड एक्सल प्लांट अस्पताल, बंगलूर	(1)
			मिलिट्री अस्पताल	(1)
			आई. टी. आई. अस्पताल	(1)
			एच ए एल हास्पिटल, बंगलूर	(1)
			बेस हास्पीटल, बंगलूर	(1)

			एच एम टी अस्पताल, बंगलूर	(1)
			माइन्स हास्पीटल, हास्पिटल, होसपेट	(1)
			कुद्रेमुख जनरल हास्पिटल, चिकमंगलूर	(1)
			रेलवे हास्पिटल	(4)
			चैम्पियन रीफ हास्पिटल, बंगरपेट	(1)
8.	महाराष्ट्र	37	मिलिट्री हास्पिटल	(7)
			आर्डिनेन्स हास्पिटल	(8)
			डा. बी. अम्बेडकर मेमोरियल हास्पिटल, बम्बई	(1)
			रेलवे हास्पीटल	(10)
			आई. एन. एच. अश्विनी हास्पिटल, बम्बई	(1)
			बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट हास्पिटल, वडाला	(1)
			सेक्शन हास्पिटल, मिलिट्री कैम्प कम्पाउण्ड बम्बई	(1)
			आई आई टी हास्पीटल, बम्बई	(1)
			बी ए आर सी हास्पिटल, बम्बई	(1)
			गाडफ्रे हास्पिटल, बम्बई	(1)
			इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस हास्पिटल, नासिक	(1)
			एच ए एल हास्पिटल, ओजार	(1)

1	2	3	4	5
			आर्म्ड फोर्सिस मेडिकल कालेज, पुणे	(1)
			हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक हास्पिटल, पिम्परी	(1)
			दक्षिणी कमांड हास्पिटल, पुणे	
9.	उड़ीसा	12	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(2)
			पारा द्वीप पोर्ट हास्पिटल	(1)
			मिशन हास्पिटल, दीप्तीपुर	(1)
			रेलवे हास्पिटल	(2)
			फर्टिलाइजर हास्पिटल, राउरकेला	(1)
			आयरन माइन्स हास्पिटल, बरसुआन	(1)
			एल डी क्यू हास्पिटल, पुल्नापानी	(1)
			बी एस एल कम्पनी हास्पिटल, बीरमित्रपुर	(1)
			ओ सी एल हास्पिटल, लगरबरेना	(1)
			टिस्को हास्पिटल, हातीबाड़ी	(1)
10.	पंजाब	10	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(3)
			रेलवे हास्पिटल	(5)
			केन्टोनमेंट केन्द्रल हास्पिटल, फिरोजपुर	(1)

			केन्टोनमेंट जनरल हॉस्पिटल, जालंधर	(1)
11.	राजस्थान	17	मिलिट्री हास्पिटल	(5)
			रेलवे हास्पिटल	(9)
			12वां बी एस एफ ए ए सी हास्पिटल. बीकानेर	(1)
			कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, कोटा	(1)
			मारवाड़ मील कार्पोरेशन हास्पिटल	(1)
12.	तमिलनाडु	14	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(5)
			पोर्ट ट्रस्ट हास्पिटल, मद्रास	(1)
			रेलवे हास्पिटल	(6)
			न्यूवेली लिग्नाइट कारपोरेशन हास्पिटल	(1)
			मेल हास्पिटल, थिरुवेराबूर	(1)
13.	उत्तर प्रदेश	30	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल	(8)
			रेलवे हास्पिटल	(11)
			मिलिट्री हास्पिटल	(5)
			केन्टोनमेंट सेन्ट्रल हास्पिटल	(4)
			डाक ग्रोव स्कूल हास्पिटल, देहरादून	(1)
			इण्डियन आर्डिनेन्स फैक्टरी हास्पिटल, देहरादून	(1)

1	2	3	4	5
14.	पश्चिमी बंगाल	34	रेलवे हास्पिटल	(18)
			के जी हास्पिटल, चित्तरंजन	(1)
			कर्मचारी राज्य बीमा निगम हास्पिटल	(12)
			खड़गपुर, एफ ई आर हास्पिटल, मिदनापुर	(1)
			फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट हास्पिटल	(1)
			बैरकपुर केन्टोनमेंट हास्पिटल	(1)

रक्त के विकल्प का विकास

6 श्री बापू हरि चौरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित प्रतिरक्षित रुधिर-विज्ञान संस्थान में चिकित्सा वैज्ञानिक ने रक्त के ऐसे विकल्प का विकास किया है, जिसे आपातकाल में किसी भी ब्लड ग्रुप के रोगी को दिया जा सकता है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि स्टार्मा रहित हिमोग्लोबिन घोल नामक एक रक्त प्रतिस्थानी इम्यूनोहिमेटालाजी संस्थान, बम्बई में विकसित किया जा रहा है। इस प्रतिस्थानी का इस्तेमाल आपात स्थिति के दौरान उस समय किया जा सकता है जब या तो एक ही समूह के मेल खाने वाले रक्त अथवा मैंचिंग सुविधाएं उपलब्ध न हों। दूसरे शब्दों में इसे रक्त समूह का मैच किए बिना दिया जा सकता है।

(ख) इस परियोजना कार्य को नीचे दर्शाये गए अनुसार 3 चरणों में शुरू करने की योजना है। इस समय चरण-I का कार्य चल रहा है।

चरण—I इस्तेमाल के लिए बेकार हुए रक्त से स्टॉर्मा रहित हिमोग्लोबिन तैयार करने के संबंध में प्रारम्भिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

चरण II और III

पायरीडाक्सिलेटिड स्टॉर्मा रहित हिमोग्लोबिन तैयार करने और पालिमेराइज्ड पायरीडॉक्सिलेटिड स्टॉर्मा रहित हिमोग्लोबिन घोल तैयार करने जैसे अनेक परीक्षण किए जाएंगे।

यह देखने के लिए कि क्या स्टॉर्मारहित हिमोग्लोबिन में प्रतिजनन क्षमता है सभी प्रकार के स्टॉर्मा को निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफिक और अपकेन्द्रीकरण क्रियाविधियों से पहले और बाद में पशु प्रतिरक्षण किए जाएंगे। निर्जीवाणुता शेल्फ में रखने की अवधि और पशु निवेचन संबंधी परीक्षण करने का भी विचार है। नैतिक समिति से अनुमति लेने के बाद मानव परीक्षण भी शुरू किए जा सकते हैं।

उड़ीसा के "मार्शल आर्ट" अकादमी की स्थापना हेतु सहायता

7. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पायका नृत्य, पारंपरिक "मार्शल आर्ट" के संरक्षण संवर्धन एवं समृद्धि हेतु इसे पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस कला के प्रोत्साहन हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है,

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा की "मार्शल आर्ट" के लिए खुड़ा में एक अकादमी स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संगीत नाटक अकादमी द्वारा नवम्बर, 1990 में आयोजित अपने 7वें लोक उत्सव में पायका नृत्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। अकादमी का प्रस्ताव पायका नृत्य सहित छाऊ नृत्यों और उनसे संबन्ध नृत्यरूपों का सर्वेक्षण करवाने का है।

(ग) और (घ) उड़ीसा की "मार्शल आर्ट" के लिए खुडा में अकादमी स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल में कैंसर के उपचार हेतु सहायता

8. प्रो. के. वी. थामस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में कैंसर के उपचार हेतु विभिन्न संस्थाओं को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सरकार केरल स्थित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1990-91 के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्र को उपकरणों की खरीद हेतु 20 लाख रुपये की राशि दी गई थी। इसके अलावा, स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के लिए एर्नाकुलम स्थित जिला परियोजना के लिए केरल सरकार को 15 लाख रुपए की रकम दी गई थी।

अल्सर-रोधी औषध का उपयोग

9. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अमेरिका के डाक्टरों ने अल्सर-रोधी औषध लेने वालों को इसके कुप्रभाव के प्रति चेतावनी दी है;

(ख) क्या भारत में इन औषधों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखनलाल फोतेदार) (क) से (ग) यद्यपि भारत सरकार को किसी ऐसी चेतावनी की जानकारी नहीं है फिर भी उपयुक्त एहतियात बरते जाते हैं। अल्सर-रोधी औषधि अर्थात एंटासिड, एंटीसेक्रेटरी एजेन्टस (अर्थात सिमेटीडी, रेनिसाइडीन आदि एट्रोपीन वर्ग की औषधें), साइटोप्रोटेक्टिव (अर्थात सक्रालपेट, कालोइडल बिस्मथ आदि) और एंटी सेक्रेटरी तथा साइटोप्रोटेक्टिव (पोस्टोग्लेन्डीन ई-1 ई-2 आदि) विभिन्न श्रेणियां हैं। भारत में औषधों की ये सभी श्रेणियां डाक्टर के नुस्खे पर देना होती है। इन औषधों के संकेत, प्रतिसंकेत और संस्तुत प्रतिदिन की खुराक इन औषधों की पैकेज पर्ची में दी जाती है।

फ्लोराइड युक्त टूथपेस्टों के उपयोग पर प्रतिबन्ध

10. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या "फ्लुओरोसिस" की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए देश में फ्लोराइड युक्त टूथपेस्टों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्टों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) "फ्लुओरोसिस" की घटनाओं में कमी लाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो विशेष रूप से 7 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड के इस्तेमाल के सम्बन्ध वैज्ञानिक और अन्य सम्बन्धित आंकड़ों की रोशनी में सभी मद्दों की नए सिरे से जांच करेगी।

(ग) सुरक्षित पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत "फ्लोरोसिस नियन्त्रण" सम्बन्धी उप-मिशन द्वारा देश में पानी के स्रोतों को फ्लोरीन मुक्त किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए स्व रोजगार के अवसर

11. डा. देवी प्रसाद पाल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

महिलाओं को स्वरोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

12. श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में अहमदाबाद-दिल्ली (बरास्ता जयपुर) मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद-दिल्ली (जयपुर के रास्ते) खंड के आमान परिवर्तन को आठवीं योजना में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल की सेवाओं में सुधार

13. श्री के. वी. तंग्काबालू

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं/सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवाओं में सुधार एवं विस्तार संबंधी कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (ग) : सफदरजंग अस्पताल प्रतिदिन 5,000 से अधिक रोगियों के लिए बाहरंग रोगी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस अस्पताल में शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, कैंसर सेवाएं, तंत्रिका-शल्य चिकित्सा, हृदयवक्ष शल्य चिकित्सा, विकलांग चिकित्सा विज्ञान पुनर्वास, जले हुए शरीर के हिस्से को ठीक करने तथा प्लास्टिक एवं मैक्सिलोफेशियल शल्य चिकित्सा, कान, नाक, गला, नेत्र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञान, चिकित्सा, रुधिर विज्ञान, तथा न्यूक्लियर चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान, डर्मेटोलाजी बालरोग चिकित्सा नवप्रसूत चिकित्सा एव संवेदनाहरण विज्ञान जैसी विशिष्टताएं मौजूद है।

अस्पताल में सी. टी. स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे, केमोथिरेपी एण्डोस्कोपी जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध है।

इस अस्पताल में रुधिर विज्ञान, ऊतक विकृतिविज्ञान, जैव-रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान,

नैदानिक रोगविज्ञान एवं जैव-भौतिकी जैसी अनेक आधुनिक प्रयोगशाला जांच सुविधाएं मौजूद हैं।

रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अस्पताल की सेवाओं को अद्यतन बनाने हेतु सतत प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जयनगर से खाद्य वस्तुओं की अनियमित सप्लाई

14. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक महीनों से भारतीय खाद्य निगम के जयनगर स्थित गोदाम से खाद्य वस्तुओं की सप्लाई अनियमित हो गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका हल क्या है,

(ग) क्या जयनगर स्थित गोदाम को रेलवे लाइन से न जोड़ने के कारण खाद्यान्नों की बरबादी होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कम वसूली होने के कारण छोटी लाइन पर रैक संचलन नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप जयनगर को अनियमित आपूर्तियां हुई हैं। आपूर्तियां मधुबनी जिले के नारायणपुर अनन्त डिपो से की गई है जो कि बड़ी लाइन पर स्थित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

"नदी प्रदूषण"

15. श्री सनत कुमार मंडल

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बढ़ते हुए प्रदूषण को समाप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसी अवस्था में एक प्रकार की पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी स्थापित करने के औचित्य पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने हेतु सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) नदी के जिन भागों में शहरी मलजल गिरता है, उनसे निचले भाग आम तौर पर प्रदूषित हैं। औद्योगिक बहिस्राव से नदी के पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

(ख) और (ग) नदी जल के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने देश में प्रमुख नदियों के 13 अत्यन्त प्रदूषित भागों और अन्य नदियों के 6 कुछ कम प्रदूषित भागों के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कार्य के लिए अभिनिर्धारण और तकनीकी सहायता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलती है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों का आधुनिकीकरण

16. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार पुराने रेल डिब्बों में सुधार करने और उन्हें आधुनिक बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सभी सवारी डिब्बों के निरीक्षण तथा अनुरक्षण के सम्बन्ध में रेलों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। सवारी डिब्बों का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए प्रारम्भ में प्रत्येक ट्रिप के बाद निरीक्षण किया जाता है तथा इसके बाद दूसरी आवधिक अनुसूचियों के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। पुराने सवारी डिब्बों की हालत सुधारने के लिए नामित कारखानों में सवारी डिब्बों का बीच में ही पुनर्निर्माण करने की अवधारणा भी शुरू की गयी है। जिसके दौरान सवारी डिब्बों को अद्यतन बनाने के लिए उनमें आशोधन भी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

17. श्री ललित उरांव

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार में लोहरदगा तथा तोरीपंडवा रेलवे स्टेशनों के आधुनीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी सेविकाओं का नियमन

13. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आंगनवाडी सेविकाओं को नियमित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या उनके लिए न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागमें राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने या न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निश्चित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि ये स्थानीय समुदाय में से चुने गए अवैतनिक, अंशकालिक (4 1/2 घंटे प्रतिदिन) स्वयंसेवी कार्यकर्ता होती हैं। इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के बराबर मानने से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की सामुदायिक सहभागिता की आधारभूत अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी।

उड़ीसा में आदिवासियों की चिकित्सा

19. श्री पीयूष तीरकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राजगंगपुर के आस-पास हजारों आदिवासी राजगंगपुर में सीमेंट कारखानों से उड़ने वाली सीमेंट धूल के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में क्षय रोग से पीड़ित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सीमेंट कम्पनी को मुआवजा देने तथा चिकित्सा लागत का भुगतान करने का निदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार फिलहाल राजगंगपुर में 654 क्षय रोगियों का इलाज

हो रहा है और क्षयरोग की व्याप्तता दर फिलहाल 2·5% है। विशेषज्ञों के मतानुसार उन कामगारों को बलगम ज्यादा आता है और श्वसन-पथ अवरोधी बीमारी होने की संभावना होती है, जो सीमेंट की धूल में काम करते हैं क्योंकि सीमेंट की धूल में खतरनाक सिलिकेट मौजूद होते हैं जो सिलिकोसिस पैदा करते हैं।

(ख) और (ग) क्षयरोग की रोकथाम के लिए एक क्षयरोग क्लीनिक है, जिसमें क्षयरोगियों के लिए 10 पलंग हैं और उप-प्रभागीय अस्पताल राजगंगपुर में एक्स-रे की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राजगंगपुर में क्षयरोगियों के लिए 16 पलंग हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) से (छ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उड़ीसा ने प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के साथ-साथ बचाव उपायों में भी परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। सीमेंट कारखाने द्वारा निदेशों का पालन नहीं किया गया है, जिस कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा द्वारा उप-प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुन्दरगढ़ के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया है। यह मामला न्यायाधीश है।

जोगिन्दर नगर से कुल्लू तक संकरी रेल लाइन

20. श्री डी डी खनोरिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगिन्दर नगर से कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) तक एक संकरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल टैरिफ जांच समिति

21. श्री राम नाईक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल टैरिफ जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश-पद क्या हैं तथा सदस्यों के नाम क्या हैं और वह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) क्या इस समिति में उपनगरीय दैनिक यात्रियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार ने रेल किराया एवं माल भाड़ा समिति गठित की है

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) समिति में परिवहन अर्थव्यवस्था, रेलवे वित्त और रेल टैरिफ से सम्बन्धित विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति दैनिक यात्रियों सहित रेल उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करेगी। इसने जनता से पहले ही सुझाव आमंत्रित कर लिए हैं। विशेषज्ञ समिति उपयोगकर्ताओं के सुझावों और विचारों पर विचार करने बाद अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देगी।

विवरण

रेल टैरिफ जांच समिति के सम्बन्ध में लोक सभा में 25.2.1992 को श्री राम नाईक द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 21 के भाग (ख) के उत्तर से सम्बन्धित विवरण,

(ख) समिति के विचारार्थ विषय संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं :—

1. विचारार्थ विषय

परिचालन की लागत में वृद्धि, रेलों द्वारा ढोए जाने वाले प्रत्याशित यातायात की मात्रा और स्वरूप, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवहन नीति और देश के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, किराये और माल भाड़े की मौजूदा संरचना के समूचे ढांचे और अन्य आनुषंगिक मामलों की जांच करना।

निम्नलिखित के बारे में विशेष रूप से अध्ययन, समीक्षा और जांच करना :

i. यात्री किराये

ii. माल दरें

iii. वाइडिंग प्रभार

iv. पार्सल दरें

v. सैनिक यातायात और डाक यातायात के लिए दरें और विविध प्रभार

vi. एकीकृत अन्तः मॉडल सेवाएं

vii यातायात लागत

Viii रेल दर प्राधिकरण; और

उपर्युक्त विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों पर अन्तरिम सिफारिशें देना जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा अपेक्षित समझा जाए।

2. समिति विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों, उद्योग संघों और उपयोगकर्ताओं के अन्य प्रतिनिधिक निकायों के साथ विचार-विमर्श करेगी ताकि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

3. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. डा. डी. एम. नान्जुन्दप्पा : अध्यक्ष

2. श्री ए. वी. पौलोस,
सेवानिवृत्त वित्त आयुक्त (रेलवे) : उपाध्यक्ष

3. श्री एम. एस. भंडारी, : सदस्य
सेवानिवृत्त सलाहकार (वाणिज्य),
रेलवे बोर्ड,

4. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

विधि के परीक्षा पत्रों का लीक होना

22. श्री गुरुदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की जनवरी, 92 में हुई विधि परीक्षा पत्र लीक हो गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार यह सत्य नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जनवरी, 1992 में आयोजित विधि परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का पहले पता चल गया था। प्रश्न पत्रों के पहले पता लग जाने से सम्बन्धित आरोप जांच के आधार पर प्रमाणित नहीं हो सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दादर स्टेशन पर स्टालों का आवंटन

23. कुमारी उमा भारती :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांगों तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खाद्य वस्तुओं/चाय के स्टालों के आवंटन हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) आवंटन हेतु उनके आवेदन कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) कितने आवेदनों को अन्तिम कर दे दिया गया है परन्तु आबटन पत्र जारी नहीं किए गए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवेदन पत्र मांग कर तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद स्टाल आबंटित किये जाते हैं। दादरा स्टेशन पर कोई स्टाल आबटित करने के लिए आवेदनपत्र नही मागे गये थे। बहरहाल, स्टाल आबंटित करने के लिए रेल मन्त्रालय को सीधे कुछ आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फैजाबाद डिवीजन में हिन्दी का उपयोग

24. श्री विनय कटियार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे म फैजाबाद डिवीजन में उन रेलवे कार्यालयो और इससे संबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, जहा ग्रुप "घ" कर्मचारियों के अलावा कर्मचारियों की सख्या 25 या इससे अधिक है;

(ख) उनमें से ऐसे कार्यालयों के नाम क्या हैं, जहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित नहीं की गयी है ;

(ग) उपर्युक्त भाग "क" में उल्लिखित ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी हैं जहां 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी के कार्य का ज्ञान है और उनमें से कितने कर्मचारी 50 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य हिन्दी में कर रहे हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है कि सरकार की नीति के अनुसार अधिकांश कार्य हिन्दी मे किया जाये; और

(ङ) वहां यह प्रणाली किस हद तक प्रभावी हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे पर फैजाबाद नाम का कोई मण्डल नहीं है। तथापि, लखनऊ मण्डल मे फैजाबाद एक स्टेशन है और इससे कोई भी सरकारी उपक्रम सम्बद्ध नहीं है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में ग्रुप "घ" के कर्मचारियों को छोड़कर लगभग 395 कर्मचारी कार्यरत है।

(ख) स्टेशन तथा अन्य कार्यालयों को एक यूनिट मानते हुए इस स्टेशन पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी है।

(ग) इस स्टेशन पर 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और इनमें से लगभग 300 कर्मचारी 50% से अधिक अपना सरकारी काम काज हिन्दी मे कर रहे है।

(घ) इस स्टेशन पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राजभाषा कार्या-

न्वय समिति की त्रैमासिक बैठकों को आयोजित करके इसकी समीक्षा की जाती है और समय-समय पर निरीक्षण किये जाते हैं।

(ङ) यह प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध हुई है इन उपायों से इस स्टेशन के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

भरतपुर स्टेशन का नवीकरण

25. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भरतपुर स्टेशन के नवीकरण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) कार्य प्रगति का ब्योरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटित की गई राशि में से कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या इस स्टेशन पर कम्प्यूटर सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भरतपुर स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों में किये गये आवंटन की वर्ष वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

1989-90-	19.92 लाख रुपये
1990-91-	8·62 लाख रुपये
1991-92-	4.81 लाख रुपये
	33.35 लाख रुपये

(ख) ये कार्य मीटर लाइन की स्टेशन इमारत में सुधार करने, उसका सौन्दर्यवर्धन करने, कानकोर्स हाल और परिचलन क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित है और इन कार्यों को 1992 में पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1989-91-	1992 लाख रुपये
1990-91-	8.62 लाख रुपए
1991-92-	4.81 लाख रुपये
	33.35 लाख रुपये

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए केरल को सहायता

26. श्री टी. जे. अन्जलोस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल सरकार को पिछले वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी सहायता राशि दी गई ;

(ख) क्या इस पूरी धन-राशि का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) संविधान के अन्तर्गत, स्वास्थ्य राज्य का विषय है । तथापि, कुछेक विशिष्ट रोगों के नियंत्रण उन्मूलन के लिए राज्य सरकारो के प्रयासों को और तेज करने की दृष्टि से केन्द्र राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए केरल राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :

केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)

कार्यक्रम का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	4.64	40.03	14.18
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	65.00	72.87	80.31
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	23.01	35.94	48.39
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	23.88	27.41	12.52

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सउदी अरब के साथ ठेका

27. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सउदी रेल संगठन, दम्माम के प्रमुख वर्कशाप के लिए हैवी मशीनरी

उपकरणों की डिजायन, सप्लाई और स्थापना के लिए सउदी अरब के साथ कोई ठेका किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) सरकार ने किसी ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। बहरहाल, इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) ने सऊदी रेलवे संगठन के साथ दम्माम में उनके एक बड़े अनुरक्षण कारखाने के लिए प्रमिकल्प, मशीनरी और उपस्कर की सप्लाई करने तथा उन्हें चालू करने के लिए उस संगठन के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। ठेके का मूल्य 21.85 मिलियन सउदी रियाल है और इनकी सप्लाई 18 महीनों में की जानी है और उसके बाद 12 महीनों की अनुरक्षण अवधि होगी।

[हिन्दी]

कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए नई रेल गाड़ियां

28. श्री गोविन्दराव निकम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और गोवा के लिए एक नई पर्यटक रेलगाड़ी शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, पुणे तथा कोल्हापुर के पर्यटन स्थलों के लिए एक पर्यटक गाड़ी शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता,

(घ) रेलों के पास इस समय संसाधनों की भारी तंगी है और सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता का भी प्रभाव है, साथ ही उनको नियमित सेवाओं से लगाने की भारी मांग भी है.

[अनुवाद]

खड़गपुर रेलवे स्टेशन में आरक्षण व्यवस्था

30. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर रेलवे स्टेशन में आरक्षण व्यवस्था में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी गयी है यात्री आरक्षण का कार्यभार इतना नहीं है कि इस स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने का औचित्य हो सके।

"ह्वेल और स्तनधारी समुद्री जीव"

31. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रादेशिक जल और विशिष्ट आर्थिक जोन में ह्वेलों और विशिष्ट आर्थिक जोन में ह्वेलों और ऐसे अन्य समुद्री स्तनधारियों की संख्या/प्रवसन के पैटर्न सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के मामले में शुरू किये गये किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में भाग ले रहा है ?

पर्यावरण आई वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी कंवेंशन का सदस्य है, जो व्हेलों तथा अन्य समुद्री स्तनपाइयों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करवाने के लिए उत्तरदायी है। वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कंवेंशन (साइटस) के तहत, जिसका भारत एक पक्षकार है, समुद्री स्तनपाइयों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध है।

माल भाड़े की दरें

32. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल भाड़े की दरों तथा सामान प्रभारों में कितनी वृद्धि की गयी है और यह वृद्धि कब से प्रभावी हुई है;

(ख) क्या इस वृद्धि के परिणामस्वरूप द्वितीय श्रेणी के यात्रियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय की पुनरीक्षा करके इस वृद्धि को वापस लेने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16.8.91 के पश्चात माल और पार्सल सेवाओं के लिए माल-भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 16.1 92 से पहले की 10% दरों की तुलना में केवल सामान की दरें सामान्य पार्सल दरों से ?0% अधिक निर्धारित की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सामान्य की दरों में वृद्धि करना इसलिए आवश्यक समझा गया था ताकि व्यापारिक माल को सामान के रूप में बुक कराकर ले जाने को निरुत्साहित किया जा सके क्योंकि इससे अन्य सह यात्रियों को असुविधा होती थी और ब्रेकयानों में उपलब्ध समिति स्थान को ले लेते थे।

[हिन्दी]

खाद्यान्न में आत्म निर्भरता

33. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है जिनमें देश आत्म निर्भर है;

(ख) क्या देश आत्म-निर्भर होने के बावजूद खाद्यान्नों का आयात किये जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) से (ग) देश दालों को छोड़कर खाद्यान्नों के मामले में सामान्यतया आत्मनिर्भर है लेकिन मानसून और खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसके प्रभाव, बफर स्टाक में वृद्धि करने की आवश्यकता आदि को देखते हुए यदाकदा आयात का सहारा लिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली से झज्जर तक रेलवे लाइन

34. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली/नई दिल्ली से रोहतक में झज्जर तक बहादुरगढ़ या नजफगढ़ होकर एक शाखा लाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण।

[हिन्दी]

सीतामढ़ी में उपरिपुल

35. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सीतामढ़ी में पूर्वी पैदल पार पथ पर रेल गाड़ियों के आवागमन के कारण प्रतिदिन घटों यातायात बन्द रहता है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां एक उपरिपुल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार ने नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ इस सुविधा के लिए अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

[अनुवाद]

रेलवे सम्पत्ति का वाणिज्यिक उपयोग

36. श्री शंकर सिंह वघेला :

कुमारी उमा भारती :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में रेलवे की बेकार पड़ी अथवा अनधिकृत कब्जे वाली सम्पत्तियों का वाणिज्यिक रूप सेउपयोग करने की योजना बनाई है;

(ख) इस योजना की रूपरेखा तथा समय-सीमा और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है; और

(घ) सम्पत्ति का, जोन-वार, ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अनुमान क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इस समय रेलवे की जो भूमि खाली पड़ी है या जिस पर अतिक्रमण किया हुआ है, उसकी रेलों के भावी विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता है। रेलों की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से रेलवे भूमि के ऊपर के स्थान और इस समय खाली पड़ी या अतिक्रमण की गयी भूमि का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग करने की व्यावहारिकता का पता लगाने का इरादा है। यह मामला प्रारम्भिक चरणों में है।

[हिन्दी]

गोंडा-मैलानी सेक्शन पर सवारी रेल गाड़ियाँ

37. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा-मैलानी सेक्शन पर सवारी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से हमेशा पीछे रहती हैं;

(ख) ये रेल गाड़ियां पिछली जुलाई से कितनी बार पटरी से उतरीं, कुल कितने सवारी डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए तथा इससे कितनी हानि हुई;

(ग) इन रेल गाड़ियों के इंजनों को कितनी बार सवारी डिब्बों से अलग किया गया;

(घ) क्या इस सेक्शन पर मेल अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 तक एक गाड़ी पटरी से उतरी लेकिन कोई भी सवारी डिब्बा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

(ग) जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 के दौरान 9 इंजन गाड़ी से अलग हो गये थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजना के लिए कोष

38. श्री वी. धनंजय कुमार :

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना को कोंकण रेल परियोजना के लिये सार्वजनिक बांड जारी करके धन एकत्रित करने हेतु अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितने धन की आवश्यकता होगी;

(ग) इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) क्या परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेल वित्त निगम को 150 करोड़ रुपये के 9 प्रतिशत कर मुक्त बन्ध पत्र जारी करने तथा इस राशि को कोंकण रेल निगम को अन्तरित करने की अनुमति दे दी है। कोंकण रेलवे निगम ने और 100 करोड़ रुपये के लिए अलग से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। 1992-93 के दौरान धन की कुल आवश्यकता अनुमान 438 करोड़ रुपये (खर्च-400 करोड़ रुपये तथा ब्याज 38 करोड़ रुपये) लगाया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना की समूची लम्बाई पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंगलौर-उडुपि (70 कि. मी.) तथा रोहा-वसगांव (45 कि. मी.) लाइन का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है और इन्हें क्रमश: अप्रैल तथा जून, 1992 में चालू कर दिए जाने की संभावना है। कोंकण रेल निगम जिसे इस परियोजना के निष्पादन कार्य सौंपा गया है, ने सूचित किया गया है कि समूची परियोजना का कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि यथा-पेक्षित धनराशि लगातार प्राप्त होती रहे।

"ओन यौर वैगन" योजना

39. श्री प्यारे लाल यादव :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए सरकार का "ओन यौर वैगन" योजना को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और क्या इसमें वैगनों को पट्टे पर देने को भी शामिल किया गया है; और

(ग) देश में वैगनों की कुल कितनी आवश्यकता है तथा उसकी कहां तक पूर्ति की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताओं और शर्तों, जिनमें लीज पर दिये जाने की व्यवस्था शामिल है, को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) आठवीं पंच-वर्षीय योजना में 1,50,000 माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक खरीद योजना आवटन पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

अस्पतालों में टी. वी. सेट

40. श्री मुमताज अंसारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ अस्पतालों में नर्सों, डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु टी. वी. सेट लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के नाम क्या हैं तथा उनमें लगाए गए टी. वी. सेटों की संख्या है;

(ग) क्या टी. वी. कार्यक्रमों के समय रोगियों की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन के नियन्त्रणाधीन दिल्ली के किसी अस्पताल में नर्सों, डाक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों के मनोरंजन के लिए कोई टी. वी. सेट, नहीं लगाया गया है। तथापि कुछ टी. वी. सेट जो जनता द्वारा दान में दिए गए हैं, प्रारम्भिक तौर पर रोगियों और अन्यों के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर कुछेक अस्पतालों में लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

"ऊपरि वर्धा परियोजना को स्वीकृति"

41. श्री राम कापसे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार ने महाराष्ट्र में ऊपरी वर्धा परियोजना को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किये जाने के कारण ऊपरी वर्धा परियोजना को जुलाई, 1990 में नामंजूर, कर दिया गया था।

(ग) आवाह क्षेत्र शोधन, पुनर्वास बृहत योजना, कमांड क्षेत्र विकास, वनस्पतिजात, प्राणिजात आदि के सर्वेक्षण के संबंध में व्यापक पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

"20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण कार्यक्रम"

42. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री अन्ना जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपण पर गत-तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये; गए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये क्षेत्रों में व्यापक रूप से वनरोपण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात वर्ष 1988-891,989-90 तथा 1990-91) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों पर धनराशि का राज्यवार उपयोग विवरण-I में दिया गया है। इस अवधि के दौरान राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) आठवीं पचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का पर्याप्त रूप से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

विवरण I

20—सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनोरोपण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार उपयोग

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/सं. शा. प्रदेश	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3538.00	2174.00	2195.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	451.75	314.85	339.05
3.	असम	2128.00	1354.96	343.57*
4.	बिहार	5298.00	2085.37	3519.42
5.	गोवा	118.00	139.15	117.91
6.	गुजरात	3168.00	4530.62	4754.08
7.	हरियाणा	1921.50	2347.41	3780.49
8.	हिमाचल प्रदेश	2257.50	1619.05	2023.27
9.	जम्मू और कश्मीर	1124.63	1140.77	1719.43
10.	कर्नाटक	2710.50	3938.32	3809.13
11.	केरल	2374.00	942.74	981.54
12.	मध्य प्रदेश	4672.00	2833.84	4954.37
13.	महाराष्ट्र	4194.25	5008.24	4282.57
14.	मणिपुर	403.50	393.32	402.00
15.	मेघालय	756.00	532.32	630.33
16.	मिजोरम	658.00	526.50	466.20
17.	नागालैंड	518.00	228.36	171.47
18.	उड़ीसा	2667.25	2718.62	2546.50
19.	पंजाब	1035.25	1084.22	989.01
20.	राजस्थान	3202.00	3770.90	6899.04
21.	सिक्किम	235.00	267.52	424.47
22.	तमिलनाडु	3479.50	2326.61	3885.32

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	462.75	550.71	644.22
24.	उत्तर प्रदेश	7589.75	7804.37	8831.19
25.	पश्चिम बंगाल	3292.88	1368.44	2304.37
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	259.50	112.95	96.21
27.	चण्डीगढ़	23.50	14.00	14.00
28.	दादर व नगर हवेली	111.25	96.76	107.10
29.	दिल्ली	45.00	275.99	109.48
30.	दमन और दीव	85.50	14.53	13.95
31.	लक्षद्वीप	7.25	10.50	18.60
32.	पाण्डिचेरी	48.00	58.60	86.17
	जोड़ :—	58836.01	50687.54	61457.38

*अनन्तिम

विवरण-II

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए राज्यवार उपलब्धि को बताने वाला विवरण

(लाख पौध)

(हैक्टेयर क्षेत्र)

क्र. सं.	राज्य/सं. शा. प्रदेश	1988-89 पौध	1989-90 पौध	1990-91 निजी भूमि पर पौध वितरण	1990-91 क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2834.95	2635.15	1612.00	21600 00
2.	अरुणाचल प्रदेश	141.00	129.41	1.79	5516.00
3.	असम	443.87	339.40	18.47	24754.00*
4.	बिहार	3603.54	2349.87	242.15	37081.00

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	73.73	76.22	24.50	1349.90
6.	गुजरात	4013.61	3889.00	2356 36	48585.00
7.	हरियाणा	632.75	495.60	224.30	40094.00
8.	हिमाचल प्रदेश	683.73	653.11	135.57	25370.00
9.	जम्मू और कश्मीर	504.74	164.49	112.45	15773.25
10.	कर्नाटक	3091.91	2232.83	763.16	30194.00
11.	केरल	1521.00	454.87	164.11	5974.84
12.	मध्य प्रदेश	4416.00	3914.84	464.40	75042.00
13.	महाराष्ट्र	5700.00	3837.20	1188.86	122955.35
14.	मणिपुर	198.96	231.04	24.00	9450.00
15.	मेघालय	329.77	285.00	25.33	6650.00*
16.	मिजोरम	300.00	300.00	182.50	8250.00
17.	नागालैण्ड	230.00	411.00	105.00	15412.00
18.	उड़ीसा	2762.17	1675.75	191.96	58401.70
19.	पंजाब	574.60	418.31	143.18	9950.00
20.	राजस्थान	1310.00	916.00	399.11	52147.00
21.	सिक्किम	126.15	143.86	8.40	4275.00
22.	तमिलनाडु	1805.57	1671.28	215.10	42493.00
23.	त्रिपुरा	267.00	270.00	63.00	10950.00
24.	उत्तर प्रदेश	5459.82	5500.25	3122.84	61083.62
25.	पश्चिम बंगाल	1112.00	1034.00	847.00	19796.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	107.59	106.37	3.98	3122.24
27.	चण्डीगढ़	3.53	2.08	0.07	177.00
28.	दादर व नगर हवेली	38.32	31.25	3.82	868.00
29.	दमन और दीव	1.26	2.25	0.67	40.00*
30.	दिल्ली	65.90	43.00	45.65	1660.00

1	2	3	4	5	6
31.	लक्षद्वीप	2.24	2.91	2.86	42.00
32.	पांडिचेरी	10.46	10.83	1.17	65.80*
	योग	42366.17	34237.17	12693.76	759127.71

* अनन्तिम

टिप्पणी:—वर्ष 1990-91 से लक्ष्यों और उपलब्धियों का आकलन, (क) निजी भूमि पर रोपण हेतु "पौध वितरण" तथा (ख) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि का "शामिल किया गया क्षेत्र" के आधार पर किया जा रहा है।

महाराष्ट्र से चीनी उपकर

43. श्री शंकरराव वे. काले :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में चीनी उपकर के रूप में कुल कितनी धन-राशि की वसूली की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी विकास कोष से महाराष्ट्र को कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) चीनी विकास कोष से वर्ष 1991-92 के दौरान जिन कारखानों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) 1988-89 और 1990-91 के बीच की अवधि के दौरान महाराष्ट्र से एकत्रित किए गए उपकर और चीनी विकास निधि से महाराष्ट्र में स्थित चीनी प्रतिष्ठानों को वितरित किए गए ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

एकत्रित किया गया उपकर	चीनी विकास निधि से वितरित किए गए ऋण
13516.50	6331.44

(ग) 1991-92 (31-1-92 तक) के दौरान चीनी विकास निधि से महाराष्ट्र में स्थित नौ चीनी प्रतिष्ठानों को गन्ना विकास योजनाओं और आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए 2228.73

लाख रुपये की राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं। एक विवरण, विवरण-I के रूप में संलग्न है जिसमें इस संबंध में ब्योरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) 31-1-92 को स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थित 32 चीनी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदन पत्र लंबित थे। एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है जिसमें इन प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं। अपेक्षित सूचना/कागजात, उपयोगिता प्रमाणपत्र/गन्ने के विकास के लिए पहले दिए गए ऋण की इम्पैक्ट रिपोर्ट आदि प्राप्त न होने के कारण इन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। चीनी प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया गया है कि वे निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करें।

विवरण-I

महाराष्ट्र में स्थित उन चीनी प्रतिष्ठानों की सूची जिन्हें 1991-92 के दौरान 31-1-1992 तक चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया है।

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण

क्रम सं.	मिल का नाम	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	मै. श्री वारना सहकारी शक्कर कारखाना लि. वारना नगर	52.40
2.	मै. सहयाद्रि सहकारी शक्कर कारखाना लि., यशवन्त नगर, तालुक कराड़, जिला सतारा	481.57
3.	मै. कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि. काकासाहेबनगर, तालुक निफाड, जिला नासिक	54.00
4.	मै. वसन्तराव दादा पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, विठेवाडी, तालुक कलवान, जिला नासिक	468.00
5.	मै. समरथ सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, जालना, जिला जालना	550 00
6.	मै. वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि. पुसाद, जिला यवतमाल	420.00
	गन्ना विकास के लिए ऋण	
7.	मै. राजारामबापु पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि.	72.79

8.	मै. यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि. नागेवाडी, जिला सांगली	55.47
9.	मै. सतारा सहकारी शक्कर कारखाना लि. भुइंज, जिला सतारा	74.50
	जोड	2228.73

विवरण-II

महाराष्ट्र में स्थित उन चीनी प्रतिष्ठानों के नाम जिनके आवेदन-पत्र 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि से ऋण के लिए लम्बित थे

क्रम सं.	चीनी प्रतिष्ठान का नाम
(क) गन्ना विकास	
1.	राजारामबापु पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि., राजाराम नगर, पी. ओ. इस्लामपुर, जिला सांगली, महाराष्ट्र
2.	श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि. गंगानगर, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर
3.	त्रिकोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि, गोतमनगर, पी ओ कोल्पेवाडी, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर
4.	संगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि. अमृतनगर, पी ओ संगमनेर, जिला अहमदनगर
5.	सहकर महर्षि शंकर राव मोहित पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि., शंकरनगर, पी ओ अकलुज, जिला सोलापुर
6.	शिरपुर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, शिवाजीनगर, (दहीवाड़) जिला धुले,
7.	कर्मवीर काकासाहेब बाग सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, पी ओ काकासाहेबनगर, जिला नासिक

8. बसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
कसोडा, तालुक इरानडोल, जिला जलगांव

9. अशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि.,
अशोक नगर, पो आ कारेगांव फैक्ट्री, तालुक श्रीरामपुर,
जिला अहमदनगर

10. श्री वारना सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
वारना नगर, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर

11. राजगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
निगाडे, तालुक भोर, जिला पुणे

12. शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
कुसुमनगर-वाघालवाडा, पो आ गोलेगांव, तालुक भोकार, जिला नानदेड

13. कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि.,
पो आ शिवनगर, जिला सतारा

14. श्री कोन्डेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित, बनारा, जिला अमरावती

15. पारनेर सहकारी शक्कर कारखाना लि,
तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर

16. नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि,
पाल्से, जिला नासिक

17. गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि.,
रघुनाथ नगर, जिला औरंगाबाद

18. श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि.,
फाल्टन, जिला सतारा

19. प्रावरा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
प्रावरानगर, जिला अहमदनगर

20. प्रावरा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
प्रावरा नगर, जिला अहमदनगर

21. दि संजीवनी (तकली) सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड,
पो आ शिंगनापुर, जिला अहमदनगर

22. गाधिंगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि,
गाधिंगलाज, जिला कोल्हापुर

23, गोदावरी मनार सहकारी शक्कर कारखाना, लि,
शंकरनगर, जिला नानदेड़

24, वसंत सहकारी शक्कर कारखाना लि,
पुसाद, पो ओ पोफली, जिला यवतमाल

25. कन्नाड, सहकारी शक्कर कारखाना लि,
कन्नाड, जिला औरंगाबाद

26, दि मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि, मालेगांव बी के,
पो ओ शिवनगर, तालुक बारामती जिला पुणे

27, भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि,
तुलसीदासनगर, तालुक बरसी जिला शोलापुर

28, कालम्बर विभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि,
गांधीनगर, जिला नांदेड़

29 श्री वृद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि,
आदिनाथनगर, पो ओ वृद्धेश्वर फैक्ट्री, जिला अहमदनगर

30, समर्थ सहकारी शक्कर कारखाना लि,
अंकुशनगर, पो ओ वाडिगोदरी, तालुक अम्बाड, जिला जालना

31, यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि,
जिला सांगली

ख-आधुनिकीकरण

1, गोदावरी मनार सहकारी शक्कर कारखाना लि,
शंकरनगर, जिला नांदेड़

नागर कोइल में कोचिंग काम्पलैक्स

44. श्री एन डेनिस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित नागरकोइल में रैलवे कोचिंग काम्पलैक्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शकूरबस्ती में दुर्घटनाएं

45. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शकूर बस्ती की सीमेंट साइडिंग में हुई दुर्घटनाओं में गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) अब तक कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है तथा कितने मामलों में अभी मुआवजा दिया जाना बाकी है; और

(ग) शेष मामलों में मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिसम्बर, 1991 के अन्त तक पिछले तीन वर्षों में शकूरबस्ती सीमेंट साइडिंग में किसी भी गाड़ी दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एककों के विरुद्ध कार्यवाही

46. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री खारेलाल जाटव :

श्री विजय कृष्ण हान्डीक :

श्री सोमजी भाई डामोर :

श्री जी. एम. सी. बालायोगी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक एककों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं जिन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए अब तक प्रभावशाली कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने के बाद ही नदियों और नालों में छोड़ने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने की स्वीकृति देने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्र

सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने उद्योगों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग भी शामिल हैं, के स्थान निर्धारण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इसमें यह शर्त रखी गई है कि अच्छी किस्म की कृषि भूमि का उपयोग औद्योगिक स्थलों के लिए न किया जाए। इसके अलावा, इकाई द्वारा अधिग्रहीत भूमि इतनी पर्याप्त हो कि उसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप अपशिष्ट जल के उपयुक्त शोधन की व्यवस्था की जा सके।

[अनु वाद]

अध्यापकों को वेतन का भुगतान न करना

47. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कुछ अध्यापकों को 1989 में उनकी उपप्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति होने पर उन्हें उस पद के वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उप-प्रधानाचार्यों के तौर पर पदोन्नत ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जिन्हें उप-प्रधानाचार्य के पद के वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। ऐसे 4 मामले हैं। आवश्यक रिकार्डों की अनुपलब्धता तथा एक मामले में असाधारण छुट्टी की अवधि के नियमी-करण न होने के कारण इन उप-प्रधानाचार्यों को वेतन नियत नहीं किया जा सका। दिल्ली प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों को देख रहा है।

गर्भ निरोधक गोलियों का उत्पादन

48. श्री के. आर. नारायणन :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित की गई "सेन्टक्रोमन"

अथवा "सहेली" नामक जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां देश में पर्याप्त मात्रा में तैयार की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन गोलियों के उत्पादन और विपणन की लाइसेंस धारिता का ब्यौरा क्या है; तथा अब तक उत्पादित मात्रा कितनी है ;

(ग) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा कोई अन्य जन्म नियन्त्रण उपाय अथवा टीका विकसित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सेंटक्रोमन, जो एक मुखसेवीय गर्भनिरोधक है, और जिसकी खोज केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा की गई है, वाणिज्यिक उत्पादन मैसर्स हिंदुस्तान टेलेक्स लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम और मैसर्स टोरेन्ट फार्मेस्युटिकल्स, अहमदाबाद द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

(ख) प्रारम्भ में मैसर्स एस पी आई सी, मद्रास, मैसर्स हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की ओर से सेंटक्रोमन का विनिर्माण करेगा। सेंटक्रोमन के 600 किलोग्राम के प्रायोगिक संयन्त्र उत्पादन के जनवरी, 1993 तक पूरा होने की आशा है। 600 किलोग्राम औषध से 180 लाख गोलियां तैयार होंगी। मैसर्स टोरेन्ट फार्मेस्युटिकल्स द्वारा 1992 के दौरान इसका उत्पादन करने और कुछ समय बाद इसे बढ़ाने की उम्मीद है। मैसर्स हिन्दुस्तान टेलेक्स लिमिटेड और मैसर्स कमनिक एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने उत्तरी भारत में इस औषध के विपणन के लिए 27 अप्रैल, 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह औषध विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात 11 जुलाई, 1991 को दिल्ली में शुरू की गई थी।

(ग) सरकार अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में इस औषधि के वितरण और प्रयोग हेतु विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने जन्म नियन्त्रण वैक्सीन विकसित की थी, जिससे एच सी जी हार्मोन के प्रतिकारक उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार यह गर्भधारण को रोकने का दावा करती है। इस वैक्सीन के सीमित नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में क्लोज सर्किट टी. वी. सेट

49. **श्री कार्तिकेश्वर पात्र** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी. वी. सेट लगाए गए हैं; और

(ख) उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां ऐसे टी. वी. सेट लगाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) उड़ीसा में किसी भी रेलवे स्टेशन पर क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली नहीं है ।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जन्म दर

50. **श्री ए. चारलेस :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1950-51 के दौरान प्रति हजार जन्म दर कितनी थी ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जन्म दर कितनी थी ;

(ग) सातवीं योजनावधि के लिए जन्म दर नियन्त्रण का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था और इसकी क्या उपलब्धि रही; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : वर्ष 1950-51 के लिए भारत के जन्म-दर का सरकारी आकलन उपलब्ध नहीं है। 1941-50 और 1951-60 की अवधियों की जनगणनों से उपलब्ध दशकीय जन्म-दरों के आकलन क्रमश: 39.5 प्रति हजार जनसंख्या एवं 41.7 प्रति हजार जनसंख्या है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 29.1 प्रति हजार जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने के मुकाबले, वर्ष 19?0 के लिए नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध जन्म-दर को कम करने की दिशा में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावकारी है तथापि परिवार नियोजन के अलावा कुछ दूसरे घटक भी हैं, जैसे महिला साक्षरता, लड़कियों के विवाह की आयु, स्त्रियों की स्थिति, शिशु की जीवन-रक्षा, जो जन्म-दर को प्रभावित करते हैं ।

[हिन्दी]

त्रि-भाषा फार्मूला

51. **प्रो. रासा सिंह रावत ।**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रि-भाषा फार्मूला किन-किन राज्यों में और किस रूप में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों में यह फार्मूला अभी तक लागू नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) त्रिभाषा फार्मूला लागू करने वाले तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने सिद्धांत रूप में त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार कर लिया है। लागू करने की सीमा भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(ग) त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के मामले में केन्द्रीय सरकार की भूमिका अनुशासात्मक है और फार्मूले को शीघ्र और ईमानदारी से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने में राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए।

(i) स्कूल स्तर पर भाषा शिक्षकों को दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधायें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा और दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हिन्दी शिक्षकों को दी जाती है तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और मैसूर, पटियाला, पुणे और भुवनेश्वर स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को दी जाती है। सोलन और लखनऊ स्थित दो उर्दू अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र भी उर्दू शिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(ii) हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता।

(iii) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

नेत्रदान बैंकों की स्थापना

52. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्र दान बैंकों की स्थापना किए जाने सम्बन्धी विद्यमान नीति क्या है ;

(ख) देश में कितने नेत्र दान बैंक स्थापित किए गए हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक बैंक में एक विशेषज्ञ उपलब्ध रहता है और ये बैंक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ङ) इन बैंकों के माध्यम से देश में राज्यवार कुल कितने नेत्रहीन लोगों को लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता है ;

(च) क्या सरकार का देश में कुछ और नेत्र बैंक खोलने का विचार है ; और

(छ) यदि हां, तो नेत्रदान के लिए अधिकाधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) :
(क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाए गए 60 मेडिकल कालेजों में नेत्र बैंकों की स्थापना की गई है। स्वयंसेवी क्षेत्र में नेत्र बैंकों की सहायता के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं।

(i) स्वयंसेवी संगठन सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा इसके पास नेत्र बैंक कार्यकलापों को करने के लिए अपना न्यूनतम आधारभूत ढांचा होना चाहिए।

(ii) संगठन के पास आवश्यक स्टाफ अर्थात हाउस आप्थाल्मिक सर्जन का पैनल, सामाजिक कार्यकर्ता सह-स्वास्थ्य शिक्षक, तकनीशियन, लिपिक तथा चालक-सह-प्रक्षेपणकर्ता होना चाहिए।

(ख) देश में 146 नेत्र बैंक हैं। राज्यवार विवरण उपाबंध-क में दिया गया है।

(ग) चूंकि नेत्र बैंक मेडिकल कालिज के नेत्र विभागों से जुड़े हैं, अतः नेत्र विशेषज्ञ इन नेत्र बैंक में उपलब्ध हैं। स्वयंसेवी क्षेत्र में केवल उन संगठनों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके पास नेत्र शल्य चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1986-89 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान है कि कार्नियल ओपेसिटी के कारण 3.6 लाख व्यक्ति अन्धे हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वयंसेवी क्षेत्र के नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी।

(छ) अधिकाधिक नेत्र दान के उद्देश्य के लिए विशेष अभियान के अन्तर्गत, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. नेत्र दान के लिए लोगों को प्रेरित करने तथा राजी करने के उद्देश्य से लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए देश भर में एक वृत्त-चित्र अन्धेरा उजाला परिचालित की गई है।

2. सरकार प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्र दान पर राष्ट्रीय पखवाड़ा मनाती है जिसके दौरान नेत्र दान की आवश्यकता से लोगों को परिचित कराने के लिए सन्देश प्रसारित किए जाते हैं।

3. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों के अन्तर्गत अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने नेत्र दान देने की वचनबद्धता के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, मीडिया नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेत्र बैंक की अवस्थित	संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	2
		विजयवाड़ा	1
2.	असम	डिब्रूगढ़	1
		गुवाहाटी	1
बिहार		पटना	1
		रांची	1
4.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	1
5.	दिल्ली	नई दिल्ली	4
6.	गुजरात	कलोल	1
		चिखोदरा	1
		अहमदाबाद	4
		बड़ौदा	1
		ढोलका	1
		गोधरा	1
		बडोदरा	1
		वलसाड़	1
		सूरत	1
		मेहसाणा	1
		भावनगर	1
7.	हरियाणा	फरीदाबाद	1
		करनाल	1
		रोहतक	1
		अंबाला शहर	1
		सिरसा	1
		पानीपत	1
8.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू-तवी	1

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
10.	कर्नाटक	बंगलौर	3
		बेलगाम	1
		चिकमंगलूर	1
		दावणेगेर	1
		हुबली	1
		मनीपाल	1
		मैसूर शहर	1
11.	केरल	अंगामल्ली	1
		कालीकट	1
		एरणाकुलम	1
		त्रिपुनीतुरा	1
		कोट्टायम	1
		त्रिवेन्द्रम	1
		कविक्लोन	1
12.	मध्य प्रदेश	भिलाई	1
		भोपाल	2
		ग्वालियर	1
		नागदा	1
		शहडोल	1
		इंदौर	2
		जबलपुर	1
		रायपुर	1
13.	महाराष्ट्र	अमरावती	1
		बम्बई	15
		औरंगाबाद	1
		मिराज	1
		नागपुर	2
		पुणे	4
		जालना	1

1	2	3	4
		अहमदनगर	2
		शोलापुर	1
		सांगली	2
		ठाणे	2
		सतारा	1
		धुले	1
		अकोला	1
		कोल्हापुर	2
		नासिक	1
		बीड	1
		बुलढाणा	1
14.	उड़ीसा	कटक	1
15.	पंजाब	अमृतसर	1
		लुधियाना	1
		पटियाला	1
		जालंधर	1
		बीकानेर	1
16.	राजस्थान	उदयपुर	2
		जयपुर	1
		जोधपुर	2
		अजमेर	1
		अलवर	1
17.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	1
		मद्रास	4
		मदुरै	2
		त्रिचिरापल्ली	1
		वेल्लूर	1
18.	उत्तर प्रदेश	आगरा	3

1	2	3	4
		अलीगढ़	2
		इलाहाबाद	1
		रुड़की	1
		बरेली	1
		देहरादून	2
		धामपुर	1
		लखनऊ	1
		मेरठ शहर	1
		मथुरा	1
		वाराणसी	1
		कानपुर	1
19.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	6
		बांकुरा	1
		दार्जिलिंग	1
		कुल :	146

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की आवश्यकता

53. श्री नीतीश कुमार :

श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग को पूरा करने हेतु सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान मात्रा कितनी है;

(ग) अगली फसल तक देश में खाद्यान्नों की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(घ) इन महीनों के दौरान खाद्यान्नों के आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) 1.2.1992 को स्थिति

के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 14.5 मिलियमीटरी टन गेहूं और चावल का अनुमानित स्टाक था जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) फरवरी और मार्च, 1991 के महीनों में गेहूं और चावल के उठान के आधार पर इन दो महीनों के लिए गेहूं और चावल की आवश्यकता क्रमश: लगभग 16.5 लाख मीटरी टन और 14.5 लाख मीटरी टन बैठती है।

(घ) सरकार ने एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का फैसला किया है ताकि गेहूं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके और खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

खाद्य अपमिश्रण के मामले

54. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) खाद्य अपमिश्रण का पता लगाने हेतु इस अवधि के दौरान कितने नमूनों की जांच की गई।

(ग) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ) (क) से (घ) उपलब्ध सूचना संलग्न बिवरण में दी गई है।

विवरण

	जांचे गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या	चलाए गए मुकदमों की संख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या	न्यायालय में लम्बित मामले
	1,30,390	15,365	9,599	2,576	50,931
1989X	1,22,599	11,549	8,196	1,990	55,040
1990XX	81,336	7,777	4,854	1,352	41,710

X वर्ष 1989 की सूचना : अनन्तिम है, क्योंकि जम्मू व कश्मीर तथा हरियाणा राज्यों से अभी स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

XX वर्ष 1990 की सूचना अधूरी है क्योंकि हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के क्रियान्वयन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्टों को अभी प्रतीक्षा की जा रही है तथा गोवा, जम्मू व कश्मीर एवं कर्नाटक राज्यों से कुछेक स्पष्टीकरणों की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

55. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिक सफलता हासिल करने के लिए नए उपाय अपनाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इस सम्बन्ध में रखा गया लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. ताराबेवी सिद्धार्थ) (क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की राज्यवार, वर्षवार और विधिवार लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण 1 से 4 में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित बल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। उक्त कार्य योजना को दिनांक 6-7 जनवरी, 1992 को आयोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मन्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। यह कार्य योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने एवं राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को भुलाकर समाज के सभी वर्गों की स्वैच्छिक सहभागिता की आवश्यकता पर जोर देती है। कार्य योजना के मसौदे की अन्य मुख्य विशेषताओं में, परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें हर जगह सुलभ करने के कार्य में सुधार करना, कम कार्यनिष्पादन वाले 90 जिलों (जहां 1981 की जनगणना के अनुसार 39 प्रति हजार जनसख्या और इससे अधिक जन्म-दर है) पर विशेष ध्यान देना, छोटे परिवार के आदर्श को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों का एक नया पैकेज तैयार करना, जन्म में अन्तर रखने वाले तरीकों को अधिक प्रोत्साहन देकर युवा आय वाले दंपत्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ, नए गर्भनिरोधकों की शुरूआत करना एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों में और विशेषतया गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को मजबूत बनाना, प्रेरका और परा-

मखीं पक्षों पर जोर देते हुए चिकित्सीय/परा चिकित्सीय कर्मचारियों के प्रशिक्षणात्मक कार्यकलापों को फिर से शुरू करना, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अच्छे कार्य को जारी रखना तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, जीवन के पहलुओं और अन्तःवैयक्तिक सचार की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सूचना, शिक्षा संचार प्रयासों को पुनः तेज करना, कार्यक्रम में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक से अधिक स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनो को शामिल करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वियन तंत्र को ठीक करना एवं राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्चस्तरीय अंतः आयोमक्षत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना शामिल हैं। आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक योजन के के निर्देश पत्र में जन्न दर कम करके 26 प्रति हजार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, और 1989-90 के दौरान

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धियां	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धियां
1.	2.	3	4	5	6
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	530000	434714	600000	466139
2.	असम	180000	122690	205000	93471
3.	बिहार	571000	361706	600000	362715
4.	गुजरात	300000	333423	300000	260101
5.	हरियाणा	100000	115222	105000	76364
6.	कर्नाटक	336000	352234	350000	334060
7.	केरल	215000	204572	215000	204615
8.	मध्य प्रदेश	425000	359246	450000	452723
9.	महाराष्ट्र	565000	556090	570000	555353
10.	उड़ीसा	210000	166481	225000	149805
11.	पंजाब	120000	120552	125000	144106
12.	राजस्थान	285000	267865	300000	224880
13.	तमिलनाडू	475000	513990	560000	498890
14.	उत्तर प्रदेश	600000	540191	650000	743226
15.	पश्चिम बंगाल	450000	288840	500000	301171
16.	हिमाचल प्रदेश	38000	32291	35000	33038
17.	जम्मू व कश्मीर	40000	31813	60000	35130
18.	मणिपुर	6400	7774	7000	5328
19.	मेघालय	600	534	700	47
20.	नागालैंड	400	615	1000	679
21.	सिक्किम	700	838	1000	1057
22.	त्रिपुरा	10000	8917	10000	10786

I

नसबंदी के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

	1987-88		1988-89		1989-90	
	7	8	9	10	11	12
1.	600000	457489	600000	477106	637000	442804
2.	205000	78274	149000	58119	200000	60173
3.	600000	513000	510095	514498	513000	332455
4.	300000	277062	293000	241079	293000	237255
5.	105000	77603	100000	81426	100000	88686
6.	350000	319763	325000	301147	311000	289372
7.	215000	195299	200000	207457	180000	208537
8	450000	318311	400000	273584	350000	237386
9.	570000	460612	500000	510191	525000	526457
10.	225000	146982	200000	161547	209000	152616
11.	125000	159030	720000	96594	120000	138962
12.	300000	194479	225000	107372	225000	122635
13.	560000	511744	450000	407552	425000	383132
14.	650000	751670	650000	729075	700000	483354
15.	500000	324575	437000	335873	450000	330212
16.	350000	31576	30000	35361	30000	32591
17.	60000	25669	36600	26146	36600	13973
18,	7000	4711	7000	5740	7800	4631
19,	700	558	1000	470	700	538
20,	1000	548	1000	715	1500	1065
21,	1000	61861	1100	973	1100	983
22,	10000	6764	10000	6915	9000	7331

1	2	3	4	5	6
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1400	1496	1500	1553
24.	अरुणाचल प्रदेश	4000	832	500	1039
25.	चंडीगढ़	3300	3577	3500	3653
26.	दादरा व नगर हवेली	1000	1363	1000	1722
27.	दिल्ली	30000	27846	40000	26901
28.	गोवा	5000	4784	4740	4571
29.	दमन व द्वीप	×	×	×	×
30.	लक्षद्वीप	100	39	60	34
31.	मिजोरम	3000	2899	3000	2709
32.	पांडिचेरी	7000	5973	6000	5747
II	अन्य एजेंसियां				
1.	रक्षा मन्त्रालय	23000	19337	30000	20913
2.	रेल मन्त्रालय	28000	22865	40000	20250
	अखिल भारतीय	5560300	4901609	6000000	5043185

@ गोवा, दमण और द्वीप के संयुक्त आंकड़े
× गोवा को छोड़कर

विवरण-

1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रचलित गर्भ

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	300000	258575	350000	206648
2.	असम	40000	35878	37000	42508
3.	बिहार	150000	89787	110300	86443

	7	8	9	10	11	12
23,	1500	1522	2000	2061	2100	2138
24,	500	944	1800	1560	1400	1486
25,	3500	3708	3500	2926	3500	2268
26,	1000	1905	1100	1163	800	863
27.	40000	28971	36000	31456	3600	31917
28,	4270	4457	4500	4[illegible]68	4500	4569
29,	470	417	450	367	350	395
30,	60	25	60	40	60	22
31,	3000	3565	3000	3154	3000	3581
32.	6000	5727	5300	6074	5100	7437
II.						
1.	30000	22192	28800	19746	29900	20150
2.	40000	22659	38400	26519	38600	28191
	6000000	4939756	5374000	4678177	5449010	4188163

II.

निरोधक के उपयोगकर्ताओं के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

	1987 88		1988-89		1989-90	
क्रम. सं.	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	7	8	9	10	11	12
1.	540000	423695	773000	601396	1014000	725245
2.	46300	39620	119000	33343	,60000	37414
3.	150000	107350	202000	205670	202000	185749

1	2	3	4	5	5
4.	गुजरात	472000	472487	450000	547204
5.	हरियाणा	350000	488804	470000	481555
6.	कर्नाटक	200000	160225	140000	178690
7.	केरल	75000	99715	150000	173585
8.	मध्य प्रदेश	500000	573237	580000	761480
9.	महाराष्ट्र	600000	562119	700000	733719
10.	उड़ीसा	157000	134896	150000	165618
11.	पंजाब	260000	345912	380000	475327
12.	राजस्थान	160000	177990	140000	240247
13.	तमिलनाडु	200000	177214	130000	175763
14.	उत्तर प्रदेश	690000	818229	880000	894629
15.	पश्चिम बंगाल	260000	139705	200000	154096
16.	हिमाचल प्रदेश	23000	37680	35000	40563
17.	जम्मू और कश्मीर	15000	10513	15000	12402
18.	मणिपुर	6600	2309	6600	2348
19.	मेघालय	2200	3221	6000	2770
20.	नागालैंड	1000	176	500	14
21.	सिक्किम	400	194	500	211
22.	त्रिपुरा	3000	2287	3000	3923
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	500	394	500	763
24.	अरुणाचल प्रदेश	500	545	600	650
25.	चण्डीगढ़	10000	6547	80000	7846
26.	दादरा और नगर हवेली	550	577	500	586
27.	दिल्ली	174000	133420	190000	204692
28.	गोआ	8300*	7990*	8000*	12203*
29.	दमन और दीव	**	**	**	**

	7	8	9	10	11	12
4.	508000	573844	650000	671876	650000	769208
5.	470000	581639	62800	660530	550000	598272
6.	220000	209316	222000	223745	246000	223703
7.	150000	169992	271000	238830	271000	292139
8.	747000	692741	961000	1002491	1150000	1230744
9.	[illegible]0000	728891	849000	805822	850000	915241
10.	192000	196210	268000	268476	306000	306666
11.	380000	504758	462000	521597	429000	580799
12.	220000	290022	517990	428755	400000	445700
13.	293000	303521	320000	342840	280000	324752
14.	100000	960398	1183000	1138746	1300000	1265976
15.	250000	197732	412000	252470	425000	319860
16.	42000	42211	693000	57935	69000	69087
17.	15000	10418	31200	14016	21200	14731
18.	6600	2150	3900	2783	4600	3732
19.	6000	2494	13600	1407	3000	2264
20.	600	25	640	17	700	30
21.	400	137	600	246	600	463
22.	4000	2999	8100	3074	4000	4420
23.	900	995	1300	1402	1400	1702
24.	700	516	1700	628	600	882
25.	9000	7758	14200	9975	10000	8482
26.	700	506	600	497	700	503
27.	248000	237050	345000	319313	360000	319973
28.	9500	11033	17700	16253	12000	14762
29.	500	240	1400	281	750	578

1	2	3	4	5	6
30.	लक्षद्वीप	200	634	500	557
31.	मिज़ोरम	3500	1101	2300	1082
32.	पांडिचेरी	4900	6344	6000	8875
II. अन्य अभिकरण					
1.	रक्षा मंत्रालय	59000	46973	60000	50292
2.	रेल मन्त्रालय	288000	259779	290000	273758
3.	वाणिज्यिक विवरण	4500000	4331111	5000000	3883889
अखिल भारत		9514650	9386568	10500000	9824806

*गोवा, दमन व दीप के संयुक्त आंकड़े

**गोवा में शामिल हैं ।

विवरण

1985-86, 1986-87, 1987-88. 1988-89 और 1989-90 के

		1985-86		1986-87		1987
क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अभिकरण	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	6	5	7
I. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
1.	आंध्र प्रदेश	140000	125502	160000	99551	250000
2.	असम	24000	21861	30000	31031	35000
3.	बिहार	174000	133279	272000	200923	272000
4.	गुजरात	250000	291227	300000	287819	313000
5.	हरियाणा	145000	175259	150000	161769	167000
6.	कर्नाटक	160000	169007	180000	187542	198000
7.	केरल	55000	59589	70000	76164	121000
8.	मध्य प्रदेश	220000	193735	220000	216147	265000

	7	8	9	10	11	12
30.	500	166	790	291	1000	261
31.	2300	1272	2200	1091	2200	1649
32.	6000	8279	8400	10194	8300	11241
II. अन्य अभिकरण						
1.	66000	49953	82700	50058	90800	68661
2.	316000	282518	402000	315895	442000	3785552
3.	4000000	4693472	4220000	4220000	4850000	5035417
अखिल भारत	10750000	11341931	13043320	12421943	14015850	14158858

III.

दौरान आई. यू. ओ. निवेशनों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियाँ

	1987-88	1988-89		1989-90	
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	8	9	10	11	12
I					
1.	173974	321000	213648	421000	245996
2.	21079	68400	23512	30000	27703
3.	206360	35500	337869	400000	253737
4.	318661	317000	358918	317000	356547
5	182573	387000	194783	164000	170409
6.	189765	2100000	204693	223000	199555
7.	85523	115000	115535	115000	125324
8.	233544	251000	306712	300000	334171

1	2	3	4	5	6	7
9.	महाराष्ट्र	600000	417182	650000	420841	525000
10.	उड़ीसा	100000	85702	100000	105635	122000
11.	पंजाब	207000	245974	250000	313633	250000
12.	राजस्थान	85000	956320	120000	126094	120000
13.	तमिलनाडु	168000	192120	200000	395458	288000
14.	उत्तर प्रदेश	665300	863172	750000	1082246	983000
15.	पश्चिम बंगाल	108000	61754	115000	75473	115000
16.	हिमाचल प्रदेश	21000	26225	30000	30761	32000
17.	जम्मू और कश्मीर	17000	14915	17000	13113	17000
18.	मणिपुर	6200	4787	6000	5958	7000
19.	मेघालय	500	1260	1400	1487	1500
20.	नागालैंड	200	905	1400	1002	1500
21.	सिक्किम	1000	1029	1400	1146	1700
22.	त्रिपुरा	4000	1032	4000	2139	4400
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	800	843	1000	962	1500
24.	अरुणाचल प्रदेश	1400	1371	1500	1954	2000
25.	चण्डीगढ़	10000	5701	6000	5783	100000
26.	दादरा और नागर हवेली	150	194	150	213	200
27.	दिल्ली	64000	57714	72000	61699	100000
28.	गोवा	1500*	1565*	1500*	2499*	2840
29.	दमण और दीव	×	×	×	×	160
30.	लक्षद्वीप	200	49	100	105	100
31.	मिजोरम	2000	1409	1950	1651	2500

	8	9	10	11	12
9.	393732	475000	396949	500000	435091
10.	114086	148000	146188	168000	157697
11.	348826	270000	314310	275000	356729
12.	140055	270000	173026	250000	191723
13.	493770	453000	458664	475000	431817
14.	1197824	115100	1310552	1250000	1340976
15.	94994	168000	116864	175000	131126
16.	31355	43000	35287	43000	37420
17.	12709	25700	15953	25700	14792
18.	6158	7000	8026	8200	7151
19.	1208	53000	1454	2000	1510
20.	493	4100	646	2500	834
21.	1017	1700	1384	1700	1471
22.	1748	4000	1807	4500	2560
23.	1222	1700	18899	1500	1695
24.	1901	4200	2169	2000	2006
25.	6186	10000	6020	10000	2544
25.	160	180	200	210	160
27.	64250	110000	69402	90000	70641
28.	3162	3050	3056	3300	3695
29.	99	250	124	330	120
30.	86	100	44	100	65
31.	3192	2700	2100	2700	2580

1	2	3	4	5	6	7
32.	पांडिचेरी	3610	3318	3600	3584	3601
II.	अन्य अभिकरण					
1.	रक्षा मन्त्रालय	12000	10860	140000	12009	15000
2.	रेल मंत्रालय	16800	9588	20000	9284	23000
	अखिल भारत	3243650	3273860	3750000	3934685	5260000

*गोवा, दमण व दीव के संयुक्त आंकड़े

× गोवा में शामिल है।

विवरण IV

1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिकरण	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
I	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	80000	64332	80000	62960
2.	आसाम	10000	4506	10000	7429
3.	बिहार	50000	11345	20000	13564
4.	गुजरात	74000	74900	100000	96277
5.	हरियाणा	25000	23508	27000	30637
6.	कर्नाटक	63000	42815	63000	54765
7.	केरल	35000	20996	40000	27858
8.	मध्य प्रदेश	100000	84 14	100000	175781
9.	महाराष्ट्र	148000	172586	203000	212334
10.	उड़ीसा	36000	21687	36000	36852
11.	पंजाब	28000	24773	32000	52484
12.	राजस्थान	31000	13564	20000	35582

	8	9	10	11	12
32.	3491	3300	3924	23200	4121
II.					
1.	12156	18200	12645	20000	13115
2.	10804	26100	13070	28700	13851
अखिल भारत	4356172	4970000	4851483	5252840	4942042

मुखसेव्य गोली उपयोगकर्ताओं के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

	1987-88		1988-89		1989-90	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	7	8	9	10	11	12
1.	70000	108587	151000	139221	194000	174058
2.	10000	6333	12900	7804	15000	2091
3.	20000	15781	20700	20164	20700	37210
4.	100000	111476	78000	114808	78000	118368
5.	25000	32071	25000	40994	40000	38340
6.	63000	71950	65000	75608	49800	74239
7.	40000	28000	34500	37557	34500	43427
8.	110000	131225	132000	191491	200000	222042
9.	217000	247562	181000	249590	350000	303363
10.	36000	44940	37700	55433	42100	57675
11.	28000	54598	31900	53837	50000	61523
12.	20000	44182	45990	46234	56000	66647

1	2	3	4	5	6
13.	तमिलनाडु	76000	47545	76000	79997
14.	उत्तर प्रदेश	90000	102806	120000	125076
15.	पश्चिम बंगाल	82000	17246	46300	85202
16.	हिमाचल प्रदेश	9000	6196	5400	8936
17.	जम्मू व कश्मीर	4000	1860	4000	2313
18.	मणिपुर	900	127	900	188
19.	मेघालय	500	651	900	924
20.	नागालैंड	600	397	1000	890
21.	सिक्किम	1400	1310	2000	1191
22.	त्रिपुरा	2000	1304	2500	1191
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	200	87	200	282
24.	अरुणाचल प्रदेश	600	732	700	763
25.	चंडीगढ़	800	264	1000	345
26.	दादरा व नागर हवेली	100	40	100	82
27.	दिल्ली	2200	1023	1450	1768
28.	गोवा	1600*	1225*	1100*	1883*
29.	दमन एवं द्वीव	××	××	××	××
30.	लक्षद्वीप	50	48	50	41
31.	मिजोरम	500	607	700	598
32.	पांडिचेरी	1600	1119	1200	1399
II.	अन्य एजेन्सियां				
1.	रक्षा मन्त्रालय	3600	2877	3700	3028
2.	रेल मंत्रालय	2400	3415	3600	3349
3.	वाणिज्यिक वितरण	†	606307	†	702333
	अखिल भारत	960250	1357612	1000000	1828842

* गोवा, दमण व दीव के संयुक्त आंकड़े ।

×× गोवा में शामिल हैं ।

† कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं ।

	7	8	9	10	11	12
13.	76000	158666	82100	164212	150000	189094
14.	117000	155572	112000	169112	180000	186252
15.	37000	81084	44700	83572	100000	99701
16.	6000	7472	9500	2000	9500	9006
17.	4000	2290	2600	3020	3200	2946
18.	900	256	190	556	220	565
19.	1000	1342	2500	1282	2000	1200
20.	500	105	980	100	1000	137
21.	2000	1150	2100	1467	2200	1768
22.	2500	2291	2900	2581	2900	2651
23.	200	290	280	407	320	419
24.	700	812	1600	265	1000	1047
25.	500	336	420	363	500	240
26.	100	79	40	80	100	142
27.	1500	2509	2000	3991	4500	3484
28.	1120	1382	1950	1686	2000	2054
29.	80	73	150	78	120	118
30.	100	41	50	50	250	69
31.	700	1069	920	1328	920	978
32.	1200	1083	990	1000	960	1080
II. अन्य एजेंसियां						
1.	3700	2969	3800	3221	4200	4331
2.	3600	3467	3700	4012	4100	4454
3.	1000000	841646	1050000	931462	500000	1081077
	2000000	2064397	2140260	24160190	2094090	2792606

जयरामपुर में बौद्ध स्थल

56. श्री ई. अहमद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर में जयरामपुर के बौद्ध स्थल क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। इस स्थल के क्षतिग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं मिली है और, प्रसंगवश, यह केन्द्र द्वारा संरक्षित स्थल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षयरोग

57. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में क्षयरोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) क्षयरोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या विशिष्ट प्रयास किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। वर्ष 1955-58 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। तथा बाद में देश के विभिन्न भागों में सीमित सर्वेक्षण किए गए थे ताकि देश में क्षय रोगियों की संख्या का पता लगाया जा सके।

(ख) क्षयरोग की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 से चलाया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 नए जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिससे देश में जिला क्षय रोग केन्द्रों की कुल संख्या बढ़कर 381 हो गई हैं।

उपचार की अवधि 12-18 महीने से घटाकर 6 से 8 महीने करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पावधि का रसायन चिकित्सा औषध उपचार जिसमें रिफैम्पिसिन और पायराजिनेमाइड जैसी प्रभावशाली औषधियां होती है, 134 जिला क्षय रोग केन्द्रों में प्रारम्भ किया गया है जिससे ऐसे जिलों की कुल संख्या बढ़कर 253 हो गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आसपास के क्षेत्रों में रोगियों का पता लगाने सम्बन्धी कार्य में तेजी लाने के लिए 2503 सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ओडेल्का कैमरे सहित 32 एक्सरे यूनिटें और 125 डीजल जीपें भी उपलब्ध कराई गई है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला क्षय रोग केन्द्रों के संचालन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 280 चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

[अनुवाद]

मनमाड आदिलाबाद लाइन को बदलना

58. श्री धर्मन्ना गोंडय्या सादुल :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 के अन्त तक मनमाड-औरंगबाद आदिलाबाद रेल लाइन को बदलने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेल लाइन को बदलने का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मानमाड-औरंगाबाद खंड बड़ी लाइन के रूप में 23-1-92 को खोल दिया गया है। इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर समग्र प्रगति 17% है।

(ख) जी हां।

(ग) आदिलाबाद तक लाईन का आमान परिवर्तन 1994-95 में पूरा हो जाने की संभावना है।

प्रदूषण को समाप्त करने हेतु नीति

59. श्री पी. जी. नारायणन :

श्री के. वी. तंगकाबालू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण को रोकने के लिए एक नीति बनाने हेतु राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषण निरोधक नीति में देश में प्रदूषण निरोध के लिए आवश्यकता पैदा करने की बात कही गई है;

(घ) यदि हां, तो प्राथमिकता क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रदूषण की रोकथाम के लिए नीति विवरण को अन्तिम रूप देने मे राज्य सरकारो को टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है।

(ख) से (च) पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और अब तक जितने भी कार्यक्रम, परियोजनाएं और नीतियां तैयार की गई हैं, उनमें इसका ध्यान रखा गया है और आगे भी इसका ध्यान रखा जाना है। इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, हमें पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को विकास आयोजना में समन्वित करना है; प्रदूषण के उपशमन में निवारक पहलुओं पर बल देना है; औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेशों को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए सहयोग, विशेषकर राज्य सरकारों और आम जनता की सहायता पर निर्भरता को बढ़ाना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को विकासीय आयोजना में समन्वित करने तथा प्रदूषण के उपशमन में निरोधात्मक पहलुओं पर बल देने के लिए प्रदूषण के उपशमन के लिए एक नीति विवरण तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने में पर्यावरण अवधारणाओं को सम्मिलित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे।

—प्रदूषण को उसके स्त्रोत पर ही रोकना;

—सर्वोत्तम उपलब्ध व्यवहार्य तकनीकी समाधानों को बढावा देना, विकसित करना, और लागू करना;

—यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषण फैलाने वाला प्रदूषण और उसके नियंत्रण की व्यवस्थाओं पर आये खर्च का भुगतान करें;

—सुरक्षा को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों तथा नदी भागों पर केन्द्रित करना;

—निर्णय लेने में जनता को शामिल करना।

नवजीवन एक्सप्रेस की बहाली

60. डा वाई एस राजशेखर रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और अहमदाबाद के बीच चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 2461/2462 मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को रद्द नहीं किया गया है।

विजयवाड़ा में बोग्गू कालोनी कर्मचारी क्वार्टर

61. श्री वा शोफनाद्रीश्वर राव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में बोग्गू रेलवे कालोनी के स्टाफ क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कालोनी के कर्मचारियों के लिए नए क्वार्टर बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) बोग्गू रेलवे कालोनी में 191 गैर मानक क्वार्टर है जिनका चरणों में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है लेकिन यह धन की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

राज्यों को खाद्य अनुदान की सप्लाई

62. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सरकार से खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनके चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों के मासिक आवंटनों को बढ़ाने के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते है ।

केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक, मौसमी उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति, राज्यों/संघ शासित प्रदेशो की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं ।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्य तेलों के आवंटन भी राज्य व्यापार निगम के पास

स्टाक की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की आवश्यकता का जायजा लेने के बाद प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए लेवी चीनी के आवंटन 1.10.1986 की स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं। 1990-91 के मौसम के दौरान अधिक उत्पादन और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांग की दृष्टि में, सरकार ने अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के मासिक आवंटनों में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि करने की इजाजत दे दी है।

पर्यावरण कार्यक्रम

63. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**

श्री लाईमन परान्डी :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित किए गए और आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न पर्यावरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सातवीं योजनावधि का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्यों को वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कई पर्यावरण कार्यक्रम कार्यान्वित किये गए थे। कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। आठवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना में 797 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया था जिसमें से 679.30 करोड़ रुपये खर्च हुए जो कुल बजट आवंटन का 85 प्रतिशत होता है।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, केन्द्रीय बजट में आबंटन की उपलब्धता, विशेष स्कीम के लिए राज्यों के बजट में प्रदत्त बराबर हिस्से की मात्रा और पहले वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि की उपयोगिता के आधार पर केन्द्रीय योजना के तहत राज्यों का बजट निर्भर है। राज्यवार आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सातवीं योजना में कार्यान्वित पर्यावरण कार्यक्रम

1. पर्यावरण

(1) प्रदूषण निगरानी एवं नियंत्रण :

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल प्रयोगशाला, समुद्रतटीय प्रदूषण का निवारण अपशिष्ट पुनं प्रयोग कार्यक्रम, प्रदूषण से सम्बन्धित स्कीमों का सहायता अनुदान एवं जल प्रदूषण (उपकर) एकत्र करना।

(2) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

(3) संरक्षण एवं सर्वेक्षण :

प्राणिजात एवं वनस्पतिजात का संरक्षण एवं सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली, जीवमण्डल-रिजर्व कच्छ वनस्पति एवं नमभूमियों का संरक्षण एवं प्रबंध, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान और पौधों का बंदी प्रजनन तथा औषधीय पौधों का वाणिज्यिक उपयोग।

(4) अनुसंधान एवं पारि-पुनरुद्धार :

पारिस्थितिक कृत्यक बल, समन्वित कार्याभिमुख अनुसंधान, प्रदर्शन एवं विस्तार परियोजनाएं, क्षेत्र प्रदर्शन परियोजनाएं, गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अनुसंधान एवं विकास, उत्कृष्टता केन्द्र एवं पारि-विकास शिविर।

(5) पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पर्यावरणीय सूचना।

(6) पर्यावरणीय नीति एवं कानून, पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण और परिसंकटमय पदार्थ प्रबन्ध।

(7) पर्यावरण पर केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम

(8) अन्य स्कीमें।

2. गंगा कार्य योजना

3. वन एवं वन्यजीव

(क) वन :

(1) वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

(2) भारतीय वन सर्वेक्षण जिसमें दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग शामिल है

(3) आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम

(4) वनों को जैवीय हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे का विकास

(5) आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धतियों का प्रारम्भ ।

(ख) वन्यजीव संरक्षण

(1) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान

(2) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार एवं उनके गैर-कानूनी व्यापार पर नियंत्रण

(3) असम में गैंडों का संरक्षण

(4) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास

(5) भारतीय वन्यप्राणि संस्थान को सहायता अनुदान

(6) बाघ परियोजना

(7) चिड़ियाघरों का विकास

(8) पद्मजा नायडु हिमालय प्राणि उद्यान

(9) अन्य स्कीमें

4. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड :

(1) स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

(2) स्वायत्तशासी निकायों को अतिरिक्त सहायता राशि

(3) आपरेशन सायल वाच

(4) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिए पौधरोपण

(5) वन-चारागाह विकास

(6) विकेन्द्रीकृत वन नर्सरियां

(7) हवाई बीजरोपण

(8) औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद के लिए पौधरोपण

(9) क्षेत्रोन्मुख बलावन की लकड़ी चारा परियोजनाएं

(10) बीज विकास

(11) समन्वित परती भूमि विकास परियोजनाएं

(12) अन्य स्कीमें ।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए कागज का कोटा

64. श्री बलिराम पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कागज का कोटा आवंटित किया जाता था;

(ख) क्या राज्यों को पिछले दो वर्ष से यह कोटा नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का अभ्यास पुस्तिकाओं के उत्पादन के लिए राज्यों को फिर से कागज का कोटा शुरू करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) 31 मार्च 1990 तक स्कूली पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति के लिए एक आर्थिक सहायता की योजना चल रही थी। तत्पश्चात् एक सामान्य समग्र वित्तीय नीति के मामले के रूप में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था।

इस योजना को पुन: आरम्भ करने का का निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

65. श्री के प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान आठवें वित्त आयोग ने प्रत्येक ब्लाक में आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करने के लिए प्रति केन्द्र 5 लाख रुपये की दर से धन-राशि जारी की थी ताकि आदिवासी गांवों की स्थिति को उन्नत बनाया जा सके;

(ख) क्या चालू योजना के दौरान नौवें वित्त आयोग ने इसके लिए कोई धनराशि नियत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों को स्थानीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई धन-राशि नियत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) आठवें वित्त आयोग ने तीन स्कीमों की सिफारिश की थी उनमें से एक आदिवासी गांवों में आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित थी। इस आयोग ने वर्ष 1985-89 के लिए कुल 38.75 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी। अपनी कार्य योजना में राज्य सरकारों ने चुने हुए आदिवासी गांवों में प्रत्येक गांव के लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय के भीतर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, स्कूली भवनों, सड़कों का निर्माण, पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने जैसी स्कीमों का प्रस्ताव किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) नौवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 41 आदिवासी गांवों में आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु 2.05 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी जिसमें उसी प्रकार की स्कीमें शामिल थीं जो आठवें वित्त आयोग द्वारा मन्जूर की गई थीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा वार्षिक योजना परिव्यय योजना आयोग द्वारा मंजूर किया जाता है।

समुद्र तटों पर/वन क्षेत्रों में भवनों का निर्माण

66. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्र तटों पर/वन क्षेत्रों में भवनों का निर्माण करने की अनुमति देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं तथा विचाराधीन समुद्री तटों/वन क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में लोक आपत्ति आमन्त्रित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अत्यधिक विलवणीकरण को रोकने के लिए, जिसका उस क्षेत्र के समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तटों पर होने वाली निर्माण गतिविधियां 20 फरवरी, 1991 को जारी तटीय नियंत्रित की जाती हैं। यदि परियोजना में वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मानक और पैरामीटर राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा शिनाख्त किए गए तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तटीय नियंत्रण क्षेत्रों की श्रेणी पर निर्भर करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने ही लोगों से आपत्तियां मांगी थीं और तटीय नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचना तैयार करते समय उन पर विचार किया था।

(ङ) समुद्री पारि-प्रणाली के संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रों में लवणता के परिरक्षण के लिए निषिद्ध गतिविधियां तटीय नियन्त्रण क्षेत्र अधिसूचना के पैरा-2 में दी गई हैं।

पर्यावरण न्यायालय

67. डा रवि मल्लू :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण सुधार कार्यों में संलग्न विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को इसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रस्तावित कानून लागू किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) परि-संकटमय पदार्थों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना से होने वाली क्षति और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और अन्तरिम राहत मुहैया कराने के लिए कठोर दायित्व निर्धारित करने के लिए पर्यावरण अधिकरण स्वयं सेवा करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव है कि पीड़ित व्यक्ति तथा पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिनिधि निकाय इन न्यायाधिकरणों में आ सकें।

के. सी. एम. परिषद की बैठक

68. श्री मुहीराम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार परिषद की हाल ही में कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना के अन्तर्गत कर्मचारी परिषद की बैठक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 18.12.1991 को हुई थी।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :—

(i) स. प. तं. में प्रत्येक संघ को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से, पहले कार्यकाल के लिए निम्नलिखित गठन करने का निर्णय लिया गया था :—

शिक्षक संघ 05

गैर अध्यापन कर्मचारी संघ	01
मुख्यालय कर्मचारी संघ	01

अगले कार्यकाल के लिए गठन इस प्रकार होगा :—

शिक्षक संघ	04
गैर-अध्यापन कर्मचारी संघ	02
मुख्यालय कर्मचारी संघ	01

तत्पश्चात, उत्तरवर्ती कार्यकाल के लिए उपर्युक्त गठन, तीसरे कार्यकाल के लिए प्रथम गठन के साथ एक दूसरे साथ बारी-बारी से आएंगे। साधारणतया सं. प. तं. का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

(ii) यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि मान्यता प्राप्त संघों की संख्या स्थानों की संख्या से कम है तो सं. प. तं. में प्रतिनिधित्व प्रत्येक संघ की यथानुपात संख्या के अनुसार होगा। तथापि, जब मान्यता प्राप्त संघों की संख्या संस्थानों की संख्या से अधिक हों, तो संघों के बीच स्थानों का वितरण चुनाव के जरिए होगा।

(iii) विभिन्न संघों को सही सहायता आंकने के लिए, इस सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए एक प्रपत्र अपनाये जाने का निर्णय लिया गया था। अनुमोदित प्रपत्रों में इस प्रकार की सूचना विभिन्न संघों के क्षेत्रीय सचिव द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी तथा के. वि. सं. मुख्यालय को भेजी जाएगी।

(iv) एक संघ के बट जाने की स्थिति में, संगठन तीन माह की अवधि में प्रत्येक समूह द्वारा उपयोग में लाई जा रही सदस्यता संख्या पर निर्णय लेगा।

(v) संघों के पदाधिकारियों/कार्यकारी सदस्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया गया जो संगठन निर्दिष्ट सुविधाओं का उपयोग करने के पात्र हों। ऐसे सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या की चार गुना जमा 20 तक सीमित होगी।

(iV) किसी संघ के बट जाने पर उसके विभिन्न समूह द्वारा भेजे गए नोटिसों के उपलक्ष्य उपलक्ष्य मे उपर्युक्त से सन्दर्भित सुविधाएं तब तक निलम्बित रहेगी जब तक संगठन प्रत्येक समूह की सदस्यता संख्या की जांच नहीं कर लेता।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाना

69. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिदिन जन्म और मृत्यु का औसत क्या है;

(ख) क्या जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु परिवार नियोजन को सभी के अनिवार्य बनाने सम्बन्धी कोई समान कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. ताराबेवी सिद्धार्थ) :

(क) जन्म और मृत्यु-दरों के अनुमान वार्षिक आधार पर उपलब्ध हैं न कि दैनिक आधार पर। तदनुसार वर्ष 1990 के राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु दरों के नवीनतम उपलब्ध नमूना पंजीयन पद्धति के अनन्तिम अनुमान क्रमशः प्रति हजार आबादी के पीछे 29.9. और 9.6 है। वैसे 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर इन दरों को लगा कर प्रतिदिन जन्मों और मौतों की अनुमानित संख्या क्रमशः लगभग 69165 और 22207 निकलती है।

(ख), (ग) और (घ) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता को छोटे परिवार के मानदंड के सन्देश पहुचाने के लिए किसी भी रूप में उत्पीड़न के बिना प्रेरणात्मक, शैक्षणिक और विश्वासोत्पादक प्रयत्न किये जाते है। अतः सभी के लिए परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाकर आबादी में वृद्धि रोकने के लिए एक-जैसा कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिमालय क्षेत्र के पौधों का संरक्षण

70. श्री विजय कृष्ण हान्डिक।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा।

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्वतमालायें जड़ी बूटियों तथा सौरभयुक्त पौधों से लगभग खाली हो गई है क्योंकि या तो ये चीजें निर्यात की जा रही हैं अथवा तस्करी करके इन्हें देश से बाहर भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सौरभ-युक्त पौधों तथा जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल आंतरिक उपभोग तथा निर्यात दोनों के लिए किया जाता है। भारत की निर्यात नीति में संकटापन्न वनस्पतियों के निर्यात पर पूरा प्रतिबन्ध है। वनस्पतियों तथा वस्तुओं की बाकी प्रजातियों के निर्यात की अनुमति "वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन" के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाती है। निर्यात के लिए वनस्पति उत्पादों के कनसाइनमैंट का लदान पूर्व निरीक्षण केन्द्र सरकार के वन्यजीव परिरक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इससे समय-समय पर सौरभयुक्त वनस्पतियों की तस्करी का पता चलता है। वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों से तत्व निकालने को रोकने के लिए कानूनी उपायों को भी सख्त बनाया गया है।

बंगाल में खाद्यान्नों की कमी

71. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री अजय मुखोपाध्याय।

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचारपत्र "द इकनामिक्स टाइम्स" में ए. सी. आई. ब्लेम्स फार फूड्स शार्टेज इन बंगाल "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के कार्य करण की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) चावल का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। तथापि, पश्चिम बंगाल सहित पंजाब हरियाणा और देश के अन्य भागों में मजदूरों द्वारा आन्दोलन करने की वजह से खाद्यान्नों के संचलन में समस्याएं होने के कारण सितम्बर और दिसम्बर, 1991 के दौरान गेहूं का स्टाक कम हो गया था। वर्ष 1990 में जून से दिसम्बर के दौरान स्टाक स्थिति की अपेक्षा जून, 1991 से दिसम्बर, 1991 में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति बेहतर थी। चीनी का भी पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। जहां तक खाद्य तेलों का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार द्वारा सीधे ही 8000 मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए दी गई अनुमति के अतिरिक्त, इस राज्य को नवम्बर, 1991, जनवरी और फरवरी, 1992 के प्रत्येक मास के लिए 1500 मी. टन की मात्रा का आवंटन किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि इसके कार्यों और रेलवे जैसी अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय कार्य में सुधार लाया जा सके।

जलावन की लकड़ी

72. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी मात्रा में जलावन की लकड़ी का उत्पादन एवं खपत होती है; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, राज्य-वार कितने धुंआं रहित चूल्हें लगाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंधन की लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उत्पादन और खपत क्रमशः 40 मीलियन घन मीटर और 235 मीलियन घन मीटर है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान लगाए गए उन्नत चूल्हों की संख्या का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान लगाए गए धुंआरहित चूल्हों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उपलब्धियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,05,377
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,000
3.	असाम	40,000
4.	बिहार	87,195
5.	गुजरात	94,937
6.	गोआ	10,050
7.	हरियाणा	78,556
8.	हिमाचल प्रदेश	56,945
9.	जम्मू और कश्मीर	35,010
10.	कर्नाटक	1,14,078
11.	केरल	68,285
12.	मध्य प्रदेश	1,60,023
13.	महाराष्ट्र	1,41,353
14.	मणीपुर	6,000
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	2,500
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़िसा	92,245
19.	पंजाब	96,800
20.	राजस्थान	1,76,053
21.	सिक्किम	4,422
22.	तमिलनाडु	1,10,042
23.	उत्तर प्रदेश	2,11,588
24.	त्रिपुरा	1,610

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	68,879
26.	अण्डमान और निकोबार	3,000
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादरा और नगर हवेली	1,002
29.	दमन और द्वीव	30
30.	दिल्ली	19.048
31.	लक्षद्वीप	127
32.	पाण्डिचेरी	1,570
33.	अन्य	1,99,C05
		19,87,670

[हिन्दी]

जयपुर-लखनऊ लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

73. श्री राजवीर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-लखनऊ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परियोजना का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लखनऊ-जयपुर खंड में से लखनऊ-कानपुर खंड के आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जयपुर-बांदीकुई और कानपुर-कासगंज खंडों को आठवीं योजना में शुरू की जाने वाली आमान परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य योजना में अनुमोदित किया गया है, शेष खंड के बारे में बाद के चरणों में विचार किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

74. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री सुखदेव पासवान :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आरा, अटरिया और रांची के मुख्य स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के उद्देश्य

75. श्री हरि किशोर सिंह ।

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद के, जिसकी स्थापना 1969 में की गयी थी, मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इससे कितने अनुसंधान संस्थान सम्बद्ध हैं,

(ख) इस परिषद के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि आबंटित की जाती है और उसमें से कितनी राशि अनुसंधान संस्थान के लिए नियत की जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने कभी इस परिषद् और इसके अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकरण और इनकी उपयोगिता की बारीकी से जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना मुख्य रूप से देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के समन्वय और प्रोन्नति हेतु की गई थी । मोटे तौर पर इसके उद्देश्य हैं :

(i) अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण,

(ii) अनुसंधान शोधवृत्तियां प्रदान करना,

(iii) अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण और विकास अनुदानों की व्यवस्था करना,

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

(v) चुनिन्दा सामाजिक विज्ञान साहित्य का प्रकाशन।

(vi) प्रलेखन सेवा के लिए विकास केन्द्र;

(vii) सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन, प्रायोजन और वित्त पोषण । परिषद पूरे देश के 26 अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

(ख) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को वर्ष 1990-91 के दौरान दिया गया अनुदान 283.84 लाख रुपये (योजनागत) और 420.78 लाख रुपये (योजनेत्तर) था। कुल अनुदानों का 46 प्रतिशत अनुसंधान संस्थानों पर खर्च किया गया।

(ग) और (घ) यद्यपि सरकार ने परिषद के कार्य और उपयोगिता की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है, इसके परिषद, योजना और प्रशासन समिति, अनुसंधान संस्थान समिति आदि में प्रतिनिधि हैं और इसके कार्य के बारे में वह अपने आपको अवगत रखती है, जो कि सामान्य तौर पर संतोषजनक है।

[हिन्दी]

जोगबनी दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

76. श्री सुखदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोगबनी और दरभंगा के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

(ग) जोगबनी और दरभंगा के बीच इस समय कोई सीधी रेल लाइन नहीं है।

अलाभप्रद रेल मार्ग

77. श्री राम टहल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाभप्रद रेल लाइनों के नाम क्या है; और

(ख) इन्हें लाभप्रद बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990-91 के दौरान अलाभप्रद पाई गई शाखा रेल लाइनों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) हानियों को रोकने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(I) यात्री गाड़ियों का मिली-जुली गाड़ियों में परिवर्तन;

(II) "एक इंजन प्रणाली" की शुरूआत;

(III) कर्मचारियों में शिकायत।

(IV) बिना टिकट यात्रा को समाप्त करना।

विवरण

1990—91 के दौरान अलाभप्रद पाई गई शाखा लाइनों की सूची

दौंड—बारामती

ऐट—कोंच

ग्वालियर—शिवपुर-कलाँ

ग्वालियर—भिंड

धौलपुर—तांतपुर—सिरमथुरा

नेरल—माथेरान

पाचोरा जं.—जामनेर

मिराज—कुर्दुवाडी—लातूर

बख्तियारपुर—राजगीर

भीमगढ़—पलास्थली

बारासात—हसनाबाद

शान्तिपुर—नवद्वीपघाट

तीनपहाड़—राजमहल

बर्द्धमान—कटवा

भागलपुर—मंदार हिल

बसईपुर—लक्ष्मीकांतपुर

जमालपुर—मुंगेर

सोनारपुर—केनिंग

रोहतक—गोहाना

बटाला—कादियां

गढ़ी-हरसारू—फार्रुखनगर

वेरका—डेराबाबानानक

पीपाड़ रोड—बिलाड़ा

समदड़ी—मुनाबाओ

बालोतरा—पचपदरा

राई का बाग—पोखरन

कालका—शिमला

पठानकोट—जोगिंदरनगर

बरहन—एटा

राजा-का-सहसपुर—सम्भल हातिम सराय

मकराना—परबतसर

फगवाड़ा—जैजो दोआबा

रानीवाड़ा—भीलड़ी

माधोपुर—पठानकोट

बरमांझी—बिहारीगंज

सकरी—जयनगर

नरकटियागंज—बगहा

नरकटियागंज—भिखनाथोरी

कप्तानगंज—छितौनी

सलेमपुर—बरहज बाजार

इंदारा—दोहरीघाट

माधोसिंह—कोल्ह

मानकपुर—कटरा

आनन्द नगर—नौतनवां

नवानसारी—बरवा

दुधवा—गौरीफंटा

दुधवा—चंदनचौकी

शाहबाजनगर—फिरगंज

काशीपुर—रामनगर

मथुरा—वृंदावन

मंधना—ब्रह्मावर्त

मानाबोहपुर—महादेवपुरघाट

न्यू जलपाईगुड़ी—दार्जिलिंग

कटिहार—मनिहारीघाट

कटिहार—जोगबनी

ओल्ड मालदा—सिंहबाद

कटिहार—कुमेदपुर

बरसोई—राधिकापुर

अलिपुरद्वार—न्यूगोतलदह बामनहाट

रंगापाड़ा—नार्थ तेजपुर

न्यू माल—चंग्राबंधा

फकीराग्राम—धुमड़ी

करीमगंज—महिसाशन

बदरीग्राम—दुल्लभचेरा

सिमगुड़ी—नागिनीमोरा

नमियानी—जोरहाट नईमाटी

माकुम—बंगारी

सिमलगुड़ी—मोरानहाट

मेट्टूपालयम—नीलाम्बर

तिरुत्तरपुंडि-प्वाइंट—कालामेरे

मेट्टुपालयम—उटकमंड

मदुरै—बोदिनायक्कनूर

चिकजाजूर—चित्रदुर्ग

नंजनगुड—चामराजनगर

येलहंका—बंगारापेट (बेंगलूर सिटी)

पेरलम—कराइकल

मायूरम—तरंकमबयूबार

तिरुनेलवेली—तिरुचांदूर

सागर—तालागुप्पा

विल्लुपुरम—पांडिचेरी

हासपेट—कोट्टूरू

जनकमपेट—बोधना

बेल्लारी—रायदुर्ग

गुंडारोड—स्वामिमलै

मालनाथर—डांडेलां

गुदखेड़—आदिलाबाद

गुडिवाडा—मछलीपटनम

नवापाडा—गुनपुर

रूपसा—तालबुंध

पुरुलिया—कोटशिला और रांची—लोहारडागे

रायपुर—धमतरी

सतपुड़ा—रेलवे

टाटा—बादामपहाड़

बोंडामुंडा-न्यू गांव—पुरानापानी

हटिया—न्यू गांव

खोरधारोड—पुरी

बिरूलीमेरा—बधाई

छुच्चापुरा—तनखाला

कोसबा—उमरपाडा

अगाधिया—नेत्रंग

चोरंडा—माटीकोराल

समनी—दहेज

गोधरा—लूनावाडा

चामनेर—शिवराजपुर-पानी माइन्स

दभोई—टिम्बा रोड

बरोच—जम्बुसर-कावी

छोटा—उदयपुर—जम्बुसर

चांदेड़—मलसर

अंकलेश्वर—राजपीपला

नडियाद—कपड़वंज

संगानेर टाउन—टोडा राय सिंह

गांधीधाम—न्यू खंडला

मालवी—जं.—बड़ी सादड़ी

सिहोर—पालीताना

हारीज—चाणस्मा

मेहसाणा—तरंगाहिल

हिम्मत नगर—खेड़ब्रह्मा

बोरविवादतल—स्वामी नारायण

आणंद-कैम्बे

समन्वित बाल विकास योजना के महिला कर्मचारियों के वेतन

78. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित बाल विकास योजना के महिला कर्मचारियों के वेतन में 1983 के बाद कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) राज्य, जिला, परियोजना और सर्किल स्तर पर आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत कई श्रेणियों के कर्मचारी हैं जिनमें अधिकांश महिला कर्मचारी हैं। इस स्टाफ का प्रशासनिक खर्च भारत सरकार वहन करती है। परन्तु वह संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के संवर्गों का स्टाफ होता है। राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ इन कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है।

इन कर्मचारियों के अलावा आई सी डी एस योजना ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपलब्ध कराती हैं जो स्थानीय समुदाय से ली गई अंशकालिक, अवैतनिक और स्वैच्छिक कार्यकर्ता होती हैं। वे प्रतिमाह नियत-मानदेय लेती हैं। उनके मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया गया है। 1983 के बाद दो संशोधन किए गए।

संशोधन का वर्ष	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिकुलेट/नान मैट्रिकुलेट (रु. प्रतिमाह)		सहायिकाएं
जनवरी, 85	250	200	90
जुलाई, 86	275-325	225-275	110

फिलहाल वे निम्नलिखित दरों पर मानदेय प्राप्त कर रहे हैं :—

(I)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रु. प्रतिमाह
	मैट्रिक्लेट	275.00
	मैट्रिक्लेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है	300.00 रु.
	मैट्रिक्लेट जिन्हें आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव है	325.00 रु.
	नान-मैट्रिक	225.00 रु.
	नान-मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है	250.00 रु.
	नान मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव है	275.00 रु।
(II)	सहायिकाएं	110.00 रु.

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर-दरभंगा बड़ी लाइन

79. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बड़ी लाइन बिछाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अनुमोदित कार्य समस्तीपुर-दरभंगा खंड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना करने से संबंधित है।

(ग) संसाधनों की कठिन स्थिति।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सचल स्वास्थ्य सेवा वाहन

80. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ब्रिटेन से विशेष रूप से आयातित चलते-फिरते 300 ग्रामी स्वास्थ्य सेवा वाहन देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में बेकार खड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "री-ओरियन्टेशन आफ मेडिकल ऐजुकेशन (रोम) स्कीम" को सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई थी और इसे कब बन्द किया गया;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई और इसे बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) आम जनता के लाभार्थ. इन आयातित उपकरणों का किसी अन्य योजना में उपयोग करने हेतु कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जैसे ही ब्रिटिश सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों को सप्लाई किए गए कुछेक चलने-फिरते वाहनों का इस्तेमाल न किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई थो वैसे ही परिवार कल्याण कार्यक्रम क्षयरोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, दृष्टिहीनता नियंत्रण, अतिसार रोगनियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल करने हेतु सभी राज्य सरकारों को 24.7.1985 को निर्देश जारी कर दिए गए थे। पुनः सभी राज्य सरकारों को 19.3.198' को निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे वाहनों को जिनका उपयुक्त रुप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों में सुस्थापित स्वयंसेवी एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

(ख) यह स्कीम 1990-91 से राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ग) रोम स्कीम वर्ष 1977 में केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रुप में शुरु की गई थी तथा यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1.4.90 से समाप्त कर दी गई।

(घ) इस योजना हेतु पांचवीं, छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कुल 1630.82 लाख रुपये की रकम दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

जल प्रदूषण रोकने के लिए महाराष्ट्र को सहायता

81. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र सरकार को जल प्रदूषण रोकने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदूषण के उपशमन के लिए मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगी राशि का वितरण राज्य की आवश्यकताओं, दी गई राशि की उपयोगिता और निधियों का उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

किशोर लड़कियों का जबरन विवाह कराये जाने पर रोक लगाना

82. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अमीना के समान किशोर लड़कियों का जबरन विवाह किए जाने के मामलों को हतोत्साहित करने तथा इन पर रोक लगाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब से कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे जबरन विवाहों की शिकार होने वाली 11 से 17 वर्ष की उम्र की किशोर लड़कियों का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में को सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कितनी लड़कियों का पता चला तथा उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बेनर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार के लिए, किशोर लड़कियों के जबरन विवाह करवाने और उनके अन्य किस्म के पोषण की बढ़ती हुई घटनाएं चिन्ता का विषय रही हैं। सरकार ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 11.11.1991 को एक बैठक की। यह देखा गया कि इस सम्पूर्ण प्रश्न का सम्बन्ध आर्थिक पहलू से नहीं, बल्कि इसकी गहरी जड़ें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं जिन्हें बदलना होगा। अतः ऐसी खतरासन्न लड़कियों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, पोषाहार तथा उनके लिए आयोत्पादक रोजगार अवसरों की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उन्हें उत्पादक व्यक्तियों के रूप में देखा जा सके। इस प्रयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहली बार किशोर लड़कियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें आई. सी. डी. एस. ढांचे का इस्तेमाल किया गया। इसमें 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल से उठ जाने वाली किशोर लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा उनकी पोषाहारीय, स्वास्थ्य, शैक्षणिक,

साक्षरता, मनोरंजनकारी तथा उनकी कौशल विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें बेहतर भावी माताएं बनाने के लिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप मे उनके सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए प्रयास किए गए है । यह योजना, 57 ब्लाकों के अलावा, जहां यह पहले से हो क्रियान्वित की जा रही है, सभी राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों के 450 ब्लाकों में शुरू की गई है । इसके अलावा, विभाग ने किशोर लड़कियों को कौशल प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निश्चय किया है जिससे कि उन्हें नोराड के अन्तर्गत रोजगार मिलना सुनिश्चित हो सकेगा ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड देश भर में ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए एक जागृति विकास परियोजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है । जिसमें जागृति विकास कैंपों के दौरान विचार-विमर्श करने का एक घटक शामिल किया गया है । अनैतिक पणन और सम्बन्धित बुराइयों के केन्द्र माने जाने वाले जिलों में स्वयंसेवी संगठनों को विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रेडियो, फिल्मों, इश्तिहार सामग्री तथा बहिर्द्वारी प्रचार कार्यकलापों जैसे प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा सके और लोगों को समाज में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षित और प्रेरित किया जा सके ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई

83. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान और 1991-92 में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्त राज्य को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) मध्य प्रदेश को 1990 91 और 1991-92 के दौरान सप्लाई की गई गेहूं और चावल की मात्रा अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उठान की स्थिति नीचे दी गई है :—

(हजार मीटर टन में)

1990-91	गेहूं	चावल
1	2	3
(अप्रैल, 1990— मार्च, 1991)	290.2	172.00

	1	2	3
	1991-92 (अप्रैल से दिसम्बर, 1991)	262.8	197.9

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में अनुसूची "एच" की दवाओं की बिक्री

84. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "द स्टेट्समैन" में दिनांक 1 जनवरी, 1992 को "डेडली ड्रग्स फार द आस्किंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में दवाई दुकानों पर अनुसूची "एच" की दवाएं बिना नुस्खे के बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बिना नुस्खा देखे ऐसी अनुसूची की दवाओं की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने समाचार की विषय-वस्तु को नोट कर लिया है और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(I) खुदरा केमिस्टों के निरीक्षण कार्य को तेज करना तथा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना जो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची "एच" औषधों को बिना नुस्खे के सप्लाई करते हैं।

(II) दिल्ली में केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को इस समस्या पर अपने सदस्यों को शिक्षित करने की जरूरत के बारे में बताने के लिए उनके साथ बैठक आयोजित करना ताकि वे अनुसूची "एच" औषधों को बिना नुस्खे के न बेचें।

(III) स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघों के साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा में उनकी भागीदारी की संभावना की जांच करने की दृष्टि से बैठक करना ताकि वे स्वयं उपचार न करें।

फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल

85. श्री राम पूजन पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में फतेहपुर स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर ई. एम. यू. रेलगाड़ियों के कोचों में वृद्धि

86. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ई. एम. यू. रेलगाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हावड़ा-खड़गपुर खंड पर कुछ बिजली गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 8 से 9 करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता परिक्रमा रेल का विस्तार

87. श्री चित्त बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में परिक्रमा रेल के विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कार्यक्रमानुसार पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का विस्तार एक अनुमोदित परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रियायती मूल्य के मुद्रण कागज की सप्लाई

88. श्री आर. [illegible] :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया कि कर्नाटक की पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए रियायती मूल्य का श्वेत मुद्रण कागज आवंटित किया जाए ताकि छात्रों के लिए "पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की कल्याण योजना" कार्यान्वित की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने नवम्बर, 1990 में सूचित किया था कि उन्होंने कक्षा I से VII तक के छात्रों को और कक्षा-I से X (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के छात्रों को राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क मुहैया करने के लिए एक योजना आरम्भ की है तथा रियायती कागज मुहैया करने के लिए अनुरोध किया।

31 मार्च, 1990 तक स्कूली पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति के लिए एक आर्थिक सहायता की योजना चल रही थी। तत्पश्चात् इस योजना को समाप्त कर दिया गया था।

जनार्दन रेड्डी समिति की रिपोर्ट

89. श्री रवि राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी राममूर्ति समिति की रिपोर्ट की पुनरीक्षा करने हेतु गठित की गई जनार्दन रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में नीति के सम्बन्ध में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) ने 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के सारांश सहित एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस रिपोर्ट पर अब केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) विचार करेगी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार को अन्तिम रूप देगी।

विवरण

नीति के सम्बन्ध में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति (केब) की सिफारिशों का सारांश

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति (एन. पी. ई. आर. सी.) की कुछ सिफारिशों में ही नीतिगत उलझनें हैं। रा. शि. नी. पु. स. (एन. पी. ई. आर. सी.) की सिफारिशों

को देखते हुए जबकि नीति में अधिक संशोधन की जरूरत नहीं है, कारंवाई योजना में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक स्थायी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि इन सुविधावंचित वर्गों के शैक्षिक कार्यक्रमों को मानीटर किया जा सके। समिति में इन वर्गों के शिक्षाविदों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर, कार्यक्रम की मानीटरिंग और केन्द्रीय सरकार को सूचित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय एजेंसी की पहचान की जानी चाहिए।

3. सामान्य स्कूल प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अन्त में साधारण स्कूलों की कोटि में सुधार करके और न्यूनतम शिक्षण स्तर प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान करके यथाशीघ्र स्कूलों की असमानता दूर की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य दोनों को दृढ़ कारंवाई करनी चाहिए। अन्य संस्थाओं को अपनी सुविधाओं और संसाधनों का लाभ देकर सामुदायिक कार्यक्रम चलाकर और सुविधा वंचित वर्गों की पहुंच सुकर बनाकर सुविधाप्राप्त स्कूलों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए।

4. नवोदय विद्यालय स्कीम जारी रहनी चाहिए और प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए जैसाकि प्रारंभ में परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय सुझाये गए हैं।

(i) स्कीम को यथासंभव कम खर्चीली बनाने के लिए सतत समीक्षा,

(ii) आवधिक मूल्यांकन करके और दाखिले के नियमों में उचित संशोधन करके पहले से जारी दाखिले की वैधता और निर्भरता को सुनिश्चित करना, और

(iii) इन संस्थाओं की नीति-निर्धारक भूमिका की ओर विशेष ध्यान।

5. सभी जिलों में, संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं से युक्त नवोदय विद्यालय स्थापित हो जाने के बाद स्कीम की भावी कार्यपद्धति के विषय में विचार प्रारम्भ करना भी आवश्यक है। नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों की उच्च शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी योजना बनाना प्रारम्भ किया जाना है। आवासीय स्कूलों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इस स्कीम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. रा. शि. नी. पु स. ने संविधान के अनुच्छेद 45 के क्षेत्र के विस्तार का सुझाव दिया था ताकि इसमें प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा को शामिल किया जा सके। यह आवश्यक नहीं है।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश के पहले 14 वर्ष तक को

आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की संवैधानिक बाध्यता एक वास्तविकता बन जाए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.12 जिसमें प्राथमिकता शिक्षा (यू. पी. ई.) के सार्वजनीकरण और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण (यू. ई. ई.) का लक्ष्य रखा गया है, में संशोधन की आवश्यकता है।

8. आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता हैं।

(i) लड़कियों और अनु. जाति और अनु. जनजाति के बच्चों सहित सभी बच्चों का नामांकन।

(ii) एक किलोमीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्कूलों को प्राथमिक स्कूल का प्रावधान और बीच में स्कूल छोड़ने वाले और कामकाजी बच्चों तथा स्कूल न आ सकने वाली लड़कियों को अनौपचारिक शिक्षा सुविधा प्रदान करना,

(iii) उच्च प्राथमिक स्कूल के विद्यमान अनुपात 1 : 4 को बढ़ाकर 1 : 2 करना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सहभागिता बढ़ाने के बड़े सुअवसर की पूर्व शर्त के रूप में लिया जाना चाहिए,

(iv) कक्षा I से V और I से VIII के बीच स्कूल छोड़ने की विद्यमान दर 45 प्रतिशत और 60 प्रतिशत को कम करके क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए,

(v) आपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार करके स्कूल सुविधाओं में सुधार करना तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक इनका विस्तार करना,

(vi) प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों द्वारा न्यूनतम शिक्षण स्तर प्राप्त करना और इस परिकल्पना का व्यापक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर शुरुआत करना,

(vii) प्राथमिक शिक्षा के कार्यकलापों में सहायता देने और इसके कार्यकरण की देखभाल करने के लिए स्थानीय स्तर की समितियां जिसमें महिलाओं और शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो,

(viii) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए मानीटरिंग प्रणाली में सुधार।

रा. शि. नी. और कार्रवाई योजना में तदनुसार संशोधन किया जाए।

9. प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने वाली दोहरी नीति की शैक्षणिक प्रायोजना को निरन्तर जानकारी होना चाहिए और महिलाओं व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे अभावग्रस्त वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को विशेष तौर से हाथ में लेना चाहिए।

10. एन. पी. ई. आर. सी. का महिला समाख्या को एक वैकल्पिक माडल के रूप में देखा जाना तर्कसंगत नहीं है।

11. जब एन पा ई आर सी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तब दिसम्बर, 1990 तक की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि एन पी ई आर सी ने 'एर्नाकुलम प्रयोग' के महत्व को कम आंका है। समग्र साक्षरता अभियान (टी एल सी) का प्रस्ताव एक प्रभावशाली और व्यवहार्य माडल है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता-प्रदर्शन में एक सार्थक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सके।

12. उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना नव-साक्षरों और प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण छात्रों) स्कूल प्रणाली अथवा गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के जरिए) के लिए बनाई जानी चाहिए और ये कार्यक्रम साक्षरता अभियानों के साथ-साथ चलाए जाने चाहिए और यथाशीघ्र बड़ी तादाद में साक्षरता पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी होने चाहिए।

13. नए उपक्रमों को जो सैकेण्डरी शिक्षा में अपेक्षित है, पूरा करने के लिए नीति का पुनः प्रतिपादन किया जाना चाहिए।

14. सैकेण्डरी शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षण को और अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।

15. कम्प्यूटर अध्ययन साक्षरता और स्कूलों में चल रहे अध्ययन कार्यक्रमों में पुन: सुधार किया जाना चाहिए।

16. खुले अधिगम को यथासाध्य प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को भी मुक्त विद्यालय प्रणाली में वैसी ही प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए जैसी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अन्य खुले विश्वविद्यालयों के साथ निभाता है।

17. +2 स्तर पर मौजूदा व्यावसायिक धारा को उपयुक्तता से सुदृढ़ किया जा सकता है और जहां कहीं संभव हो व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा IX से भी प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

18. एन पी ई. आई सी द्वारा एक कोर व्यावसायिक पाठ्क्रम का विचार आकर्षक है। सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम चयनित आधार पर प्रारम्भ किए जा सकते हैं और दस प्रतिशत स्कूलों में शुरुआत के तौर पर सामान्य व्यावसायिम पाठ्यक्रमों का परीक्षण किया जा सकता है।

19. इन कार्यकलापों के लिये 12.5 फीसदी से 20 फीसदी तक के स्कूल समय का आवंटन करते हुए कार्य अनुभव कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक विषयों के सम्बन्ध में इन कार्यकलापों में व्यवहार-अभिमुखता होनी चाहिए। व्यावसायिक "कोर" सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्तरों पर स्थान पाएगा और कार्य-अनुभव/सामाजिक तौर पर उपयोगी उत्पादक कार्य (एस यू पी डब्ल्यू) प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़ेगा।

20. गैर-स्तरीय और घटिया विश्वविद्यालयों और कालिजों के खोले जाने पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वैधानिक तंत्र की स्थापना करना उचित नहीं है। अगर विश्वविद्यालय सख्त नियंत्रण रख सकते हैं और सम्बद्धता प्रदान करने से पहले आवश्यक

आधारभूत ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं के सृजन के लिए ओर डाल सकते हैं और यदि राज्य सरकारें इन मामलों में विश्वविद्यालयों के निर्णय का आदर करती हैं तो किसी हद तक पर्याप्त सुविधाओं के बिना कालेजों के प्रचुरोद्भवन पर प्रवतबन्ध लगाया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा की राज्य परिषदों की स्थापना और प्रचालन उच्चतर शिक्षा के योजनाबद्ध विकास में बहुत दूर तक चलेगा।

21. साक्षरता जैसे विस्तार कार्य में शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी निश्चित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए कि सभी छात्र एक या अन्य मौजूदा स्कीमों में भागीदारी लें, विशेषकर राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स (एन सी सी)। राष्ट्रीय सेवा और विकास में भाग लेने के लिये स्कूल से बाहर के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट स्कीमें तैयार की जानी चाहिए। उन छात्रों के लिये जो +2 का अध्ययन पूरा कर लेते हैं, अर्द्ध सैनिक सेवा, व्यावसायिक दक्षताओं का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कार्य वाली सम्भाव्यता और वित्तीय आशयों का दो वर्ष का एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाय। इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से छात्रों से अपने गृह राज्य के बाहर इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी।

22. परीक्षणों को चलाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एन टी एस) शुरू की जानी चाहिए ताकि यह अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त करे और एक सक्षम संसाधन केन्द्र में विकास करे।

23. ग्रामीण संस्थाओं की एक केन्द्रीय परिषद को गांधीवादी विचारों पर ग्रामीण शिक्षा के लिए ऐसा जरूरी प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है और इसका तत्काल निर्धारण किया जाना चाहिए।

24. उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रींय परिषद पर ऐन पी ई आर सी की सिफारिश कि इसके निर्धारण की आवश्यकता नहीं है दुरुस्त है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैरा 5.34 फिर से तैयार किया जाना चाहिए।

25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) के क्षेत्रीय कार्यालय पर्याप्त अधिकार और कार्यों के साथ यथासमय स्थापित कर दिए जाने चाहिएं।

26. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये और रा शि नि के पैरा 6.19 को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। ए आई सी टी ई की क्षेत्रीय समितियों को पर्याप्त कर्मचारी दिया जाना चाहिए और क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष क्रम से उस क्षेत्र के राज्य के शिक्षा मन्त्री को बनाया जाना चाहिए। क्षेत्रीय समिति को ए आई सी टी ई द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के ढांचे के अन्तर्गत नये संस्थान खोलने, नये पाठ्यक्रमों को शुरू करने और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिये सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को केवल क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनिवार्य स्वीकृतियां जारी करनी चाहिए।

27. परीक्षा सुधार संबंधी कार्य परीक्षा लेने वाले निकायों के अपनी पहल और अपनी रुचियों पर छोड़ने की बजाय केन्द्र और राज्य सरकार को इस क्षेत्र में पुरजोर और समन्वित प्रयास करना चाहिये। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है :

i) परीक्षा लेने वाले निकायों द्वारा उठाये गये परीक्षा-सुधार संबंधी उपायों की रिपोर्ट तैयार करना।

ii) राष्ट्रीय परीक्षा सुधार कार्य ढांचा तैयार करना जो परीक्षा लेने वाले निकायों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं का कार्य करेगा और उन निकायों के कार्य ढांचे को विशेष स्थितियों के मुताबिक परिवर्तित करने और अपनाने की आजादी होगा।

iii) परीक्षा लेने वाले विभिन्न निकायों द्वारा परीक्षा संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के समन्वय, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्रभावी प्रक्रिया तैयार करना।

iV) परीक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिए नवपरिवर्तनों और उपायों का प्रलेखन और प्रचार।

28. यद्यपि स्कूली बच्चों पर पुस्तकों का अतिशय बोझ महत्वपूर्ण विषय है, परन्तु हम आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

29. रा शि नी के प्रावधान और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिये ताकि स्कूली बच्चों पर पुस्तकों के बोझ की समस्या को कम किया जा सके। शहरी क्षेत्रों के खचीले निजी स्कूलों के शिक्षकों की प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए ताकि वे अनावश्यक रूप से अधिक पुस्तकों की सिफारिश करने की आदत त्याग सकें।

30. एन पी ई आर सी के सुझाव के मुताबिक शिक्षकों को लाइसेंस प्रदान करना वांछनीय नहीं है।

31. शिक्षक शिक्षा में प्रथम डिग्री पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से नहीं दिया जाना चाहिए।

32. एन पी ई आर सी द्वारा दिए गये सुझाव के मुताबिक शिक्षा सनाष्ट की धारणा को चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर आजमाया जा सकता है।

33. राज्यों के विचारों और उद्देश्यों का उचित ध्यान रखते हुए भारतीय शिक्षा सेवा (आई ई एस) की योजना को ठोस आकार प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया को तेज करना लाजमी होगा।

34. विशेष राज्य स्तरीय शैक्षिक ट्रिब्यूनलों का गठन वांछनीय है। इन ट्रिब्यूनलों के गठन के ब्योरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जा सकते हैं।

35. "पद्धति को कारगर बनाने" के लिए खण्ड VII में रा शि नी ने योजनाओं का सुझाव दिया था। इस अवधारणा के साथ समझौता नहीं किया जाना है। रा शि नी के पैरा

7.3 में दी गई योजना को व्यवहार में लाने के लिये कार्य योजना को तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने की जोरदार सिफारिश की गई है।

37. संसाधन आबंटित करने के मामले में शिक्षा को अवशिष्ट क्षेत्र के रूप में समझे जाने की प्रथा को बदला जाना चाहिये, रा शि नी के पैरा 11.4 को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा पर परिव्यय को एकरूपता से राष्ट्रीय आय का छः प्रतिशत अधिक किया जायेगा। यू ई ई, वयस्क साक्षरता और व्यावसायिकरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए जरूरत के आधार पर वित्त प्रदान करने की जरूरत है।

37. शिक्षा के लिये बजट आबंटन में निम्नलिखित अन्य प्रावधान भी होने चाहिये :

(i) सरकारी संसाधनों के आवंटन के मामले में शिक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिकता

(ii) जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्र ऋण की उपयुक्त सहायता प्रदान करते हुए शुल्क ढांचे में संशोधन लाकर उच्च शिक्षा तथा तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा को व्यापक रूप से स्व-वित्तपोषित बनाने की तेज प्रक्रिया।

(iii) शैक्षिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिये संस्थागत वित्त।

(iv) परामर्श और अन्य अध्ययनों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को सुविधाएं।

(V) शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये समुदाय और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन। सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में हजारों अवैतनिक कार्यकर्ताओं का समय और प्रयास बिना किसी अवसर लागत के सामाजिक पूंजी बढ़ाने की सम्भावना का ठोस प्रदर्शन है।

(Vi) खर्च का सही उपयोग और उसकी प्रभावोत्पादकता अर्थात कार्यक्रमों का मूल्यांकन न केवल वित्तीय खर्च या अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने या अनेक वृत्तिभोगियों के संदर्भ मे बल्कि परिणाम के दृष्टिकोण से किया जाये।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों का विकास

90. **श्री काशीराम राणा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर स्टेशनों के किकास का कार्य स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका रेल सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता,

[अनुवाद]

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मार्गों का विकास

91. श्री सुधीर गिरि :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में सातवीं योजना अवधि के दौरान कुल कितनी लम्बाई की पट्टी फिर से बिछाई है; और

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान कुल कितनी लम्बाई की रेल पट्टी पुन: बिछाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूरे रेल पथ नवीकरण (सी टी आर) यूनिट के हिसाब से 2654 कि. मी.।

(ख) अनन्तिम रूप से, दक्षिण-पूर्व रेलवे पर VIII वीं योजना में लगभग 1800 कि. मी. रैल पथ नवीकरण सी टी आर यूनिट में।

[हिन्दी]

छपरा-शाहगंज लाइन को दोहरा करना

92. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छपरा-मऊ-बलिया शाहगंज रेल लाइन को दोहरा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस खंड पर यातायात की मात्रा इतनी नहीं है जिससे इस लाइन के दोहरीकरण का औचित्य बनता हो।

[अनुवाद]

रेल लाइन के पारपथों पर प्रकाश की व्यवस्था

93. श्री पी. एम. सईद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के फूलपुर तथा गजरोला स्टेशन के निकट विद्युत क्रासिंग की व्यवस्था करने के लिये अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन क्रासिंगों को विद्युतीकृत करने के लिए पहले ही कारंवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाओं की कमी

94. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों में दवाओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध औषधें प्राय: संबंधित औषधालयो मे लाभार्थियो के लिए उपलब्ध है। विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किसी औषध के उपलब्ध न होने की स्थिति में उस प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीदकर लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। यहां नहीं विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित औषध को रोगी उसी दिन केमिस्ट से स्वयं (बिना मूल्य का भुगतान किए) प्राप्त कर सकता है।

[अनुवाद]

एड्स रोग की रोकथाम के लिए विश्व बैंक की सहायता

95. श्री के. चोक्का राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एड्स के नियन्त्रण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त हुई है तथा उसे किस प्रकार उपयोग में लाया गया है;

(ग) क्या इसमें से कुछ राशि राज्यों को भी आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसमें आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) अप्रैल 1992 से आरम्भ होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय एड्स परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक के साथ हाल ही में 100 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय के समझौते किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक का एक उदार ऋण सहयोगी) 85 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करेगा।

इस परियोजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को नकद और सामग्री सहायता प्रदान की जाएगी :—

—कार्यक्रम प्रबंधन

—निगरानी

—रक्त सुरक्षा

—सूचना, शिक्षा और संचार

—यौन—संचारित रोगों पर नियंत्रण

—कंडोम प्रयोग को प्रोत्साहन

—रोगी उपचार।

[हिन्दी]

कुलियों के लिए सुविधाओं

96. श्रीमती गिरिजा देवी

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे कुलियों के लिए विश्राम गृह बनाने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर बनाये जाएगे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लाइसेंसशुदा भारिकों को स्टेशनों के दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। केवल उन स्थानों पर जहां इनकी संख्या पर्याप्त होती है और प्रतीक्षालय तथा अन्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं वहां इनके लिए अलग से विश्राम स्थल, न कि विश्राम कक्ष, की व्यवस्था की जाती है। रेलों द्वारा आवश्यकता की समय समय पर समीक्षा की जाती है। और विश्राम सुविधाओं की व्यवस्था/उनमें वृद्धि की जाती है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

जबलपुर और नई दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी

97. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी और बीना होकर जबलपुर और नई दिल्ली के बीच एक नई तेज रेलगाड़ी चलाए जाने की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) जांच की गयी थी, परन्तु परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया,

खाना सैंथिया रेल लाइन को दोहरा करना

98. डा. सुधीर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में खाना और सैंथिया केबीच गुजरने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है?

(ख) यदि हां, तो काम कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य के आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इतिहास में पाठ्यक्रम तैयार करना

99 श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों हेतु भारतीय इतिहास में पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्यदल स्थापित किया गया है, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्वतंत्रता के बाद के भारत के समकालीन इतिहास पर पाठ्यक्रम तैयार करने और इसे स्कूल और कालेज स्तरों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम में तब्दील करने के लिए दिनांक 3.1.1992 को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई है।

(ख) समिति की संरचना और उसके विचारार्थ विषयों के ब्यौरे अनुबंध में संलग्न हैं।

समिति की अब तक केवल एक बैठक दिनांक 6.1.1992 को हुई है।

विवरण

अनुबंध

समिति की संरचना

1. डा. एस. गोपाल — अध्यक्ष
गिरिजा, राधाकृष्णा सलाई
मिलापुर, मद्रास

2. प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य — सदस्य
कुलपति,
विश्वभारती, शांति निकेतन,
पश्चिम बंगाल।

3. प्रो. रविन्द्र कुमार — सदस्य
निदेशक
नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी
एंड म्यूजियम,
तीन मूर्ति, नई दिल्ली

4. प्रो. विपिन चन्द्र — सदस्य
इतिहास विभाग
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली।

5. डा. (श्रीमती) धर्म कुमार — सदस्य
प्रोफेसर, इतिहास
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

6. प्रो. राम गुहा — सदस्य
शिक्षावृत्ति भोगी,
नेहरू मेमोरियल
लाइब्रेरी एंड म्यूजियम,
तीन मूर्ति नई दिल्ली

7. प्रो. सुमीत सरकार — सदस्य
प्रोफेसर इतिहास
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

8. प्रो. नीलाद्री भट्टाचार्यजी सदस्य

रीडर, इतिहास
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

9. प्रो. अर्जुन देव, सदस्य-सचिव

अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
समाज विज्ञान और
मानव शास्त्र, एस. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली

यू. जी. सी., आई. सी. एच. आर. और एन. सी. ई. आर. टी. के प्रतिनिधि इस समिति के स्थायी अतिथि हैं।

समिति के विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) स्वतंत्रता के बाद के भारत वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष ऐतिहासिक कथ्य तैयार करना और इसे स्कूल और कालेज स्तरों के लिए पाठ्यक्रम में तबदील करना

(ii) पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकाशन सहित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार के विचार के लिए रूपात्मकताओं का सुझाव देना।

(iii) स्वतंत्रता के बाद के भारत के समकालीन इतिहास के शिक्षण और इस उद्देश्य के लिए शैक्षिक सामग्रियों और शिक्षकों के लिए मार्ग निदेशों के विकास में रा. शै. अ. और प्र. परि. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और यू. जी. सी. की भूमिका पर सिफारिशें करना।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन

100. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन खाने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किन-किन अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) आंगनवाड़ियों में

खाने के अनुपयुक्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में हाल ही में किसी भी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु वर्ष 1991 के दौरान कुछ ठेकेदारों ने दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों को खराब खाद्य सामग्री की सप्लाई की थी। दिल्ली प्रशासन ने सरकारी प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच करवाई और यह सुनिश्चित किया गया कि मनुष्यों द्वारा खाने योग्य न पाई गई खाद्य सामग्री और घटिया किस्म की खाद्य सामग्री का आंगनवाड़ियों में वितरण न किया जाए। सप्लाई ठेके रद्द कर दिये गये और तत्काल सुधारात्मक उपाय किए गए।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई थी। दिल्ली प्रशासन ने सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं कि इस मामले की छानबीन की जाए और इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित की जाए।

[अनुवाद]

आरकोनम कार्यशाला

101. श्री आर. जीवरत्नम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में आरकोनम रेलवे इंजीनियरिंग कार्यशाला के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां किन-किन मदों/उपकरणों का निर्माण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में एक वन्य पशु अभयारण्य की स्थापना

102. डा. सी. सिलवेरा

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक वन्य पशु अभयारण्य की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने असोला, सहूरपुर, मैदानगढ़ी तथा भट्टी क्षेत्र में वन्यजात और/अथवा इसके पर्यावरण के प्रसार और/अथवा विकास के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उद्धृत इन गांवों में 1942 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है जोकि पारिस्थितिकीय प्राणिजात, वनस्पतिजात, भू-आकृति विज्ञान और प्राकृतिक दृष्टि से काफी महत्व का क्षेत्र है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने 2.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उक्त वन्यजीव अभयारण्य के विकास की एक योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

मुंगेरघाट और भागलपुर में पुल

103. श्री राम विलास पासवान:

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुंगेरघाट और भागलपुर में रैलवे पुलों के निर्माण हेतु परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी तथा उस पर कार्य शुरू हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो ये पुल कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद

रेलवे जोनों का पुनर्गठन

104. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नए जोन और डिविजन बनाकर रेलवे जोनों का पुनर्गठन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कितने नये जोन/डिवीजन बनाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नये जोनों और मंडलों का सृजन करके रेलों का पुनर्गठन करने के लिए इस मंत्रालय के पास रेल सुधार समिति की सिफारिशें हैं लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी नये जोन या मण्डल का गठन करना सम्भव नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य राज सहायता

105. रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दी जा रही खाद्य राजसहायता दर का ब्योरा क्या है; और

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली राजसहायता में प्रस्तावित कटौती का क्या ब्यौरा है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता (1) खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अन्तर, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत निर्गम मूल्यों को पूर्णतया पूरा नहीं करती है और (ii) बफर स्टाक रखने की लागत का द्योतक है। इस समय भारतीय खाद्य निगम को अनन्तिम रूप से निम्नलिखित दरों पर राजसहायता अदा की जा रही है।

	रु./प्रति क्विंटल
गेहूं	120.52
चावल	127.67
बफर स्टाक रखने की लागत	81.38

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों पर राज सहायता में बचत केन्द्रीय निर्गम मूल्य और राज्य सरकारों, सार्वजनिक वितरण एजेंसियों आदि द्वारा इस प्रयोजन हेतु खाद्यान्नों के उठान की मात्रा पर निर्भर करेगी।

"वृक्षारोपण कार्यक्रम"

106. डा. विश्वनाथम कनिथी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यमान पेड़ों के अतिरिक्त पेड़ों की नई प्रजातियां लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वृक्षारोपण के विस्तृत क्षेत्रों की मिट्टी में पौधों की नई प्रजातियों की उपयुक्तता के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यक्रमों में अब उन देशी प्रजातियों के रोपण पर बल दिया जाता है जिनसे लोगों को ईंधन लकड़ी, चारा, ईमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज की जरूरतें पूरी होती हैं।

(ग) और (घ) वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों, जिनमें प्रजातियों का चयन भी शामिल है, की आयोजना तथा कार्यान्वयन में तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है।

अन्धे विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट

107. श्री सी. पी. मुदालागिरियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्धे विद्यार्थियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये टूर्नामेंट कब से आयोजित किये जा रहे हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही विशेष सहायता और प्रोत्साहन का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) सरकार नेत्रहीन छात्रों के लिए कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित नहीं कर रही है। तथापि राष्ट्रीय दृष्ट बाधितार्थ संस्थान के नेत्रहीन छात्रों ने अनुसंधान सचार समिति, दिल्ली द्वारा आयोजित दो टूर्नामेंटों में भाग लिया है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

"उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना"

108. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के कितने जिलों को शामिल किया गया था;

(ख) राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उड़ीसा के सभी जिलों में सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना अवधि (198 -91) तथा वर्ष 1990-91 में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों (सामाजिक वानिकी सहित) के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा को कुल 764.54 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

[अनुवाद]

रामपुर, उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण केन्द्र

109. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने व्यक्तियों का नसबंदी/नसबंदी आपरेशन किया गया; और

(ख) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इस समय कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं और केन्द्र सरकार उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय करती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992) के दौरान नसबंदी आपरेशनों की अनन्तिम संख्या क्रमश: 419, 612 और 250794 है ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का आवंटन

110. श्री अंकुशराव टोंपे :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट के कारण राज्य में खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए खाद्यान्नों (गेहूँ और चावल) के मासिक आवंटन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) जी, हां । महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1992 में अनुरोध किया था कि सूखा पड़ने के कारण उन्हें प्रति मास 50,000 मीटरी टन गेहूं और 25,000 मीटरी टन चावल के अतिरिक्त आवटन किए जाएं । महाराष्ट्र सरकार को जनवरी और फरवरी, 1992 के महीनों के लिए चावल और गेहूँ की निम्नलिखित अतिरिक्त मात्राएं आवंटित की गई हैं :—

(मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं
जनवरी, 1992	37,000	13,000
फरवरी, 1992	35,000	17,000

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कर्मचारी

111. श्री राम निहोर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणी में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं,

(ख) इन कर्मचारियों में से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों संबंधी आरक्षण-कोटा पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो यह कोटा कब तक पूरा होने की संभावना है,

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रत्येक स्कूल मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के आरक्षण कोटा भर दिया गया है, और

(च) यदि नहीं तो इस हेतु सरकार द्वारा कड़े कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं. । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए सामान्य श्रेणी के साथ-साथ आरक्षण कोटे में रिक्तियां हैं। पद का रिक्त होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि अभी तक 30.4.1991 के बाद अब तक विभिन्न श्रेणियों में 122 अ. ज./अ. ज. ज. के उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिले के लिए अ.ज./अ.ज.ज. के छात्रों के लिए 15/. एवं 7.1/2/. स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तथापि, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानों की अपेक्षा आरक्षित श्रेणियों से आवेदन पत्रों की संख्या कम होती है तब सम्बन्धित इलाकों में रिक्तियों को व्यापक रूप से अधिसूचित किया जाता है। उस वर्ष के 31 जुलाई के बाद भरी न गयी शेष रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया जाता है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तैयार की गई प्राथमिकताओं के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में आवंटित की जाती है।

विवरण

(क) और (ख) 30.4.91 की स्थिति के अनुसार स्टाफ

श्रेणी	सामान्य	अ. ज.	अ. ज. ज	कुल
प्रधानाचार्य	497	14	06	517
उप-प्रधानाचार्य	380	01	—	381
पुस्तकाध्यक्ष	566	50	07	623
पी. जी. टी.	3381	153	12	3546

1	2	3	4	5
टी. जी. टी.	6598	547	86	7331
मुख्याध्यापक	179	11	03	193
संगीत शिक्षक	636	45	04	685
पी. ई. टी.	650	13	03	666
पी. आर. टी.	8009	780	130	8919
ड्राईंग शिक्षक	347	33	05	385
एस. यू. पी. डब्ल्यू.	724	20	03	747
योग	323	09	02	334
	22290	1676	261	24227
ग़ैर शिक्षक स्टाफ	4255	2607	412	7274

[अनुवाद]

"समुद्रतटीय क्षेत्रों में वनरोपण

112 श्री. एम. ओ. बालयोगी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रो में वन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या किसी समुद्रतटीय राज्य ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्य प्लान की विभिन्न स्कीमों जैसे सामाजिक वानिकी परियोजनाएं, समुद्र तटीय सुरक्षा पट्टी वृक्षारोपण, सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाएं तथा समेकित परती भूमि विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत देश में सभी समुद्र तटीय राज्यों में वनीकरण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) वनीकरण कार्यकलापों के लिए धनराशि अधिकांशत: सम्बन्धित राज्यों की वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

एड्स रोग के बारे में अनुसंधान

113. श्री विजय एन पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एलोपैथी तथा होम्योपैथी की चिकित्सा प्रणालियों को एड्स रोग के बारे में अनुसंधान करने तथा उसका इलाज ढूंढने का कार्य सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा तथा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) एड्स के कारगर इलाज के लिए कई चिकित्सा पद्धतियों में इस समय विश्वव्यापी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। अब तक एड्स के इलाज के लिए कोई औषध कारगर नहीं पाई गई है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद विश्वव्यापी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है और जैसे ही कोई विश्वस्त औषध उपलब्ध होती है, परिषद उसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन आरंभ करेगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए दवाओं की क्रय नीति

114. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औषधालयों/अस्पतालों के माध्यम से सी. जी. एच. एस. के लाभार्थियों की पूर्ति के लिए दवाओं की क्रय नीति का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस नीति में कितनी बार परिवर्तन किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान नीति में किए गए परिवर्तनों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या लाभार्थियों को "स्ट्रेसिल", "फ्लेक्सान" जैसी दवायें नहीं दी जातीं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्रय नीति को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और लाभार्थियों को बिना अधिक विलम्ब के दवायें उपलब्ध कराने सबंधी नीति का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ): (क) एलोपैथी फार्मूलरी के अंतर्गत सभी सूचीबद्ध औषधें चिकित्सा भंडार डिपो से प्राप्त की जाती हैं। यदि मांग-पत्र की वे मदें जिनकी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को आपूर्ति नहीं की जा सकती है, एक महीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिए उन औषधों की भारी मात्रा सुपर बाजार से खरीदी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा निर्दिष्ट की गई अनिवार्य औषधी को अनुमोदित स्थानीय कैमिस्टों से खरीदा जाता है और लाभार्थियों को उसकी आपूर्ति की जाती है।

जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों को खरीदने का सम्बन्ध है सूचीबद्ध मदें इंडियन

मेडिसिन फार्मेस्युटीकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा (भारत सरकार का एक उपक्रम) से खरीदी जाती हैं।

आयुर्वेदिक सूचीबद्ध मदें जिनको आई.एम.पी.सी.एल. द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती हैं, उन्हें क्रय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत की गई फर्मों के साथ वार्षिक दर संविदा द्वारा खरीदा जाता है।

होमियोपैथिक

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना होमियोपैथी के अंतर्गत सभी सूचीबद्ध औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत की गई फर्मों से दरों के बारे में की गई पूछताछ संबंधी प्रश्नों के उत्तर आमंत्रित करके खरीदी जाती हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों में इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) औषध और जनदूई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और नियम, 1953 के उपबंध के अनुसार विज्ञापित उत्पाद होने के कारण स्ट्रेप्सिल की आपूर्ति नहीं की जाती है। फ्लेक्सोन एक प्रोपराइटरी औषध है जिसे विशेषज्ञों के नुस्खे पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को मान्यता देना

115. **श्री गिरधारीलाल भार्गव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए मेडिकल कालेजों विशेषकर नए स्थापित होम्योपैथिक कालेजों को मान्यता वार्षिक आधार पर दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस वर्ष कितने ऐसे मामले मान्यता के लिए लंबित पड़े हुए हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं को मान्यता कब तक दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिनियम और निरीक्षक तथा दर्शनार्थी विनियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने होमियोपैथी (शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम 1983 के अनुसार न्यूनतम अपेक्षाएं, मानदंड, मानक और अन्य सुविधाओं को पूरा करने की बात का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार/संबंध निकाय से एक पत्र मिलने के पश्चात् स्थापित हुए इस नये कालेज का निरीक्षण करती है और यदि यह बात देखने में आती है कि इस कालेज के पास केन्द्रीय परिषद के शैक्षणिक विनियमों के अनुसार इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए आधारभूत ढांचा है लेकिन शैक्षणिक विनियमों के अनुसार इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए आधारभूत ढांचा है लेकिन शैक्षणिक विनियमों के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए इनमें आगे सुधार करने की आवश्यकता है तो केन्द्रीय परिषद वर्षानुवर्ष आधार पर होमियोपैथी के नये मेडिकल कालेज में आगे सुधार करने के लिए कतिपय शर्तों के आधार पर मान्यता देती है।

(ख) डा. बी. आर. सूर, होमियोपैथी मेडिकल कालेज, नई दिल्ली को 1988-89 सत्र के लिए पहले प्रथम बी एच एस पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई और 1988-89 सत्र को जारी रखने की अनुमति भी प्रदान की गई तथा शिक्षण स्टाफ, उपकरण, उपयुक्त आवास, प्रशिक्षण सुविधाओं, अस्पताल इत्यादि में आगे सुधार करने के लिए शर्तों सहित 1989-90 सत्र के लिए जारी रखने के लिए भी एक और अनुमति दी गई। अक्तूबर, 1990 में केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद द्वारा जनवरी, 1991 में निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया गया। निरीक्षण इस कालेज का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया कि होमियोपैथी (शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1984 को ध्यान में रखते हुए यह कालेज अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करे।

(ग) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने 5 मार्च, 1992 को डा. बी. आर. सूर ने होमियोपैथी मेडिकल कालेज, नई दिल्ली का निरीक्षण करना तय किया है और इसके पश्चात् ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नवोदय विद्यालयों का कार्यकरण

116. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर के नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है, यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने नवोदय विद्यालयों की विशिष्टता संबंधी नियमों को बनाने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) इन विद्यालयों में इस समय प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है; और

(घ) क्या प्रति वर्ष सभी सीटें भर ली जाती हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ख) यद्यपि, नवोदय विद्यालयों के कार्य पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जा रही है, फिर भी कोई मूल्यांकन अध्ययन आरम्भ नहीं किया गया चूंकि यह अभी एक नई योजना है।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI के स्तर पर एकल बिन्दु प्रवेश और प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की वार्षिक दाखिला क्षमता निर्धारित दाखिला परीक्षा के आधार पर 80 तक है।

[हिन्दी]

एड्स रोग और उपदंश की रोकथाम हेतु वित्तीय सहायता

117. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एड्स रोग और प्रबेचन की रोकथाम करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को दी जाने वाली सहायता का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए उनके लिए मुम्बई में एक अस्पताल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) एड्स को रोकथाम और नियंत्रण के लिए अप्रैल, 1987 से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, निगरानी रखने, रक्त सुरक्षा को प्रोत्साहन देने एवं एड्स रोगियों के उपचार के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता प्राप्त की गई और 1 जनवरी, 1990 से रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए 43 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इस समय एक विस्तृत राष्ट्रीय एड्स परियोजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यकलापों को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को नकद और सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी :

—कार्यक्रम प्रबंधन;

—निगरानी;

—रक्त सुरक्षा;

—सूचना, शिक्षा और संचार;

—यौन-संचारित रोगों पर नियंत्रण;

—कंडोमों के प्रचलन को प्रोत्साहन;

—रोगी उपचर्या।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में दृष्टिहीनता का रोकथाम सम्बन्धी एक कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र सरकार को 61.83 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

मोतियाबिंद के बकाया रोगियों का इलाज करने पर ध्यान देने के लिए नेत्र परिचर्या सेवा को सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत परियोजना विश्व बैंक को मूल्यांकन के लिए भेज दी गई है। बम्बई के जे.जे. अस्पताल में एड्स रोगियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय एड्स परियोजना के तहत, जिला अस्पतालों सहित सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों में एड्स रोगियों के

इलाज के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एड्स रोगियों के इलाज के लिए एक अलग अस्पताल खोलना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि एड्स रोगियों के लिए अनेक विशिष्टता प्राप्त विंगवा खोलने पड़ेंगे ।

केरल में वन विश्वविद्यालय की स्थापना

[अनुवाद]

118. श्री पाला के. एम. मैथ्यू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के इदुक्की जिले में एक केन्द्रीय वन विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क), (ख) तथा (ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जनता एक्सप्रेस की बहाली

119. डा. पी. वल्लभ पेरुमान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की मुख्य लाइन पर चलने वाली जनता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस रेल सेवा को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) 6179/6180 मद्रास-तिरुनेलवेली जनता एक्सप्रेस अस्थाई रूप से बंद की गयी है और इसे 10.4.1992 से पुनः चालू कर दिया जायेगा ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों पर वार्षिक व्यय

120. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र पर प्रति वर्ष औसतन कितना व्यय करती है; और

(ख) इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है और उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान अन्य परियोजना क्षेत्रीय विद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय में प्रत्येक छात्र के संबंध में (निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय को छोड़कर) वहन किया जाने वाला वार्षिक औसत व्यय लगभग 2124/-रुपये है।

(ख) इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या 600197 है और वर्ष 1991-92 के दौरान उन पर होने वाला व्यय 1,25,02,10,353/-रु. है (जिसमें निर्माण कार्यों पर होने वाला पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है) इसमें परियोजना क्षेत्र भी शामिल है।

[अनुवाद]

साहसिक समुद्री खेल कूद

121. श्री जी. मादेगौड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हाल ही में वार्षिक साहसिक समुद्री खेल-कूद आयोजित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे खेल-कूद की राष्ट्रीय सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वितरण के लिए गेहूं और चावल की आवश्यकता

122. श्री मदनलाल खुराना :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को वितरण के लिए गेहूँ तथा चावल की वार्षिक आवश्यकता का ब्योरा क्या है;

(ख) इस समय बफर स्टाक में गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है और घरेलू आवश्यकता के लिए यह कितनी अवधि के लिए पर्याप्त है; और

(ग) रबी/खरीफ की फसलों के समय इनकी कितनी मात्रा खरीदने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 1989, 1990 और 1991 के

वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के उठान के आधार पर गेहूं और चावल की औसत वार्षिक आवश्यकता लगभग 15.76 मिलियन मीटरी टन बैठती है।

(ख) 1.2.1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का अनुमानित स्टाक निम्नानुसार है :—

	(लाख मी. टन में)
गेहूं	42.04
चावल	91.97
जोड़	134.01

यद्यपि गेहूं का स्टाक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस समय तक पर्याप्त है जब तक नई फसल से वसूली शुरू नहीं हो जाती है, धान/चावल की वसूली अभी की जा रही है।

(ग) चूंकि गेहूं और धान की खरीदारी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों पर की जाती है और यह स्वैच्छिक स्वरूप की होती है, इसलिए वसूली की मात्रा मंडी में आमद, समर्थन मूल्यों, खुले बाजार में मूल्यों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, लेवी चावल की वसूली राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई लेवी की प्रतिशतता और मिल मालिकों द्वारा वास्तव में की गई खरीदारियों पर निर्भर करती है।

एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन को दोहरा करना

123. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन को दोहरा किए जाने में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम खंड पर दोहरी लाइन की व्यवस्था करने के लिए शुरू किये गये निर्माण कार्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	प्रगति
1	2	2
1. एर्णाकुलम से मलेप्पी तक वैकल्पिक बड़ी लाइन	81-82	15.10.89 को लाइन चालू कर दी गयी।

1	2	4	4
2.	अलेप्पी से कायनकुलम तक नयी बड़ी लाइन	82-83	31.3.92 तक चालू कर दी जायेगी।
3.	कायनकुलम-कोल्लम के बीच दोहरी लाइन	89-90	30%।
4.	कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन	90-91	कुछ नहीं

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य विनियमित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्यूल-कजरा और रतनपुर-जमालपुर के बीच रेल लाइन को दोहरा करना

124. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार क्यूल-कजरा और रतनपुर-जमालपुर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ढुलाई क्षमता में सुधार करने के लिए मौजूदा इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण किया जाता है और इसके लिए उन खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां माल यातायात का अत्यधिक संचलन होता है। ये खंड माल यातायात के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जिसके लिए दोहरीकरण पर विचार किया जा सके।

बंगलौर स्टेशन पर ट्राली सेवा

125. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता हेतु हवाई अड्डों की भांति मुफ्त ट्राली सेवा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अपना सामान स्वयं ले जाने के इच्छुक यात्रियों के इस्तेमाल के लिए बेंगलूर सिटी रेलवे स्टेशन पर स्वयं ले जाने वाली छः ट्रालियों की व्यवस्था की गयी है।

शोरानोर-मंगलोर रेल लाइन को दोहरा करना

126. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानोर-मंगलोर रेल लाइन को दोहरा बनाने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

127. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस रेलवे क्षेत्र में कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरु की गई जिसके अन्तर्गत तमिलनाडु आता है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना किस-किस वर्ष पूरी हुई और इस पर कितनी लागत आई;

(ग) इन परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों एवं क्षेत्रों का ब्योरा है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में शुरु की जाने वाली परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में शुरु की गई 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी रेल परियोजनाओं का ब्योरा

क. सं.	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	शुरु करने का वर्ष	लागत	पूरा करने का वर्ष/पूरा करने का प्रत्याशित वर्ष	सेवित स्थान/क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	पट्टाभिराम-तिरुवल्लूर के तीसरी लाइन (17.63 कि.मी.)	1988-89	18.52 करोड़ रु.	1992	मद्रास के महानगर क्षेत्र में स्थित है और इससे वहां की नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी।
2.	ताम्बरा-चेंगलपट्टु के बीच दोहरी लाइन बिछाया (30.70 कि. मी.)		28.52 करोड़ रु.	1990	मद्रास के महानगर क्षेत्र में स्थित है और इससे वहां की नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी।
3.	सवारी और माल डिब्बा कारखाने का आधुनिकीकरण-चरण-III	1989-90	56.04 करोड़ रु.	1994	सवारी और माल डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के लिए।
4.	मद्रास-मैसूर के बीच सूक्ष्मतरंग प्रणाली	1986-87	23.87 करोड़ रु.	1994	मद्रास और मैसूर के बीच यह दूरसंचार की व्यवस्था करेगी।

1	2	3	4	5	6
5.	जोलारपेट्टै-सेलम-मेट्टूर डैम-ईरोड खंड का विद्युतीकरण	1987-88	72.05 करोड़ रु.	1992	मद्रास-ईरोड खंड का विद्युतीकरण किया जाएगा।
6.	जोलारपेट्टै-बेंगलूर खंड का विद्युतीकरण (जोलारपेट्टै-पदचूर तमिलनाडु में पड़ता है)	1987-88	50.00 करोड़ रु.	1992	मद्रास से बेंगलूर का विद्युतीकरण किया जाएगा।

इसके अलावा, तमिलनाडु में दो अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है हालांकि इन्हें सातवीं योजना में शुरू नहीं किया गया था : ये परियोजनाएं है— (क) मदुरै-डिंडीगुल-मद्रास-तुतीकोरिन के बीच अंशतः आमान परिवर्तन करके नई बड़ी रेल लाइन जिस पर लागत आने का अनुमान है तथा (ख) मद्रास बीच और लुज (8.55 कि. मी.) के बीच द्रुत पारवहन प्रणाली जिस पर लगभग 108 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

[हिन्दी]

गुजरात में "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी को चलाना

128. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात और अन्य राज्यों के बीच अथवा गुजरात में ही "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलों के पास इस समय संसाधनों की भारी कमी है और सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता का अभाव है; साथ ही उनको नियमित सेवाओं पर लगाने के लिए भारी मांग भी है ।

[अनुवाद]

2000 ई. तक रेल यातायात की मांग

129. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000 ई. तक देश की रेल यातायात आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उक्त वर्ष तक यातायात की बढ़ती मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वित करने हेतु एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से बाहन सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सन् 2000 में माल यातायात के लिए रेल परिवहन की मांग का अनुमान लगभग 600 मिलियन टन और यात्री यातायात का अनुमान 424 बिलियन यात्री कि.मी. लगाया गया है । ये अनुमान मोटे तौर पर मार्ग-निर्देश मात्र हैं और इनका आगे ब्यौरा नहीं बनाया गया है ।

(ग) सरकार समुचित परिवहन क्षमता के निर्माण का प्रयास करेगी ।

(घ) और (ङ) जहां संभव हो, सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक और विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं से सहायता प्राप्त की जाती है, लेकिन रेलवे परियोजनाओं के लिए इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता योजना आयोग द्वारा रेलों को किए गए योजना आवंटन के अतिरिक्त नहीं होती।

गुलबर्गा और नई दिल्ली के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

130. श्री राम चन्द्र बीरप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा और नई दिल्ली के बीच केवल एक रेलगाड़ी चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इस मार्ग पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, कर्नाटक एक्सप्रेस दिल्ली और बेंगलूर के बीच चलती है और गुलबर्गा में रुकती है.

(ख) से (घ) फिलहाल, परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण गुलबर्गा और दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

आयातित हाथी दांत उत्पादों की बिक्री

131. श्री रामचन्द्र बीरप्पा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयातित हाथी दांत के बने उत्पादों की बिक्री करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क), (ख) और (ग) आयातित हाथी दांत के व्यापार पर लगे प्रतिबंध में रियायत देने या इनके वर्तमान भंडार के निपटान के लिए दिए गए समय को बढ़ाने के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

आयातित हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध सहित सभी हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि भारतीय हाथियों के चोरी छिपे शिकार को रोका जा सके क्योंकि भारतीय हाथियों के हाथी दांत तथा अफ्रीकी हाथियों के हाथी दांतों के बीच अन्तर का पता लगाने कोई आसान और व्यावहारिक तरीका नहीं है। आयातित हाथी दांत/हाथी दांत की वस्तुओं के वर्तमान भंडार के निपटान के लिए छह मास अर्थात 3.4.92 तक का समय दिया गया है।

"वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन" के परिशिष्ट-I में अफ्रीका हाथी को भी शामिल किया गया है। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् अफ्रीकी हाथियों के हाथी दांतों का वाणिज्यिक निर्यात और आयात कन्वेंशन के उपबंधों के अन्तर्गत निषिद्ध है।

उड़ीसा में क्षेत्र विकास परियोजना चरण-दो

132. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्रेट ब्रिटेन सरकार की सहायता से कोई क्षेत्र विकास परियोजना चरण-दो कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है और इसमें से संबंधित राज्य सरकार, भारत सरकार और सहायता देने वाली एजेंसी द्वारा वाहन किए जाने वाली व्यय की प्रतिशतता का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या व्यय की राशि का नियमित रूप से समय पर भुगतान किया जाता है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का कुल परिव्यय 65.66 करोड़ रुपए है। परियोजना लागत भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 90.10 के अनुपात में वहन की जाती है। यू. के. सरकार त्रैमासिक प्रतिपूर्ति दावों के आधार पर कुल परियोजना व्यय के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना के वर्ष 1994-95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उड़ीसा में एक संग्रहालय के निर्माण के लिए सहायता

133. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से राज्य में आदिवासी कला तथा हस्तशिल्प के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय का निर्माण करने के लिए उड़ीसा सरकार से सहायतार्थ कोई आग्रह प्राप्त हुआ है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना पेश की गई है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने भवन-निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

(ग) इस समय संस्कृति विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके अन्तर्गत सदर्भाधीन प्रस्ताव पर विचार किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के महासंघ की कांग्रेस

134. श्री सैयद शाहाबुद्दीन।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के महासंघ की कांग्रेस आयोजित की गई थी,

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का ब्योरा क्या है।

(ग) क्या इसमें सरकारी स्तर पर कोई सहायता दी गई थी अथवा प्रतिनिधित्व किया गया था; और

(घ) इस कांग्रेस द्वारा लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकासमंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कांग्रेस के आयोजकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार (भारतीय प्रकाशक संघ), निम्नलिखित देशों ने कांग्रेस में भाग लिया :—

अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलम्बिया, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी हंगरी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, केन्या, कोरिया, लक्समबर्ग, मकाऊ, मलेशिया, मारिशस, मैक्सिको, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, पोलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तनजानिया, रूसी संघ, यू.के., यू.एस.ए. तथा जाम्बिया।

भारत के 255 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया।

(ग) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर, यूनेस्को ने कांग्रेस के लिए 25000/-यू. एस. डालर की सहायता अनुमोदित की है। भारत सरकार ने न तो कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजा और न इसे ऐसा करने के लिए निमंत्रित किया गया था।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अन्य बातों के साथ-साथ कांग्रेस ने निम्नलिखित संकल्प पारित किए :

(क) पुस्तक उद्योग के कार्मिक के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(ख) कापीराइट पद्धति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सभी सदस्य संस्थाओं द्वारा शीघ्र कदम उठाए जायें ।

(ग) सभी देशों की सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चार्टर आफ द रीडर को यूनेस्को के कार्यालयों के जरिए समर्थन दें ।

(घ) पुस्तकों की परिवहन कीमत के सम्बन्ध में विशेष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रकाशक संघ को सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सभी संभव कदम उठाने चाहिए ।

(ङ) राष्ट्रीय सरकारों से आई एस बी एन पद्धति के उपयोग को प्रोन्नत करने का अनुरोध किया गया । यूनेस्को से कहा जाए कि वे इस पद्धति के प्रयोग को समर्थन देना जारी रखे ।

(च) सभी देशों के प्रकाशक संघ पुस्तकालय तथा पुस्तकाध्यक्षों का समर्थन करने वाले संघों के साथ एक सामान्य कार्यक्रम विकसित करें ताकि पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों का अन्वेषण किया जा सके

(छ) सभी सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे निजी प्रकाशकों को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के साथ सम्बद्ध करें ।

(ज) सभी सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों पर कर की पोजिटिव दरों को कम करके शून्य कर दें । कोई सरकार पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, स्कूल के लिए आवश्यक सामग्री तथा औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक उप साधनों पर कोई उगाही अथवा कर न लगाएं ।

(झ) सरकार कागज तथा पुस्तकों के लिए आवश्यक अन्य सामग्री के आयात पर दोहरे करों तथा ड्यूटी तथा अन्य गैर-व्यापारिक बाधाओं को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, और लेखन, विषय, संपादन अथवा जिल्दबंदी के सम्बन्ध में बिना किसी भेद-भाव के पुस्तकों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए ।

(ञ) प्रस्तावित जी. ए. टी. टी. अनुबंध के वार्ताकारों से मांग की गई कि वे बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी आयामों का संरक्षण करें और विभिन्न देशों में मुक्त रूप से पारणीय अधिकारों को लागू करने के लिए उचित उपायों पर सहमत हों, और ऐसे प्रस्तावों को नामंजूर करें जिनसे ऐसे प्रावधानों का निर्धारण अनुबंध के दलों के प्रस्तावित हितों के अनुसार हो । ऐसे विशिष्ट अधिकारों को जी. ए. टी. टी. अनुबंध का अनैच्छिक परिणाम के रूप में ह्रास नहीं होना चाहिए जो सेवाओं के मामले में मुक्त बाजार प्रदान करते हों ।

(ट) संधि पर आगामी वार्ता में बौद्धिक संपत्ति संगठन को बर्न सम्मेलन में बुलाया गया

ताकि यदि समझौते के विषय-वाक्यों में कोई अस्पष्टता हो तो उसे दूर किया जा सके ।

(ठ) सभी सरकारें, धार्मिक व अन्य प्राधिकारी ऐसी कोई भी कार्यवाही न करें जो लेखकों, अनुवादकों अथवा प्रकाशकों को भयभीत करती हो ।

नवोदय विद्यालयों का कार्यकरण

135. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में चल रहे नवोदय विद्यालयों की राज्य वार संख्या क्या है,

(ख) वर्ष 1992-93 में राज्य-वार ऐसे कितने विद्यालय खोलने का विचार है,

(ग) चालू शिक्षण वर्ष के दौरान इन विद्यालयों में कुल कितने दाखिले थे,

(घ) इनमें से बाहर के राज्यों से आये कितने छात्र शामिल थे,

(ङ) इन विद्यालयों में कौन-कौन सी आधुनिक भारतीय भाषायें पढ़ाई जाती हैं तथा प्रत्येक राज्य में, भाषा-वार कितने विद्यालयों में उस भाषा को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध है, और

(च) क्या प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में सीखने का अवसर मिलता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान चल रहे नवोदय विद्यालयों और वर्ष 1992-93 के दौरान खोलने के लिए प्रस्तावित नवोदय विद्यालय की राज्यवार सूची संलग्न विवरण I में दी गई है ।

(ग) चालू शिक्षण वर्ष के दौरान 280 नवोदय विद्यालयों में 78140 छात्र दाखिल हुए हैं ।

(घ) प्रव्रजन स्कीम में दो वर्ष के लिए कक्षा IX के 30% छात्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र से अहिंदी भाषी क्षेत्र में और अहिंदी भाषी क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरित होने का प्रावधान है । अब तक 6595 छात्र स्थानांतरित हो चुके हैं ।

(ङ) इन विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाली भाषाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

(च) प्रत्येक नवोदय विद्यालय के छात्रों को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त है । तथापि हिंदी भाषी क्षेत्र से अहिंदी भाषी क्षेत्र को जाने वाले विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक स्तर तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में रखते हैं ।

अहिंदी भाषा क्षेत्रों से हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जाने वाले छात्रों को ऐसे स्कूलों में रखा जाता है जहां उनकी क्षेत्रीय भाषा माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य है।

विवरण-1

उन जिलों के ब्यौरे जहां 1991-92 में नवोदय विद्यालय चल रहे हैं तथा 1992-93 के दौरान खोले जाने हैं --

क्रम सं. राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991-92 तक शामिल किए जिलों की संख्या	वर्ष 1992.93 के दौरान शामिल किए जाने वाले जिलों की संख्या
1 2	3	4
1. गोवा	2	—
2. जम्मू और काश्मीर	14	—
3. अण्डमान और निकोबार	2	—
4. चंडीगढ़	1	—
5. दादरा और नागर हवेली	1	—
6. दमन व दीव	2	—
7. लक्षद्वीप	1	—
8. पांडिचेरी	4	—
9. उड़ीसा	12	01
10. कर्नाटक	18	02
11. मणिपुर	7	01
12. आन्ध्र प्रदेश	21	02
13. हरियाणा	9	02
14. राजस्थान	20	04
15. केरल	11	01
16. हिमाचल प्रदेश	8	02
17. मिजोरम	2	01
18. महाराष्ट्र	20	03

1	2	3	4
19.	मध्य प्रदेश	30	10
20.	मेघालय	4	1
21.	बिहार	26	2
22.	पंजाब	8	2
23.	उत्तर प्रदेश	36	8
24.	अरुणाचल प्रदेश	5	2
25.	दिल्ली	2	—
26.	गुजरात	9	2
27.	सिक्किम	1	1
28.	त्रिपुरा	2	—
29.	नागालैण्ड	2	2
30.	असम*		1
31.	तमिलनाडु**		—
32.	पश्चिम बंगाल **		—

* असम में हाल ही में इस स्कीम को स्वीकार किया है।

* * तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस स्कीम को अब तक स्वीकार नहीं किया है।

विवरण-II

विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के ब्यौरे

(राज्यवार)

क्रम. सं.	भाषा	राज्य	विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	मराठी	हरियाणा	4
		हिमाचल प्रदेश	4
		मध्य प्रदेश	4
		उत्तर प्रदेश	3
		राजस्थान	4
		जम्मू और कश्मीर	2

	1	2	3	
		दिल्ली	1	22
2.	तेलगू	हरियाणा	5	
		बिहार	8	
		हिमाचल प्रदेश	1	
		मध्य प्रदेश	3	
		राजस्थान	5	22
3.	उड़िया	बिहार	10	
		मध्य प्रदेश	2	12
4.	उर्दू	बिहार	3	
		मध्य प्रदेश	2	
		उत्तर प्रदेश	4	9
5.	कन्नड	बिहार	3	
		मध्य प्रदेश	12	
		उत्तर प्रदेश	2	
		राजस्थान	1	18
6.	तमिल	हिमाचल प्रदेश	3	
		अण्डमान और निकोबार	2	
		द्वीप समूह		5
7.	गुजराती	मध्य प्रदेश	2	
		राजस्थान	8	'10
8.	असमिया	मध्य प्रदेश	1	
		उत्तर प्रदेश	4	5

1	2	3	4	
9.	मलयालम	उत्तर प्रदेश	10	
		राजस्थान	2	12
10.	पंजाबी	उत्तर प्रदेश	5	
		जम्मू और काश्मीर	3	
		मध्य प्रदेश	1	10
11.	बंगला	उत्तर प्रदेश	2	2
		कुल	127	

राजस्थान में रेल मार्गों का नवीकरण

136. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कई पुराने रेल मार्ग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन रेल मार्गों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजस्थान में लगभग 1450 कि. मी. मोटर लाइन रेलपथ का नवीकरण करना अपेक्षित हो गया है अथवा बहुत पहले अपेक्षित हो गया था। बहरहाल, आवश्यकता पर आधारित नवीकरण करके उन्हें यातायात के लिए सुरक्षित हालत मे बनाए रखा जाता है।

(ग) मौजूदा एक ही आमान की नीति के अन्तर्गत आठवीं योजना में इन रेलपथों के एक बड़े भाग को बड़ी लाइन में बदलने के बारे मे विचार किया जा रहा है। रेल पथों के शेष भाग पर आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

गांवों में स्टेडियमों के लिए अनुदान

137. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन गांवों को खेलकूद विकास योजना के अन्तर्गत खेलकूद उपकरणों की सप्लाई की गई है ;

(ख) क्या सरकार का गांवों में खेलकूद के मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण हेतु कोई अनुदान देने का प्रस्ताव है; और

(ग) गांवों में खेलकूद के मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल उपस्करों और बुनियादी खेल सुविधाओं के लिए 53 ग्रामीण विद्यालयों को केन्द्रीय सहायता दी गयी है। ग्रामीण विद्यालयों तथा गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विभाग की "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत स्टेडियमों के निर्माण और खेल मैदान के विकास के लिए लागत के 50% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि यह सहायता क्रमश: 5.00 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12.50. लाख) तथा 50,000 रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये) से अधिक न हो।

विवरण

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	गांव का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	एस. वी. बी. हाई स्कूल	टाडोकोंडा
2.	जेड. पी. पी. हाईस्कूल पमहडीमुक्कला	टाडंकी
3.	राजकीय जूनियर कालेज नारायणखेड़	नारायणखेड़
4.	एस. के. ए. वी. एस. हाईस्कूल परचूर	पूसापाडू
5.	जेड. पी. पी. हाईस्कूल भीमाडोली	गुण्डुगोलूक
	कर्नाटक	
6.	एस. वी. प्री-यूनिवर्सिटी कालेज	नागतबाड़
7.	पीपल्स मल्टिपर्पज हाईस्कूल	अंकोला

1	2	3
	केरल	
8.	कार्मेल हाईस्कूल	चालाकुडी
	महाराष्ट्र	
9.	एस. एल. सिंह विद्यालय तथा जूनियर कालेज	सास्ती
10.	किनी शिक्षण प्रसारक मण्डल किनी हाई स्कूल	हातकणंगले
11.	छत्रपति शिवाजी विद्यालय	मखमलाबाद
12.	श्री बसवेश्वर हाई स्कूल	बेलाली
13.	रयत शिक्षण संस्थान महात्मा गांधी विद्यालय	उम्ब्रज
	उड़ीसा	
14.	उत्कलमणी उच्च विद्यापीठ	हिन्दुपटना
	पंजाब	
15.	राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल	टिब्बा
16.	श्री गुरु हरगोविन्द खालसा हाई स्कूल	पनाही
	तमिलनाडु	
17.	राजकीय हा. स. स्कूल	रेडहिल्स
18.	श्री अरविन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान	कोटाकुप्पम
19.	विद्यामन्दिर इन्टर कालेज	माऊ चिरयाल
20.	गिरधारीसिंह सिंगरूर इन्टर कालेज	माकनपुर
21.	राम नारायण सिंह हाई स्कूल	सजुरी
22.	शिवपति इन्टर कालेज	सहुरतगढ़
23.	मौलाना आजाद इन्टर कालेज	शेखावतगंज
24.	खालसा इन्टर कालेज	नूरपुर

1	2	3
25.	रणजीतसिंह मेमोरियल इन्टर कालेज	भोलारामपुर
26.	मुसलिम कुदरत इन्टरमीडिएट कालेज	अल्लादिरपुर
27.	हिन्दू इन्टर कालेज	चान्दपुर
28.	श्री एल.बी.एस. आदर्श इन्टर कालेज	साबितगढ़
29.	लोक किसान इन्टर कालेज	इन्ना परवाना
30.	माथूरिया किसान इन्टर कालेज	भीमपुर
31.	रघुनाथसिंह स्मारक इन्टर कालेज	मंचककला
32.	हायर सेकण्डरी स्कूल, बिबाई	तलवार
33.	दयानन्द चौबिसा इन्टर कालेज	मोहाना
34.	किसान इण्टर कालेज	परसौल
35.	जनसहयोगी इण्टरमिडिएट कालेज	मोरही
36.	आर. डी. इण्टर कालेज	आलम
37.	आत्माराम मिश्र इण्टर कालेज	कियोंत्रा
38.	वैदिक तकनीकि तथा औद्योगिक इण्टर कालेज	दिब्यापुर
39.	महाराजी इण्टर कालेज	अयोध्या
40.	राणा शिक्षा शिविर इण्टर कालेज	धौलाना
41.	श्री छोटूराम बालिका इण्टर कालेज	दूमाई
42.	स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज	कहोंडा
43.	बापू इण्टर कालेज	सावात
44.	शहीद स्मारक इण्टर कालेज	नंदगंज
45.	किसान आदर्श माध्यमिक विद्यालय	बेलवा
46.	श्री दुर्गा प्रसाद इण्टर कालेज	खासौरा
47.	लेफ्टि कर्नल शिवनाथ सिंह इण्टर कालेज	रणजीतपुर
48.	विद्या भवन इण्टर कालेज	भरौरा
49	अकबरपुर इण्टर कालेज	अकबरपुर

1	2	3
50.	हनुमंत इण्टर कालेज	धामोर
51.	बाल्मिकी इण्टर कालेज	बलुआ
52.	जे.एल.एम.बी.जे. इण्टर कालेज	सैराबाद
	पश्चिम बंगाल	
53.	पुरंदरपुर हाई स्कूल	पुरंदरपुर

गंगा की सफाई

138. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से होकर बहने वाली गंगा (हुगली) नदी की सफाई में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है,

(ग) पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना पर कितना व्यय हुआ है, और

(घ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को क्या भूमिका दी गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) पश्चिम बंगाल के लिए संस्वीकृत की गई गंगा नदी के प्रदूषण निवारण की 110 स्कीमों में से 65 स्कीमें अब तक पूरी हो चुकी हैं। शेष स्कीमें पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। सभी स्कीमों के दिसम्बर, 1993 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना स्कीमों पर अभी तक 113.70 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार का पर्यावरण विभाग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। स्कीमों के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन और रख रखाव का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया है।

डिटर्जेन्ट/साबुन से जल प्रदूषण

139. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिटर्जेंट/साबुन आदि से जल प्रदूषित होता है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या परिस्थितिकी लेबल के मानदण्डों के अनुसार किस सामान्य स्तर के किसी ऐसे डिटर्जेंट का विकास किया गया है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है,

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापानी वैज्ञानिकों ने कपड़ा धोने की एक ऐसी मशीन विकसित की है जिसमें डिटर्जेंट/साबुन का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है,

(ङ) क्या सरकार इस नवीनतम प्रौद्योगिकी का आयात करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। डिटर्जेंटों में फास्फेटिक कम्पाउंड होते हैं, जिनसे बैक्टीरिया और शैवाल बढ़ते हैं, जिनसे जल निकायों में यूट्रोफिकेशन होता है।

(ग) डिटर्जेंटों पर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद का लेबल लगाने के लिए एक प्रारूप मानदंड तैयार किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा को प्रोत्साहन

140. श्री आर. सुरेंद्र रेड्डी :

श्री प्रतापराव बी. भोसले :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जन चेतना जगाने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है अथवा करने का विचार किया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) आयोग विश्वविद्यालय प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 60 विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान को एक अलग विषय अथवा अन्य विषयों के एक भाग के रूप में पढ़ा रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय अल्पावधि पाठ्यक्रमों में भी शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत से विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

उड़ीसा में गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति

141. श्री माग्ये गोवर्धन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के केन्द्रीय पुल में गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति क्या है,

(ख) उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए में गेहूं और चावल की प्रतिमाह कितनी आवश्यकता है, और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी, 1992 में गेहूं और चावल की जिले-वार कितनी सप्लाई की गई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पहली जनवरी, 1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उड़ीसा में 48.021 मीटरी टन गेहूं और 1,22,112 मी. टन चावल का स्टाक था ।

(ख) उड़ीसा के मामले में वर्ष 1991 के दौरान चावल और गेहूं का औसत मासिक उठान क्रमश: लगभग 21000 मीटरी टन और 24,000 मीटरी टन था जबकि उसका औसत मासिक आवंटन क्रमश: 29,000 मीटरी टन और 27,000 मीटरी टन था ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जनवरी, 1992 के महीने के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल की जिलावार सप्लाई को बताने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

जिले का नाम	सप्लाई की गई मात्रा गेहूं	चावल
1	2	3
बालासोर	3221	720
क्योंझार	700	1526
मयूरभंज	1080	1329
कटक	6000	1490
ढेनकनाल	800	609

1	2	3
गंजम	986	1421
पुरी	4750	300
फुलबनी	250	1468
कोरापुट	136	4921
बोलनगिर	500	—
कालाहांडी	150	150
सम्बलपुर	1645	1109
सुन्दरगढ़	1980	2027
जोड़	22198	17090

बारीपाड़ा में केन्द्रीय विद्यालय की इमारत का निर्माण

142. श्री भाग्ये गोबर्धन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बारीपाड़ा में केन्द्रीय विद्यालय की इमारत के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या निर्माण कार्य 1991-92 के दौरान शुरू हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार ने अभी तक अपेक्षित भूमि प्रदान नहीं की है।

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

143. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में ऐसे भागों के नाम क्या हैं जिन पर रेल लाइनें बिछाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सर्वेक्षण कराया गया है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में नयी लाइनें बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षणों और 1991-92 के दौरान चालू सर्वेक्षणों की सूची

करोड़ रुपयों में

	खण्ड	लम्बाई	अनुमानित लागत (लगभग)
1	2	3	4
	किये गए सर्वेक्षण		
1.	बहादुरगढ से झज्जर तक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण	32.86 कि.मी.	19.83 (1988 में)
2.	खुर्जा से पलवल-रेवाड़ी-रोहतक तक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण	210.48 कि.मी.	384.65 (1989 में)
3.	भीलवाड़ा और केकड़ी के रास्ते नाथ द्वारा और टोडा रायसिंह के बीच (मी. ला.) प्रारम्भिक इंजीनियर एवं यातायात सर्वेक्षण	216.00 कि.मी.	74.5 (1987 में)
4.	बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण		
	(क) रोहतक-हांसी-हिसार	89.76 कि.मी.	53.91 (1992 में)
	(ख) जींद-हांसी-हिसार	69.24 कि.मी.	41.92 (1992 में)
5.	जगाधरी से चण्डीगढ़ तक यातायात को अद्यतन करना	80.00 कि.मी.	119.00 (1991 में)
	चालू सर्वेक्षण		
6.	झांसी-शिवपुरी श्योपुरकलां सवाई-माधोपुर	235.00 कि.मी.	—
7.	कादियान-तरन तारन रेल लाइन के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	25.00 कि.मी.	—

1	2	3	3
8.	सरदार शहर से हनुमानगढ़ के बीच नयी लाइन के लिए	145.00 कि.मी.	—
9.	बिलाड़ा-बर मो. ला. रेल संपर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना	45.00 कि.मी.	—
10.	भोपाल और रामगंज मण्डी के बीच नयी लाइन के लिए टोह-एवं यातायात सर्वेक्षण	250.00 कि.मी.	—

दिल्ली जींद और कालका-दिल्ली मार्गों पर तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी चलाना

144. श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जींद और कालका-दिल्ली बड़ी लाइन पर इस क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करने के लिए एक नियमित और तीव्र गति वाली रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) फिलहाल इन खण्डों पर किसी अतिरिक्त गाड़ी के चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तामलुक दिघा रेल लाइन

145. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री सुधीर गिरि :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक-दिघा रेल लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के निर्माण पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिसम्बर, 1991 तक 16.02 करोड़ रुपये ।

(ख) दिसम्बर, 1991 तक 11 प्रतिशत ।

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

146. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कुल कितने पब्लिक स्कूल हैं;

(ख) क्या सरकार का इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का विचार है ताकि अमीर और गरीब लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली में ग़ैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त 497 स्कूल हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) दिल्ली में, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली नगर निगम, न्यासों और संस्थाओं आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के स्कूल चलाये जा रहे हैं । किसी स्कूल अथवा स्कूलों के समूहों को समाप्त करना न तो उपयुक्त होगा और न ही सम्भव ।

साक्षरता का प्रतिशत

147. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री पी. सी. नारायणन :

श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल साक्षरता का राज्यवार तथा लिंगवार प्रतिशत क्या है

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार साक्षर बनाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है;

(ग) निरक्षरता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार, देश में राज्यवार तथा लिंगवार निरक्षरता की प्रतिशतता-I को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है ।

(ख) देश में साक्षरता आंकड़े केवल दस वर्षीये जनगणना कार्रवाई के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं । 7 वर्षों तथा उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए 1981 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार साक्षरता दरों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है ।

(ग) और (घ) स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका उद्देश्य वर्ष 1990 तक 15-35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता दूर करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । जबकि देश में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि यह आशा की जाती है कि निरक्षरता दूर करने के विभिन्न प्रयासों से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 70 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की जा सकेगी ।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा विभिन्न एजेन्सियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को दर्शाने वाले विवरण-III तथा IV संलग्न हैं ।

विवरण-I

अनुबन्ध-I

	भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5
क्र. सं.	भारत	47.89	36.14	60.58
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	54.89	43.76	66.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.78	48.90	70.63
3.	असम	46.58	37.66	56.30

1	2	3	4	5
4.	बिहार	61.46	47.37	76.90
5.	गोवा	23.04	14.52	31.80
6.	गुजरात	39.09	27.46	51.50
7.	हरियाणा	44.67	32.15	59.06
8.	हिमाचल प्रदेश	36.46	25.43	47.54
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	44.02	32.75	55.66
11.	केरल	9.41	5.55	13.07
12.	मध्य प्रदेश	56.55	42.57	71.16
13.	महाराष्ट्र	36.95	25.16	49.49
14.	मणिपुर	39.04	27.02	51.36
15.	मेघालय	51.74	48.43	55.22
16.	मिजोरम	18.77	15.94	21.91
17.	नागालैंड	38.70	33.91	44.28
18.	उड़ीसा	51.45	37.63	65.60
19.	पंजाब	42.86	36.32	50.28
20.	राजस्थान	61.19	44.93	79.16
21.	सिक्किम	43.47	35.66	52.77
22.	तमिलनाडु	36.28	25.12	47.71
23.	त्रिपुरा	39.61	29.92	49.99
24.	उत्तर प्रदेश	58.29	44.65	73.98
25.	पश्चिम बंगाल	42.28	32.76	52.85
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	26.26	20.32	33.78
2.	चण्डीगढ़	21.27	17.33	26.39
3.	दादरा व नागर हवेली	60.55	47.93	73.90

1	2	3	4	5
4.	दमन व दीव	26.42	14.33	38.62
5.	दिल्ली	23.91	17.37	31.99
6.	लक्षद्वीप	20.77	12.94	29.12
7.	पांडिचेरी	25.09	16.09	34.21

*जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना अभी नहीं हुई है अतः इस राज्य की निरक्षरता की प्रतिशतता उपलब्धता नहीं हैं।

विवरण II

1981 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार साक्षरता दर को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर 1981	1981
क्र. सं.	भारत	43.56	52.11
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	35.66	45.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.54	41.22
3.	असम	उपलब्ध नहीं	53.42
4.	बिहार	32.03	38.54
5.	गोवा	65.71	76.96
6.	गुजरात	52.21	60.91
7.	हरियाणा	43.85	55.33
8.	हिमाचल प्रदेश	51.17	63.54
9.	जम्मू व कश्मीर×	32.68	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	46.20	55.98
11.	केरल	81.56	90.59
12.	मध्य प्रदेश	54.22	43.45
13.	महाराष्ट्र	55.83	63.05

1	2	3	4
14.	मणिपुर	49.61	60.96
15.	मेघालय	42.02	48.26
16.	मिजोरम	74.26	81.23
17.	नागालैंड	50.20	61.30
18.	उड़ीसा	40.96	48.55
19.	पंजाब	48.12	57.14
20.	राजस्थान	30.09	38.81
21.	सिक्किम	41.57	56.53
22.	तमिलनाडु	54.38	63.72
23.	त्रिपुरा	50.10	60.39
24.	उत्तर प्रदेश	33.33	41.71
25.	पश्चिम बंगाल	48.64	57.72
	केन्द्र शासित प्रदेश		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	63.16	73.74
2.	चंडीगढ़	74.81	78.73
3.	दादरा व नागर हवेली	32.70	39.45
4.	दमन एवं द्वीव	59.91	73.58
5.	दिल्ली	71.93	76.23
6.	लक्षद्वीप	68.42	79.23
7.	पांडिचेरी	65.14	74.91

*जम्मू और काश्मीर में 1991 की जनगणना अभी नहीं हुई है

अत: इसकी प्रतिशतता उपलब्धता नहीं है ।

विवरण-III

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	केन्द्रीय सहायता की राशि		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	406.59	570.28	2275.55

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.45	42.38	15.18
3.	आसाम	238.38	256.10	181.82
4.	बिहार	454.22	677.36	760.93
5.	गोवा	11.26	65.47	5.47
6.	गुजरात	460.17	512.21	828.28
7.	हरियाणा	166.30	205.89	105.07
8.	हिमाचल प्रदेश	45.09	61.93	54.02
9.	जम्मू और कश्मीर	111.49	8.15	13.48
10.	कर्नाटक	488.86	393.17	1298.85
11.	केरल	210.33	421.81	353.11
12.	मध्य प्रदेश	563.61	726.81	1278.20
13.	महाराष्ट्र	667.44	665.40	906.20
14.	मणिपुर	84.92	81.50	22.13
15.	मेघालय	39.06	67.81	32.91
16.	मिजोरम	13.40	16.61	13.67
17.	नागालैंड	14.92	42.00	37.29
18.	उड़ीसा	216.60	493.27	609.91
19.	पंजाब	146.22	175.01	104.45
20.	राजस्थान	595.48	595.36	507.58
21.	सिक्किम	4.38	38.84	7.89
22.	तमिलनाडु	464.86	47.58	452.81
23.	त्रिपुरा	30.79	648.15	15.32
24.	उत्तर प्रदेश	1123.60	852.15	1228.81
25.	पश्चिम बंगाल	469.78	268.06	1506.58
	केन्द्र शासित प्रदेश			
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11.96	16.00	10.38
27.	चण्डीगढ़	5.94	6.51	14.31

1	2	3	4	5
28.	दादरा और नागर हवेली	3.54	4.30	5.51
29.	दमण और दीव	0.79	0.73	0.66
30.	दिल्ली	92.19	214.85	299.29
31.	लक्षद्वीप	4.83	1.95	0.32
32.	पांडिचेरी	18.50	50.37	40.13

विवरण IV

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मुक्त की गई राशि 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3422.24	2324.08	2932.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.81	46.76	82.16
3.	असम	460.13	1154.21	207.68
4.	बिहार	2637.71	1552.07	2405.51
5.	गोवा	23.62	65.62	47.47
6.	गुजरात	248.02	829.07	579.82
7.	हरियाणा	320.92	148.62	86.50
8.	हिमाचल प्रदेश	417.91	465.77	303.36
9.	जम्मू और कश्मीर	567.87	174.70	0.67
10.	कर्नाटक	911.44	541.16	724.50
11.	केरल	327.23	280.00	221.28
12.	मध्य प्रदेश	3094.23	1081.52	2477.04
13.	महाराष्ट्र	483.96	041.74	720.15
14.	मणिपुर	142.75	3.98	75.13
15.	मेघालय	—	—	100.49
16.	मिजोरम	27.95	10.94	42.43
17.	नागालैंड	56.67	42.98	5.85

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	1832.92	1322.88	2210.94
19.	पंजाब	470.25	460.85	286.69
20.	राजस्थान	1666.26	2319.38	4165.74
21.	सिक्किम	44.56	—	15.36
22.	तमिलनाडु	1230.13	2026.98	547.51
23.	त्रिपुरा	—	76.12	7.70
24.	उत्तर प्रदेश	2849.49	3556.76	2331.85
25.	पश्चिम बंगाल	522.47	82.49	385.82
	केन्द्र शासित प्रदेश			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	8.27	—
27,	चण्डीगढ़	2.83	2.89	5.64
28.	दादरा व नागर हवेली	—	—	4.14
29.	दमन व दीव	1.18	—	53.59
30.	दिल्ली	47.22	134.82	106.09
31.	लक्षद्वीप	—	—	10.72
32.	पांडिचेरी	27.23	20·32	—

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पुनः लिखने के लिए समिति

148. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री चित्त बसु :

श्री रबिराय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश का स्वतन्त्रता के बाद का इतिहास पुनः लिखने के लिये विख्यात इतिहासकारों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पर एवं सदस्यों की चयन प्रक्रिया सहित इसके गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) समिति के कार्य में कितना खर्च होने की संभावना है; और

(च) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और इस परियोजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने स्वतन्त्रोत्तर भारत का समकालीन इतिहास तैयार करने के लिये 3-1-92 को एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की स्थापना की है।

(ख) समिति संयोजन और विचारार्थ विषयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) सरकार को संबोधित कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समिति ने सरकार को अनुमानित व्यय भेजा है जो विचाराधीन है।

(च) समिति का कार्यकाल 15 अगस्त, 1997 तक है। समिति ने अब तक 6-1-92 को एक एक बैठक आयोजित की है।

विवरण

समिति की संरचना

1.	डा. एस. गोपाल, गिरिजा राधाकृष्ण सलाय मिलापोर, मद्रास	अध्यक्ष
2.	प्रो. अश्यामी भटटाचार्य, कुलपति विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	सदस्य
3.	प्रो. रविन्द्र कुमार, निदेशक नेहरू स्मारक पुस्तकालय और संग्रहालय, तीन मूर्ति, नई दिल्ली	सदस्य
4.	प्रो. विपिन चन्द्र, इतिहास विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	डा. (श्रीमती) धर्म कुमार, प्रोफेसर इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो. राम गुप्ता-फेलो, नेहरू स्मारक पुस्तकालय और संग्रहालय, तीन मूर्ति, नई दिल्ली	सदस्य
7.	प्रो. सुमित सरकार, प्रोफेसर इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य

8· प्रो, नीलाद्री भट्टाचार्य, इतिहास के रीडर, सदस्य
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

9. प्रो. अर्जुन देव अध्यक्ष, शिक्षा सदस्य-सचिव
सामाजिक विज्ञान और मानविकी विभाग
एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली

यू. जी. सी., आई. सी. एच. आर. और एन. सी. ई. आर. टी. के प्रतिनिधि समिति के स्थाई आमन्त्रित हैं।

समिति के विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये है :

(i) स्वातंत्रोत्तर भारत का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष ऐतिहासिक वृत्तान्त तैयार करना और इसे स्कूल और कालेज स्तरों के पाठ्यक्रम में बदलना।

(ii) पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की रूपात्मकताओं पर विचार के लिए सरकार को सुझाव देना।

(iii) स्वातन्त्रोत्तर भारत के समकालीन इतिहास के अध्यापन में एन. सी. ई. आर. टी. राज्य शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषदों और यू. जी. सी. की भूमिका और इस प्रयोजनार्थ शिक्षण सहायता सामग्रियों और शिक्षक गाइडो पर सिफारिशें करना।

[हिन्दी]

अलीगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय का बंद होना

149. श्रीमती शीला कौल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के एक कार्यालय को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पुनः खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां। इसे पहले नवम्बर, 1979 से बन्द कर दिया गया था।

(ख) विभिन्न जिला कार्यालयों में काम का बराबर वितरण करने के लिए पुनर्सगठन के अंश के रूप में।

(ग) और (घ) यह मामला भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है।

मुजफ्फरपुर में डीजल रेल इंजन कारखाना

150. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर, बिहार में डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डीजल रेल इंजन का निर्माण करने वाली वर्तमान यूनिटों का उत्पादन क्षमता अपेक्षित होने पर, अधिक किफायती ढंग से बढ़ायी जा सकती है।

[अनुवाद]

बरास्ता कुशाल नगर जिला कोडागू) रेलवे लाइन

151. श्री वी. धनंजय कुमार

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोडागू जिले में कुशाल नगर होकर एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) प्रस्तावित रेल लाइन से किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा; और

(घ) यह परियोजना कब तक आरम्भ होगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस परियोजना को शुरू न करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह पूर्णतः अलाभप्रद पायी गई थी और रेलें संसाधनों की भारी तंगी का सामना कर रही हैं;

"मंगलौर तेल शोधक परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति"

152. श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर तेल-शोधक परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । इस प्रस्ताव को 1 फरवरी, 1991 को इस शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी कि वे कतिपय शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकण रेल परियोजना में संशोधन

153. श्री राम कापसे :

श्री वी कृष्णा राव :

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कोंकण तटीय रेल परियोजना के सम्बन्ध में मार्गों को जोड़ने/इनमें परिवर्तन करने की जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) रिपोर्ट कब प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, परन्तु केवल गोवा में संरेखण के लिए।

(ख) जी हां ।

(ग) गोवा मे कोंकण रेल लाइन के संरेखण के प्रश्न की एक विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई है जिन्होने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और जिसे स्वीकार कर लिया गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि कोकण रेलवे निगम द्वारा प्रस्तावित तथा गोवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संरेखण को मान लिया जाना चाहिए सिवाय मारगोवा और बाली के बीच 13 कि. मी. लम्बाई के, जहां यह नावेलियम, दमानुव, सालजोना और कुनकोलिम गांवों को दो मागों में विभाजित करता है । मारगोवा से बाली तक इस खंड के लिए सरेखण को पर्वत-तल के साथ-साथ पूर्व की ओर शिफ्ट किया जाएगा हालांकि इसमें दो सुरंगों का निर्माण-कार्य शामिल होगा और जो लम्बाई में मामूली-सा लम्बा है । तदनुसार, कार्य प्रगति पर चल रहा है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इटावा में पटरियों के निकट पड़ा चल स्टाक

154. श्री राम कापसे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इटावा में पटरियों के निकट पड़े चल स्टाक के संबंध में 16 दिसम्बर, 1991 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलपथ के निकट पड़े चल स्टाक के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन खास इटावा के बारे में नहीं।

(ख) दुर्घटना स्थलों से चल स्टाक को हटाना रेलों की एक सतत प्रक्रिया है और इसको मरम्मत करने की योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। ऐसे चल स्टाक को हटाने हेतु "ब्लाकों" का प्रबन्ध करने के लिए सामान्य यातायात को अवरुद्ध करना पड़ता है और सतृप्त खंडों में ऐसा करना कठिन हो जाता है। अतएव, जहां दुर्घटनाग्रस्त स्टाक को हटाना और उसे ले जाना व्यावहारिक नहीं होता है तथा जिसकी मरम्मत करना किफायती नहीं समझा जाता, वहां रेलें इस प्रकार के स्टाक का "जैसा है जहां है" के आधार पर निपटान कर देती हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

155. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री अन्ना जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य वार ब्योरा क्या है, और

(घ) इस प्रयोजनार्थ यदि कोई राशि मंजूर की गई है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्शाने वाले राज्यवार विवरण सहित 1992-93 के लक्ष्य सलग्न हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-85 को सं.	सातवीं योजना (1985-90)		1-4-90 को संख्या कालम 2+4	1990-91		1991-92		1-4-92 को प्रमाणित सं. 5+7+9	1992-93
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां		लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	27	100	89	116	30	—	—	30	146	130
2. अरुणाचल प्रदेश	—	7	6	6	—	—	2	2	8	1
3. असम	12	30	48	60	—	16	10	10	86	13
4. बिहार	52	97	95	147	10	—	20	—	147	20
5. गोवा	3	2	—	3	1	2	2	1	6	—
6. गुजरात	22	100	120	142	15	15	—	5	162	5
7. हरियाणा	2	50	39	41	7	5	10	12	58	8
8. हिमाचल प्रदेश	28	7	7	35	5	—	3	—	35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. जम्मू और कश्मीर	19	15	18	37	5	—	2	—	37	3
10. कर्नाटक	98	38	58	156	10	4	10	19	179	10
11. केरल	4	100	50	54	—	—	15	15	69	15
12. मध्य प्रदेश	58	100	113	171	20	19	50	50	240	25
13. महाराष्ट्र	147	78	145	292	15	—	—	2	224	5
14. मणिपुर	6	10	4	10	—	—	7	2	12	1
15. मेघालय	3	8	—	3	10	—	4	4	7	2
16. मिजोरम	1	4	3	4	—	1	1	1	6	2
17. नागालैण्ड	1	6	3	4	1	—	1	—	4	1
18. उड़ीसा	49	92	50	109	25	25	35	35	169	15
19. पंजाब	10	56	60	70	16	—	—	34	104	16
20. राजस्थान	78	25	109	185	10	15	15	15	215	15
21. सिक्किम	—	2	2	2	1	—	1	—	2	1
22. तमिलनाडु	30	120	67	97	40	—	—	—	97	10
23. त्रिपुरा	3	7	5	8	2	—	—	3	11	3
24. उत्तर प्रदेश	74	259	103	177	15	51	49	38	266	35

25. पश्चिम बंगाल	75	184	63	138	40	6	30	30	174	20
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3	3	3	—	—	1	1	4	—
27. चण्डीगढ़	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
28. दादर व नगर हवेली	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—
29. दमन और दीव	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
30. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	1	—	2	2	2	1
32. पांडिचेरी	2	1	1	3	1	1	1	2	6	1
कुल अखिल भारत	813	1523	1261	2074	281	162	272	313	2549	259

स्रोत : वार्षिक योजना 1992-93 के लिए कार्यकारी समूह का विचार-विमर्श-राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

[हिन्दी]

स्टालों का आबंटन

156. श्रीमती भावना चिखलिया :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) रेलवे प्लेटफार्मो पर स्टालों के आबंटन हेतु क्या मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि विकलांगों और बेरोजगार युवकों के लिए उक्त स्टालों के आरक्षण का कोई प्रावधान है; तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मुम्बई, बडोदरा, दिल्ली और लखनऊ के रेलवे प्लेटफार्मों पर आबंटित किए गए स्टालों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा जहां-कहीं औचित्यपूर्ण समझा जाता है यात्रियों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार स्टाल आबंटित किये जाते हैं।

(ख) अपंग व्यक्तियों तथा बेरोजगार युवकों के लिए स्टालों के आरक्षण हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) 1990-91 के दौरान बम्बई, बडोदरा तथा लखनऊ में कोई स्टाल आबंटित नहीं किया गया था। एच. पी. एम. सी. को दिल्ली तथा नई दिल्ली में एक-एक, अर्थात कुल 2 जूस स्टाल आबंटित किए गए थे।

"विभिन्न चिड़ियाघरों में शेर तथा तेंदुए"

157. श्रीमती भावना चिखलिया :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चिड़ियाघरों में सफेद शेर, चीते तथा तेंदुए हैं उनके नाम क्या हैं तथा इन पशुओं की संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक चिड़िया घर में प्रति वर्ष मरने वाले शेरों तथा तेंदुओं की संख्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राइवेट नर्सिंग होम

159. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजधानी में प्राइवेट नर्सिंग होमों के कार्यकलापों को शामिल करने वाले नियमों में संशोधन करने वाले नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संशोधनों से इन नर्सिंग होमों के गैर कानूनी कार्यकलापों पर रोक लगाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) दिल्ली उपचर्या गृह पंजीयन अधिनियम, 1953 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने जनसाधारण की टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 4.11.1991 को एक अधिसूचना (संख्या एफ. 39/109/86-एम. एंड पी एच) जारी की है जिसके अधीन दिल्ली उपचर्या गृह नियमावली, 1966 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(1) पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करना।

(2) उपचर्या गृहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मकनों को सम्बन्धित नगरीय उपनियमों और ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाना जो इस सम्बन्ध में उप राज्यपाल द्वारा जारी किए जाएं।

(3) अलग प्रसूति कक्ष और अलग आपरेशन थियेटर की व्यवस्था करना।

(4) उपचर्या गृहों में न्यूनतम संख्या में डाक्टरों की व्यवस्था।

(5) गहन परिचर्या यूनिट सुविधाओं के लिए न्यूनतम संख्या में नर्सों और डाक्टरों की व्यवस्था।

(6) प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहयोग की अपेक्षा करना।

(7) बीमार सूची प्रदर्शित करना।

(8) तत्काल जनरेटर की व्यवस्था करना।

प्रस्तावित संशोधन उपचर्यागृहों के कार्य चालन को विनियमित करने के उद्देश्य से किए गए हैं ताकि उपयुक्त स्वास्थ्य परिचर्या मानकों की व्यवस्था की जा सके।

चीनी उप-कर

160. श्री शंकरराव काले :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी उप-कर के रूप में कितनी राशि की वसूली हो रही है;

(ख) आधुनिकीकरण और पुनर्वास तथा गन्ना विकास कार्यों हेतु दी गयी अनुदान राशियों और आसान शर्तों पर दिए गए ऋणों के रूप में उप-कर में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का चीनी उप-कर की वसूली कब तक जारी रखने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर इस समय 14 रुपये क्विंटल की दर पर उप कर एकत्रित किया जा रहा है। 31.12.91 को स्थिति के अनुसार, फैक्ट्रियों से कुल 1073.95 करोड़ रुपये की राशि उपर्युक्त उपकर के रूप में एकत्रित की गई थी जिसमें से अब तक 1021.00 करोड़ रुपये की राशि चीनी विकास निधि में अन्तरित की गई है। 15 2 1992 तक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता-अनुदान और पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऋण तथा गन्ना विकास योजनाओं के प्रति 632.95 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसमें से 389.00 करोड़ रुपये की राशि अदा की जा चुकी है।

(ग) कोई योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों/संस्थानों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर चीनी विकास निधि से सहायता अनुदान/ऋण मंजूर किए जाते हैं।

(घ) चीनी पर लगाए गए उपकर को समाप्त करने विषयक कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

तमिलनाडु में रेल फाटक

161. श्री एम. डेनिस :

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में अनेक नये रेल फाटकों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों पर चौकीदार तैनात हैं; और

(ग) सरकार ने शेष नये रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) हाल ही में मौजूदा लाइनों पर किसी नये समपार की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में कैंसर अस्पताल

162. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशिष्ट रूप से कैंसर रोग के उपचार के लिए अलग से कोई सरकारी अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त एक नया कैंसर चिकित्सा अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) इंस्टीट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल्ज (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त केन्द्र है जो व्यापक कैंसर उपचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कैंसर रोगियों के लिए उपचार सुविधाएं सफदरजंग अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई चीनी मिल खोलने के लिए लाइसेंस

163. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री बलराज पासी :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री राम पाल सिंह :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नई चीनी मिलें खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(ख) क्या एक ही समय में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में, पहले आवेदक को वरीयता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) केन्द्र सरकार ने नई चीनी मिल खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 8.11.91 के प्रेस नोट के तहत लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है। जिसकी प्रति संलग्न के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यदि किसी प्रचालन क्षेत्र से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी। तथापि ऐसे मामलों में भी, सहकारी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी तथा उसके बाद क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में ही क्यों न प्राप्त हों।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

××××

प्रेस नोट सं.—16

(1991 श्रृंखला)

विषय :—चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93-1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

क. इस मंत्रालय के दिनांक 23.7.90 के प्रेस नोट संख्या 4 (1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रुप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गये क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों मे 1750 टी. सी. डी. की प्रारम्भिक क्षमता का नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये जायेंगे बशर्ते कि वे इकाईयां उत्पादन प्रारम्भ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी. सी. डी. तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि. मी. होनी चाहिए। विशेष मामलो में जहां गन्ना पर्याप्त रुप से उपलब्ध हो 25 कि. मी. की दूरी को कम करके 15 कि. मी. किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदंड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रुप गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाईसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जायेंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने मे प्राथमिकता दी जायेगी।
किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जायेगी। ऐसे मामलो मे क्रमश: सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख मे हुए हों।

(6) 2500 टी. सी. डी. से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिये वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान मे रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जायेंगे।

ख. लाइसेंस के लिये आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जायेंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन माह के भीतर भेजनी होगी।

ग. नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई. एल. में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाए।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिये लाये जा रहे हैं।

ह./-

(एस. भवानी)

उप सचिव, भारत सरकार

एफ सं. (74) 91-एस. पी. नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1991

उपरोक्त प्रेस नोट की विषय वस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित।

प्रधान सूचना अधिकारी,

प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली।

यात्री किराये और माल-भाड़े में वृद्धि

164. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

श्री साईमन मराण्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान यात्री किराये, आरक्षण प्रभारों और माल-भाड़े की दरों में प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) इससे कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुमानित अतिरिक्त आमदनी नीचे दी गयी है :—

वर्ष	अतिरिक्त आमदनी
1989-90	876.00 करोड़ रुपये
1990-91	847.00 करोड़ रुपये

विवरण

1989-90 और 1990-91 के दौरान रेल किरायों, आरक्षण प्रभारों और माल भाड़ा प्रभारों में की गई वृद्धि नीचे दी गयी है :—

1989-90

I. यात्री किराये और आरक्षण प्रभार

1989-90 के दौरान यात्री किरायों और आरक्षण प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

II. पार्सल और सामान की दरें

1.4.89 से लागू 11% वृद्धि।

III. माल यातायात की दरें

i. खाने के नमक, फल और सब्जियों, गुड़ और जागरी, खाद्य तेल, तिलहन, खल, चारा, मवेशी और जैविक खाद को छोड़कर सभी प्रकार के माल पर 11 प्रतिशत की वृद्धि जो 1.4.89 से लागू की गयी।

ii. खाद्यान्न, दालों और रासायनिक खाद जिनके लिए माल डिब्बा भार/गाड़ी भार वर्गीकरण केवल एक स्तर तक बढ़ाया गया था को छोड़कर पण्यों का माल डिब्बा भार और गाड़ी भार वर्गीकरण जो वर्ग 150 और उससे कम पर प्रभारित किया जाता था को 2 श्रेणी बढ़ा दिया गया था और वह 1.4.89 से लागू किया गया।

1990-91 यात्री किराये

1.5.90 से लागू यात्री किरायों में नीचे दिये गये अनुसार वृद्धि की गयी थी :-

		दूरी स्लैब कि. मी.	प्रति टिकट वृद्धि रु. पै.
1	2	3	4
1.	दूसरा दर्जा	1—22	कोई वृद्धि नहीं
	(साधारण)	26—100	1.00
		101—200	2.00
		201—300	3.00
		301—और अधिक	4.00

1	2	3	4
ii	दूसरा वर्ग	1—25	कोई वृद्धि नहीं
	(मेल/एक्सप्रेस)	26—50	1.00
		51—100	2.00
		101—150	3.00
		151—200	4.00
		201—250	5.00
		251—300	6.00
		301—350	7.00
		351—400	8.00
		401—450	9.00
		451—500	10.00
		501—600	11.00
		601—700	12.00
		701—800	13.00
		801—900	14.00
		901—और अधिक	15.00
iii	वातानुकूल कुर्सीयान, पहला वर्ग वातानुकूल शयनयान और वातानुकूल पहला वर्ग	1—25	कोई वृद्धि नहीं
		26—और अधिक	17%
iv	मासिक सीजन टिकट	विभिन्न दूरी स्लैबों के लिए दूसरे वर्ग के प्रति टिकट पर 3.00 रु. से 9.00 रु. तक और पहले वर्ग के प्रति टिकट के लिए 12.00 रु. से 36.00 रु. तक की वृद्धि।	

v 1990-91 के दौरान आरक्षण प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

II पार्सल और सामान की दरें : 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1.4.90 से लागू की गयी।

III माल यातायात की दरें : खाद्यान्न, दालों, खाने योग्य नमक, खाद्य तेल, फल और

सब्जियों, चीनी, गुड़ और आगरी, जिन्हें दोनों ही माल भाड़ा वृद्धियों से छूट दी गयी थी, को छोड़कर 31.3.1990 की तुलना में 1.4.1990 से लागू 7 प्रतिशत और 1.10.1990 से लागू 10 प्रतिशत तक की वृद्धि।

[अनुवाद]

"पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रबंध पर सेमिनार"

165. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में हाल ही में पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क), (ख) और (ग) सेमिनार के आयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, और न ही आयोजकों से इस बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है।

क्षय रोग और वक्ष रोगों पर सम्मेलन

166. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1991 के दौरान क्षय रोग और रोग वक्ष पर किसी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) जी, हां। नई दिल्ली में 22 से 24 नवम्बर, 1991 तक क्षयरोग एवं वक्ष रोगों का 46वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(ख) यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन था। अमेरिका के डा. डोनाल्ड स्मिथ ने व्यक्तिगत हैसियत से इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) और (घ) सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक लेख तथा अपने मूल अनुसंधान-लेख प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार सम्मेलनों द्वारा कोई सिफारि नहीं की गई थी।

"भारतीय सोहन चिड़िया"

167. श्री दिल कुमारी भण्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ भारतीय सोहन चिड़िया को हाल ही में आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के मुहाने के वन क्षेत्र में देखा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति को बचाने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में रोलापाडु गांव के नजदीक कृष्णा नदी के डेल्टा में निजी भूमि में 1982 में भारतीय सोहन चिड़िया पाई गई। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को भारत सोहन चिड़िया के वास स्थल के रूप में विकास और संरक्षण करने के लिये इसको अपने अधिकार में ले लिया और 1988 में उसने 6.14 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया। उसके बाद सोहन चिड़िया तथा उस क्षेत्र के अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें भूमि का अधिग्रहण सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, जैवीय हस्तक्षेप को कम करना और वन्यजीवों के लिए अनुकूलतम वास स्थलों का निर्माण करना शामिल है। भारत सरकार ने "अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उक्त प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

"बेतवा नदी में प्रदूषण"

169. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालों से अपविष्ट बहकर आने के कारण बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, का पानी प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) घरेलू और औद्योगिक बहिस्रावों के छोड़े जाने से बेतवा नदी के कुछ हिस्से प्रदूषित हैं;

(ख) बेतवा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण

फैलाने वाले उद्योगों और नगरपालिका प्राधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुपालन करने के निदेश दिए हैं।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बेतवा नदी के जल में प्रदूषण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नदी का सर्वेक्षण किया है। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड बेतवा के विभिन्न हिस्सों में नदी जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

4. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं।

5. नदी में प्रदूषण फैलाने के कारण कुछ उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं।

6. वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

7. साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को लगाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

8. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है।

[अनुवाद]

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की खरीद

170 श्री रूपचन्द पाल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय को पुस्तकें खरीदने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना धनराशि की मंजूरी दी गई और प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धनराशि का उपयोग हुआ, और

(ख) उसके लिए आवंटित धनराशि को उपयोग में लाये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क)

वर्ष	निर्दिष्ट राशि रुपए	वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि रुपए
1	2	3
1988-89	30,00,000	51,84,044

1	2	3
1989-90	49,00,000	64,56,369
1990-91	60,00,000	72,00,053

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों का रद्द होना

171. श्री रूपचन्द पाल :

श्री पी. सी. थामस :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

प्रो. श्रीमती रीता वर्मा :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री टी. जे. अंजलोज :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई महत्वपूर्ण मार्गों पर बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को पुनः कब तक चलाये जाने की संभावना है;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) व्यस्त सीजन के दौरान यातायात की ढुलाई हेतु डीजल इंजनों की बचत करने के लिये 25 जोड़ी गाड़ियां अस्थाई तौर पर हटा ली गई हैं।

(ग) अप्रैल, 1992 के दौरान इन सभी गाड़ियों को पुनः चलाया जा रहा है।

"हिमालय क्षेत्र के वनों पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव"

172. श्री रूपचन्द पाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय क्षेत्र के वनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव के बारे में हो हालमें कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने हिमालय क्षेत्र के वनों को बचाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने हिमालय के वनों के संरक्षण के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर कम से कम कुछ समय के लिए हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने पर विचार किया जाए;

(2) पुनः वनरोपण के लिए प्राकृतिक वनों की पूर्णत. कटाई न की जाए और जहां वन-वर्धन की दृष्टि से इस प्रकार की कटाई अनिवार्य हो, वहां इसको 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए।

(3) केन्द्र सरकार की पूर्व-अनुमति बिना किसी भी वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग मे लाने की अनुमति नहीं दी जाए।

(4) राज्य सरकारें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी सहित व्यापक वनरोपण स्कीमों को भी कार्यान्वित करती रही है।

(5) हिमालय के ऊंचे भागों में संवेदनशील और नाजुक पारि-प्रणालियों की सुरक्षा के लिए समेकित जलसंभर प्रबन्ध का भी (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) एक कार्यक्रम चल रहा है।

हावड़ा-बर्दवान सेक्शन पर उपनगरीय रेल सेवाएं

173. श्री रूपचन्द पाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 के मध्य में हावड़ा-बर्दवान लाइन पर उपनगरीय रेल सेवाएं घंटों अस्त व्यस्त रही थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और भविष्य में ऐसी अव्यवस्था की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) लिलुआ में माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 4 में से 3 लाइनों पर व्यवधान आ गया था, की वजह से 9.1.92 और 10.1.92 को गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त रही

थीं। इसके अलावा, 21.6.1992 को गाड़ी के पेंटाग्राफ द्वारा शिरोपरि विद्युत-तारों को क्षति पहुंचाने के कारण गाड़ी चालन पुन: प्रभावित हुआ था। परिसम्पत्तियों के बेहतर अनुरक्षण, कड़ी निगरानी और संस्थापनाओं के निरीक्षण, आदि के माध्यम से ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने का हर प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मन्त्रियों का सम्मेलन

174. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1992 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन राज्यों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय लिये गये थे; और

(घ) 'एड्स' रोग की रोकथाम करने हेतु की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम उपाबंध में दिये गए हैं।

(ग) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वे निम्नलिखित हैं :—

परिवार कल्याण विभाग

(i) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को पुन: चालू करने के लिये कार्य योजना के मसौदे का समर्थन तथा।

(ii) "जनसंख्या नियंत्रण, चुनौतियां तथा कार्यनीतियां" लोक-पत्र एवं शीर्षक पर विचार।

स्वास्थ्य विभाग

(i) एड्स, रक्त सुरक्षा सहित

(ii) दृष्टिहीनता की रोकथाम

(iii) कुष्ठ रोग उन्मूलन

(iv) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का प्रवर्तन।

(v) आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का उन्नयन।

लिए गए निर्णय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परिवार कल्याण विभाग "जनसंख्या नियंत्रण-चुनोतियां और कार्यनीतियां द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र में बतलाई गई महत्वपूर्ण कार्यनीतियों का का उन्होंने सर्वसम्मति से एवं पूर्णरूप से समर्थन किया। उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम पर अपेक्षित बल देने और उसे गतिशीलता प्रदान करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का भी सर्वसम्मति से समर्थन किया। दूसरे विषयों के मामले में, राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों और केन्द्र सरकार की उन पर की गई प्रतिक्रियों पर ही आमतौर से विचार-विमर्श किया गया।

एड्स के मामले में, एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तृत परियोजना आमतौर से समर्पित थी जिसे वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को भेज दिया गया है।

विवरण

1. असम
2. महाराष्ट्र
3. अण्डमान व निकोबार
4. राजस्थान
5. हिमाचल प्रदेश
6. पांडिचेरी
7. तमिलनाडु
8. गोवा
9. दिल्ली
10. उड़ीसा
11. अरुणाचल प्रदेश
12. त्रिपुरा
13. सिक्किम
14. हरियाणा
15. मध्य प्रदेश
16. मिजोरम
17. गुजरात
18. पश्चिम बंगाल
19. आंध्र प्रदेश

20.	मणिपुर
21.	कर्नाटक
22.	दादरा व नगर हवेली
23.	केरल
24.	पंजाब
25.	चंडीगढ़ प्रशासन
26.	उत्तर प्रदेश
27.	मेघालय
28.	जम्मू व कश्मीर

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

175. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विद्युत संयंत्रों को कोयले की सतत सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे ने तीसरी लाइन बिछाने और रूट रिले इंटर-लाकिंग सिस्टम प्रारम्भ करने सहित अपनी ढांचागत सुविधाओं में भी वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सतत सप्लाई में इन योजनाओं से कितनी सहायता मिली है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें उपलब्ध संसाधनों के भीतर पूर्व रेलवे पर तीसरी लाइन के निर्माण सहित, अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में तेजी ला रही हैं।

(ख) इस वर्ष बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में साक्षरता

176. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है।

(ख) देश में राज्यों द्वारा हासिल की गई साक्षरता का राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिशत कितना-कितना है;

(ग) क्या साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मई, 1988 में शुरू किए जाने के बाद, केरल राज्य और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 7 वर्ष और इससे अधिक आयुवाली जनसंख्या में साक्षरता दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केरल और पांडिचेरी के अतिरिक्त, मिजोरम और गोवा राज्यों तथा लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों की साक्षरता दर 70 प्रतिशत से अधिक है। आशा है कि ये राज्य/संघ शासित क्षेत्र शीघ्र ही सम्पूर्ण साक्षरता या उसके लगभग प्राप्त कर लेंगे। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से साक्षरता प्रगति उतनी प्रभावी नहीं रही है। कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, स्कूली बच्चों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की ऊंची दर, बेहद गरीबी और आर्थिक विवशताओं के कारण बच्चों का मजबूरन काम करना, महिला शिक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, लड़कियों की शीघ्र शादी आदि हैं।

(ङ) देश में निरक्षता उन्मूलन के लिए सर्वसुलभ शिक्षा, पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं, का उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के 345 जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	साक्षरता दर
1	2	3
1.	भारत	52.11
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	45.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.22
3.	असम	53.43
4.	बिहार	38.54
5.	गोवा	76.96

1	2	3
6.	गुजरात	60.91
7.	हरियाणा	55.33
8.	हिमाचल प्रदेश	63.54
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	55.98
11.	केरल	90 59
12.	मध्य प्रदेश	43.45
13.	महाराष्ट्र	63.05
14.	मणिपुर	60.96
15.	मेघालय	48.26
16.	मिजोरम	81.23
17.	नागालैंड	61.30
18.	उड़ीसा	48.55
19.	पंजाब	57.14
20.	राजस्थान	38.81
21.	सिक्किम	56.53
22.	तमिलनाडु	63.72
23.	त्रिपुरा	60.39
24.	उत्तर प्रदेश	41.71
25.	पश्चिम बंगाल	57.72
	संघ शासित राज्य	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74
2.	चंडीगढ़	78.73
3.	दादरा और नागर हवेली	39.72
4.	दमन और दीव	73.58
5.	दिल्ली	76.09
6.	लक्षद्वीप	79.23
7.	पांडिचेरी	74.91

* वर्ष 1991 की जनगणना अभी तक जम्मू व कश्मीर में नहीं हो पाई है।

"जल, वायु और शोर प्रदूषण का नियन्त्रण"

177. श्री मान्वे गोवर्धन :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार इन परिणामों की समीक्षा करने के बाद इन उपायों पर पुनः विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकारों और केन्द्रीय तथा स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करके;

(I) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, (II) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और (III) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत औद्योगिक प्रदूषण को क्रमिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों मे निम्नलिखित शामिल है :—

— गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बहाली के लिए गंगा कार्य योजना का निष्पादन;

— 37 प्रदूषित नदी भागों की पहचान करके प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तरहत उनके जल की गुणवत्ता बहाली;

— प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण लगाने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु प्रदूषण स्तरों के सम्बन्ध मे 17 समस्याग्रस्त क्षेत्रों को शिनाख्त करना;

— भारी मात्रा में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 18 श्रेणियों का पता लगाना ताकि इनसे निकलने वाले प्रदूषण को समयबद्ध कार्यक्रम के जरिये नियंत्रित करने के लिए अग्रता के के आधार पर कारवाई की जा सके।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण के बारे में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावकारिता की केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती हैं और जब कभी आवश्यक होती है तो इसके बारे में प्रभावकारी उपाय किये जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनसंख्या नियंत्रण

178. श्री मान्ये गोवर्धन :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री जी. एम. सी. बालयोगी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली दो पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में लक्षित स्तरों तक कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए प्रस्तावित निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) चालू वृद्धि दर को आवश्यक स्तर तक रोकने हेतु अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य कारक क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) छठी पंचवर्षीय योजना में जन्म दर/मृत्यु दर के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नियत नहीं किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ, जन्म और मृत्यु-दर, जिसमें यह बात निहित है कि जनसंख्या की स्वाभाविक बढ़ोतरी दर जन्म और मृत्यु दरों के बीच अन्तर के रूप में प्राप्त की जाती है, के संदर्भ में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य नियत किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार अखिल भारत के लिए जन्म दर और मृत्युदर क्रमशः प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे 29.1 और 10.4 तक प्राप्त की जानी थी जिसमें वर्ष 1990 तक 1.87 प्रतिशत की स्वाभाविक वृद्धि दर प्राप्त करने की बात निहित थी। वर्ष 1990 के नमूना पंजीयन पद्धति के जन्म-दर और मृत्यु-दर के अनुमानों के आधार पर भारत की जनसंख्या का स्वाभाविक वृद्धि दर 2.03 प्रतिशत निकलता है।

(ख) जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों और चिकित्सा परिचर्या में सुधार के कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में सापेक्षतया अत्यधिक गिरावट के कारण वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से ऊंची रही। जन्म दर में गिरावट मृत्यु दर की गिरावट के अनुरूप नहीं रहा।

(ग) वर्षानुवर्ष आधार पर वृद्धि दर के संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रजननता दर में गिरावट की बात महिला साक्षरता, लड़कियों की विवाह के समय आयु, महिला की स्थिति और शिशु उत्तरजीविता की बात पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित बढ़ावा और गति-

शीलता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। 6-7 जनवरी 1992 का हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्य योजना पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में एक राष्ट्रीय माहौल तैयार करने की आवश्यकता और समाज के सभी वर्गों की इच्छित सहभागिता प्राप्त करने करने, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को अलग रखने की बात पर प्रकाश डाला गया। इस कार्य योजना के प्रारूप की अन्य मूल विशेषताओं में परिवार कल्याण की सेवाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, परिवार कल्याण के क्षेत्र में बहुत ही कम कार्य करने वाले 90 जिलों पर विशेष ध्यान देना (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार आबादी के पीछे 39 और उससे अधिक है), छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों के नए पैकेज तैयार करने, बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों को जोरदार ढंग से बढ़ाने के माध्यम से युवा-दम्पतियों के कवरेज को बढ़ाने; नए गर्भ-निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करने, शहरी क्षेत्रों विशेष तौर से गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण की योजनाओं को सुदृढ़ करने, प्रेरणात्मक और परामर्श संबंधी पहलुओं पर जोर देते हुए चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य कलापों को पुनः शुरू करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अच्छे कार्य को जारी रखने, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तगत किए गए अच्छे कार्य को जारी रखने, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्रथम उपचारों को सुदृढ़ करने, जीवन संबंधी मुद्दों और अन्तर वैयक्तिक संचार की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी प्रयासों को पुनःस्थापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में सज्जित करने में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता को बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर ऊंचे स्तर की अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय तंत्र प्रणालियों को तैयार करने की बात शामिल है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

179. श्री के एच. मुनियप्पा :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री वी. कृष्णा राव :

श्रीमति गीता मुखर्जी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से कितने स्वयंसेवी संगठन एवं स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इन नये दिशानिर्देशों के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :(क) इस समय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 148 स्वैच्छिक एजेंसियां और जिला साक्षरता सोसायटियां लगी हुई हैं। इस मिशन से लगभग 43 लाख स्वयंसेवी जुड़े हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में ऐसी परियोजनाएं तैयार करने पर पर बल दिया गया है जो क्षेत्र विशिष्ट और समयबद्ध तथा सघन और निकटवर्ती क्षेत्र के लिए है, जिनका उद्देश्य 2-3 वर्ष की अवधि के भीतर संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है। शिक्षण पूर्णतया स्वैच्छिक सेवा पर आधारित है। इसका वित्तीय ढांचा लचीला है। क्योंकि प्रत्येक एजेंसी क्षेत्र-विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित प्रस्ताव तैयार कर सकती है। प्रत्येक शिक्षु को साक्षर बनाने पर कुल लागत 65/- रु. से लेकर 100/- रु तक प्रति व्यक्ति आती है। इसके कार्यान्वयन की मुख्य कार्यनीति में वातावरण निर्माण, अध्ययन की परिष्कृत गति और विषय वस्तु की तकनीक पर आधारित पठन-पाठन सामग्री का प्रयोग और शिक्षण मूल्यांकन की कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध प्रणाली शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए उचित कार्यक्रम भी शुरू करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलोर-मिराज संक्शन पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

180. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर से मिराज के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आज संसद में प्रस्तुत किये जा रहे बजट प्रस्तावों में ब्योरों की प्रतीक्षा की जाय।

हुबली और करवाड़ के बीच रेल लाइन

181. श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हुबली और करवाड़ के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, चूंकि कारवार अंकोला लाइन कोंकण रेलवे का एक भाग है, इसलिए हुबली और अकोला के बीच पहले किये गये सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया है;

(ख) 164 कि. मी. लंबी नयी बड़ी लाइन पर 236.8 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

"पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1886"

182. श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक शुल्क लगाने का प्रावधान मौजूद है ;

(ख) यदि हां, तो इस कानून को अब तक लागू करने वाले राज्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस अधिनियम को पूरे देश में लागू करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

[हिन्दी]

टिकटों की कालाबाजारी

183. श्री राम बदन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19-25 जनवरी, 1992 के साप्ताहिक "सन्डे मेल" में "रेलवे टिकटों की काला बाजारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर रेलवे टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस संबंध में अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (जी) जी हां;

(ख) (i) रेलों द्वारा न केवल नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में अपितु समूचे देश में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी से सम्बन्धित कदाचारों पर काबू पाने के लिए, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके, जहां कहीं आवश्यक होता है, अचानक जांच की जाती हैं/छापे मारे जाते हैं;

(ii) रेल अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दलालों और अनधिकृत टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये दण्ड में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है;

(iii) जनता को प्रेस, टी. वी., इश्तहारों, आदि के माध्यम से शिक्षित/सूचित किया जाता है कि वे दलालों/अनधिकृत स्रोतों से टिकटें न खरीदें;

(iv) रेल टिकटों की कालाबाजारी की रोकथाम करने के लिए गर्मियों की भीड़-भाड़ और पूजा/दशहरा/दीवाली के दौरान वर्ष में कम से कम दो बार विशेष संगठित अभियान भी आयोजित किए जाते हैं;

(ग) अगस्त, 91 से जनवरी, 92 की अवधि के दौरान, दिल्ली क्षेत्र में टिकटों की कालाबाजारी में संलिप्त 10 दलालों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम की धारा 142/143 के तहत मुकदमा चलाया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा उप-केन्द्र

184. श्री राम बदन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिले-वार कितने चिकित्सा उप केन्द्र खोले गए, और

(ख) इन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए चिकित्सा उप-केन्द्रों की जिलावार संख्या उपबंध-1 पर दी गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक 20,153 उप-केन्द्र, 3639 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 229 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गए हैं। इन एककों के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहनात्मक चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जा रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान, एक्स-रे, विकृति विज्ञान, बाल चिकित्सा और दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 1936 आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय और अस्पताल तथा 870 होमियोपैथी औषधालय भी अपने-अपने क्षेत्रों में चिकित्सा राहत प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए चिकित्सा उप केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/मंडल	उपकेन्द्रों की कुल सं.	कुल योग
1	2	3	4
1.	आगरा	94	
2.	अलीगढ़	74	
3.	एटा	65	
4.	फिरोजाबाद	—	
5.	मैनपुरी	93	
6.	मथुरा	32	
	योग आगरा मंडल		350
7.	इलाहाबाद	182	
8.	प्रतापगढ़	95	
9.	फतेहपुर	68	
	योग इलाहाबाद मंडल		345
10.	बरेली	100	
11.	बदायूं	74	
12.	पीलीभीत	30	
13.	शाहजहांपुर	90	
	योग बरेली मंडल		294
14.	बांदा	130	
15.	हमीरपुर	114	
16.	जालौन	92	
17.	झांसी	72	
18.	ललितपुर	67	

1	2	3	4
	योग बुन्देलखंड मंडल		320
19.	बहराइच	147	
20.	बाराबंकी	108	
21.	फैजाबाद	100	
22.	गोंडा	155	
23.	सुल्तानपुर	100	
	योग फैजाबाद मंडल		610
24.	चमोली	—	
25.	देहरादून	—	
26.	पौड़ी गढ़वाल	—	
27.	टिहरी गढ़वाल	—	
28.	उत्तरकाशी	—	
	योग गढ़वाल मंडल	—	
29.	अल्मोड़ा	—	
30.	नैनीताल	—	
31.	पिथौरागढ़	—	
	योग कुमायूं मंडल		
32.	आजमगढ़	—	
33.	बस्ती	—	
34.	देवरिया	—	
35.	गोरखपुर	210	
36.	महाराजगंज	—	
37.	मऊ	—	
38.	सिद्धार्थ नगर	—	
	योग गोरखपुर मंडल		210

1	2	3	4
39.	इटावा	80	
40.	फर्रूखाबाद	125	
41.	कानपुर (देहात)	—	
42.	कानपुर	115	
	योग कानपुर मंडल		320
43.	हरदोई	105	
44.	खेड़ी	150	
45.	लखनऊ	35	
46.	रायबरेली	98	
47.	सीतापुर	156	
48.	उन्नाव	71	
	योग लखनऊ मंडल		615
49.	बुलन्दशहर	105	
50.	गाजियाबाद	65	
51.	हरिद्वार	—	
52.	मेरठ	75	
53.	मुजफ्फरनगर	91	
54.	सहारनपुर	164	
	योग मेरठ मण्डल		500
55.	बिजनौर	85	
56.	मुरादाबाद	193	
57.	रामपुर	43	
	योग मुरादाबाद मंडल		321
58.	बलिया	93	
59.	गाजीपुर	40	

1	2	3	4
60.	जौनपुर	154	
61.	मिर्जापुर	83	
62.	सोनभद्र	—	
63.	वाराणसी	92	
	योग वाराणसी मंडल		4630
	कुल योग	4500	4500

उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का आधुनिकीकरण

185. श्री राम बदन :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य एजेंसी की सहायता से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों की स्थापना/विकास करने के लिए 16975 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता के लिए भेजा है। इस प्रस्ताव में शामिल किए गए जिलों में जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, गाजीपुर, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और बलिया हैं। तथापि, विश्व बैंक ने इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता मांगने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(क) हल्द्वानी में 1200 लाख रुपये की लागत से एक बहु-विज्ञानीय बन अस्पताल की स्थापना करना।

(ख) फैजाबाद में 2300 लाख रुपये की लागत से 500 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण।

(ग) लगभग 3000 लाख रुपये की लागत से बरेली में 500 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण।

(घ) लगभग 2200 लाख रुपये की लागत से सीतापुर में 300 पलंगों वाले अस्पताल की स्थापना।

इन सभी परियोजनाओं के संबंध में कोई कारंवाई करने से पहले राज्य बजट/योजना परि-व्यय में पर्याप्त रूप से समान बजट संबंधी प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है। आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् परियोजना को मूल्यांकन और धन प्रदान करने के लिये विश्व बैंक को भेजा जाएगा।

शाहगंज-मऊ सैक्शन पर रेलवे फाटक

186. श्री राम बदन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में शाहगंज-मान रेलवे लाइन पर रेलवे क्रासिंग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन पर, जहां सड़कें पहले ही बन चुकी हैं; ऐसे कितने रेलवे क्रासिंग बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलों द्वारा मौजूदा लाइनों पर नये समपारों की व्यवस्था तभी की जाती है जब राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रारंम्भिक तथा साथ ही आवर्ती अनुरक्षण लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ इसके लिए प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते है। रेलों के पास इस समय शाहगंज-मऊ खंड के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रायोजित प्रस्ताव नहीं है।

कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अनुदान

187. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलग कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्या-लयों को विशेष अनुदान स्वीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग इलेक्ट्रानिकी विभाग के साथ अपने संयुक्त अन-

उचित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न संगणक पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते अनुदान प्रदान करता है। संगणक आवेदन पत्रों में मास्टर और डिप्लोमा, दोनों के लिए, आयोग, निर्धारित शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और प्रति छात्र के आधार पर वास्तविक व्यय प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एम. सी. ए. कार्यक्रमों के लिये पात्र छात्रों को 400 रुपये प्रति-मास की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वि. अ. आ. ने अब तक 44 विश्वविद्यालयों में एम. सी. ए. और 58 विश्वविद्यालयों में डी. सी. ए. अनुमोदित किये हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किसी विश्वविद्यालय को सभी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए उपस्कर है के वास्ते अनावर्ती अनुदानों का भुगतान किया जाता है।

उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण

188. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, आयोग के पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत वह कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उन्हें कार्य, क्षेत्र तथा व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता के साथ सम्बद्ध किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने +2 स्तर पर व्यावसायिक धारा की निरन्तरता के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की भी नियुक्त की है। उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिकी, गृह विज्ञान, प्रबन्ध तथा जन सचार माध्यम, जो छात्रों को व्यावसायिक क्षमताओं से सुसज्जित करते हैं, में सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

189. श्री प्रबीन डेका :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई स्थल चयन समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संस्थान में पाठ्यक्रम कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्रीअर्जुन सिंह) : (क) से (घ) गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्थान का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और एक कैम्प कार्यालय की स्थापना की गई है। असम के राज्यपाल की अध्यक्षता में इस संस्थान की संस्था और शासी निकाय का भारत सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया। बोर्ड ने वर्ष 1994-95 से पहला शैक्षिक सत्र शुरू करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

जनता एक्सप्रेस की गति तेज करना

190. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता एक्सप्रेस (दिल्ली-हावड़ा) अपनी निर्धारित गति से धीमे चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसमें एक्सप्रेस गाड़ी का किराया लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी की गति बढ़ाने अथवा इसके यात्रियों से पैसेंजर गाड़ी का किराया लेने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल इस गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने अथवा इसकी किराया संरचना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्रा

191. श्री ब्रह्मदत्त सुल्तानपुरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान जोन-वार बिना टिकट यात्रा करते हुए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) उनसे दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ब्योरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	पकड़े गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या (लाख रु. में)	वसूल किया गया क्षति-रिक्त प्रभार (लाख रु. में)	व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	वसूल किया गया न्यायिक जुर्माना (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
मध्य	3.11	159.82	13,892	7.46
पूर्व	2.66	126.06	15,709	3.51
उत्तर	3.22	172.23	16,189	8.57
पूर्वोत्तर	1 60	76.99	8,946	9.19
पूर्वोत्तर सीमा	0.34	17.67	182	0.14
दक्षिण	1.08	57.59	1,210	0.72
दक्षिण मध्य	1.41	71.10	8,230	3.43
दक्षिण पूर्व	1.22	60.75	2,144	0.45
पश्चिम	2.73	140.01	17.961	4.64
जोड़	17.37	882.22	84,463	38.11

(ग) बिना टिकट यात्रा पर काबू पाने के लिये किये गये उपायों में समय-समय पर अचानक/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिये प्रचार अभियान चलाना और नये रेल अधिनियम में निवारक दण्ड समाविष्ट करना शामिल है।

बुक किए गए सामान की गबन

192. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में पिछले छः महीनों के दौरान रेलवे में बुक किए गए सामान की गबन

अथवा खोये जाने के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बुक किए गये सामान की हानि के 232 मामलों के बारे में सूचना मिली है।

(ख) जहां कहीं चूकों के लिए रेल कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये हैं, उनके खिलाफ अनुशासनिक कारंवाई की गई है, 13 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कारंवाई आरम्भ की गई है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां

193. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स रोग का फैलना, निरन्तर जनसंख्या वृद्धि तथा सर्विस डाक्टरों में असंतोष वर्ष 1991 की कुछ आर्थेमिक चुनौतियां रहीं; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) एड्स का फैलाव वर्तमान में एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या नहीं है, परन्तु बाद में यह एक बड़ी जन समस्या बन सकती है। जहां तक डाक्टरों में अशांति का सम्बन्ध है इससे केवल सीमित पैमाने पर रोगियों को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के कार्य में गड़बड़ हो सकती है। वैसे यह सच है कि जनसंख्या में सतत वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चुनौती बनी रहेगी।

(ख) जनसंख्या में आकस्मिक वृद्धि की रोकथाम के संबंध में परिवार कल्याण विभाग ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित बढ़ावा और गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। 6-7 जनवरी, 1992 को हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्ययोजना पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में एक राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करने की आवश्यकता और समाज के सभी वर्गों की इच्छित सहभागिता प्राप्त करने, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को अलग रखने की बात पर प्रकाश डाला गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्य योजना की अन्य मूल विशेषताओं में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं :—

—परिवार कल्याण की सेवाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना,

—बहुत कम कार्य करने वाले 90 जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म-दर प्रति हजार आबादी के पीछे 39 और इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान देना,

—छोटे परिवार के मानदण्ड के बढ़ावे के लिये प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों के नए पैकेज तैयार करना,

—बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों को जोरदार ढंग से बढ़ाव देने के जरिए युवा दम्पतियों की कवरेज को बढ़ाना,

—नये गर्भ निरोधकों को लाना और इनकी गुणवत्ता में सुधार करना,

—शहरी क्षेत्रों विशेषतौर से गंदी बस्तियों इत्यादि में परिवार कल्याण की योजनाओं को सुदृढ़ करना,

एड्स के निवारण और रोकथाम के लिए अब तक शुरू किए गये कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं :

—यौन संचार के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम,

—रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से संचरण की रोकथाम,

—इंजेक्शन और त्वचा को भेजने वाले उपकरणों द्वारा संचरण की रोकथाम,

—प्रसवकालीन संचरण की रोकथाम,

—एड्स/एच आई वी संक्रमण का नियंत्रण।

एड्स के निवारण और रोकथाम के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय परियोजना तैयार की गई है और उसे मूल्यांकन और धन प्रदान करने के लिए विश्व बैंक को भेजा गया है। इस परियोजना पर 10 करोड़ अमरीकी डालर के परिव्यय की व्यवस्था और इसे 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष को अवधि में कार्यान्वित किया जायेगा। अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ 8 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर डालर की सहायता से प्रदान करेगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार दोनों 1 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर की शेष परियोजना लागत के लिये धन देगा जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

I) भारत सरकार	—1 करोड़ 35 लाख अमरीकी डालर
II) विश्व स्वास्थ्य संगठन	—15 लाख अमरीकी डालर

अप्रैल, 1992 से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय एड्स परियोजना को धन प्रदान करने के लिये हाल ही में विश्व बैंक से बातचीत पूरी कर ली गई है। इस परियोजना में 10 करोड़ अमरीकी डालर (लगभग 270 करोड़ रुपये) का परिव्यय शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि का दुरुपयोग

194. श्री आर्कर्ट फर्नाण्डीज :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री हरिन पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जनवरी, 1992 के ""हिंदुस्तान टाइम्स" में "यूंजी सी टु प्रोब फण्डस मिसयूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि के दुरुपयोग के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि का व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किए गये दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग को बिहार के निम्नलिखित कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई :

1. एल. सी. मिथिला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जे. एन. कालेज, मधुबनी

यह शिकायत वि. अ. आ द्वारा संस्वीकृत अतिरिक्त शिक्षा आवास के निर्माण में घपलेबाजी और निम्न स्तरीय पुस्तकों की खरीद से संबद्ध है। शिकायतों को संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के जरिए जांच की गई थी। आयोग को प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि भवन का निर्माण उसके लिये निर्धारित विनिर्देशों तथा अनुमान और प्लान में निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया था और भवन में कोई दरार दिखाई नहीं दी जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। पुस्तकों की खरीद के बारे में, कुलपति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सप्लायर को 493.50 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था और कुछ पुस्तकें निम्न स्तर की थीं। आयोग द्वारा कुलपति को कालेज के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये अनुरोध किया गया था ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

2. मगध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महिला कालेज, बरी-आन-सन

यह शिकायत पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद से संबंधित थी। आयोग द्वारा इसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को रिपोर्ट भेजने के लिए भेज दिया गया है।

3. मगध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एस. ओ. कालेज, अम्हू

यह शिकायत पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद से संबंधित थी। आयोग ने यह शिकायत मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को उन्हें रिपोर्ट भेजने हेतु भेज दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

195. श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इसमें शैक्षिक संस्थाओं में बढ़ती हुई हिंसा की समस्या से निपटने के उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मई, 1986 में संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी। नीतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख). (ग) और (घ) नीति में "पद्धति को कारगर बनाने" के लिए प्रावधान हैं जिसमें पद्धति में अनुशासन का पालन, व्यवहार के स्वीकृत मानदण्डों का पालन और मूल्य शिक्षा जिससे हिंसा को दूर किया जा सके, पर बल देना स्वीकार किया गया।

"पर्यावरण में गिरावट को रोकने सम्बन्धी कार्यक्रम"

196. श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय स्तर में अवक्रमण गिरावट की रोकथाम हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में तेजी से हो रहे पर्यावरण ह्रास को रोकने में शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने तथा लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार ने संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रभाव मूल्यांकन, अनुसंधान, पारि-पुनरुद्धार, वनरोपण, परती भूमि

विकास, पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण आदि से संबंधित अनेक कार्यक्रम और गतिविधियां शुरू की हैं। इसके अलावा, इस संबंध में अधिनियमों और विनियमों के जरिए वैधिक विधायी उपाय किए गए हैं।

(ग) पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिये किए जा रहे प्रयासों में शैक्षिक संस्थाओं को शामिल करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

—राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान में शैक्षिक संस्थाओं की भागीदारी।

—स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा संबंधी विषयों को शामिल करना।

—पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये सुविधाएं प्रदान करने के अलावा देश में 60 विश्वविद्यालयों में पर्यावरणीय विज्ञानों का शिक्षण।

—पर्यावरणीय विज्ञानों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यय में कटौती

197. श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सामान्य रूप से अपने व्यय में तथा विशेष रूप से भण्डारण के क्षेत्र में कटौती करने हेतु कोई प्रयास शुरू किए हैं;

(ख) क्या इसके द्वारा अपने भण्डारण संबंधी कार्यों को संबंधित राज्यों को सौंपने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु अभी तक कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां। लागत को कम करने तथा खाद्यान्नों के भण्डारण, हैंडलिंग, संचलन और वितरण में किफायत करने के लिए उपाय किए गए हैं। जहां तक विशेषतया भण्डारण का सम्बन्ध है, मार्च, 199 और दिसंबर, 1991 के बीच 0.94 लाख मीट्रिक टन की किराए की क्षमता को खाली किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टाक की आवश्यकताओं को पूरा करने

हेतु खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एक नामित संगठन है, इसलिए इसके पास किराए के गोदामों के अतिरिक्त स्वयं अपनी पर्याप्त भण्डारण क्षमता होना लाजमी है।

[हिन्दी]

देश में केन्द्रीय विद्यालय

198. श्री राजेश कुमार :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्रीमती शीला गौतम :

मोहम्मद अली अशरफ अली फातमी :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

श्री तेज नारायण सिंह :

प्रो प्रेम धूमिल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने और कौन-कौन से जिलों में केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक जिले में ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है और वर्ष 1992-93 के दौरान उनमें से कितने जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोल दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय तो अवश्य ही हो ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जिलेवार राज्यवार आधार पर केन्द्रीय विद्यालय आवंटित करने की कोई पद्धति नहीं है। केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना निर्धारित प्रायोक्ता एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्ताव की उपयुक्तता पर खासकर केन्द्रीय सरकारी/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति, वास्तविक सुविधाओं की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन और प्रशासकीय विषयों पर निर्भर करता है। देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार वितरण

क्रम सं·	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	दिनांक 30-11-91 तक केन्द्रीय वि. की सं.	वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय वि. की संख्या	कुल सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	39	01	40
2.	असम	43	01	44
3.	बिहार	52	01	35
4.	गुजरात	34	04	38
5.	हरियाणा	20	01	21
6.	हिमाचल प्रदेश	13	02	15
7.	जम्मू और काश्मीर	25	—	25
8.	कर्नाटक	24	01	25
9.	केरल	21	01	22
10.	मध्य प्रदेश	70	03	73
11.	महाराष्ट्र	45	02	51
12.	मणिपुर	05	—	05
13.	मेघालय	07	—	07
14.	नागालैंड	04	01	05
15.	उड़ीसा	22	01	23
16.	पंजाब	36	—	36
17.	राजस्थान	42	01	43
18.	सिक्किम	01	—	01

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	26	01	27
20.	त्रिपुरा	04	—	04
21.	उत्तर प्रदेश	106	05	101
22.	पश्चिम बंगाल	45	—	45
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर	02	—	02
24.	पी. अरुणाचलम	06	01	07
25.	चंडीगढ़	06	—	06
26.	दिल्ली	30	—	30
27.	गोवा दीव और दमन	05	—	05
28.	पांडिचेरी	02	—	02
29.	मिजोरम	01	—	01
		740	27	767

गया में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय

199. श्री राजेश कुमार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गया में भारतीय खाद्य निगम का एक कार्यालय स्थापित करने के बारे में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो इसमें विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम का गया में एक कार्यालय पहले से ही है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सिफारिशें

200. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 अक्टूबर, 1991 को तिरुवनन्तपुरम में आयोजित भारतीय विश्व-विद्यालय संघ के सम्मेलन में की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ को 66 वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर तिरुअनन्तपुरम मे 8 अक्टूबर, 1991 को "उच्च शिक्षा प्रणाली का विकेंन्द्रीकरण" नामक विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में निम्नलिखित सर्व-संमत निर्णय लिए गए :—

— वि. अनु. आ. के कम से कम चार क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना,

— प्रत्येक राज्य में जल्दी से जल्दी राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन

— कक्षा X और X11 के स्तर पर छात्रों को अधिमानतः व्यावसायिक विषयों की ओर तोड़ना अपेक्षित है।

— विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन का समान बटवारा ताकि देश के सभी भागों को उच्च शिक्षा के लाभ प्रदान किये जा सके

— विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मानदण्डा और सूत्रों को विकसित किया जाए,

— वि. अनु. आयोग को संतुलन अनुदान प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए तथा शत-प्रतिशत विकासात्मक अनुदान उपलब्ध कराये जाने चाहिए,

— राजस्व जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,

— विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता की रक्षा करना।

सेमिनार में लिए गए सर्वसम्मत निर्णयों को सरकार ने नोट कर लिया है। विचारे गए अधिकांश मुद्दों को पहले से ही लागू किया जा रहा है उदाहरणार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया है। आन्ध्र प्रदेश ने पहले से ही राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन कर लिया है तथा कुछ अन्य राज्य इन परिषदों को स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 1988 में शुरू की गई व्यावसायीकरण की योजना के तहत केन्द्र सरकार ने अब तक 10316 व्यावसायिक वर्गों को अनुमोदित कर दिया है और इस प्रकार +2 स्तर पर 5.16 लाख छात्रों को व्यावसायिक विषयों की ओर मोड़ने के लिए सुविधाएं सृजित की गई हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु वर्ष 1990-91 तक 199.96 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है। जहां तक वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए मानदण्ड का प्रश्न है, अधिकांश विश्व-विद्यालयों की अपनी वित्त समितियां हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप निधियों की आवश्य-कताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक बजट को अनुमोदित करती हैं। वि. अ. आयोग सभी पात्र

विश्वविद्यालयों को योजनागत सहायता प्रदान करता है। पुस्तक और पत्र-पत्रिका, उपस्कर, स्टाफ, महिला छात्रावास और पुस्तकालय भवन के लिए यह सहायता शतप्रतिशत के आधार पर होती है। इनमें से चूंकि अधिकांश विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं इसलिए कुछ विकासात्मक कार्यक्रमों में इनका योगदान आवश्यक समझा जाता है।

सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के भीतर प्रशासनिक स्वायत्ता की आवश्यकता पर भी बल दिया। विश्वविद्यालयों के प्रबंधन पर गठित ज्ञानम समिति ने भी ऐसी ही सिफारिशें की हैं। विश्वविद्यालयों के भीतर विकेंद्रीकरण की उपलब्धि के लिए इस दिशा में उपयुक्त कदम सम्बन्धित विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को ही उठाने होंगे।

हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर इन्जीनियरों के लिए विश्वविद्यालय

201. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंप्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर इन्जीनियरों के लिए एक विश्वविद्यालय खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नवोदय विद्यालय खोलना

202. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री नवल किशोर राय :

श्री वी. धनन्जय कुमार :

श्री प्यारे लाल जाटव :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री पी. एम. सईद :

श्री आर जीवरत्नम :

प्रो. प्रेम धूमल :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने जिलों को नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत लिया गया है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य-वार किन-किन जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे।

(ग) राज्यवार शेष कितने जिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, और

(घ) देश के सभी जिलों में एक-एक नवोदय विद्यालय कब तक संभवत: खोल दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) उन जिलों में जहां नवोदय विद्यालय खोले गए है, 1992-93 के दौरान खोले जाने का प्रस्ताव है और शेष जिलों और राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) नवोदय विद्यालयों की स्कीम देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोलने पर विशेष बल देती है। वर्तमान में सरकार का उद्देश्य यथासम्भव अगले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से सम्बद्ध अपेक्षित सुविधाओं के साथ संसाधनों और उपयुक्त प्रस्तावों का उपलब्धता पर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

विवरण

उन जिलों का ब्यौरा जहां नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे है, 1992-93 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित हैं और शेष जिले।

क्रम. सं:	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अब तक शामिल किए गए जिलों की सं.	192-93 के दौरान शामिल करने के लिए प्रस्तावित जिलों की सं.	शेष जिलों की सं.
1.	2	3	4	5
1.	गोवा	2	—	—
2.	जम्मू और काश्मीर	14	—	—
3.	अंडमान और निकोबार	2	—	—
4.	चण्डीगढ़	1	—	—
5.	दादरा और नागर हवेली	1	—	—
6.	दमन और दीव	2	—	—
7.	लक्षद्वीप	1	—	—
8.	पांडिचेरी	4	—	—
9.	उड़ीसा	12	01	—

1 2	3	4	5
10. कर्नाटक	18	02	—
11. मणिपुर	7	01	—
12. आन्ध्र प्रदेश	21	02	—
13. हरियाणा	9	02	1
14. राजस्थान	20	04	3
15. केरल	11	01	2
16. हिमाचल प्रदेश	8	02	2
17. मिजोरम	2	01	—
18. महाराष्ट्र	20	03	7
19. मध्य प्रदेश	30	10	5
20. मेघालय	4	1	—
21. बिहार	25	2	11
22. पंजाब	8	2	2
23. उत्तर प्रदेश	36	8	18
24. अरुणाचल प्रदेश	5	2	4
25. दिल्ली	2	—	—
26. गुजरात	9	2	8
27. सिक्किम	1	1	2
28. त्रिपुरा	2	—	2
29. नागालैंड	2	2	3
30. असम*		1	22
31. तमिलनाडु**		—	21
32. पश्चिम बंगाल**		—	17

*इस स्कीम का हाल ही में आसाम राज्य ने अपनाया है।

**इस स्कीम को अब तक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने नहीं अपनाया गया है।

[अनुवाद]

छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

203. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री प्यारे लाल जाटव :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री पी. जी. नारायणन :

डा. ए. के. पटेल :

डा. देवी प्रसाद पाल :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री वासुदेव आचार्य

श्री पी. एम. सईद :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी मीटरगेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और बदली जाने वाली ऐसी कौन-कौन सी लाइनें हैं और इनकी कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आएगा और प्रति किलोमीटर कितनी लागत आएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) संसाधनों की तंगी के कारण आमान परिवर्तन का कार्य चरणबद्ध आधार पर ही किया जा सकता है। आठवीं योजना के दौरान 6000 कि. मी. लम्बी लाइनों का आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। आमान परिवर्तन की जाने वाली और आठवीं योजना के पहले वर्ष में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित लाइनों का ब्योरा "1992-93 में रेलों के निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम" नामक पुस्तिका में दिया गया है जो आज बाद में रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रति किलोमीटर 50 से 60 लाख रुपये तक की दर से मौजूदा मूल्यों के अनुसार 3500 करोड़ रुपये।

अल्लेपी-कायम त्रिवेन्द्रम रेल लाइन

24. श्री ए. चारलेस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के एर्णाकुलम त्रिवेन्द्रम जाने में अल्लेपी-कायमकुलम रेल लाइन को पूरा करने तथा कायमकुलम से त्रिवेन्द्रम तक रेलवे लाइन को दोहरा करने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धन-राशि की आवश्यकता है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) निर्धारित की गई लक्ष्य तिथि और हुई प्रगति का ब्योरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	दिसम्बर, 1991 तक किया गया खर्च (लाख रुपयों में)	अपेक्षित रकम	प्रगति	निर्धारित की गयी लक्ष्य तिथि
1. अलेप्पी-कायमकुलम नयी बड़ी लाइन	4650.75	1044.00	86%	31.3.92
2. कायमकुलम और कोल्लम के बीच दोहरी लाइन	1771.00	2446.00	30%	लक्ष्य तिथि आगामी वर्षों
3. कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन	कुछ नहीं	7554.00	0%	में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

"देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का दर्जा बढ़ाना"

205. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय वन संस्थान की स्थापना करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का दर्जा बढ़ाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्श दल की ओर से आस्ट्रेलियाई अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, केनबरा ने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केन्द्र की बैठक आयोजित करने के लिए भारत सहित अनेक देशों से कंट्री विवरण मंगाए हैं। संस्थान की प्रस्तावित बैठक आयोजित करने की भारत की रजामंदी के बारे में आस्ट्रेलियाई अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र को सूचित कर दिया गया है।

(ग), (घ) और (ङ) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अन्तर्गत वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात संस्थान है और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अन्तर्गत ही इसकी अनुसंधान क्षमता में सुधार लाने के प्रयास जारी रहेंगे।

रेलवे आऊट एजेंसियों का आबंटन

206. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ठेकेदारों को रेलवे आउट एजेंसियों के आबंटन के लिए क्या शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) क्या रेलवे को ऐसी एजेंसियां चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में ठेकेदार मिल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पर्याप्त संख्या में ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए इन शर्तों को संशोधित करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आरक्षण आदि के लिए उनके क्षेत्र को बढ़ा कर वर्तमान एजेंसियों को सुदृढ़ करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनता की मांग पर उन क्षेत्रों में आउट एजेंसियां खोली जाती हैं। जो रेल लाइन से नहीं जुड़े होते हैं लेकिन जहां यातायात की संभावनाएं होती हैं। प्रेस में विज्ञापन के माध्यम से प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करके उनके गुण-दोष के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को आउट एजेंसी के लिए ठेका दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। तथापि, जहां पर्याप्त मात्रा में यातायात न होने के कारण कोई उपयुक्त निजी ठेकेदार उपलब्ध नहीं होता है। वहां राज्य सरकार के उपक्रमों के माध्यम से आउट एजेंसी चलाने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कुछ आउट एजेंसियों में आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है लेकिन यह उसकी जरूरत, यातायात की मात्रा और आरक्षित स्थान की उपलब्धता पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे आउट एजेंसियां

207. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या रेल मन्त्री उत्तर प्रदेश के पोड़ी और चमोली जिलों में रेलवे आउट एजेन्सियां खोलने के बारे में 6.8.1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 1775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में शीघ्र ही अतिरिक्त आउट एजेंसियां खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) । उत्तर प्रदेश के पोड़ी और चमोली जिलों में रेलवे आउट एजेंसियां खोले जाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इन एजेंसियों का काम शुरु करने के लिए उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध नहीं हुए .

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड भी इन एजेंसियों को चलाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि मौजूदा आउट एजेंसियों के लिए ही उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । अतएव उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक स्थानों पर नयी आउट एजेंसियां खोलना व्यावहारिक नहीं है ।

खाद्य राजसहायता में वृद्धि

208. श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचारपत्र "इण्डियन एक्सप्रेस में "फूड सब्सिडी टू इनक्रीज डेसपाइट प्राइस हाइक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण खाद्य राजसहायता को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि कर देने से राजसहायता की मात्रा में कमी हो जाएगी।

(ग) और (घ) खाद्य राजसहायता की राशि वसूली की मात्रा, उठान, खाद्यान्नों के स्टाक और भाड़ा, ब्याज प्रभार, आदि जैसे अन्य तथ्यों तथा खाद्यान्नों के वसूली निर्गम मूल्यों पर निर्भर करती है ।

गेहूं और चावल का निर्यात

209. श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1991 के दौरान निर्यात हेतु विभिन्न संस्थाओं को गेहूं और चावल की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई ;

(ख) क्या इसके फलस्वरुप भारतीय खाद्य निगम के घाटे में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और राज्यों को दी जाने वाली खाद्यान्न राज-सहायता पर इस घाटे का कितना प्रभाव पड़ा है।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पंचांग वर्ष 1991 के दौरान निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न संस्थानों को सुपुर्द की गई गेहूं और चावल की कुल मात्रा निम्नानुसार थी :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

गेहूं	चावल	जोड़
7.12	0.06	7.18

(ख) और (ग) निर्यात के लिए चावल की आपूर्ति करने में भारतीय खाद्य निगम को कोई हानि नहीं हुई थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2150/-रुपये प्रति मीटरी टन की दर से गेहूं सप्लाई किया गया था जबकि केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2340/-रुपये प्रति मीटरी टन था।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए गेहूं की आपूर्ति करने के फलस्वरुप खाद्य राज-सहायता पर पड़ने वाला प्रभाव राज्यों को प्रभावित नहीं करता है।

खानपान की वस्तुओं के मूल्य

210. श्री नीतीश कुमार :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक माह के दौरान खानपान की लगभग सभी वस्तुओं एवं शीतल पेयों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ये मूल्य बाजार मूल्य से काफी अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चाय/काफी, भोजन और नाश्ते के मूल्य पिछले माह में बढ़ाये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को खाद्य राजसहायता

211. श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता में लगातार वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य को कितनी राजसहायता दी गई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारत सरकार राज्यों को खाद्यान्नों के लिए सीधे ही कोई राजसहायता प्रदान नहीं करती है। खाद्य राजसहायता भारतीय खाद्य निगम को अदा की जाती है जो कि (i) खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अन्तर अर्थात उपभोक्ता राजसहायता (ii) बफर स्टाक रखने की प्रतिपूर्ति करने के लिए होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	खाद्य राजसहायता की राशि
	(करोड़ रुपये में)
1988-89	2200
1989-90	2476*
1990-91	2450*

(*चीनी पर दी गई राजसहायता सहित)

[अनुवाद]

कुष्ठ रोगी

212 कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो गई है,

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोग की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कुष्ठ रोग के उन्मूलन सम्बन्धी कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने सन 2000 ईसवी तक कुष्ठ रोग संचरण को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1995 तक चरणबद्ध क्रम से कुष्ठ रोगियों के सभी 201 स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में बहु-औषध उपचार के लाभ सुलभ कराने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम की कार्यनीति में रोगियों का रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगाना और उनका बहु-औषध उपचार विधि से नियमित इलाज करना शामिल है। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप तेज किए गए हैं ।

"वृक्षों को काटना और उनकी तस्करी

213. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र तेजी से कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में अंधाधुन्ध तरीके से वृक्षों को काटे जाने और उनकी तस्करी के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा किये गये भूमि उपग्रह प्रतिबिम्बों की विवेचना के आधार पर वन आच्छादन के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, मध्यप्रदेश के वन आच्छादित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है ।

(ग) हालांकि, मध्यप्रदेश के सभी भागों में पेड़ों की अंधाधुन्ध तरीके से काटे जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन बताया जाता है कि 1.4.89 से 16.5.90 तक की अवधि के दौरान केवल बस्तर जिले में ही लगभग 97.600 वृक्ष गैर-कानूनी रूप से काटे गए ।

(घ) वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्वतों/पहाड़ियों पर हरे वृक्षों के काटे जाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. वन में जैविक हस्तक्षेप को रोकने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने सहित अन्य वन संरक्षण उपायों को तेज किया जा रहा है।

3. वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पारित किया गया है।

4. बस्तर जिले में वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय दल ने 6.1.1992 से 13.1.1992 तक बस्तर का दौरा किया। केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भंडारण क्षमता

214. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री आर अनबरासु अविस्थम :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने का कोई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गोदामों/भांडागारों का निर्माण करने के कार्य में जुटी हुई प्रमुख केन्द्रीय एजेन्सियों भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम हैं। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 1-1-1992 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध भण्डारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम ने आठवीं योजनावधि (1992-97) के दौरान भण्डारण क्षमता में क्रमशः 10 लाख मी. टन और 12.5 लाख मी. टन का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। इन दोनों निगमों द्वारा अनन्तिम रूप से बताई गई अतिरिक्त क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 1-1-1992 को स्थिति के अनुसार राज्यवार भण्डारण क्षमता बताने वाला विवरण

क्षमता (लाख मीटरी टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भा. खा. नि	के. भं. नि.
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.15	—
2.	आंध्र प्रदेश	19.56	10.80
3.	असम	2.80	0.43
4.	बिहार	6.40	1.69
5.	गोवा	0.19	0.17
6.	गुजरात	8.43	3.17
7.	हरियाणा	16.16	2.26
8.	हिमाचल प्रदेश	0.28	0.05
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0.93	—
10.	कर्नाटक	3.53	1.77
11.	केरल	5.40	0.70
12.	मध्य प्रदेश	11.48	5.80
13.	महाराष्ट्र	15.09	8.20
14.	मणिपुर	0.12	0.003
15.	मेघालय	0.21	—
16.	मिजोरम	0.12	0.02
17.	नागालैंड	0.16	0.13
18.	उड़ीसा	3.72	1.25
19.	पंजाब	59.11	6.09
20.	राजस्थान	8.92	1.35
21.	सिक्किम	0.08	—

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	6.86	6.37
23.	त्रिपुरा	0.38	0.24
24.	उत्तर प्रदेश	25.34	9.25
25.	पश्चिम बंगाल	12.72	5.80
26.	चंडीगढ़	0.75	0.18
27.	दिल्ली	3.90	1.67
28.	पांडिचेरी	0.41	0.15
	जोड़	213.20*	67.54

* इसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराए पर ली गई 17.70 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

विवरण-II

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा अनन्तिम रूप से प्रस्तावित भण्डारण निर्माण कार्यक्रम।

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तावित क्षमता	केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	—
2.	असम	5.00	54.60
3.	आंध्र प्रदेश	195.00	20.00
4.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	3.00
5.	बिहार	40.00	5.00
6.	दिल्ली	55.00	30.00
7.	गुजरात	50.00	75.00

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	13.34	15.00
9.	हरियाणा	—	36.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	20.00	5.00
11.	केरल	60.00	10.00
12.	कर्नाटक	115.00	67.70
13.	मणिपुर	10.00	5.00
14.	मेघालय	20.00	—
15.	मिजोरम	15.00	—
16.	मध्य प्रदेश	23.40	74.10
17.	महाराष्ट्र	60,00	153.00
18.	नागालैंड	10,	5.00
19.	उड़ीसा	45.00	100.00
20.	पंजाब	—	20.00
21.	सिक्किम	—	3.00
22.	तमिलनाडु	40.00	33.00
23.	त्रिपुरा	17.92	10.00
24.	राजस्थान	57.91	35.00
25.	उत्तर प्रदेश	94.31	58.00
26.	पश्चिम बंगाल	78.34	180.00
		1030.22**	996.40
			253.60*
			1250.00

* केन्द्रों की पहचान की जानी है।

** इसमें पिछला बकाया कार्य शामिल है।

शिशु मृत्यु दर

215. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में राज्यवार शिशु मृत्यु दर कितनी है,

(ख) क्या यह उड़ीसा में सबसे अधिक है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य-वार शिशु मृत्युदर संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध सूचना के अनुसार शिशु मृत्यु-दर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है ।

(घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम । पोलियो, टेटनस, डिफ्थीरिया, काली खांसी, क्षय रोग और खसरा से शिशुओं की ओर टेटनस से गर्भवती महिलाओं की रक्षा करना ।

(2) मुख सेव्य पुनर्जलपूरणता चिकित्सा कार्यक्रम : पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों में अतिसार से होने वाली जनशून्यता के कारण हुई हुई मौतों को नियंत्रित करने के लिए ।

(3) बच्चों में पोषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोध योजना तथा विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोग निरोध ।

(4) न्यूमोनिया के कारण मौतों को नियन्त्रित करने के लिए तीव्र श्वसन संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम ।

विवरण

प्रमुख राज्य	वर्ष				
	1984	19^5	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	28.1	29.0	29.0	27.0	27.0
असम	40.6	43.1	40.4	36.2	37.2
बिहार	47.0	48.5	43.3	40.0	38.0
गुजरात	37.3	37.3	37.4	33.3	30.9

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	36.4	29.8	29.1	28.1	29.4
हिमाचल प्रदेश	28.4	26.5	27.1	22.3	23.7
जम्मू और कश्मीर	30.1	30.4	29.0	20.1	25.0
कर्नाटक	26.6	24.7	24.5	25.1	24.1
केरल	8.9	10.2	8.1	7.6	7.7
मध्य प्रदेश	52.7	53.3	50.0	49.5	51.0
उड़ीसा	47.9	46.2	43.9	47.6	37.2
पंजाब	24.2	26.3	24.1	20.4	21:4
राजस्थान	50.2	45.5	41.4	40.5	51.8
तमिलनाडु	27.4	25.6	25.1	23.2	21.4
उत्तर प्रदेश	64.0	54.0	54.3	52.0	46.7
पश्चिम बंगाल	31.3	27.3	25.6	24.3	22.4
भारत	41.2	38 4	36.6	35.2	33.3

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

टिप्पणी : शिशु मृत्यु दर की परिभाषा (0—4वर्ष) की आयु वर्ग में प्रति हजार आबादी के पीछे उसी आयु वर्ग के बच्चों की मौतों की संख्या के रूप में की गई है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा मेडिकल कालेजों की स्थापना

215. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने देश में मेडिकल कालेजों की स्थापना में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों ने किन राज्यों में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की स्थापना में रुचि दिखाई है; और

(ग) ऐसे मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ)

(क) से (ग) कुछ अनिवासी भारतीयों ने केरल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में मेडिकल कालेज स्थापित करने में रुचि दिखाई है। सरकार ने अभी तक देश में मेडिकल कालेज स्थापित करने हेतु अनिवासी भारतीयों को अनुमति देने के संबंध में विचार नहीं किया है।

पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा

217. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आठवीं योजना में इसके कार्यान्वयन हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा सितम्बर, 1985 में की गई थी ताकि देश के शैक्षिक ढांचे में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूसरे सुदूर शिक्षा पद्धतियों में स्तरों का समन्वय और निर्धारण किया जा सके।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 1987 में अपने शैक्षिक है कार्यक्रम शुरू किए और अब तक उसने 16 कार्यक्रम शुरू किए हैं। नामांकन धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 1.50 लाख तक हो गया विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय और अध्ययन केन्द्रों का एक व्यापक नेटवर्क पर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। जनवरी, 1992 से आकाशवाणी ने भी बम्बई तथा हैदराबाद से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया है।

यह राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य करने के अतिरिक्त, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर में सुदूर शिक्षा में स्तरों के समन्वय तथा अनुरक्षण का एक शीर्षस्थ निकाय भी है। इस कार्य के निष्पादन के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक सुदूर शिक्षा परिषद स्थापित करने का निर्णय किया है। इसी बीच, निरीक्षण समितियों की सिफारिशों के आधार पर, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय तथा कोटा मुक्त विश्वविद्यालय को उनके विकास के के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अन्य मुक्त विश्वविद्यालय के साथ अपनी पाठ्यक्रम सामग्री का बंटवारा भी करता रहा है।

नवम्बर, 1989 में सरकार ने संचार प्रौद्योगिकियों सहित अनेक शैक्षिक नीतियों का प्रयोग करके स्कूल स्तर पर सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक वाले छात्र-वर्गों को सतत तथा विकासात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए नई

दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल स्थापित किया। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल स्थान स्तर पर सुदूर तथा मुक्त अध्ययन संबंधी सूचना के प्रसार की एक एजेंसी के रूप में भी काम करेगा। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल औपचारिक पद्धति से स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों के लिए शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के अनुरूप बुनियादी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इससे छात्र स्कूल द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा (कक्षा—X) में बैठ सकते हैं। दो वर्ष पहले राष्ट्रीय मुक्त स्कूल ने उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा—XII) भी शुरू किया। प्रत्येक वर्ष इन पाठ्यक्रमों में लगभग 60,000 छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं। देशभर में प्रत्यायित संस्थाओं के माध्यम से छात्र सहयोग सेवाएं प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के दौरान, आशा है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का विस्तार होगा और उच्चतर शिक्षा में अतिरिक्त नामांकन का पर्याप्त भाग समाहित किया जाएगा। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ग़ैर-परम्परागत रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने, अपनी छात्र सहयोग सेवाओं को सुदृढ़ करने और पत्राचार शिक्षा में सुधार करने पर प्रमुख बल देगा। आशा है कि राष्ट्रीय मुक्त स्कूल अपने पाठ्यक्रमों में विविधता लाएगा एक बहु माध्यम वाली शैक्षिक नीति अपनायेगा, और राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मुक्त स्कूलों को संसाधन सहयोग प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में पूर्ण साक्षरता योजना

218. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में 2000 ई. तक शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए "लोक जुम्बिश" नाम से एक योजना शुरू की गई है

(ख) क्या उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वीडिश इन्टरनेशनल डवेलपमेंट एजेंसी द्वारा अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्यों में ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करने तथा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) स्वीडिश इन्टरनेशनल डवेलपमेंट अथरिटी ने राजस्थान में लोक जुम्बिश नामक एक नवाचारी शैक्षिक परियोजना को वित्त-पोषित करने की इच्छा प्रकट की थी। इस परियोजना का मूल उद्देश्य लोगों को जुटाकर और उनकी भागीदारी से सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है। परियोजना पर स्वीडिश इन्टरनेशनल डवेलपमेंट अथोरिटी (सीडा) से बातचीत चल रही है।

(ग) और (घ) इसी तरह की एक परियोजना यूनिसेफ की सहायता से बिहार में कार्यान्वयाधीन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कई राज्यों में संपूर्ण साक्षरता अभियानों को सहयोग दे रहा है।

[अनुवाद]

पुणे-काजीपेट सेक्शन को दोहरा करना

219. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के पुणे-काजीपेट सेक्शन को दोहरी लाइन में बदलने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कितनी समयावधि में पूरा किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पुणे-काजीपेट लाइन पर पुणे से वाडी तक का भाग मध्य रेलवे पर है इसके पुणे-दौंड और शाहबाद–गुलबर्गा खंडों को पहले ही दोहरा किया जा चुका है,

शेष भाग के लिए दोहरी लाइन बिछाने का काम यातायात की अपेक्षाओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथा समय शुरू किया जायेगा ।

लागत हिस्सेदारी के आधार पर महाराष्ट्र में पुलों का निर्माण

220. श्री धर्मण्ण मोंडय्या सादुल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान नये रेल पुलों के निर्माण की लागत में महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ हिस्सेदारी के रूप में कुल कितना खर्च किया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : लगभग 2.3 करोड़ रुपये,

"लघु उद्योगों में प्रदूषण पर नियन्त्रण"

221. श्री पी. सी. नारायणन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में सहामान्यता दी गई है;

(ख) क्या लघु उद्योगों अथवा लघु उद्योगों के समूहों को सहायता प्रदान करने अथवा राज सहायता देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया है; और

(घ) तमिलनाडु के लघु उद्योगों को कितनी सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योगों के समूह के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के किसी भी प्रस्ताव के लिए दी जा सकने वाली आर्थिक सहायता, पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का योगदान 25-25 प्रतिशत होगा, लेकिन यह राशि 50 लाख से अधिक नहीं होगी।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत, लघु उद्योगों के समूहों के उत्थान के लिए 1990-91 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 4.9 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

(घ) तमिलनाडु में लघु उद्योगों के समूह के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्कीम के लिए 1989-91 के बीच आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा कुल 2.29 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

गुंतकल और वाल्टेयर के बीच नई रेलगाड़ी

222. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडप्पाह और रेणिगुंटा होकर के गुंतकल और वाल्टेयर के बीच कोई नई रेलगाड़ी चलाने के बारे मे अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नलगोंडा और कृष्णा जिलों में साइडिंग

223. श्री वाई एस राजेश्वर रेड्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उन्हें नलगोंडा तथा कृष्णा जिलों में चालू सीमेंट संयंत्रों के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इन कारखानों को सेवित करने के लिए साइडिंगों की व्यवस्था सीमेंट कारखानों के खर्च पर की जा सकती है।

कुंटूर-गुंतकल रेल लाइन को बदलना

224. डा वाई एस राजशेखर रेड्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुंटूर-गुंतकल रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां;

(ख) आठवीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन के लिए यह लाइन अनुमोदित की गयी है।

येरगुंटला स्टेशन पर नया प्लेटफार्म

225. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के येरगुंटला रेलवे स्टेशन पर दूसरा रेलवे प्लेटफार्म बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को विशेष अनुदान

226. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

प्रो. श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ महाविद्यालयों को विशेष अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे महाविद्यालयों के नामों तथा उन्हें दी जाने वाली धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु महाविद्यालयों के चुनाव हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विश्व. अनु. आयोग उन कालेजों को 20 लाख रु. तक को विशेष सहायता प्रदान करता है जो पिछली शताब्दी में स्थापित किए गए थे तथा 100 वर्ष से विद्यमान हैं ताकि वे अपने शताब्दी समारोह के भाग के रूप में शैक्षिक भवनों के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय को पूरा कर सकें। जिन कालेजों को सहायता प्रदान की गई, ऐसे 36 कालेजों के नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न है।

विवरण

वि. अनु. आ. द्वारा कालेजों को विशेष सहायता

1. प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
2. सीरमपुर कालेज, सीरमपुर (पश्चिम बंगाल)
3. स्काटिश चर्च कालेज कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
4. सेंट पाल सी. एम. कालेज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
5. बेथुन कालेज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
6. ए. बी. एन. सील कालेज, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
7. मिदनापुर कालेज मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
8. हुगली मोहसिन कालेज, हुगली (पश्चिम बंगाल)
9. प्रेसीडेंसी कालेज, मद्रास (तमिलनाडु)
10. मद्रास क्रिश्चियन कालेज, मद्रास (तमिलनाडु)
11. सेंट जोसफ कालेज त्रिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु)
12. इंजीनियरी कालेज, गुंडी मद्रास (तमिलनाडु)
13. सी. एम. एस. कालेज, कोट्टायम (केरल)
14. यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिवेन्द्रम (केरल)
15. महाराजा कालेज इरनाकुलम (केरल)
16. दि जोमामिन गुरूवयूरप्पन कालेज, कालीकट (केरल)
17. राजकीय विक्टोरिया कालेज, पालघाट (केरल)
18. राजकीय ब्रनेन कालेज तालीचेरी (केरल)
19. होल्कर विज्ञान कालेज, इन्दौर (म.प्र.)
20. इंदौर क्रिश्चियन कालेज, इंदौर (म.प्र.)
21. एम. एल. बी. आर्ट व कामर्स कालेज, ग्वालियर (म.प्र.)

22. माधव कालेज, उज्जैन (म.प्र.)
23. महाराज कालेज विजयानगर (आंध्र प्रदेश)
24. निजाम कालेज, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
25. सेंट अलोसियस कालेज, मंगलौर (कर्नाटक)
26. सेंट्रल कालेज, बंगलौर (कर्नाटक)
27. महाराज कालेज, मैसूर (कर्नाटक)
28. पटना कालेज, पटना (बिहार)
29. टी. एन. बी. कालेज, भागलपुर (बिहार)
30. आगरा कालेज, आगरा (उ. प्र.)
31. बरेली कालेज, बरेली (उ. प्र.)
32. सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली
33. कन्या महाविद्यालय, जालंधर (पंजाब)
34. हिसलोप कालेज, नागपुर (महाराष्ट्र)
35. सामलदास आर्ट कालेज, भावनगर (गुजरात)
36. रावेन्शेव कालेज, कटक (उड़ीसा)

रेल टिकटों में घोटाला

227. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अन्नाजोशी :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान रेल कर्मचारियों द्वारा रेल टिकटों में घोटाला किए जाने के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कारंवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विवरण इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश-16 बिहार-652, उत्तर प्रदेश-204, हरियाणा-8, आसाम-14, महाराष्ट्र-107, मध्य प्रदेश-27, राजस्थान-55, गुजरात-67, पश्चिम बंगाल-397

(ख) और (ग) जिन कर्मचारियों पर अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई उनकी संख्या इस प्रकार है—

राज्य	कर्मचारियों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	
	गंभीर कार्यवाही	मामूली कार्यवाही
आंध्र प्रदेश	8	8
आसाम	9	5
बिहार	112	524
गुजरात	7	60
हरियाणा	1	—
महाराष्ट्र	18	89
मध्य प्रदेश	4	23
राजस्थान	6	49
उत्तर प्रदेश	51	153
पश्चिम बंगाल	150	247

टिकटों के छपने में सामने आई अनियमितताओं को रोकने के लिए वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग ने उन स्थानों पर लगातार जांच की जहां उनका इस्तेमाल करने वाले अधिकांशतः रेलवे प्रशासन के संपर्क में आते हैं वह क्षेत्र हैं बुकिंग कार्यालय, पार्सल कार्यालय, प्लेटफार्म और रेलगाड़ियां।

प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का कार्यभार

228. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों में बच्चों का कार्यभार कम करने के लिए शिक्षाविदों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर रही है।

(ख) और (ग) समिति से छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सौंप देने का निवेदन किया जा रहा है।

गर्भ निरोधक उपाय

229. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि विशेष तौर पर गांवों में, पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रमुख एजेंसी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) विशेष तौर पर ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में गर्भनिरोधक उपायों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को क्या भूमिका दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ)। (क) और (ख) देश में जनसंख्या वृद्धि का अनुवीक्षण केन्द्र में परिवार कल्याण ब्यूरो, जिला परिवार कल्याण ब्यूरो और राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को सुपुर्द किया गया है।

(ग) जन प्रचार और प्राथमिक स्तर पर अंतः वैयक्तिक संचार के माध्यम से पुरजोर प्रयासों के द्वारा जन्म-नियंत्रण के विभिन्न तरीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना है। मुफ्त वितरण और सामाजिक विपणन योजनाओं के माध्यम से ये तरीके उन स्वीकारकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। गर्भनिरोधक तरीकों की सुलभता को और सहज बनाने के लिए सामाजिक विपणन की योजनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

रेलवे भूमि को पट्टे पर देना

230. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल लाइनों के साथ फालतू रेलवे भूमि को बेचने अथवा उसे पट्टे पर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो फालतू भूमि जिसकी बिक्री करनी है अथवा जिसे पट्टे पर दिया जाना है उसका ब्योरेवार क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या मुम्बई क्षेत्र, में, रेलवे लाइनों के आस-पास इस फालतू भूमि पर कुछ मार्के-टाईप भवनों का निर्माण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित भवनों की सुरक्षा और संचालन सम्बन्धी बातों की जांच कर ली गई है; और

(ङ) रेलवे का आवश्यकता पड़ने पर पट्टे की भूमि पर बने इन भवनों पर अपने मालिकाना अधिकारों को सुरक्षित रख करके उनका कब्जा पुनः किस प्रकार प्राप्त करेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में 17 दिसम्बर, 1991 को पूछे गए

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4148 के उत्तर में संशोधन का विवरण

मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4148 के उत्तर के अंग्रेजी पाठ की ओर आकृष्ट करती हूं ।

उत्तर के भाग (ख) में, लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले टेबल के शीर्षक में गलती से "बिहार" शब्द लिखा गया है । कृपया सही शब्द "उड़ीसा" पढ़ा जाए ।

12.09 म. प.

लोक सभा 12.09 म. प. पर पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि क्या हुआ है । आप बैठ जाइए । ...(व्यवधान) सभी पार्टियों के सम्माननीय नेतागण यहां पर उपस्थित थे, उनसे चर्चा हुई है, मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई है, हमने उनकी फाइल भी देखने की कोशिश की है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : पहले माफी मंगवाइए ।

[अनुवाद]

उन्होंने सभा को गुमराह किया है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कम्पलीट करने दीजिए । मेरी पूरी बात सुनने के बाद यदि कुछ

बोलना चाहते हैं तो बोलिए, बीच में बोलेंगे तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी और कनफ्यूज हो जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद अगर कोई शिकायत हो तो मैं थोड़ी देर बोलने दूंगा। जितनी फाइल देखी है उससे मुझे ऐसा लगा है कि जो कुछ श्री वी. पी. सिंह के खिलाफ कहा गया है उसमें तथ्य कम नजर आता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच-बीच में मत बोलिए। आप बैठ जाइए। हम पांच मिनट में पूरी फाइल नहीं देख सके हैं। मेरा जो इमप्रेशन है मैंने बताया है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके, फाइल में जो हो उस पर वे स्टेटमैंट करें। अगर आज की स्टेटमैंट में कोई गलती हुई हो तो कल की स्टेटमैंट के लिए प्रापर अमैंड भी करें। अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। यदि वह सही है तो वह बात सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल पूरी जांच-पड़ताल करके स्टेटमैंट करें। इसमें बहुत सारे हायर डिगनीटरीज इनवाल्वड हैं। वह सब देखते हुए किसी के खिलाफ कोई चीज नहीं आनी चाहिए, यह समझकर करें। अगर कुछ गलती हो तो माफी व्यक्त करना भी गलत नहीं लगेगा।···(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि जरूरत हो तो प्रोपर अमैंड करें। मैं विनती करूंगा पासवान जी, सिर्फ बात करने से बात आगे नहीं बढ़ती है।···(व्यवधान) आपके सारे लीडर्स ने बैठकर बात की है। प्राइम मिनिस्टर यहां पर हैं, दूसरे लीडर्स भी हैं, उन सबकी भावना मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी के खिलाफ बिना वजह कोई चीज नहीं आनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : वे कल वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है उसे अभी उन्हें वापस लेना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के खिलाफ और भूतपूर्व प्रधान मंत्री व रेलवे मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने जानबूझ कर कहा कि यह सरकार ने काम नहीं किया। अब यह प्रूव हो गया है कि यह बात सही नहीं है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और तत्कालीन प्रधान मंत्री व कैबिनेट ने रिइनस्टेटमेंट का आर्डर दिया था। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : इसलिए उनको माफी मांगने के लिये कहिये।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर विचार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, आपने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। माननीय मंत्री महोदय ने जानबूझ कर सभा को गुमराह किया है। (व्यवधान) आप भी फाईलें देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में कल निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य गलत है और फिर से बहाल किये जाने के पक्ष में श्री वी. पी. सिंह की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया था। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने सभा को क्यों गुमराह किया है। उन्हें इसके लिए सभा से माफी मांगनी चाहिए। यही मेरा विशिष्ट मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : सभी फाईलों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, फिर से बहाली किये जाने के संबंध में क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कल देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यह एक मंत्री महोदय द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोप का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह इससे भी अधिक बात है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आप अपना रूलिंग दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय उस कागज को भी दिखा रहे थे जिस पर कि मंत्री मंडल ने अपना निर्णय दिया था। और कहा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उल्टा निर्णय लिया था। फिर महोदय, आपने सभा बुलायी और आप सारी स्थिति

[श्री चन्द्रजीत यादव]

से अवगत हैं। अब फिर आप इसे मंत्री महोदय पर छोड़ रहे हैं कि उन्हें वक्तव्य जारी करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदय वास्तविक तथ्यों को प्रकट करेंगे अथवा नहीं। (व्यवधान) महोदय, एक बार यदि आपने इस मुद्दे को समझ लिया है तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा—माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है वह पूरी तरह सत्य नहीं था। उनका वक्तव्य पूरी तरह से सत्य नहीं था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बड़े ध्यान पूर्वक बयान दिया ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने क्या कहा ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मत पूछिये। मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने कहा कि पूरे तथ्य नहीं बताए गए थे। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि आप कृपया सभा की एक समिति नियुक्त कर दें। यह एक गम्भीर मामला है। इसकी जांच समिति को करने दीजिये और समिति को सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने दीजिये। अन्यथा यह विशेषाधिकारों के उल्लंघन और तथ्यों को छिपाने का गम्भीर मामला है। मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति अथवा अन्य कोई व्यक्ति इसमें शामिल है। यह एक गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने रिकार्ड में डालने से रोक दिया है। इसलिए मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार बोल रहे हैं। आपको सारा देश देख रहा है। आप सब बैठ जाइए।

श्री रामविलास पासवान : आपने रिकार्ड में डालने से रोक दिया है, इसलिये मुझे बोलना पड़ रहा है।···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो यहां मौजूद हैं। कोई प्रधानमंत्री आज रहता है तो कल नहीं रहता है। प्रधानमंत्री की एक मर्यादा रहती है। मन्त्री महोदय ने कहा कि वी. पी. सिंह की सरकार ने···(व्यवधान)···मैं अनपार्लियामेंटरी नहीं बोल रहा हूं। आप शांत रहिये···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। पूरा देश और सभी लोग बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि कल हमने चाहा था कि बजट 5 बजे पेश होना चाहिए और आप चाहते थे कि इसे 12 बजे पेश किया जाये और देश में प्रत्येक व्यक्ति इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन आप इसके प्रसारण की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप यह भी नहीं समझ रहे हैं कि मेरी रूलिंग आपके फेवर में थोड़ा सा इन्कलाइन हो रही है : आपके समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अब मैं क्या करूं।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप इसके लिए हमें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आप इसके लिए हमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक शब्द जो आप यहां पर बोलते हैं, उसका अर्थ होता है। आप लोगों को इस बात को समझ कर ··

श्री रामविलास पासवान : यह मंत्री के लिए भी एप्लाई करता है।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मंत्री के लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है।

आपको मेरी बिनती यह है, जैसा कि चन्द्रजीत जी ने कहा कि अगर कुछ हो गया तो उसको देखने के लिए कमेटी है ही, प्रिवलैज कमेटी है। अब क्या करना है, मैं कल देखूंगा। इसलिए अब उसके बारे में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलेंगे, तो मैं उसका जवाब देता रहूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समझने की कोशिश कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। आपने समय निर्धारित कर दिया है और देश के सभी दूरदर्शन केन्द्र इसके प्रसारण की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय को भाषण देने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मंत्री ।

(व्यवधान)

12.23 म.प.

रेलवे बजट, 1992-93

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेलों के वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमान और वर्ष 1992-93 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

प्रस्तावना

श्रीमन्, हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं । पूरे विश्व में परिवर्तन की लहर चल रही है । इन बदली हुई परिस्थितियों में लोग अपनी एक नयी पहचान बनाने में लगे हैं । अलगाव तथा आतंकवाद की कुछ बेसुरी आवाजों के बावजूद शांति और समृद्धि की राह खोजी जा रही है । हमारे अपने देश में साम्प्रदायिक भेद-भाव पैदा करने के प्रयास एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने हैं और लोग पहले की तरह एक बार फिर समस्याओं से निबटने के लिए धैर्य और लोकतांत्रिक भावना का परिचय दे रहे हैं । राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में एकता की स्थापना में भारतीय रेलों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है । रेल कर्मचारियों ने हमेशा वक्त की आवाज को सुना है और रेल के पहियों को गतिमान रखा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी वे ऐसा ही करते रहेंगे । वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग हैं । मुझे विश्वास है कि वे राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूरे मन से अमल करेंगे और आज के हगामे के दौर में औद्योगिक शांति बनाये रखेंगे ।

माल यातायात, 1990-91

श्रीमन्, मैं सबसे पहले वर्ष 1990-91 के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना चाहूंगा । राजस्व उपार्जक माल यातायात के 325 मिलियन टन के लक्ष्य की प्राप्ति की कोई सम्भावना नजर नहीं आ रही थी और संशोधित अनुमान में 9 मिलियन टन की कमी दिखायी गयी थी । लेकिन वर्ष की अन्तिम तिमाही में रेलों के प्रति दिन एक मिलियन टन से अधिक लदान करके इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर लिया और परिणामत: वर्ष में लदान कुल मिलाकर 318 मिलियन टन रहा जो संशोधित अनुमान में की गयी व्यवस्था से दो मिलियन टन अधिक था ।

यात्री यातायात, 1990-91

यात्री यातायात में वृद्धि काफी अधिक रही । 1989-90 की तुलना में 1990-91 में प्रारंभिक यात्रियों की संख्या और यात्री किलोमीटर के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई ।

वित्तीय निष्पादन, 1990-91

फरवरी, 1990 में बजट पेश किये जाने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, अक्तूबर, 1990 में खाड़ी अधिप्रभार और रेलवे की साधन-सामग्री की लागत में आम वृद्धि के संचालन व्यय पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। लेकिन यातायात से कुल प्राप्तियों में वृद्धि और कठोर वित्तीय नियंत्रण द्वारा खर्च पर रोक के परिणामस्वरूप रेलें न केवल बजट के बाद होने वाली वृद्धि का भार सहने में समर्थ हुई बल्कि 18 7.6 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त करने की ही प्रत्याशा की गयी थी। इसके अलावा, पेंशन निधि में 70 करोड़ रुपये की वृद्धि और आस्थगित लाभांश की दायिता में 12 करोड़ रुपये की कमी करना भी सम्भव हुआ है। भारतीय रेलों ने 926 1 करोड़ रुपये के पूरे लाभांश का भुगतान करने के बाद लगातार छठे वर्ष अधिशेष प्राप्त किया है।

माल यातायात संबंधी सम्भावनाएं, 1991-92

1991-92 के बजट में, प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात 335 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष के पहले दस महीनों में माल यातायात की मात्रा आनुपातिक लक्ष्य से कहीं अधिक रही है। चालू वित्तीय वर्ष में अब प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात का संशोधित अनुमान 337 मिलियन टन रखा गया है जो पिछले वर्ष के 318 मिलियन टन के वास्तविक से 19 मिलियन टन अधिक है।

यात्री यातायात, 1991-92

चालू वर्ष के दौरान यात्री यातायात में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

वित्तीय संभावनाएं, 1991-92

श्रीमन्, अपने पिछले बजट भाषण में, मैंने लागत नियंत्रण, लागत में कमी और किफायती उपायों द्वारा संचालन व्यय में कमी लाने और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से नयी विपणन नीतियां अपनाने के संबंध में एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार किये जाने का उल्लेख किया था। यह कार्य योजना शुरू हो गई है और क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस पूरे मनोयोग से अमल किया जा रहा है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बजट में माल यातायात से आमदनी का 9,222 करोड़ रुपये का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 96 करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है। यात्री यातायात से आमदनी भी 3,493 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.647 करोड़ रुपये अर्थात 154 करोड़ रुपये अधिक रहने की संभावना है। यातायात से कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान भी बजट के 13,319 करोड़ रुपये के आंकड़ों की तुलना में 267 करोड़ रुपये अधिक रहेगा।

चालू वित्त वर्ष 1991-92 के लिए साधारण संचालन व्यय का अनुमान अब 9,205 करोड़ रुपये लगाया गया है। बजट के बाद अधिक ऊंची दर पर महगाई भत्ता, अवमूल्यन का प्रभाव,

बिजली की दरों में वृद्धि, कोयले आदि की लागत में वृद्धि जैसे अनेक ऐसे कारण हुए जिनका संचालन व्यय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बहरहाल, भारतीय रेलें विवेकपूर्ण प्रबन्ध द्वारा बजट के बाद का यह अधिकांश भार वहन कर लेंगी। तदनुसार, 1991-92 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत बजट अनुमान से केवल 25 करोड़ रुपये की थोड़ी सी अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

बजट तैयार करते समय पेंशन निधि से जितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था, उससे अधिक व्यय होने की संभावना है। अत: मैं वर्ष 1991-92 के दौरान पेंशन निधि में अंशदान की राशि 1,050 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,090 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

सामान्य राजस्व को 1,039 करोड़ रुपये के पूरे लाभांश का भुगतान तथा पेंशन निधि के लिए 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने के बाद वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों में 435 करोड़ रुपए के अधिशेष की व्यवस्था की गयी है जो कि बजट में की गयी 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था से 200 करोड़ रुपये अधिक है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस तरह हमने एक सर्वोत्तम और अनुकरणीय उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय घाटा कम करने की सरकार की कोशिशों में हमारा यह विनम्र योगदान है।

यात्री सेवाएं

श्रीमन्, अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने के लिए भारतीय रेलों के पास बराबर मांगें आ रही हैं। इन मांगों को पूरी तरह से पूरा करना सम्भव नहीं हो पाया है। बहरहाल, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को युक्तियुक्त करके, 1-7-1992 से निम्नलिखित नई गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :—

1. सियालदह—हल्दीबाड़ी/न्यू कूच बिहार एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

2. बड़ोदरा—बलसाड इंटर-सिटी एक्सप्रेस

3. वाराणसी—गोरखपुर इंटर-सिटी एक्सप्रेस

4 गुवाहाटी—न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर

5. बम्बई—बेंगलूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

6. विरार—दहानु रोड पैसेंजर

7. सिकन्दराबाद—विजयवाड़ा इंटर-सिटी एक्सप्रेस

8. मद्रास—बेंगलूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

6. विजयवाड़ा—मद्रास इंटर-सिटी एक्सप्रेस

10. हैदराबाद और बीदर के बीच एक नई गाड़ी चलाना तथा बीदर और बेंगलूर के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस को गुन्तकल में हम्पी एक्सप्रेस के साथ मिलाना।

11. मैसूर-तिरुपति एक्सप्रेस

12. निजामुद्दीन-कोटा-इन्दौर एक्सप्रेस

13. तिरुवनंतपुरम-गांधीधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन)

14. सीकर-लोहारू-दिल्ली एक्सप्रेस

15. भद्राचलम-सिकन्दराबाद पैसेंजर

निम्नलिखित गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया जायेगा :

1. लमडिंग धर्मनगर सवारी गाड़ी का चालन-क्षेत्र कुमारघाट तक बढ़ाकर, कुमारघाट और गुवाहाटी के बीच में एक सीधी गाड़ी चलाना और लमडिंग में उसका बारक वैली एक्सप्रेस से सम्पर्क जोड़ना।

2. समदड़ी-पालनपुर सवारी गाड़ी का मेहसाणा तक।

हवड़ा—जमालपुर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय प्रति दिन चलाया जायेगा।

संसद के पिछले बजट सत्र में, मैंने उत्तर-दक्षिण राजधानी एक्सप्रेस चलाने की व्यावहारिकता का जिक्र किया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1992-93 के दौरान नई दिल्ली से सिकन्दराबाद और बेंगलूर के लिए सप्ताह में एक दिन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। इस गाड़ी की लोकप्रियता को देखते हुए मद्रास और तिरुवनंतपुरम के लिए इसी तरह की गाड़ियां चलाने एवं इन गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, बशर्ते इन गाड़ियों के लिए विशेष किस्म के सवारी डिब्बे और अन्य साधन-सामग्री उपलब्ध हो।

यात्री सुविधाएं

भारतीय रेलें यात्री सेवाओं में सुधार के प्रति एक सुनिश्चित प्रयास कर रही है। यात्री सुविधाओं के लिए आबंटित राशि चालू वर्ष के 31 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1992-93 में 50 करोड़ रुपये अर्थात 61 प्रतिशत अधिक रखी गयी है।

सेवा सुधार दल

भारतीय रेलों ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसमें स्टेशन, क्षेत्र, मंडल, और जोनल स्तरों पर गठित सेवा सुधार दलों के माध्यम से यात्री सुविधाओं पर निगरानी रखी जाती है। ये दल टेलीफोन पर पूछताछ भोजन, सफाई और आरक्षण संबंधी शिकायतों की जांच भी करते है। सेवा की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय समस्याओं का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए इन दलों को और अधिक सक्रिय बनाया गया है। यात्री सुविधाओं की देखरेख की व्यवस्था को और

सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुछ चुने हुए स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में यात्री सुविधाओं पर निगरानी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मनोनीत किये गये हैं।

यात्री आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण

कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली सबसे पहले 1985-86 में लागू की गयी थी और तब से अब तक अनेक महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की जा चुकी है।

वर्ष 1992-93 में 12 नये स्थलों, अर्थात मंगलोर, टाटानगर, ग्वालियर, इन्दौर, लुधियाना तिरुपति, बिलासपुर, विजयवाड़ा, रांची, जबलपुर, शिमला और चण्डीगढ़ को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। ऐसा हो जाने पर भारतीय रेलों पर गाड़ियों में लगभग 77 प्रतिशत आरक्षण कंप्यूटर से होने लगेंगे। कम्प्यूटर द्वारा वापसी यात्रा और आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की व्यवस्था सिकन्दराबाद और दिल्ली तथा सिकन्दराबाद और कलकत्ता के बीच भी करने का प्रस्ताव है। यह काम पूरा हो जाने पर, दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, मद्रास, और सिकन्दराबाद स्थित पांच कम्प्यूटर केन्द्रों में से किन्हीं दो केन्द्रों के बीच यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

खान-पान

खान-पान एक निहायत वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवा है। इस सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से हमने यह फैसला किया है कि खान-पान सेवा का धीरे-धीरे निजीकरण कर दिया जाए। क्षेत्रीय रेलों को हिदायत दी गयी है कि खान-पान सेवाओं का काम विख्यात और व्यावसायिक प्रबन्धकों को ही सौंपा जाए, ताकि यात्रियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। आशा है, इससे यात्री अधिक सन्तुष्ट महसूस करेंगे।

संरक्षा

संरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई भी गाड़ी दुर्घटना हो, वह हमारे लिए निहायत चिंता और दुख का कारण बनती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए, तो भारतीय रेलों के संरक्षा निष्पादन में सुधार हो रहा है। 1985-86 में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 717 थी जो 1990-91 में घटकर 532 रह गयी। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से भी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में सुधार हुआ है 1985-86 के 1.3 के मुकाबले 1990-91 में यह घटकर 0.86 रह गयी है।

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान भी सुधार का यह क्रम बना रहा। अप्रैल-दिसम्बर 1991 के दौरान 410 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि 1990-91 की इसी अवधि के दौरान 416 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। बहरहाल, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय रेलें संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेंगी।

महोदय, सवारी गाड़ियों की कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें लोग मरे हैं। अभूतपूर्व वर्षा, पत्थरों के लाइन पर आ गिरने और साफ-साफ दिखाई न देने के कारण, बेंगलूर-धर्मावरम खण्ड पर एक दुर्घटना हुई जिसमें 29 लोगों की जानें गयीं।

लुधियाना-फिरोजपुर सवारी गाड़ी के यात्रियों पर उग्रवादियों द्वारा 26 दिसम्बर 1991 को

हमला किया गया जिसके फलस्वरूप 52 की जानें गयीं। 6 अक्तूबर, 1991 को एक पेट्रोल स्पेशल गाड़ी में एक बम का धमाका हुआ, जिसमें 8 पुलिस कर्मी मारे गए। इस महीने की 8 तारीख को अम्बाला-लुधियाना खंड पर फिरोजपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस में एक बम फटा जिसमें 5 यात्री मारे गये।

श्रीमन्, हम रेलवे की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दुखी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।

प्रौद्योगिकी प्रबन्धन और नयी दिशाएं

श्रीमन् भारतीय रेलों ने कई बार यह सिद्ध कर दिखाया है कि वे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन कर सकने में सक्षम हैं। कर्षण में परिवर्तन का मामला हो या माल भाड़ा लेखांकन और यात्री आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण की बात हो, वस्तु-सूची की प्रबन्ध व्यवस्था हो, नये किस्म का चल-स्टाक चलाना हो या परिचालनिक नीतियां अपनानी हों या कोई भी नया परिवर्तन हो, उसके लिए भारतीय रेलें पूरी तरह समर्थ हैं। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनके प्रति हम जागरूक हैं और समय के साथ-साथ हम बड़े से नयी प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रयास करते रहेंगे?

परिचालन और विपणन संबंधी नीतियां

परिचालन सम्बन्धी नीतियां ऐसी बनानी होंगी जिनसे परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके और साथ ही वे बाजार के रुख के अनुरूप हों। तदनुसार, विपणन नीतियों पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है ताकि कम दर वाली वस्तुओं पर, जो मूल्य की दृष्टि से संवेदनशील होती है लेकिन लागत की दृष्टि से जिनमें जरा भी लचीलापन नहीं होता, अधिक निर्भरता के कारण जो असंतुलन बना रहता है, उसे ठीक किया जा सके। उच्च दर वाले यातायात के अभिग्रहण के उद्देश्य से मल्टी मॉडल यातायात और कंटेनरों के उपयोग पर अधिक बल देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक निर्धारित स्थान से दूसरे निर्धारित स्थान तक की गाड़ियां चलायी जाएंगी और सुपुर्दगी की गारंटी दी जाएगी। "अपने माल डिब्बे/कंटेनर का स्वयं मालिक बनें" नामक योजनाएं शीघ्र ही आरम्भ की जायेंगी ताकि उद्योग, व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति माल भाड़े में आकर्षक रियायतों का लाभ उठाकर अपने माल की अधिक किफायतपूर्ण ढुलाई कर सकें। इससे रेलवे, जो कि वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है, के मौजूदा माल डिब्बों की संख्या भी बढ़ेगी।

परिवर्तनशील प्रबन्ध व्यवस्था

अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार की नयी सोच और नयी नीति ने अनुकूल रेल संगठन और प्रशासन को अधिक परिवर्तनशील बनाना आवश्यक है। इसके लिए संगठनात्मक परिवर्तन लाने होंगे जो कि एक विस्तृत अध्ययन के आधार पर ही किये जा सकते हैं। प्रबन्ध व्यवस्था में बदलाव लाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए मैं विशेषज्ञों की एक समिति गठित करना चाहता हूं ताकि रेल परिवहन अच्छे अर्थों में व्यावसायिक रूप ले सके।

क्षेत्रीय रेलों को अधिशेष जुटाने वाले लाभ-केन्द्र माना जाएगा। घाटे में चल रही रेलों का

पहला लक्ष्य यह होगा कि उन्हें घाटा न हो। निचले स्तर पर प्रबन्धक वित्तीय परिणामों के प्रति जिम्मेदार हों, इस बात पर बल दिया जायेगा। इसके लिए मैंने रेलवे बोर्ड को निदेश दिए हैं कि न केवल 1992-93 के लिए कार्य योजना तैयार की जाए बल्कि समूची योजना अवधि के लिए वित्तीय योजना बनायी जाए।

श्रीमन्, कोई भी सुधार करना होगा, तो उसे ऊपर से ही शुरू करना होगा। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रबन्ध व्यवस्था के शीर्ष स्तर, उससे नीचे के स्तर, मध्यवर्ती और निचले स्तर के ऐसे पद तय किये जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जायेगा। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण निचले स्तरों पर अनावश्यक पदों का पता लगाने के लिए भी ऐसी ही कार्यवाई की जा रही है और इसमें तेजी लायी जाएगी।

आठवीं योजना—परिप्रेक्ष्य और सम्भावनाएं

सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 74 मिलियन टन का वर्धमान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात पिछले 19 वर्षों के वर्धमान यातायात के बराबर रहा है। परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग और उत्पादकता में सुधार के फलस्वरूप छठी योजना अवधि की तुलना में माल परिवहन की मात्रा और यात्री परिवहन में क्रमशः 30 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलों ने योजना अवधि के दौरान लाभांश का पूरा-पूरा भुगतान करने के बाद 560 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया है और हर वर्ष वित्तीय अर्थक्षमता बनाये रखी है। इस प्रकार आठवीं योजना के लिए एक ठोस नींव डाल दी गयी है।

आठवीं योजना में 1991-92 के 335 मिलियन टन के मूल लक्ष्य की तुलना में 83 मिलियन टन वर्धमान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात और यात्री यातायात में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि में निवेश का लक्ष्य होगा—आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, चल-स्टाक, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, अन्तःमाडल परिवहन और टर्मिनल क्षमता का विकास।

श्रीमन्, एक ही आमान वाली रेल प्रणाली का प्रश्न संसदविज्ञों, अर्थशास्त्रियों, उद्यमियों और यहां तक कि आम जनता को उद्वेलित करता आ रहा है। 23,419 किलोमीटर लम्बे मीटर लाइन के मार्ग को, कुल मार्ग किलोमीटर का 38 प्रतिशत है, प्रणाली के लिए बाधक ही समझा जाता है। मीटर लाइन प्रणाली द्वारा सेवित कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण के अलावा, कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। लेकिन बेहतर रेल परिवहन अवसंरचना उपलब्ध न होने के कारण ये क्षेत्र अविकसित हैं। अर्थशास्त्री सामान्यतः यह मानते हैं कि रेल परिवहन प्रणाली ऊर्जा की दृष्टि से सड़क परिवहन की तुलना में कम से कम छः गुणा अधिक कार्यक्षम होती है। व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह तर्कसंगत है कि आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लायी जाए, विशेषकर ऐसे समय में जब कि ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। मीटर लाइन प्रणाली के कुछ दोषों का शीघ्र ही निवारण किए जाने की भी जरूरत है। भीड़-भाड़ वाले मौजूदा

मार्गों के लिए विकल्प तैयार करने को आमान परिवर्तन में प्राथमिकता का उपाय माना जायेगा। इस प्रकार परिवहन अवरोधों और यानान्तरण बाधाओं को कम करने से न केवल रेलों की क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि होगी बल्कि उत्पादन के नये-नये केन्द्र खोलने के लिए निवेशकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा होगी और क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि दो तरह की लाइनें बिछाने की अनुमति देने की भूल को कम से कम आंशिक रूप से सुधार लिया जाये। मेरे मंत्रालय ने आमान परिवर्तन के लिए लगभग 10,000 कि.मी. लम्बी लाइनों को चुना है। मेरा यह प्रयास होगा कि आठवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम 6,000 कि.मी. लम्बी लाइनों का आमान परिवर्तन कर दिया जाए। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि इससे अनेक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

आमान परिवर्तन के प्रति इस नये दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने में मुझे प्रधानमंत्री जी और वित्त मन्त्री जी भी ने जो प्रोत्साहन दिया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने जो तत्परता दिखायी, उससे मुझे बहुत बल मिला है। श्रीमन्, मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि जब यह काम पूरा हो जायेगा तो रेल प्रणाली का स्वरूप पूरी तरह बदल जायेगा।

वार्षिक योजना 1992-93

बजट की उत्तरोत्तर कम होती राशि को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने शुरू में 5,450 करोड़ रुपये की योजना का सुझाव दिया था। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 1991-92 में योजना के लिए 5,325 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सदन इस बात से सहमत होगा कि अवसंरचनात्मक विकास एक अनिवार्यता है और क्षमता रातों-रात पैदा नहीं की जा सकती। इसके अलावा, आवश्यकता इस बात की भी है कि आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, चल-स्टाक और टर्मिनल क्षमता जैसे तात्कालिक महत्व वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि रेल परिवहन क्षमता, यदि मांग से अधिक न हो तो कम से कम उससे कम भी न रहे। योजना आयोग के अनुमोदन से, मैंने संसाधन जुटाकर योजना की राशि 5,700 करोड़ रुपये निर्धारित की है। राशि यह भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरे लिए एक आशा की किरण यह है कि योजना आयोग ने वर्ष के दौरान स्थिति की समीक्षा करने का वचन दिया है।

भूमि प्रबंध

संसाधन जुटाने का एक उपाय यह है कि महानगरों में वायु मंडल का उपयोग और भूमि का सुचारू प्रबन्ध किया जाए। इस नये संभावित क्षेत्र का लाभ अभी उठाया जाना है और मैं इस दिशा में सावधानीपूर्वक कारंवाई कर रहा हूं। राज्य सरकारों से मेरी बातचीत चल रही है और समाज की बेहतरी के लिए, महानगरों में तथा अन्य जगहों पर अवसंरचनात्मक विकास के लिए रेलों को संसाधन जुटाने की सामर्थ्य दिलाने में, मैं उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो इस समस्या के विविध पहलुओं का अध्ययन करेगी। इनमें एक पहलू यह भी शामिल है कि भूमि के बेहतर उपयोग के लिए किस तरह का संगठन अपेक्षित है।

महाराष्ट्र सरकार ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है और हम सोच रहे हैं कि उनके सक्रिय सहयोग से हम बम्बई शहर के कुछ क्षेत्रों को इस काम के लिए चुनें ताकि देश के शेष भाग के लिए यह एक मिसाल बन सके।

नयी लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरी लाइन बिछाना

निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाओं और खण्डों को, जिनकी कुल लम्बाई 277 कि.मी. है, मार्च 1992 की समाप्ति से पहले खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :—

1. तिरूर—गुरुवायूर

2. आमगुड़ी—तुली

3. अलेप्पी—कायनकुलम

4. सेलापुर—पाटनचेरू

5. आदिलाबाद—पिम्पलकुट्टी

6. सतना—रीवा परियोजना का सतना-रामपुर रोड खण्ड

7. गुना-इटावा परियोजना का ग्वालियर-पनिहार खण्ड

8. लक्ष्मीकांतपुर—नामखाना परियोजना का लक्ष्मीकांतपुर—कुल्पी खण्ड

9. जम्मू—ऊधमपुर परियोजना का जम्मू-बजालता खण्ड

10. रामपुर—न्यू हल्द्वानी परियोजना का रामपुर-बिलासपुर खण्ड

11. कोरापुट—रायगडा परियोजना का दामनजोड़ी-लक्ष्मीपुर खण्ड

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित नयी लाइन परियोजनाओं और खंडों को 1992-93 के दौरान यातायात के लिए खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है :—

1. सतना-रीवा परियोजना का रामपुर रोड-रीवा खण्ड

2. रामपुर-न्यू हल्द्वानी परियोजना का बिलासपुर-लाल कुआं खण्ड

3. गुना-इटावा परियोजना का ग्वालियर-सनिचरा खण्ड

4. मथुरा-अलवर परियोजना का मथुरा-डीग खण्ड

5. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग परियोजना का चल्लीकिरे-रायदुर्ग खण्ड

6. करूर-डिण्डीगुल-तूतीकोरिन परियोजना का डिण्डीगुल-मदुरै खण्ड

7. कोरापुट-रायगढा परियोजना का लक्ष्मीपुर-सिंगापुरम रोड खण्ड

8. तालचेर-संबलपुर परियोजना का तालचेर-अंगुल और संबलपुर-मानेश्वर खंड

1992-93 के दौरान यातायात के लिए खोलने के कार्यक्रम में शामिल नई लाइनों की कुल लम्बाई 367 कि. मी. है। इन खंडों के खुल जाने पर सतना-रीवा, चित्रदुर्ग रायदुर्ग और कोरापुट-रायगढा, तीन परियोजनाएं पूरी हो जाएगी।

पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में दो नयी लाइनों, अर्थात् दुधनोई-मेंदीपथर-डेपा और भिगरेनविसा-विटोकेचेरा को 1992-93 से आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

हुबली से अंकोला तक, नरखेड़ से अमरावती तक, करीम नगर के रास्ते पेद्दापल्ली से निजामाबाद तक और रायपुर से गडवल तक बड़ी लाइनों का प्रस्ताव है ताकि पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ये प्रस्ताव योजना आयोग को भेजे जा रहे हैं।

मनमाड-औरंगाबाद और सलेमपुर-बरहज बाजार खंडों के आमान परिवर्तन का काम चालू वर्ष के दौरान पूरा हो चुका है। कुल 3,352 कि. मी. लम्बी आमान परिवर्तन की 16 नयी परियोजनाएं 1992-93 में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।*

1991-92 में लगभग 240 कि. मी. दोहरी लाइनें चालू कर दी जायेंगी अन्य 350 कि. मी. रैलपथ पर दोहरी लाइन बिछाने का काम 1992-93 में पूरा करने का प्रस्ताव है।

*16 नई परियोजनायें निम्नलिखित हैं—

1. दाउन्द—बारामती

2. दिल्ली—रेवाड़ी

3. बुढवल—सीतापुर

4. मुजफ्फरपुर—रक्सोल तथा सगौली—नरकटियागंज

5. इलाहाबाद—वाराणसी

6. मनकापुर—कटरा—फैजाबाद

7. न्यू गुवाहटी—चुमदिंग

8. बंगलौर—हुबली

9. डीनडिगुल—त्रिची

10. मिरज—लोन्ज

11. हौसपेट—हुबली—गोवा

12. गुंटुर—गुंटाकल और गुंटाकल—कालुरू

13. सिकन्दराबाद—द्रोणाचलम और सिकन्दराबाद—बोलारम

14. कतपाडी—पकाला—तिरुपति

15. गोंडीया —चन्दाफोर्ट

16. रेवाड़ी—जयपुर

1992-93 के दौरान पूर्व रेलवे के खाना-सैंथिया, खंड, पश्चिम रेलवे के मकसी-बैरागढ़ खंड और दक्षिण रेलवे के कुप्पम-व्हाइटफील्ड खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का काम शुरू करने का प्रस्ताव है। खाना-सैंथिया खंड में दोहरी लाइन बिछाने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भूमि के अधिग्रहण और खाना में एक फ्लाई-ओवर सहित खाना-कापटरडाल के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम 1992-93 में शुरू किया जाएगा। अण्डाल-सैंथिया खंड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए 1992-93 में जरूरत नहीं हैं, वे आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

रेल पथ का नवीकरण

महोदय, सदन को यह विदित है कि रेलें रेल-पथ के नवीकरण के बकाया काम को पूरा करने पर विशेष बल दे रही हैं, सातवीं योजना के शुरू में यह काम बहुत पिछड़ गया था और उस समय 19 500 कि. मी. रेल पथ का नवीकरण करना बाकी था। 1985-86 से रेल.पथ नवीकरण के के काम में तेजी लाए जाने के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के अन्त तक यह बकाया काम घटकर 9,600 कि. मी. रह जाने की संभावना है। वर्ष 1992-93 में 2,950 कि. मी. रेल-पथ के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2,[illegible]00 कि. मी. वह रेल पथ शामिल है, जिसका प्रतिवर्ष नवीकरण करना होता है। हालांकि नवीकरण के लिए अपेक्षित कुछ बकाया काम नौवीं योजना तक चला जाएगा, परन्तु यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आठवीं योजना के अन्त तक उच्च घनत्व वाले मार्गों के नवीकरण का कोई काम बकाया न रहे।

रेल विद्युतीकरण

ऊर्जा की बचत तथा पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित दुर्लभ ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने रेल विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 1991-92 के अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि रेलें आठवीं योजना में लगभग 3,000 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण करना चाहती हैं। अब हमारा प्रस्ताव विद्युतीकरण की गति को और तेज करने का है और आठवीं योजना के लिए हमने 3,500 मार्ग किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इटारसी-नागपुर, दुर्ग-नागपुर तथा इटारसी-भुसावल खंडों के विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाने से, दिल्ली तथा मद्रास, हावड़ा तथा

बम्बई और मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली तथा बम्बई को जोड़ने वाले तीन और महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। जोलारपेट्टै-बंगलूर, जोलारपेट्टै-सेलम-ईरोड, नागदा-भोपाल, दिवा-पनवेल खंडों तथा काजीपेट-सिकन्दराबाद खंड के काफी बड़े हिस्से में भी विद्युतीकरण का काम पूरा होने वाला है। चालू वर्ष में हमारा लक्ष्य 675 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का है।

विद्युतीकरण की निम्नलिखित नयी योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है, जिनकी कुल लम्बाई 1,553 मार्ग किलोमीटर है :—

1. अम्बाला-मुरादाबाद
2. तोरणगल्लू-रणजीतपुरा सहित रेणिगुंटा-गुंतकल-होसपेट
3. ईरोड-एर्णाकुलम-कोच्चिन हार्बर टर्मिनल
4. सामलकोट-काकिनाडा सहित विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम
5. चांडिल-मुरी-बरकाकाना
6. जामाडोबा-मोहुदा

भारतीय रेलें झाझा-पटना-मुगलसराय खंड के विद्युतीकरण का काम भी शुरू करेंगी जो स्वीकृत तो था, लेकिन जिसे अभी तक स्थगित रखा गया था।

महानगर परिवहन परियोजना

जैसा कि सदन को विदित है, एस्प्लेनेड से टालीगंज और दम-दम से बेलगछिया तक के दो खंड, जिनकी कुल लम्बाई 10 किलोमीटर है, पहले ही चालू कर दिए गए हैं। दुर्भाग्य से, एस्प्लेनेड और बेलगछिया के बीच शेष 6.5 कि. मी. के टुकड़े में कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुसार नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण था आर्थिक समस्याएं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की मदद से अब इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है तथा अब कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। आशा है, शेष टुकड़े को 1995 में चालू कर दिया जाएगा।

बम्बई में थाणे क्रीक पर 2 किलोमीटर लम्बे पुल सहित मानखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन के विस्तार का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है और आशा है, यह लाइन 1992 में यातायात के लिए खोल दी जाएगी।

मद्रास बीच से लुज तक द्रुत परिवहन प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। इस खंड के मद्रास बीच से पार्क टाउन तक के उपखंड को यातायात के लिये खोल दिया गया है। पार्क टाउन से चेपक तक अगला उपखंड 1993 में पूरा हो जाने की संभावना है।

उत्पादन कारखाने

वर्ष 1990-91 में उत्पाद कारखानों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है। डीजल रेल

इंजन कारखाना, वाराणसी ने 147 डीजल रेल इंजनों का निर्माण किया जो 140 रेल इंजनों के मूल लक्ष्य को पार कर गया। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने 110 बिजली रेल इंजनों का निर्माण किया जबकि लक्ष्य 100 बिजली रेल इंजनों का था। इसने 44 डीजल रेल इंजनों का भी निर्माण किया। पेरम्बूर स्थित सवारी डिब्बा कारखाने ने 1,000 सवारी डिब्बे बनाने की अपनी क्षमता से बढ़कर 1,013 सवारी डिब्बों का निर्माण किया। रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला ने 500 सवारी डिब्बों के लक्ष्य की तुलना में, 600 सवारी डिब्बे तैयार किये। पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूर ने 23,000 से अधिक पहिया-सेटों का निर्माण किया। चालू वर्ष में भी, उत्पादन कारखाने न केवल अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेंगे, कुछ कारखानों का कार्य-निष्पादन और भी बेहतर होगा।

श्रीमन, हमारा यह प्रयास होगा कि निर्माण प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया जाए, अभिकल्पों में सुधार किया जाए, अधिक से अधिक स्वदेशीकरण किया जाए, इन्जीनियरी की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाया जाए तथा समग्र उत्पादता में सुधार किया जाए।

ऊर्जा की बचत

भारतीय रेलें ऊर्जा की बचत को काफी महत्व देती हैं। रेलों के संचालन व्यय में से लगभग 20% व्यय ऊर्जा पर होता है। ऊर्जा की अधिकांश खपत कर्षण पर होती है। कर्षण के तीनों साधनों, भाप, डीजल और बिजली में से भाप कर्षण की कार्यकुशलता सबसे कम है। चालू वर्ष में 315 भाप रेल इंजनों को सेवा से हटाए जाने की संभावना है। और तब लगभग 2,500 भाप रेल इंजन शेष रह जाएंगे। आठवीं योजना के दौरान इनमें से 2,000 भाप रेल इंजनों को नाकारा कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य यह है कि सन 2,000 तक हमारी रेलों में कोई भी भाप रेल इंजन न रहे। इसके अलावा, भारतीय रेलें ऊर्जा की बचत के लिए संगठित तथा जोरदार प्रयास कर रही हैं। ऊर्जा की बचत से संबंधित कई उपाय तथा कार्यक्रम, जिनमें प्रौद्योगिकीय परिवर्तन भी शामिल हैं, तय कर लिये गये हैं तथा उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

रेल भाड़ा तथा मालभाड़ा समिति

श्रीमन, सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सुप्रसिद्ध परिवहन अर्थशास्त्री, डा. डी. एम. नाजुन्दप्पा की अध्यक्षता में एक "रेल किराया तथा मालभाड़ा समिति" गठित की गई है। यह समिति न केवल विभिन्न सेवाओं की कीमत-निर्धारण के तौर-तरीकों, अपितु सेवाओं का लागत-निर्धारण तथा लागत के प्रमुख घटकों की भी बारीकी से जांच करेगी और उपयुक्त सुझाव देगी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लागत के अनुकूल बनाना होगा तथा उत्पादन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल समाज और राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के लिए करना होगा। देश की समृद्धि के मूल मंत्र हैं—अधिक उत्पादकता तथा कार्य की गुणवत्ता।

भारतीय रेल वित्त निगम

चालू वर्ष में भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है। निगम द्वारा एकत्रित यह राशि रेलों की योजना का ही हिस्सा होती है, अतिरिक्त नहीं होती। श्रीमन सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1990-91 में, निगम ने 114 करोड़ रुपये का

लाभ कमाया है और 10 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है जो 23.2 करोड़ रुपए बनता है जबकि वर्ष 1989-90 में इसने 1,65 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था।

रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज

रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज ने 8.6 करोड़ रुपए की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ 1990-91 में 54.0 करोड़ रुपये का कारोबार किया। कम्पनी ने कर-पूर्व 3.1 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और 25% का लाभांश घोषित किया, जिसकी रकम 25 लाख रुपये बनती है।

इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने 246 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 1990-91 में 11.7 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ कमाया और 10 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया जिसकी रकम 49 लाख रुपये बनती है सरकार ने इस कम्पनी को शेयर-निवेश में कमी करने के लिये चुना है।

भारतीय कन्टेनर निगम

भारतीय कंटेनर निगम ने 1990-91 में 33.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। 1990-91 के दौरान भारतीय कटेनर निगम ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में तीन अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो और मुरादाबाद तथा पानीपत में दो कन्टेनर माल स्टेशन खोले।

कोंकण रेलवे परियोजना

कोंकण रेलवे परियोजना से हम सबका गहरा लगाव है। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोआ की राज्य सरकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस परियोजना की प्रगति में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इस परियोजना की लागत 1,043 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,604 करोड़ रुपये होने की संभावना है। अतः इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। इसकी भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर बाजार से ऋण लेने होंगे। बहरहाल, संसाधन की कठिन परिस्थिति के बावजूद, मैंने इस वर्ष कोंकण रेलवे परियोजना के लिए समीकृत पूंजी के रूप में 50 करोड़ रुपये की और राशि आवंटित की है।

औद्योगिक सम्बन्ध

1991-92 के दौरान रेलों पर औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्द और मैत्रीपूर्ण बने रहे। श्रीमन, रेल कर्मचारियों ने उत्तरकाशी के भूकम्प पीड़ितों और कर्नाटक राज्य में बाढ़ और तूफान के शिकार व्यक्तियों की मुसीबत के समय जो सेवा की है, मैं उसकी सराहना करता हूं।

खेल कूद

खेल कूद के क्षेत्र में रेलों ने एक शानदार मिसाल कायम की। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1990-91 में रेलों ने 26 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीती है जो कि अब तक का एक रिकार्ड है। चालू वर्ष में, रेलें 17 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। रेलवे के तीन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रधानमन्त्री जी की इच्छा का आदर करते हुए, मैं भूतपूर्व पात्र संसद सदस्या को मुफ्त पास की सुविधा प्रदान करना चाहता हूं ताकि वे सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहें।

1.00 म. प.

बजट अनुमान 1992-93

अब मैं 1992-93 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। आशा है कि चालू वर्ष में सम्भावित 337 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात की तुलना में 1992-93 के दौरान रेलों द्वारा 17 मिलियन टन अधिक यातायात की ढुलाई की जाएगी। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

इन पूर्वानुमानों के आधार पर, किराए और मालभाड़े की मौजूदा दरों पर यातायात से कुल 14,518 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 932 करोड़ रुपये अधिक है।

इस वर्ष 10,460 करोड़ रुपये के साधारण संचालन व्यय का अनुमान है। यह राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1,255 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः वर्धमान यातायात के लिए ईंधन सामग्री की लागत, भारतीय रेल वित्त निगम को देय अतिरिक्त लीज प्रभार, ईंधन और अन्य ईंधन-सामग्री की कीमतों में वृद्धि तथा महंगाई भत्ते के अतिरिक्त भुगतान के कारण है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान की राशि, जो चालू वर्ष में 2,000 करोड़ रुपये को, 1992-93 में बढ़ाकर 2,300 रुपये करने का प्रस्ताव है।

पेंशन निधि में अंशदान 1991-92 के 1,090 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर अगले वर्ष 1,200 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर के बारे में एक ज्ञापन हाल ही में गठित रेल अभिसमय समिति को प्रस्तुत किया गया है। इस बीच, वर्ष 1992-93 के लिए लाभांश की व्यवस्था उसी दर पर की गई है, जिस दर पर चालू वर्ष के लिए की गई थी। इस आधार पर 1992-93 के लिए लाभांश की दायिता 1,150 करोड़ रुपये बनती है।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय, जिसमें साधारण संचालन व्यय तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनयोग शामिल है, 13,960 करोड़ रुपए होने की संभावना है। शुद्ध विविध प्राप्तियों की 206 करोड़ रुपये की रकम को हिसाब में लेने के बाद शुद्ध राजस्व 764 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह राशि 1,150 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं होगी। इसके अलावा, योजना के आकार को समुचित बनाए रखने के लिए रेलों को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है।

टैरिफ संबंधीप्रस्ताव

श्रीमन, सदन को ज्ञात है कि लागत को आत्मसात करने और एक जन नीति के रूप में लागत से भी कम कीमत पर सेवा प्रदान करने की रेलों की एक लम्बी परम्परा रही है। इससे एक सीमा के बाद कार्य-निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जिससे राष्ट्र के निर्माण में भी बाधा पहुंचेगी। सामाजिक दायित्व को, जो 1980-81 में 421 करोड़ रुपये था, बढ़कर, 1990-91 में 2,202 करोड़ रुपये हो गया है और 1991-92 में इसके 2,227 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा साधन-सामग्री, की कीमतें भी बढ़ रही हैं अतः किराए और मालभाड़े की दरों में कुछ समायोजन अपरिहार्य हो गया है।

श्रीमन, इस बारे में मुझे बहुत चिन्ता है और अभी भी मेरा प्रयास यही होगा कि जन की आन्तरिक व्यवस्था के जरिए कुछ हद तक लागतों को आत्मसात करके, उस कीमत पर रेल उपयोग-कर्ताओं की सेवा की जाए, जो वे दे सकते हों। तदनुसार, मैंने यह फैसला किया है कि आम लोगों शहरी और देहाती इलाकों में रह रहे समाज के कमजोर वर्गों तथा किसानों के हितों की रक्षा की जाये। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, मैंने न केवल मौजूदा कम दरों को बरकरार रखा है, बल्कि निम्नलिखित अनिवार्य वस्तुओं को भाड़ादरों में किसी प्रकार की वृद्धि से भी पूरी तरह मुक्त रखा है :—

(i) खाद्यान्न और दालें

(ii) खाने का नमक

(iii) चीनी

(iv) गुड़, शक्कर और जागरी

(v) चाय

(vi) फल और सब्जियां

(vii) खाद्य तेल

(viii) मिट्टी का तेल

(ix) डीजल

(x) रासायनिक खाद

(xi) जैविक खाद

(xii) खली

(xiii) तिलहन

(xiv) पशुधन और

(xv) चारा।

प्लेटफार्म टिकट की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरा दर्जा साधारण के 10 किलोमीटर तक के किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए शायिका अधिप्रभार में कोई वृद्धि नहीं होगी।

महोदय, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेल परिवहन अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है और अवसंरचनात्मक विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भविष्य में आमदनी बढ़े, इसके लिए निवेश आवश्यक है और यह तभी हो सकता है जब आंतरिक रूप से संसाधन जुटाए जाएं।

इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि टैरिफ में कुछ परिवर्तन किए जाएं और भाड़ा संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाए। ये परिवर्तन 1-4-1992 से लागू होंगे।

जिन अनिवार्य वस्तुओं का जिक्र पहले किया गया है, उन्हें छोड़कर शेष सभी वस्तुओं की भाड़ा-दरों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, लेकिन कोयले की भाड़ा-दरों में यह वृद्धि केवल 4 प्रतिशत होगी। कोयले की दरों में कम वृद्धि की जा रही है जिससे कि अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव कम रहे।

पहले जिन अनिवार्य वस्तुओं का जिक्र किया गया है, उन्हें छोड़कर मैं अन्य विभिन्न वस्तुओं के वर्गीकरण को भी युक्तियुक्त बनाना चाहता हूँ। इसके लिए गाड़ी भार, माल डिब्बा भार और फुटकर के वर्गीकरण को एक श्रेणी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

पार्सल वर्गीकरण और प्रभार को भी कुछ युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव है। ताजा फल और सब्जियों को छोड़कर, जिन पर संशोधित न्यूनतम प्रभार 20 रुपये होगा, पार्सल और सामान के लिए न्यूनतम प्रभार में संशोधन करके उसे 17 रुपये से 30 रुपये करने का प्रस्ताव है।

यात्री किरायों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) ऊंचे दर्जे अर्थात वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल शयनयान, पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी यान के किरायों में सभी दूरियों के लिए 20 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। राजधानी एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-बम्बई ए. सी. एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में भी समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ii) दूसरा दर्जा साधारण किरायों में न्यूनतम स्लैब में प्रति टिकट 50 पैसे की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 250 किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए अधिक से अधिक 5 रुपये प्रति टिकट होगी। बहरहाल, मैं 10 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं रख रहा हूँ।

(iii) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के किरायों में न्यूनतम दूरी-स्लैब के लिए 1 रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 1,300 किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए अधिक से अधिक 25 रुपये प्रति टिकट होगी। इस तरह जम्मू तवी और कन्या कुमारी के बीच—3,726 किलोमीटर की दूरी के लिए—एक यात्री को केवल 25 रुपये अधिक देने होंगे।

(iv) दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों के मामले में सभी दूरी-स्लैबों के लिए इस समय जितनी इकतरफा यात्राओं को गिना जाता है, उनमें एक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस तरह दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटधारी यात्री को विभिन्न दूरी-स्लैबों के लिए मौजूदा 8 से 23 इकतरफा यात्राओं के बजाय 9 से 24 इकतरफा यात्राओं के बराबर किराया देना होगा। पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों में भी इसी प्रकार से समायोजन किया जाएगा।

(V) दूसरे दर्जे के शयनयान अधिप्रभार को 501 किलोमीटर से 1,000 कि. मी. दूरी-स्लैब के लिए मौजूदा 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त प्रस्तावों से वर्ष 1992-93 में 1,366 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

श्रीमन, समय के साथ-साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। रेलवे जैसे पुराने संगठन अपने आप को धीरे-धीरे ही इन परिवर्तनों के अनुरूप ढाल पाते हैं। लेकिन तेजी से बदलती हुई आज की इस दुनिया में जरूरी है कि प्रबन्धक अधिक जागरूक रहें, अपने दृष्टिकोण को बदलें और अपने आप को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालें। संगठित क्षेत्रों को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी सामूहिक सौदाकारी की शक्ति के बल पर विकास का अधिकांश लाभ अपने लिए बटोरने का अधिकार उन्हें नहीं है ; इसे तो उन्हें आम जनता और राष्ट्र के साथ मिल बांटना होगा। जनता बेहतर सेवा चाहती है, तेज गाड़ियां चाहती है और मुझे विश्वास है कि वह इसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हम सब थोड़ा त्याग करें जिससे कि आने वाले कल को बेहतर और उज्ज्वल बनाने की योजना बनायी जा सके। प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और परिचालनिक नीतियों में निवेश के लिए संसाधन जुटाने होंगे और इसके लिए लागत पर नियंत्रण के उपाय अपनाने के साथ-साथ सेवाओं का समुचित मूल्य निर्धारित करना होगा। श्रीमन, अपनी जनता, अपनी संस्थाओं और अपनी जनतांत्रिक परम्पराओं में पूरे विश्वास के साथ हम इस ध्येय की ओर आगे बढ़ेंगे। यह समुचित मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे निष्ठावान रेल कर्मचारियों का नेतृत्व करने का अवसर मिला है जो चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मुझे यकीन है कि राष्ट्र हर तरह की बदलती परिस्थितियों में काम करने की उनकी योग्यता और क्षमता

पर भरोसा रख सकता है। श्रीमन, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल को गतिमान, सुदृढ़ और सर्वक्षम बनाये रखने के लिए सदन के माननीय सदस्य सर्वसम्मति से मेरे प्रस्तावों का समर्थन करेंगे।

श्रीमन, इन शब्दों के साथ मैं अब 1992-93 का रेलवे बजट सदन को संस्तुत करता हूं।

———

1.10 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय भांडागारण निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1297/92]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 14 (अ), जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जल उपकर अधिनियम, 1977 की की अनुसूची 1 में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1298/92]

भारतीय नर्स परिषद (पेन्शन/परिवार उपदान) विनियम, 1989 तथा इन पत्रों, इत्यादि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय नर्स परिषद (पेंशन/परिवार पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि एवं सेवा-निवृत्ति उपदान) विनियम, 1989, जो 30 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2-1/75-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि-पत्र, जो 10 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2-1/75-आईएनसी में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1300/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1299/92]

[अनुवाद]

1.11 म. प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 20 दिसम्बर, 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त तीन विधेयकों को सभापटल पर रखता हूं—

(1) कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

(3) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1991

महोदय, मैं 20 दिसम्बर, 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त, राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित, निम्नलिखित सात विधेयकों को सभापटल पर रखता हूं—

(1) बंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991

(3) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991

(4) चाय कम्पनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1991

(5) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1991

(6) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1991

(7) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 1991

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : छटनी किए गए कर्मचारियों का क्या होगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नौकरी से निकाले गये रेलवे कर्मचारियों का क्या होगा ? इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा । इस बारे में उन्हें कुछ कहना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट में गुजरात के लिए कुछ नहीं किया गया है । गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है । यह हमारे साथ अन्याय है । अगर बजट राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है तो हम भी राजनीतिक दृष्टि से ही बात करेंगे । (व्यवधान) अगर गुजरात को न्याय नहीं मिला तो गुजरात में आंदोलन हो जाएगा । गुजरात की जनता इस बजट के खिलाफ आन्दोलन करगी ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

आप गुजरात राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, पहले आप बैठ जाइए । आपको उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हमारे साथ अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अहमदाबाद से गाड़ियां नहीं चलेगी गुजरात में आंदोलन होगा और गुजरात में कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। अहमदाबाद से बम्बई के लिए सरदार पटेल एक्सप्रेस मंजूर की गई थी, इसको भी बंद कर दिया गया है (व्यवधान)

गुजरात की जनता शांति से अपना अधिकार मांगती है (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.15 म. प. तक के लिए स्थगित की जाती है।

1.14 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म. प तक के लिए स्थगित हुई।

— —

[अनुवाद]

2.18 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.18 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मन्त्री महोदय द्वारा निकाले गए कर्मचारियों की बहाली के बारे में उनके भाषण की समाप्ति पर हमने उनसे जानना चाहा था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : वित्त मन्त्री महोदय की ओर से भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री चित्त बसु (बारसात) : वित्त मन्त्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिया जाना था, उसके बारे में क्या हुआ ? यह कोई सामान्य मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस समाचार पत्र में कुछ विवरण है। इसमें जो लिखा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ : "विगत दिनों नवम्बर 1991 में भारत के वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि भारत इस्पात उद्योग को नियंत्रण से मुक्त कर देगा; और लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पूंजी का अनिवेश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया जाएगा; ......"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इससे भी बढ़कर, उन्होंने खासतौर पर यह कहा है कि आगामी वर्ष में ऐसा कर दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या रहा ? मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

श्री चित्त बसु : वित्त मंत्री महोदय यहां मोजूद हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनकी सहायता के लिए मैं उनके वक्तव्य के इस अंश को पुनः पढ़ना चाहूँगा। इसमें कहा गया है "विगत दिनों नवम्बर 1991 में भारत के वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि भारत इस्पात उद्योग को नियंत्रण से मुक्त कर देगा; और लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पूंजी का अनिवेश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया जाएगा; और बैंकों के ऋण पर आश्रित वरीयता क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा ..." (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को निपटा लेते हैं।

श्री चित्त बसु : इन्हें इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : जी नहीं। संसदीय कार्य मन्त्री श्री गुलाम नबी आजाद ने पूर्वाह्न यह बताया था कि उन्होंने वित्त मन्त्री महोदय से बात की है और वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे रेल बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् आएंगे और अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह चाहते हैं कि दो मुद्दों पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

(1) निकाले गये रेलवे कर्मचारियों की बहाली के विषय पर जिसे पहले पूरा नहीं किया गया था और

(2) वित्त मन्त्री महोदय का उत्तर, यदि वे कोई देना चाहते हैं...... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूँगा कि जो कुछ समाचार पत्र में छपा है, और जो सन्दर्भ यहां उठाया जा रहा है, इस पर यदि ये वित्त मन्त्री महोदय से ही उत्तर चाहते हैं, तो वित्त मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : और निकाले गये रेलवे कर्मचारियों की बहाली के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी इच्छानुसार अब वित्त मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

2.24 म. प.

केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी दस्तावेजों में विश्व बैंक के हस्तक्षेप के कथित आरोप पर मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का मुझे अत्यन्त खेद है कि पूर्वाह्न में जब यह मामला इस सभा में उठाया गया तो उस समय मैं राज्य सभा में व्यस्त था। अतः वक्तव्य देने के इस अवसर के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यों ने किसी समाचार पत्र में ऐसी कोई रिपोर्ट देखी होगी कि केन्द्रीय बजट सम्बन्धी दस्तावेजों में विश्वबैंक ने हस्तक्षेप किया है। यह रिपोर्ट मोटे तौर पर विकास नीति के उस पत्र के सन्दर्भों के बारे में है जिसे मैंने 11 नवम्बर 1991 को विश्व बैंक के अध्यक्ष को लिखा था जोकि विश्व बैंक, आई. डी. ए. के 500 मिलियन डालर राशि के ऋण/जमा के संरचनात्मक समायोजन से सम्बन्धित था। सभी सदस्य जानते हैं, संरचनात्मक समायोजन ऋण के अन्तर्गत ऐसी सहायता पाने के लिये, यह प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाती है।

माननीय सदस्य जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर समाचार पत्र में छपी इस रिपोर्ट को पढ़ने का कष्ट किया है, जानते हैं कि रिपोर्ट केवल हमारे स्थूल-आर्थिक-स्थिरता, सरकार द्वारा उठाए गए व इस माननीय सदन में व्यापक तौर पर चर्चा व बहस किए गए संरचनात्मक सुधार के प्रयासों के विभिन्न तत्वों के बारे में है। लेकिन महोदय, इस अवस्था में यह बताना कि आने वाले बजट में क्या है अथवा क्या नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों के स्वयं अवलोकन किया जाने हेतु विकास नीति से संबंधित यह पत्र बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद के ग्रंथालय में रख दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप समाचार पत्र की रिपोर्ट को तो अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या समाचार पत्र की रिपोर्ट में जो कुछ छपा है, सत्य है? इसलिए, वित्त मन्त्री महोदय के कथनानुसार ही मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकाशित सामग्री सत्य है? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या इन्होंने विश्व बैंक से ऐसा कोई वायदा नहीं किया है कि इन सभी बातों को बजट में शामिल किया जायेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष के सदस्य वित्त मन्त्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य चाहते थे। अब माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है। इसलिए इस बात को यहीं बन्द किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन आदरणीय सदस्यों ने सदन में यह मामला उठाया था उनमें मैं भी एक था। वित्त मन्त्री महोदय ने बयान दिया, अच्छा किया, वह पत्र बताने को तैयार हैं यह भी संतोष की बात है। लेकिन बजट के बाद। पत्र लिखा गया है वर्ल्ड बैंक को। जो बातें वर्ल्ड बैंक जान सकता है तो क्या उसे पार्लियामेंट से छिपाना जरूरी है। अगर वर्ल्ड बैंक से यह चीज लीक हो जाए तो और वर्ल्ड बैंक में क्या होगा वित्त मन्त्री उसकी जानकारी नहीं ले सकते। मेरा निवेदन यह है कि जो पत्र वह रखना चाहते हैं, और मैंने यह भी मांग की थी कि वर्ल्ड बैंक की सारी कंडीशनेलिटीज क्योंकि आज के प्रेस रिपोर्ट में ये भी प्रकाशित हुई हैं, मैंने कहा था जब आई एफ. एफ. की बात कर रहे थे, कंडीशनेलिटीज आपने रखी है, हम लोगों के सुझाव को स्वीकार किया। उसी तरह से इस बारे में भी सफाई की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की कंडीशनेलिटीज के बारे में भी सदन को बतायें और वह पत्र जिसका आपने उल्लेख किया है बजट के पहले सदन की टेबल पर रखें, हम लाइब्रेरी में जाकर भी देखने की तकलीफ गवारा कर सकते हैं।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सदन के सामने देश के वित्तमंत्री ने जो बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है और जिन-जिन देशों के बारे में जिक्र किया, नाम नहीं गिनाए, वे लैटिन अमरीका के देश हैं जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर तबाह हो गए, हिन्दुस्तान फिलहाल उसमें नहीं आता है मेरी राय में। लेकिन आज जिस तरीके से सदन के सामने इस चीज को रखा है मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि वित्त मन्त्री महोदय सदन का अपमान किये जाने का दोषी है। क्योंकि हाउस की सार्वभौमिकता को चुनौती है। हम लोग सार्व-भौम हैं या नहीं यह सवाल यहां आ गया है। जैसा अटल बिहारी जी बोले कि क्या देश के वित्तमन्त्री हाउस को विश्वास में नहीं ले सकते और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को विश्वास में ले सकते हैं। लेकिन लोक सभा के सदस्यों को नहीं ले सकते हैं। यह बुनियादी प्रश्न है। जब तक इस प्रश्न पर फैसला नहीं हो जावे सदन को दूसरी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। हाउस की सार्वभौमिकता का सवाल है। जिस तरीके से वित्त मंत्री और नरसिंह राव की सरकार पार्लियामेंट को गुमराह करके फैसले करती रही है, खासकर इन्टर सैशन पीरियड में मैं कहता हूं इसके लिए वित्त मंत्री महोदय उत्तरदायी है वे सदन के प्रति जिम्मेदार है। वित्त मंत्री ही नहीं, नरसिंह राव और उनकी केबिनेट इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसद सदस्यों ने जो प्रिवीलेज मोशन दिया है उस पर गौर करना चाहिए। जो वित्त मन्त्री ने बयान दिया है वह असन्तोषजनक है उससे हाउस को संतोष नहीं है। जिस तरह से वाजपेयी जी ने मांग की कि सारी कंडीशनेलिटीज के बारे में आपको अभी आश्वासन देना चाहिए कि उसको आज ही सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो उनका उत्तर था, दे दिया है। यह मैं नहीं जानता कि यह यहां उठाए गये अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे का उत्तर है जिस का इस रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। मैं यह समझता हूँ कि उन्होंने कई बातों का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उनका उत्तर इनके पास नहीं हैं। इन्होंने उनका विरोध भी नहीं किया। यह रिपोर्ट वित्त मन्त्री के दिनांक 11 नवम्बर 1991 के पत्र से संबंधित है जोकि जैसाकि उन्होंने कहा है, लिखा है और यह विश्वबैंक के अध्यक्ष 'लेविस टी. प्रेसटन' के नवम्बर 12 के पत्र से भी जुड़ी है। इन्होंने इसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है।

इसलिए, क्या हम यह मान लें कि वित्त मन्त्री के नाम विश्वबैंक के अध्यक्ष का ऐसा पत्र मौजूद है जिसमें तमाम शर्तें लिखी हैं। इस समाचार-पत्र में पच्चीस शर्तें भी छपी हैं। यह शर्तें विश्व बैंक के अध्यक्ष के पत्र में लिखी हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है। ऐसा सुनने में आया है कि इस प्रस्ताव में ऐसी कुछ बातें हैं जोकि बजट में शामिल की जायेंगी परन्तु इनके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है। देश को इनके बारे में पता नहीं है। और यहां तक भी सुना जा रहा है कि प्रधान मन्त्री महोदय को भी इस बारे में अन्धेरे में रखा गया है। महोदय, भारत सरकार के प्रशासन करने का यह कोई तरीका है? इतने गंभीर नीति परिवर्तन किये जा रहे हैं। हमारी राय में, इनसे हमारी आर्थिक सम्प्रभुता बर्बाद हो रही है और इनसे आत्म-निर्भरता की हमारी वचनबद्धता खत्म हो रही है। प्रधानमन्त्री महोदय तक को इनके बारे में बताना उचित नहीं समझा गया। ये बहुत ही गम्भीर मामले हैं जिन्हें साधारणतः नहीं लिया जाना चाहिए। इन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। जी हां, इस पत्र की एक प्रति यहां मेरी जेब में रखी है। जब अनुकूल अवसर होगा तभी मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। वित्त मन्त्री ने कहा है कि वे इसे बजट के बाद प्रस्तुत करेंगे। और इसलिए, स्पष्टतः इसमें बजट से संबंधित कुछ बातें हैं। अन्यथा कोई कारण ही नहीं कि इसे बजट से पूर्व न बताया जा सके। इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि कथित पत्र विश्व बैंक अध्यक्ष को लिखा गया है। इसलिए, जहां तक संसद सदस्यों का संबंध है, जहां तक प्रभुता सम्पन्न संसद का संबंध है, बजट की गोपनीयता के लिए यह परमावश्यक है। महोदय, जहां तक विश्व बैंक का संबंध है, यह गोपनीय मामला नहीं रह जाता। इसलिये, विश्व बैंक को जानकारी होनी चाहिए। विश्वबैंक ने शर्तें लगाई हैं जिनके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा गया है। महोदय, हमारा कोई आधार भी है? अतः जैसाकि श्री रबी राय जी ने कहा है, यह बहुत ही महत्व की बात है कि क्या इस संसद को लम्बे समय तक अपनी सम्प्रभुता कायम रखनी है। हमारी प्रमुख नीतियों जैसाकि आर्थिक नीति, आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्प्रभुता के बारे में हमें अवश्यक ही पता होना चाहिए। महोदय, क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष इन्हें इसलिए अधिक स्वीकार्य है क्योंकि वे इन्हें धन दे रहे हैं और हम इन्हें धन नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए विश्व बैंक इन्हें अधिक स्वीकार्य हैं और अधिक ललचाने वाली कम्पनी हैं और संसद सदस्य ऐसा नहीं है (व्यवधान) ···

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपसभापति महोदय, इस समय ये केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। क्या आप इसे अनुभव नहीं कर रहे हैं ? महोदय, जब हमें यह पता चला है कि विश्व बैंक ने हमारे केन्द्रीय बजट में हस्तक्षेप किया है जिसके बारे में देश को पता नहीं है, संसद को जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा लगा है, देश को कैसा लगा है और आज भारतीयों को कैसा लग रहा है। हमें कैसा महसूस हो रहा है। क्या यह स्वतन्त्र देश नहीं है ? इसलिए, यदि हमारी सूचना सही नहीं है, यदि समाचार पत्र की रिपोर्ट सही नहीं है, तो वित्त मन्त्री महोदय से हमें व्यापक वक्तव्य की उम्मीद होती, न कि इस तरह के हल्के-फुल्के उत्तर की। इसलिए हमें आशंका है कि विश्वबैंक के साथ किए गए पत्र-व्यवहार के उस पत्र में बजट प्रस्तावों से संबंधित कुछ था जो कि वित्त मंत्री इस समय संसद सदस्यों को बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं रवि राय ने जो कुछ कहा है उसका समर्थन करता हूं और इससे पहले कि हम विषय सूची की किसी और मद पर विचार करें इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।…

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जो अखबार में निकला था, मैं सोच रहा था कि मंत्री महोदय कहेंगे कि शायद इसमें सत्यता नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इसका क्या मतलब है ? वे केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं…

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : श्रीमान, श्री कुमारमंगलम अध्यक्ष नहीं हैं। महोदय, आप पीठासीन हैं…(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मंत्री के वक्तव्य के पश्चात वे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप इस सदन में इस तरह से पूर्ण चर्चा नहीं कर सकते हैं…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहस नहीं की जा सकती है। एक अथवा दो व्यक्ति स्पष्टीकरण मांग सकते हैं…(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जो इण्डियन एक्सप्रेस में आज छपा है, शायद मंत्री महोदय कहेंगे कि इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख है कि मंत्री जी ने जो कहा है वह इस बात का सबूत है और * *

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्रीमान, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

सकता। ऐसे वक्तव्यों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।···

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह की युक्ति पर कड़ी आपत्ति उठाता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो चीज भारत में है कि हम लोग पार्लियामेंट के मेम्बर···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन्हें एक उपयुक्त सूचना देने दीजिए। उन्हें इसके लिए या तो माफी मांगनी चाहिए अथवा इसे वापस लेना चाहिए। यह कार्यवाही का भाग नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, हम विषय से अलग हो गए हैं। यह इस तरह से नहीं चल सकता। यही प्रक्रिया है। (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : मैं चाहता हूं कि वे इसे वापस ले लें। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसमें कोई असंसदीय शब्द हैं, तो उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि सरकार को लोन लेने का अधिकार है, लेकिन सरकार को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह उससे भी अधिक बुरा है। यह प्रत्यक्ष रूप से वित्त मन्त्री के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप है। उन्हें नियमानुसार सूचना देने दीजिए। इसको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता सकता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई पर्सनल एलीगेशन नहीं है।...* * (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : (बुलढाना) : यह पूर्णतः अपमानजनक वक्तव्य है। वे ऐसा नहीं कह सकते। आपको उन्हें बता देना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उन्हें सूचना देते दीजिए। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अखबार में जो चीज निकल रही रही है, इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिये और कुछ नहीं हो सकती। जैसा अटल जी ने कहा था कि अगर सरकार की हिम्मत है तो बजट सेशन से पहले जो आप ने शर्त रखी है, वह देश को गिरवी रखने वाली न हो, इसलिये सरकार बजट के पहले उन शर्तों को यहाँ रखे। भारत सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि देश को गिरवी रखने का काम करे। इस पर हमारा सख्त विरोध है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपने ने अपने भाव प्रकट किए हैं। माननीय वित्तमंत्री ने भी वक्तव्य दिया है, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं और जिस पर आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। एक या दो व्यक्तियों ने पहले ही कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। अब, श्री इन्द्रजीत गुप्ता अन्तिम स्पष्टीकरण मांगेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : श्रीमन, यह सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान, वित्त मन्त्री को वक्तव्य आज ही सभा पटल पर रखना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिये। वर्ल्ड बैंक के लोगों के हाथ में हिन्दुस्तान की आबरू को आज हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। अब कैसे इण्डियन एक्सप्रेस को यह खबर मिली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इण्डियन एक्सप्रेस ने इस बात को बता दिया। इस सदन में भी, वित्तमंत्री

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

जी ने कबूल किया कि ऐसा पत्र है। उन्होंने यह भी कबूल किया कि हम इस पत्र को बजट के बाद रखेंगे क्योंकि बजट का मामला है, नाजुक मामला है। वर्ल्ड बैंक के लोग शायद हम लोगों को देख कर इस सदन को देखकर और इस देश को देखकर हसते होंगे। वे यह बोलेंगे कि कमाल का देश है। इनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं लेकिन इनके जो चुने हुए लोग हैं, उनके हाथों में, हम लागो को दिए हुए, वित्त मन्त्री का दस्तावेज, बजट के बाद पहुँच पाएगा। इसलिए उपाध्यक्ष जो, सार्वभौम कौन हुआ—यह देश सार्वभौम है, यह पालियामेंट सार्वभौम है या वर्ल्ड बैंक सार्वभौम है, हम लोगों पर कि हमारे दस्तावेज को आपने यहां तक उनके हाथों में दिया। इसलिऐ हम आपसे कुछ और खुलासा नहीं मांग रहे हैं। हम इतना ही कह रहे है कि जो दस्तावेज आपने भेजा था और जो पत्र वहां से आया है, वे दोनो आप सदन में पेश कीजिए और आज ही उन्हें सदन में पेश करना चाहिए, अभी यह काम होना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नही होगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्रीमन्, एक प्रमुख समाचार-पत्र में किसी रूप में यह मामला प्रकाशित हो जाने के बाद और उस आधार पर अनेक सदस्यों ने यह मामला आज सुबह उठाया जिसके बारे मे हमें पहले नहीं मालूम था, अन्यथा मैं समझता हूँ कि इस मामले के बारे में सबसे पहले माननीय वित्त मन्त्री को जानकारी होनी चाहिए थी। वित्त मंत्री ने सरकारी नीति पर जो पत्र विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्बोधित था, जिसको वे भी स्वीकार करते है, उस बारे में वे अपनी सकल्प शक्ति के अनुसार सभा को कभी अवगत न कराते। यह तो केवल इस प्रकरण के कारण ही यह मामला इस सदन मे आ पाया है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह ऐसा क्यों होना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सभी जानते हैं कि बजट प्रस्ताव—बजट मे किये गए उपाय—शून्य में नहीं बनते, वे किसी नीति से जुड़े होते हैं। बजट कुछ नीतियों को लागू करने का साधन है। बजट इसलिए बनाया जाता है। मैं यह आशा नहीं करता हूँ कि माननीय वित्त मत्री जी ने विश्व बैंक को लिखे अपने पत्र में सभी बजट में किए गए उपायों के बारे में सूचित कर दिये। वे ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है। लेकिन क्या यह पत्र सरकारी नीति पर है और क्या वह सरकारी नीति पारित होनी है? इस स्थिति में इसे विश्व बैंक द्वारा पारित होना है क्योंकि वे हमें ऋण देते हैं। दुर्भाग्य से, चूंकि हम उनके पास एक भारी ऋण के लिए गए थे, इसलिए वे अब अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति मे हैं—ठीक है, हम आपको पैसा देंगे बशर्ते आप कुछ बातें मानें।

अब प्रश्न यह है कि इण्डियन एक्सप्रेस की इस समाचार रिपोर्ट में वित्त मंत्री जी द्वारा सरकारी नीति पर भेजे गए पत्र को प्राप्त कर लेने के पश्चात् विश्व बैंक द्वारा उनको सम्बोधित पत्र में 25 या 26 शर्तें रखी गयी हैं अथवा अनुबंधित हैं। क्या इसका इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है? अब क्या उन शर्तों को मानना होगा—मैं मानता हूं, क्योंकि सरकार द्वारा यहां यह कहा गया है जबकि वे इससे इन्कार नहीं करते। मैं उद्धृत करता हू :

"श्री लुईस टी. प्रेस्टन द्वारा 12 नवम्बर को 25 शर्तें रखी गईं जिन्हें भारत सरकार

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

> द्वारा इस वर्ष अप्रैल-मई तक पूरे करे यदि वे चाहते हैं कि बैंक उन्हें आधारभूत समायोजन के लिए 500 अमरीकी डालर की दूसरी किस्त जारी करे।"

आधारभूत समायोजन का अर्थ है कि अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उनमें से अनेक उपायों को बजट प्रस्तुत किए जाने के समय उसमें शामिल किया जाना है। इसलिए जो बात हमें चिंतित कर रही है और इस सभा में सभा को चिन्तित कर रही है, वह यह है कि यह पत्र जो कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा 11 नवम्बर को लिखा गया था—क्या उसमें कुछ आश्वासनों की कुछ सामान्य नीति रूपरेखा की जानकारी मिलती है अथवा नहीं जिनको कि हमने अपनी नीतियों की पुनर्संरचना अथवा पुनर्समायोजन के लिए तैयार किया है। उस पत्र के प्राप्त कर लेने के पश्चात् और पुनः आश्वासित करने पर कि आप सामान्यतः उसी रूपरेखा का पालन करने जा रहे हैं जिसका कि विश्व बैंक ने 26 शर्तें रखकर उत्तर दिया है जिन शर्तों को आप जैसा विख्यात वित्त मंत्री इसे बजट में शामिल करे। इसलिए शायद आप कह रहे हैं कि हम वह पत्र केवल बजट के बाद देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ बजट में प्रस्तुत होने जा रहा है, पत्र उस बात का प्रमाण है, पत्र सरकारी नीति का प्रमाण है। सरकारी नीति को बजटीय प्रस्तावों की मदद से बदलना होगा। बजटीय प्रस्तावों का कुछ हवा में नहीं है, वे शून्य में नहीं बनाए जाते। इसलिए, जो पत्र श्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखा गया था और विश्व बैंक का पत्र, दोनों सभा को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बजट को प्रस्तुत किए जाने में अभी एक सप्ताह शेष है और बजट से पहले उस पत्र व्यवहार पर अध्ययन करने और यह देखने के लिए काफी समय है कि इसका क्या अभिप्राय है और क्या अर्थ है। इसलिए, उन पत्रों को सभा में तत्काल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

दूसरा, इन पत्रों को रखने से पहले उन्हें अब हमें बताना चाहिए कि इस चूक के क्या कारण है। क्या हम सरकारी नीति के बारे में कुछ कह सकते हैं जिसका हम मूलभूत पुनर्समायोजन के नाम से अनुपालन करने जा रहे हैं? फिर इस आश्वासन के आधार पर विश्व बैंक यह कहेगा, "यह ठीक है, अब आप कृपया यह 25 अथवा 26 शर्तें पूरी कीजिए, यदि आप इन्हें अप्रैल अथवा मई तक पूरा नहीं करेंगे, तो आपको इस ऋण की दूसरी किस्त जारी नहीं की जाएगी। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाता, ऐसे भारी ऋण के लिए विश्व बैंक जाने से पहले उन्होंने खुली स्पष्ट रूप से जाना होगा कि ऋणदाता उनकी गरदन पकड़ने की कोशिश करेगा और उनसे कुछ हासिल करेगा। सभी लोग जो भारी ऋण देते हैं। वह हमेशा ऋण लेने वाले के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं और इसलिए हम अपने देश के विकास के लिए विदेशी निधि एजेंसियों पर निर्भर रहने के विरुद्ध हैं क्योंकि यह शर्तों के रूप में अवश्य प्रतिबिम्बित होता है, जिनमें से अधिकतर हमारे अपने देश के मूल हित के विरुद्ध होते हैं। इसलिए कृपया समझाइए कि वास्तव में इन पत्रों के आदान-प्रदान का क्या अर्थ है। कृपया ऐसा नहीं कहते जाइए कि इसमें कुछ नया नहीं है यह पहले भी होता रहा है और हमने पहले भी हमेशा यही किया था। इस बार, पिछली बार की तरह नहीं है क्योंकि इस कार्य को करने से पहले आपने प्रधानमंत्री ने और अन्य लोगों ने हमें सूचित कर दिया था कि देश पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर है; हमारे पास पैसा नहीं है; देश अपने ऋण अदा नहीं कर सकता आदि। आपने यह भी कहा था कि हम विश्व की नजर में ऋण अदा न करने वाले बनने जा रहे हैं

और भारत बदनाम हो जाएगा। रुपये का मूल्य कम कर दिया गया था और सोने को विदेशी मुद्रा लेने के लिए जमा के रूप में देश के बाहर भेजना पड़ा था। यह सब कार्य सामान्यतः नहीं होते हैं। यह जो कुछ हुआ है सब नया है और उसकी चरम सीमा पर यह पत्रों के लेनदेन का सिलसिला शुरू हो गया। इसीलिए हम गंभीर रूप से चिन्तित हैं। यदि यह हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता से संबंधित नहीं है तो फिर किससे सम्बन्धित है? इसीलिए हम पुनः आश्वासित होना चाहते हैं कि सरकार विश्व बैंक को ऐसे किसी प्रकार के आश्वासन नहीं दे रही है जो कि इस सरकार द्वारा अपनी प्रभु-सत्ता को सीमित और नियंत्रित रखकर अपने निर्णय स्वयं करने से संबंधित होगा। हम उस वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं है जोकि दिया गया है और पूरा पत्र व्यवहार संसद में तत्काल रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : श्रीमान मैं कुछ कहना चाहता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर बहस नहीं हो सकती है। इसकी कुछ सीमा है। एक या दो सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और उनको अनुमति दी गयी। इस सदन को चलाने के लिए आपका सहयोग भी आवश्यक है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें हमेशा नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए बोलना चाहता है। यदि इसमें कोई नई बातें हैं तो आप राष्ट्रीयकरण मांग सकते हैं। यही बात ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमें इस बात की हैरानी है कि इतने व्यवधानों के बावजूद भी, वित्त मंत्री महोदय सही बात पर नहीं आ रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वह इस सदन के प्रति कितना आदर रखते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उन्होंने एक और स्पष्टीकरण देना है। गत वर्ष दिसम्बर में, जब यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के बारे में चिन्तित थी, देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई थी। वित्त मंत्री महोदय ने सभा पटल पर कुछ प्रलेख रखे थे जिनके आधार पर चर्चा आरम्भ हुई थी। उसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें तथा वित्त मन्त्री महोदय व अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच लिखे गये पत्र सभा पटल पर रखे गये थे। लेकिन इससे भी काफी समय पहले, विश्व बैंक की यह बात घटित हो चुकी थी। इसका अभिप्राय: यह है वित्त मंत्री महोदय ने इस समय भी हमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभी लीडर्ज ने अपनी बात कह दी है। हम गवर्नमेंट का रिसपोंस जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : इसलिए इनको केवल इस पत्र के बारे में ही स्पष्टीकरण देना नहीं बल्कि इन्हें यह भी स्पष्टीकरण देना होगा कि उस समय दिसम्बर में इन्होंने सभा को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी ?

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री महोदय तमाम पत्राचार सभा पटल पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं ?

श्री राम कापसे (ठाणे) : जब तक कि बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसके लिए केवल बजट संबंधी दस्तावेज ही गोपनीय होते हैं। पत्रों का बजट से कोई सरोकार नहीं है। 11 और 12 नवम्बर के पत्रों का बजट से कोई संबंध नहीं है। यदि हम बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद के ग्रन्थालय में उन पत्रों को पढ़ सकते हैं तो आज हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अध्यक्षपीठ से मैं यह निर्णय चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को दोनों पत्र आज ही प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय। या तो वे स्वयं इस बात को स्वीकार कर लें अथवा आप कृपया उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देश देवें। यह गोपनीय पत्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें जो साजिश नजर आती है वह यह है कि विभिन्न दलों के नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद भी तथा वित्त मंत्री महोदय की घोषणा में निहित असंगति, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बजट प्रस्तुत करने के बाद ही दस्तावेजों को सभा पटल पर रख सकते हैं, को उठाए जाने के बाद भी, वे आगे नहीं आ रहे हैं। इसे हम इस सदन का अपमान समझते हैं। यह इस सदन के सदस्यों का निरादर है। क्या आप इसे मानते हैं ? कोई भी आत्म-सम्मान वाला व्यक्ति इस तरह से नहीं कह सकता।

आज पूर्वाह्न, हमने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्षपीठ से आपने अभी तक हमारे इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में अपनी राय नहीं दी है। मेरी राय यह है कि यदि वित्त मंत्री महोदय दस्तावेजों को और इस पत्र को जो इन्होंने विश्व बैंक को आज ही लिखा है, सभापटल पर अभी नहीं रखते, तब आप कृपया हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार करें कि इन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : बजट पर औपचारिक चर्चा अब नहीं की जा सकती। यह केवल बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही हो सकती है। सरकार के पास ऐसे अनेकों मामले हैं जोकि गुप्त रखने होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के कुछ सदस्य जोकि स्वयं आदरणीय मंत्री रह चुके हैं, ऐसी सूचना मांग रहे हैं जोकि इस स्थिति में गुप्त रखनी होती है। यह सूचना बजट प्रस्तुत करने के बाद ही सभा पटल पर रखी जा सकेगी।

इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि यह तर्क स्वीकार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मन मोहन सिंह : जी नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यवस्था का एक प्रश्न है। इनके इस व्यवस्था के प्रश्न को सुनते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर नियमावली को देखें तो उसके अन्तर्गत कौन से दस्तावेज, कौन से कागज, कौन सी जानकारी सरकार सदन को दे सकती है, या देनी चाहिए और किस जानकारी को देने से इन्कार कर सकती है, इनके बारे में नियम बने हुए हैं। वित्त मन्त्री ने मान लिया है कि उन्होंने पत्र लिखा। क्या वह यह दावा कर रहे हैं कि वह पत्र सदन को बताना जनहित में नहीं है, नॉट इन पब्लिक इन्टरस्ट, नॉट इन नेशनल इन्टरस्ट ? केवल इस आधार पर जानकारी रोकी जा सकती। लेकिन वित्त मन्त्री महोदय यह दावा नहीं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा है, मैं आपको बता दूंगा, मगर आज नहीं बजट तक नहीं। इससे एक दुराव पैदा होता है : सारा विवाद इसके कारण विकृत हो गया ह। ···(व्यवधान)···अब इससे अगर यह नतीजा निकला जाये और मैं नहीं जानता हूं कि वित्त मंत्री यह नतीजा निकालना पसन्द करेंगे कि जो बजट आ रहा है उसका, आपने जो पत्र लिखा है उसका और वर्ल्ड बैंक ने जो शर्तें लगाई हैं उनका कोई सम्बन्ध है।···(व्यवधान)··· मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वित्त मंत्री से अपील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपीलों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। यह कठिनाई उन्होंने स्वयं अपने लिये पैदा की है। वह न सदन को समझा सकते हैं, न देश को समझा सकते हैं कि जो पत्र लिखा है, वह बजट के बाद ही क्यों दिखाया जाये, पहले क्यों नहीं ? लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने यह दावा नहीं किया कि वह लैटर दिखाना पब्लिक इन्टरस्ट में नहीं है। यह लैटर हाउस से छुपा कर नहीं रखा जा सकता है और इस लैटर को बजट पेश होने तक टाला नहीं जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमें आपका निर्णय चाहिये।······ (व्यवधान)···यह फैसला चेयर को करना है। अगर वह पब्लिक इंटरस्ट का नाम लेते, भले ही गलत होता, आप शायद निरुपाय हो जाते, असहाय हो जाते, लेकिन यह पब्लिक इन्टरस्ट का हवाला नहीं दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि पत्र मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। यह बात उनकी कैसे मानी जा सकती है ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा पाइंट आफ आर्डर आपके विचार के लिए है, आपके फैसले के लिए हैं। वह पत्र दिखाना जन-हित में नहीं है, ऐसा कोई दावा वह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप उन्हें निर्देश दीजिए कि वह पत्र सभा पटल पर रखा जाये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला हमारे देश की आर्थिक संप्रभुत्ता से जुड़ा है और इसलिए सभी सदस्य इस मुद्दे पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री महोदय दृढ़ निश्चय लेने असमर्थ है। प्रधानमंत्री महोदय इसके लिए

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आयें। यह इस सदन की संप्रभुता का प्रश्न है; सदन की मर्यादा और देश की संप्रभुता का प्रश्न है। प्रधानमंत्री महोदय को यहां आना चाहिये और वे इसका उत्तर दें। उन्हें यहां आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : व्यवस्था का यह प्रश्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया है। मैं भी जब पहले खड़ा हुआ था, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय केवल यह कह रहे थे कि उन्होंने पत्र लिखा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया। उन्होंने पत्र में विश्व बैंक से भारत को ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया है। लेकिन पत्र का विषय तो "विकास नीति सम्बन्धी पत्र" है। यह कोई आम पत्र नहीं है। यह विश्व बैंक को केवल इस आशय का अनुरोध नहीं है कि हमें ऋण की आवश्यकता है, बल्कि हम इन्हें यह अनुरोध कर कर रहे हैं कि हमें ऋण प्रदान करें ((व्यवधान) कृपया सुनियेगा। लेकिन यह तो भारत की विकास नीति से संबधित पत्र है। अब समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी सूचनायें हमें मिली है, उनसे यह पता चलता है और कोई भी उनका यह निष्कर्ष निकाल सकता कि इससे पहले भी किसी किस्म की बातचीत हुई होगी। 11 नवम्बर को, भारत के वित्त मंत्री ने पत्र लिखा है। ठीक अगले दिन, विश्व बैंक ने इसका इतनी जल्दी उत्तर भी दे दिया है (व्यवधान)। जरा सुनियेगा। श्री लेविस टी. प्रेसटन ने इस पत्र का उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने 25 शर्तें लगाई हैं और इन्हें मानने के लिए कहा है। जनता ने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया है कि इस पत्र के द्वारा विश्व बैंक को इस आशय के कुछ ठोस संकेत भी दिये गये है कि आगामी बजट में हम कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। इसलिए इस पत्र द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया है। मैं पुनः कहता हूँ कि इसके द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया है और विश्व बैंक को पहले से ही इसकी जानकारी दे दी गई है कि हमारे देश में जो बजट आगे प्रस्तुत किया जाएगा उसका क्या स्वरूप होगा। इसी कारण से वित्त मंत्री महोदय ने अपनी इस सहमति के साथ-साथ कि वे पत्र को ग्रंथालय में रख देंगे, यह कहा है कि केवल 29 फरवरी के बाद ही रखेंगे। इससे हमें एक महत्वपूर्ण संकेत मिला है कि चूंकि समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है, उसे वे सरकारी तौर पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस कारण बजट के रहस्योद्घाटन की बात पुष्ट हो जाएगी, इसलिए व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया गया है। महोदय, इसके लिए सत्ता पक्ष से आपने भी कहा है लेकिन कोई भी आगे आकर यह कहने को तैयार नहीं है कि व्यवस्था का यह प्रश्न क्यों रखा जा रहा है। इसलिए हम वित्त मंत्री महोदय के उत्तर पर आश्रित नहीं है। उन्होंने इससे मना कर दिया। वे कहते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगें। उन्होंने अब कुछ भी नहीं कहना है। वे केवल बजट के बाद ही बताएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन के नेता कहां है।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधानमंत्री महोदय को आना चाहिये वरन् हमें सन्तोष नहीं होगा. कृपया इसे साधारण मुद्दा न समझें जैसा कि आपने पहले कहा है। यह कोई इतना साधारण मामला

नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। यह हमारी आर्थिक संप्रभुता को विश्व बैंक के हाथों सौंपता है। पिछले महीनों से बार-बार हम यही कहते आये हैं। अब यह इस सदन के सामने भी आ गया है जिसको विश्वास में नहीं लेकर चला गया। देश को विश्वास में नहीं लिया गया। या तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक हमारे मालिक बन रहे हैं। क्या यह देश इसे सहन करेगा। इसलिए आप अवश्य अपने नियम अपनायें। यह तो हम आपसे अनुरोध कर ही सकते हैं कि कम से कम उस पत्र को सभा पटल पर रखवाया जाए। हमें वह पत्र दिखाया जाना चाहिए। यह हमारा अनुरोध है। वरन् बहुत मुश्किल होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या "इण्डियन एक्सप्रेस" से वह हमें प्राप्त हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इसे इस ढंग से स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि वित्त मंत्री महोदय अपने हुक्म से ऐसा कहेंगे। वे तो यह कहते हैं," मैं इसे अपना सुविधानुसार हो करूंगा।" लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यही कहना है ? (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : महोदय मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस सदन में हम केवल अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन् लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बजट सम्बन्धी प्रक्रिया पर चर्चा करने से पूर्व, उन लाखों लोगों की यही इच्छा है कि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे वित मंत्र महोदय ने कौन सी शर्तें स्वीकार की हैं। पूरा भारत इसके लिए विरोध करेगा। और विरोध का यही समय है। यदि जनता की आवाज ठुकरा दी जाती है तो वे इस सरकार को भी ठुकरा देंगे। इसलिए उन लाखों लोगों के हित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि पत्रों को तत्काल ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह पत्र शीतकालीन अधिवेशन से पूर्व लिखा गया था। उसके बाद इसी तरह के और भी पत्र आते जाते रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि वे सभी पत्र भी एक साथ सभा पटल पर रखे जाने चाहियें। उन्हें वे सभी पत्राचार भी यहां लाना चाहिये जो इस पत्र के बाद किया गया। यह सब उन्हें करना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आपको अपना विनिर्णय देना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त किया है और सत्ता पक्ष

ने भी इसे स्वीकार किया है। आपकी मांग यह है कि आप माननीय वित्त मंत्री महोदय से अपने··· उत्तर चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उत्तर नहीं··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम यह चाहते हैं कि पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर किसी सूचना के उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे पत्र क्यों नहीं सभा पटल पर रख सकते। (व्यवधान)

श्री रंग राजन कुमारमंगलम : दूसरी तरफ खड़े हो रहे बहुत से वरिष्ठ नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि हम इस सदन को किन्हीं नियमों, प्रक्रिया तथा परम्पराओं से चलाते रहे हैं। (व्यवधान) आप किसी मंत्री को तब तक किसी दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिए नहीं कह सकते जब तक कि वे इसका संदर्भ न दे रहा हो। आपकी आलोचना यह है कि यह बजट के रहस्योद्घाटन का मामला है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। मैं यह मानता हूँ कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय को पहले से ही सूचना दे रखी है। अध्यक्ष महोदय को इसका निर्णय लेने दें। उन्होंने दस्तावेज की विषय-वस्तु का संदर्भ नहीं दिया है। वित्तमंत्री महोदय को दस्तावेज रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। हमें उचित नियम और प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वे ऐसा नहीं कर सकते। यदि वे यह कहते हैं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, तो वे अध्यक्ष महोदय के पास जाएं और अध्यक्ष महोदय इसके बारे में निर्णय करें। यदि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है, तो वे हमें सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने के लिए बल नहीं दे सकते। मन्त्री महोदय जब उपयुक्त समझेंगे, रख देंगे··· (व्यवधान)

श्री राम कापसे : मंत्री महोदय ने 29 फरवरी के बाद ग्रंथालय में दस्तावेज रखना स्वीकार किया है। ये आज ही प्रस्तुत किये जाने चाहियें। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पत्र आज ही रखना होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि माननीय वित्त मन्त्री ने, अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों में से किसी बात को उद्धृत नहीं किया है। (व्यवधान) आपने समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना पर विश्वास किया है। (व्यवधान) माननीय मन्त्री जी ने किसी भी दस्तावेज से किसी भी बात को उद्धृत नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान्, हम सदन को इस तरह कार्य नहीं करने देते।

3.11 म. प.

इस समय श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने आपकी बातों का उत्तर नहीं दिया है अथवा यदि आप यह समझते हैं कि आपके अधिकार का हनन किया गया है, तो आप इसे किसी भी रूप में उठा सकते हैं। आज अंतिम दिन तो नहीं है। (व्यवधान) हमें प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रक्रिया क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप, बाद में इस विषय को किसी भी रूप में उठा सकते हैं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और इसमें कोई सन्देह नहीं है। अब, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

3.22 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 3.27. म. प. तक के लिए स्थगित हुई.

———

3.40 म. प.

लोक सभा 3.40 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, क्या हुआ ? पत्र कहां है ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पत्र कहां हैं ? हम चाहते हैं कि पत्र तुरन्त यहां पढ़े जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न दलों के नेता, माननीय अध्यक्ष के कक्ष में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

3.40 म. प.

इस समय श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न दलों के नेता अन्दर बैठे हुए हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अतः मैं समझता हूं, हम उन्हें चर्चा कर लेने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप हाउस को एडजर्न कर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 4.00 म. प. तक के लिए स्थगित होती है।

3.41 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

———

4.06 म. प.

लोक सभा 4.06 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह मामला सभी विपक्षी सदस्यों के लिए रोष का कारण बना हुआ है। हम महसूस करते है कि यह मामला हमारी और देश प्रभुसत्ता और संसद के गौरव से जुड़ा हुआ है। जिस में भय भी रहा है, यह मामला जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार है।

अतः ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री दस्तावेज के अस्तित्व और उसकी प्रासंगिकता को नहीं नकार रहे हैं। उनके अनुसार; सत्र के बाद ही, सदस्यों को इस विषय को जानने का अधिकार होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि समाचार पत्रों की पहुंच तो उन पत्रों तक है परन्तु हमारी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सदन के प्रभुसत्ता का प्रश्न है, सदन के नेता को यहां आना चाहिये और उन्हें अपने विचार रखने चाहिए। हम यह सुनना चाहते हैं कि यदि वे विरोध कर रहे हैं तो आखिर किस आधार पर। मैं यह विषय केवल अपने और वित्त मंत्री के बीच नहीं रखना चाहता हूं। यह तो केवल सदन की प्रभुसत्ता का प्रश्न है। सदन को तथा हमें जानकारी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है : सदन के नेता को यहां आना चाहिये और हमें बताना चाहिये कि वास्तविक आपत्ति क्या है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमान ऐसा है कि यह व्यवस्था का प्रश्न आदरणीय अटल जी ने उठाया था और व्यवस्था का प्रश्न यह था कि किसी भी प्रश्न को इस सदन के सामने बिना देश हित का बहाना बनाए, सरकार छुपा नहीं सकती है। इस पर आपको अपना निर्णय देना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ इतना है कि इस सरकार ने अपना पिछला बजट राजीव गांधी को समर्पित किया था इस बार सिर्फ इनको एक वाक्य लिखना है कि "विश्व बैंक को समर्पित कर रहे हैं।" इसमें कोई गोपनीयता का प्रश्न नहीं है। इसलिए इस सदन के सामने जो पत्राचार है, उसको रखें अन्यथा सम्पूर्ण देश में यह विश्वास हो जाएगा कि यह सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं है बल्कि विश्व बैंक के प्रति जिम्मेदार है। यह सरकार इस सदन को उस पत्राचार को बताना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, बल्कि विश्व बैंक के प्रति जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह मामला उठा, दुर्भाग्य से मैं यहां नहीं था। लेकिन आज सुबह के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में इसकी कहानी प्रकाशित हुई है। कहानी का सार यह है कि 29 तारीख को सदन में जो बजट प्रस्तुत किया जाना है, उसके कुछ प्रावधानों के विषय में विश्व को जानकारी है परन्तु सदन को या देश को इसकी जानकारी नहीं है।

यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके साथ न तो संसार कोई सदस्य और न ही देश कोई समझौता कर सकता है। इसी कारण सदन में यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है। मैं वित्त मंत्री जी से

सादर व सविनय निवेदन करता हूं कि यह किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत मामला नहीं है। यदि यह किसी आक्रोश की भावना से इसे देखते हैं—क्योंकि जब क्रोध में कुछ कहा जा रहा था तो हो सकता है कुछ ऐसा भी कहा गया हो, जो व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ होगा, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि वित्त मंत्री जी जो कुछ भी कर रहे हैं वह सरकार का कहा हुआ ही है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए केवल वित्त मंत्री जी ही जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उनके समक्ष केवल यही विकल्प थे कि या तो वह इस रिपोर्ट होने का खण्डन करे या यह कहें कि रिपोर्ट सही नहीं हैं और सत्र की पवित्रता सुरक्षित रखी गई और कि बजट की पवित्रता का उल्लंघन नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है, यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाता। फिर तो इंडियन एक्सप्रेस के शब्द ही उनके खिलाफ होते। विशेषत: वे शब्द कि वह इस बात का खण्डन नहीं करेंगे कि विश्व बैंक को एक पत्र लिखा गया था। रिपोर्ट का आधार यही है और वह यह तर्क भी कर सकते थे कि ऐसे सभी पत्र सदन के समक्ष रखने की प्रथा नहीं है तथा वह उसे सदन के समक्ष न रखे जाने के लिए विशेषाधिकार की मांग कर सकते थे। परन्तु इसके विपरीत उन्होंने तो कहा था कि वे पत्र को सदन के समक्ष 29 तारीख के बाद ही रखना चाहते हैं।

अब मैं उनसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे पत्र के विषय-वस्तु की कोई जानकारी नहीं है। जैसाकि उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि यदि मैं वह पत्र देखूं तो मुझे विश्वास हो जायेगा कि सरकार की ओर से कुछ भी अनुपयुक्त आचरण नहीं हुआ। वे पूर्ण रूप से सही हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वह यह विशेषाधिकार नहीं मांग सकते। वर्तमान परिस्थिति में वह पत्र सभा-पटल पर केवल 29 को, या 29 के बाद ही रखने को राजी हैं। इससे सन्देह और भी बढ़ जाता है, और मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी वैयक्तिक आधार पर प्रतिक्रिया न दिखाकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से मामले का अवलोकन करें और सभी के सन्देहों को दूर करके इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दे। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मन मोहन सिंह) : श्री लाल कृष्ण आडवाणी बजट की पवित्तता के विषय में कह रहे थे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बजट की पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : ये तो उत्तर नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय वित्त मंत्री काफी देर से यहां पर बैठे हुए हैं और और सुन रहे हैं। यह कुछ समय से चल रहा है कई सदस्यों और कुछ नेताओं ने उसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। जो कुछ अब तक कहा गया वो कुछ नया नहीं है। अब यदि वे कहेंगे, जैसाकि उन्होंने अभी-अभी कहा था, उन्होंने पहली बार सुस्पष्ट बात कही थी कि विश्व बैंक से उनके पत्राचार के कारण बजट की पवित्रता का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो फिर वे इस बात पर क्यों अड़े हैं कि सत्र के बाद ही पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे ? मैं फिर दोहराना चाहता हूं—पहले आप पीठासीन नहीं थे—कि प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव, जो कि उन्होंने विश्व बैंक को लिख

कर भेजे ये संभव है वे बजट में शामिल ही न हों, या फिर मैं नहीं जानता। मैंने पत्र नहीं देखा था, लेकिन बात यह है कि बजट प्रस्ताव कुछ नीतियों संबंधित है। वे हवाई बातें नहीं है। बजट के द्वारा ही कुछ नीतियां लागू की जाती हैं। अतः इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उनके द्वारा लिखा गया पत्र, जिसे वे सरकारी नीति कहते हैं, विश्व बैंक को सरकार द्वारा लिए गये अथवा किये जाने वाले कुछ व्यापक नीतिगत उपायों का बोध कराता है या उन्हीं के आधार पर विश्व बैंक ने लगभग 26 शर्तें लगाई हैं ? यह सारा मामला, यह पत्र-व्यवहार एक प्रकार की अदला बदली है जिसके अन्तर्गत आप कुछ नीति सम्बन्धी आश्वासन देते हैं और वे आप पर कुछ नियम, शर्तें निर्धारित कर देते हैं जिन्हें आपको अप्रैल अथवा मई तक कार्यान्वित करना होगा। केवल इसी में से ही बजट सम्बन्धी कुछ ठोस और विशिष्ट उपाय सामने आते हैं। अतएव यदि वह कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो इन पत्रों को बजट प्रस्तुत होने के पश्चात तक रोके रखने का उनके पास कोई कारण नहीं है। इसका इसके साथ सम्बन्ध क्या है ? उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनके पत्र, विश्व बैंक के उत्तर और आगामी बजट में परस्पर क्या सम्बन्ध है। मैं उनसे यहां पर बजट सम्बन्धी उपाय बताने के लिए नहीं कह रहा हूं। इन सब का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? यदि इन सब का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, तब वह सभा पटल पर इन पत्रों को तुरन्त रखने में इतनी आना कानी अनिच्छुक क्यों कर रहे हैं ? यदि इन सब का परस्पर कुछ सम्बन्ध है। तब उन्हें ऐसा कहना चाहिए और तब फिर यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है, जिसके कारण हम पूरे दिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं···(व्यवधान) इस समय वह आत्म-विरोध की स्थिति में फंस गये हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इसका क्या अभिप्राय है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बजट के प्रस्तुत होने से पूर्व हमने इस मुद्दे पर काफी चर्चा की है। माननीय सदस्यों की बजट सम्बन्धी सिद्धांतों और मांगों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। वह इसका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं कर सकते।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिये। मेरी बात पूरी करने से पूर्व ही यदि आप बीच में कूद पड़ेंगे तो मेरे लिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना अत्यन्त कठिन होगा। मैं कह रहा था कि बजट प्रस्तुत होने से पूर्व ही हमने इस मुद्दे पर पूरे दिन चर्चा की है। मैं यह कहने जा रहा था कि मैं एक अथवा दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। क्या आप यह चाहते हैं कि हरेक सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं हैं और आप दूसरे सदस्यों को भी बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही नियमित रूप से चलानी है। यदि आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही नियमित रूप से चले, तो यह आपकी इच्छा है। मैं यही कह सकता हूं कि सम्भवतः सभा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको हाउस रेगुलेट करना है, हम इस बात को मानते हैं और और हम आपकी इज्जत करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बतायें ? मैं ऐसे कैसे करूं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह उस पत्र को सभा पटल पर प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकते ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, इस सदन और इस देश की गरिमा का भी आपको ख्याल करना चाहिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माफ करिये, आप उस बात को टाल रहे हैं।···(व्यवधान) बोलने की बात नहीं है, आप जरा सोचिये। यह मामला जिस तरह से आया और यदि इंडियन एक्सप्रेस के हाथ में कागज नहीं गये होते तो यह मामला नहीं उठाया जाता।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में जो कुछ छपा है क्या वह सही है ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप अनजाने में ही एक और विरोध पैदा कर रहे हैं। आप यहां पर किसी सदस्य से कह रहे हैं कि क्या वह इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर की सत्यता को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी लेंगे। यदि सरकार अथवा वित्त मंत्री के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस का खबर ठीक या सत्य नहीं है, तब उन्हें ऐसा कहने दीजिए ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कहा है कि यह ठीक है।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपती रहती है कि कुछेक कर लगाये जा रहे है, कुछेक करों को कम किया जा रहा है। अब यदि देश के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत होने से पूर्व ऐसी बातों का खण्डन करते है, तो मैं नही समझता कि आप वास्तव में व्यवस्थित रूप मे बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः यदि मैं यह मानता हूँ तो इससे बजट प्रक्रिया में व्यवधान पड़ेगा और यदि मैं इससे इंकार करता हूं तो भी इसे बजट को नुकसान पहुँचेगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी और आपकी बात है। अगर यह मामला अखबार में नहीं आया होता, अगर सदन में वित्त मंत्री ने बयान नहीं दिया होता तो हम यहां खड़े नही होते, हम बिल्कुल बोलने के लिए खड़े नहीं होते !—(व्यवधान) —आप सुन लीजिए ! — (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके सुन लूंगा। अभी आप बैठ जायें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज वाशिंगटन ने सुन लिया कि हिन्दुस्तान की संसद में यह बात छेड़ी गई और सरकार ने उस दस्तावेज को रखने से इन्कार कर दिया। इससे हमारी और देश की इज्जत कहां बची ? हम वर्ल्ड बैंक और दुनिया के सामने अपनी इज्जत बेचने के लिए निकले हैं। इसलिए देश की गरिमा और इस सदन की गरिमा आपके हाथ में है। आप इसे ऐसे मत छोड़िये। आप उनसे कहिये कि ये दस्तावेज हम लोगों को देने चाहिए। उन्होंने माना कि हमने लेटर लिखा है। आज यहां पर सोमनाथ जी ने कहा कि वहां से भी पत्र आया है और उन्होंने इससे इन्कार नहीं किया। 11 नवम्बर का इनका पत्र और 12 नवम्बर का वहां से आया हुआ पत्र ये दो दस्तावेज अभी यहां रखें, वरना मामला आगे बढ़ नही सकता है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जितना हम चिन्तित हैं, आपको भी उतना ही चिन्तित होना चाहिए यह इस सभा की प्रभुसत्ता का प्रश्न है। यह सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वित्त मंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पूर्व ही यह स्वीकार किया था कि उन्होंने एक पत्र लिखा था। वह उस पत्र को सभा में रखना चाहते थे। अब वह कह रहे हैं कि वह इसे सभापटल पर नहीं रखेंगे और वह बजट प्रस्तुत

होने के पश्चात् ही इसे सभा के समक्ष रखेंगे। इसका इससे क्या सम्बन्ध है ? यह सभा का अपमान है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यदि समाचार पत्रों के माध्यम से इस मामले को जनता के समक्ष नहीं लाया गया होता और फिर यदि यहां सभा में इस पर चर्चा नही हुई होती, तब तो यह एक अलग मामला होता ; परन्तु चूंकि यह मामला जनता के सामने आ चुका है और यहां सभा में इस पर चर्चा की जा रही है और अब यदि वे यह निर्णय करते हैं कि वह दिनांक 29 फरवरी तक सभापटल पर इससे सम्बन्धित कागजात नहीं रखेंगे और आज 25 फरवरी है और अभी भी चार पांच दिन और शेष हैं जबकि समाचार पत्रों में यह मामला प्रकाशित हुआ है और अब यदि इस मामले में विलम्ब किया जाता है, तो देशभर में सभी तरह अटकलें लगना शुरू हो जायेंगी और इन चार पांच दिनों में सभी प्रकार की अफवाहें फैल जायेंगी तथा चार पांच दिन तक हंगामे होते रहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए ? क्या ऐसा होना देश के हित में है ? आप कृपया इस पर विचार कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सम्पूर्ण देश के हित में नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आप इस सभा के संरक्षक हैं और आपको इस सभा की मर्यादा प्रतिष्ठा तथा प्रभुसत्ता की रक्षा करनी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कर बजट से सम्बन्धित है और जिस तरीके से वित्त मंत्री जी यहां पर व्यवहार कर रहे है इससे यही प्रकट होता है कि इसका बजट के साथ जरूर सम्बन्ध है। परन्तु बजट से सम्बन्ध है अथवा नहीं, सवाल यह है कि समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई है। हमने उस मुद्दे को सभा में उठाया। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारी जानकारी और परिशीलन के लिए वह उस पत्र को सभापटल पर प्रस्तुत करें। वह उस पत्र के होने की बात को कैसे नकार सकते हैं जबकि वह पत्र किसी और के कब्जे में है। और इस सभा और इसके सदस्यों को इस पत्र को देखने के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है ? क्या यह अपमानजनक नहीं है ?

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक ही प्रश्न है, आप हमें यह बता दें कि 29 तारीख के बाद आप यह क्यों करना चाहते हैं और आज क्यों नहीं ? या तो आप आज यह कहें कि लेटर नहीं है, अगर लेटर है तो हम यह जानना चाहते हैं सदन मांग कर रहा है, 28 तारीख के बाद क्या ? इसके क्या कारण हैं ? या तो आप हमें कारणों से सेटिसफाई कर दें और सेटिसफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो छपा है, वह सही है। इसमें देश की सार्वभौमिकता का सवाल है, सोवरेनिटी का सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आज ही सदन में पेश करें या न पेश करने के रीजन बतायें ?

श्री रबिराय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज जब अटल जी ने इस को उठाया...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा सुन रहा था;

[हिन्दी]

श्री रविराय : पहले सुबह जब क्वेश्चन आवर में अटल जी ने उठाया तो आप सदन में विराजमान थे, लेकिन बाद में आप यहां नहीं थे। बाद में जब हम लोगों ने इस चीज को हाउस में उठाया, तो वित्त मंत्री जी आए और उन्होंने एक लिखित बयान दिया। उस लिखित बयान के दरम्यान वे बोले कि यह एक पत्र है, लेकिन इस पत्र के बारे में मैं 29 तारीख के बाद बताऊंगा। इसमें मेरा कहना यह है अब फैसला आपको लेना है क्योंकि इसमें हाउस का और आपका भी सम्मान है और वित्त मंत्री यह मान चुके हैं कि जो चिठ्ठी विश्व बैंक को दिया गया है वह चिठ्ठी उनके पास है।

मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि क्या आपका यह अधिकार नहीं है कि जो चिट्ठी विश्व बैंक को गया है वह आपके समक्ष रखा जाए और आपके जरिए सारे हाउस के समक्ष रखा जाए। इस बारे में इतना ही फैसला आपको लेना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम संबंधी स्थिति स्पष्ट करूंगा। कानूनी स्थिति यह है कि यदि मंत्री किसी पत्र से उद्धृत करते हैं तब मैं उन्हें उस पत्र को सभापटल पर रखने के लिए विवश कर सकता हूं परन्तु यदि वह पत्र से उद्धृत नहीं करते हैं, तब मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री रविराय : मेरा इतना ही निवेदन है कि यह असाधारण जो स्थिति है और यह असाधारण स्थिति यह है कि जो चीज वह बता सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को वह हाउस को नहीं बता सकते हैं। इस बारे में अब फैसला आपको लेना है। (व्यवधान) अब सदन की गरिमा और आपको अपने सम्मान को देखकर फैसला करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को कम्पेल करने की जरूरत नहीं है, वे तो तैयार हैं मगर आज बताने के लिए तैयार नहीं हैं, 29 तारीख के बाद बताने के लिए तैयार हैं। अब यह रहस्य हमारी समझ में तो आया नहीं और वित्त मंत्री स्वीकार करेंगे कि इससे अटकलें बाजियां बढ़ेंगी, संदेह पुष्ट होंगे और अकारण आरोप लगेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप वित्त मन्त्री को तैयार करें, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, अगर सदन की कार्यवाही चलानी है और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तो एक ही रास्ता दिखाई देता है कि इस मामले को हल किया जाए। वित्त मन्त्री जी अगर थोड़ी सी अपनी जिद छोड़ दें अगर उनके दिल को जो व्यक्तिगत आक्षेप लगे हैं अगर उनसे चोट है तो वह पार्लियामेंट में नये

है, राजनीति में भी नये हैं अभी उन्हें अपनी समझ और मोटी करनी चाहिए। हम लोग गालियां खाते-खाते बूढ़े हो गए हैं। अगर आप अपने मन में कोई बात धारण करके, कोई ऐसा रवया अपनाएंगे कि जो लोकतंत्र की चौखट पूरी तरह से फिट नहीं बैठता, तो मेरा कहना यह है कि कभी-कभी नरम होना पड़ता है, कभी-कभी लचीला होना पड़ता है और कभी-कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बात माननी पड़ती है, इसलिए आप मान लीजिए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, अपने नियम का उल्लेख किया है परन्तु मैं समझता हूं कि जब नियम बनाये गये थे उस समय निश्चित रूप से यह विचार नहीं किया गया था कि कोई ऐसा वित्त मन्त्री भी हो सकता है जो यह कहेगा कि उन्होंने कोई पत्र लिखा है परन्तु वह इसे बजट के बाद सभा सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से इस पत्र को भी इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। अतः हमने नहीं बल्कि स्वयं वित्त मन्त्री जी ने यह स्थिति उत्पन्न की है। ये नियम सम्भवतः उस समय बनाये गये थे जब हमारे इस देश में अथवा विश्वभर में या सम्पूर्ण इतिहास में ऐसे वित्त मन्त्री नहीं हुए थे। बजट प्रस्तावों को तो गुप्त रखा हो जाना चाहिए। अतएव यह हमारी स्वतंत्रता हमारी प्रभुसत्ता से सम्बन्धित है। हम यहां पर सभा और देश के विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं परन्तु यदि कोई ऐसा मन्त्री है जो यह कहता है कि वह इसे बजट के पश्चात सभापटल पर रखेंगे तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की न केवल भावनाओं को ही बल्कि उसके देशभक्ति भाव को भी ठेस पहुंचती है अतः बजट प्रस्तुत होने से पहले ही सम्पूर्ण सदन को यह जानकारी मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या आप दिनांक 29 को इस पर निर्णय नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आप इधर कर रहे हैं, वहीं प्रश्न आप उनसे पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : बाद में पूछेंगे।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि कोई पत्र लिखा है, लेकिन वह लव लैटर है, प्राइवेट लैटर है, फैमली लैटर है, क्यों उस पत्र को इतनी ज्यादा मान्यता दी जा रही है। मंत्री जी का कहना है कि अमुक तारीख से पहले नहीं बताया जाएगा, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने दे दिया है। ऐसा करके उन्होंने बजट कोंसेंक्टिटी को भंग किया है और

इस हाउस की गरिमा को कम करने का काम किया है। बाहर के लोग जानेंगे कि हमारे बजट में क्या हो रहा है, किस पर टैक्स लगेगा, किस चीज को छोड़ दिया जाएगा बाहर के लोग यह बात जानेंगे, लेकिन हाउस इस बात को नहीं जानेगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए यह सारे सदन की मांग है कि उस पत्र को बजट से पहले यहां प्रस्तुत करना चाहिए' ताकि सारे देश को उसके बारे में जानकारी हो सके।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था यह पत्र का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस हाउस की सावरेनिटी और पार्लियामेंट की गरिमा का है। इसलिए उस पत्र को यहां पर रखने की बात है। सिर्फ इतना ही ये कह दें कि नेशनल इंटरेस्ट में, लोकहित में कोई ऐसा पत्र है- जिसे सदन में रखना नहीं चाहते हैं तो बात समझ सकते हैं। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि नेशनल इंटरेस्ट में या लोक हित में पत्र को नहीं रख सकते हैं। सिर्फ यही दो क्लाजेज हैं, जिनका सरकार ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब यहां पर यह चीज नहीं है तो कौन-सी ऐसी चीज है, जिसकी वजह से वह पत्र सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि संसद सर्वोपरि है और संसद सर्वोपरि है, आप इसके रक्षक हैं हर मर्यादा और सावरेनिटी की रक्षा करना आपका काम है। इस पत्र का इस सदन में न रखा जाना राष्ट्रहित में नहीं कहा जा सकता, लोकहित में भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह पत्र जब आईएमएफ को लिखा गया है, तब आपका कर्त्तव्य है कि उस पत्र को जितनी जल्दी हो सके इस सदन में उपलब्ध कराएं। सरकार ने यदि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि 29 तारीख से पहले इस पत्र को नहीं प्रस्तुत किया जा सकता तो हम लोग भी इस पत्र को यहां पर प्रस्तुत करने के प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना सकते हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, संसद की मर्यादा और सावेरनिटी का सवाल है और हम लोगों को तुरन्त इस पत्र से अवगत कराया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से हर सदस्य को अनुमति दूंगा। ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे के बारे में और भी मुद्दे उठाना चाहते हैं।

श्री चित बसु (बारसाटे) : महोदय, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कहिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, आपने कहा है कि 29 तारीख तक प्रतीक्षा करने में क्या नुकसान है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अत: यह मेरे और आप के बीच प्रश्नोत्तर है।

श्री चित्त बसु : माननीत वित्त मन्त्री ने तो पत्र लिखने की बात से और इसकी विषय-सामग्री दोनों से ही इंकार किया है।

श्री मनमोहन सिंह : पत्र में जो लिखा है··· (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : उन्हें इस मुद्दे पर भी कुछ कहना चाहिए था। उन्होंने पत्र होने की बात से इंकार नहीं किया है। यह एक विशेष परिस्थिति के आधार पर है। उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया है। उन्होंने न तो इस पत्र के लिखने अथवा इसकी विषय सामग्री से भी इंकार नहीं किया है।

दूसरे, उन्होंने यह नहीं कहा है और अभी भी वह यह नहीं कह रहे हैं कि लोक हित में इसे सभा पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस मामले को आपके पास कानूनी स्थिति और आपके सुझाव ज्ञात करने के बाद भी वह यह नहीं कह रहे थे।

इसके अलावा श्री रवि राय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये थे। वह कहते हैं कि इसका सम्बन्ध न केवल इन दो विशिष्ट पत्रों से है बल्कि इसका सम्बन्ध हमारे संविधान अर्थात इस सभा के मूलभूत आधार और विशेषाधिकारों से है। यह सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न है। उन्होंने सभा की प्रभुसत्ता के प्रश्न को उठाया है। यह भी बताया गया है, मैंने भी कहा है कि आप जो बात अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, न्यूयार्क, वाशिंगटन और अमेरिका को बता सकते हैं यह इस देश के उन जन-प्रतिनिधियों को नहीं बता सकते जो अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों से यहां चुनकर आये हैं।

महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक यही कहूँगा कि वित्त मंत्री को ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे इस सभा की गरिमा, विशेषाधिकार और इसके अधिकार कुप्रभावित हों।

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, शायद उनकी दिक्कत यह है। कि उन्हें 29 तारीख को बजट प्रस्तुत करना है।

श्री चित्त बसु : महोदय, उनका जो यह कहना है कि इसका सम्बन्ध बजट से है।

अध्यक्ष महोदय : कुछेक मामलों में यदि आप हां कहते हैं तो भी तो अपनी व्यवस्था का दुरुपयोग करने के लिए उसका कुछ और निष्कर्ष निकाला जा सकता है और यदि आप 'नहीं' कहते हैं तब भी कोई और निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

श्री चित्त बसु : उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह माना है कि इन पत्रों का बजट प्रस्तावों से सम्बन्ध है। अतः उन्हें यहां पर यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किसी दूसरी एजेन्सी को बजट प्रावधानों के बारे में क्यों बताया है। अतः इस पत्र को तुरन्त ही सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है जिसमें यह उल्लेख किया है कि किसी समाचार-पत्र विशेष में कुछ खबरें छपी हैं। वे चाहते थे कि वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित रहें। वे चाहते

थे कि वह यहां पर अपना वक्तव्य दें। वित्त मंत्री दूसरी सभा में व्यस्त थे और एक मन्त्री द्वारा यह कहा गया कि जैसे ही वित्त मन्त्री दूसरी सभा से मुक्त होंगे वह उसके तुरन्त बाद यहां आयेंगे और अपना वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री जी ने स्पष्टत: यह मान लिया है कि उन्होंने कोई पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में क्या लिखा है यह नहीं बताया। विपक्ष के नेता श्री अडवाणी को सुनने के बाद वित्त मंत्री ने यह बात पक्के तौर पर कही कि उसमें किसी भी तरह से बजट की गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है। इस बात का निर्णय सभा लेगी कि बजट कब पेश किया जाना है और पत्र कब प्रस्तुत किए जाने हैं। वित्त मन्त्री 29 तारीख को बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। घड़ी की सुईयों को पीछे नही ले जाया जा सकता। यही वह पत्र है, जिसके कारण उन्होंने अवहेलना की है। यही वह पत्र है जो कि विदेश को सम्बोधित किया गया। यह बदला नहीं जा सकता और यदि यह पत्र 29 तारीख से पहले प्रस्तुत नहीं किया जाए तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा वित्त मन्त्री जी की एक बड़ी जिम्मेवारी है और वह अपना कार्य करना जानते हैं। उन्होंने निरपवाद रूप से कहा है कि वह इसे प्रस्तुत करेंगे लेकिन बजट के पेश होने से पहले नही। इसका बजट के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो सकता है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि पत्र का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसीलिए वह 29 तारीख के प्रश्न को बीच में नहीं ला सकते हैं। यह वह पत्र है जो कि विदेशी एजेन्सी को लिखा गया है और हमें यह जानने का अधिकार है कि उसमें क्या लिखा गया है। हमारी मांग है कि इसे आज ही सभा के सामने रखा जाए (व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : जब विपक्ष से माननीय सदस्य बोल रहे थे मैंने कोई व्यवधान नहीं डाला।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके प्रश्नों के उत्तर न दें आप अपनी बात कहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मुझे बोलने का अधिकार है। वह मेरा मुंह नहीं बन्द कर सकते। वह मेरे अधिकार में दखल अन्दाजी नहीं कर सकते। बेशक वह मुझसे सहमत न हों लेकिन मुझे अधिकार है कि मेरी बात को सुना जाए। मुझे बोलने का अधिकार है।

मेरा निवेदन है कि बात बिल्कुल सरल है। माननीय सदस्यों में से किसी एक सदस्य ने कहा था कि प्रधानमंत्री को अवश्य आना चाहिए और यह सब सुनना चाहिए। प्रधानमन्त्री बीच में कैसे आ सकते हैं जबकि वित मत्री को जवाब दे रहें है। वह सभा के सामने उपस्थित है। मंत्री जी को सदन के सभा पटल पर दस्तावेज रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यहां पर—द्वारा किये गए दो वक्तव्य है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इस विषय पर वे पांचवी बार बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : ऐसा नहीं है। उनका गणित गलत है।

यहां वित्त मंत्री द्वारा दिए गए दो वक्तव्य है। पहला यह कि वह इस पत्र को सभा के सामने

29 फरवरी के बाद रखना चाहते हैं। दूसरा वक्तव्य यह है, जो कि उन्होंने अभी कहा है कि बजट की अनुलघनीयता को बनाए रखा गया है। ऐसी स्थिति में आज यह गोपनीयता एक अनावश्यक समस्या खड़ी कर देगी। पत्र और बजट के बीच का संबंध उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से ही सिद्ध होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि पत्र को 29 तारीख के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन इसी तरह पत्र को आज प्रस्तुत कर दिया जाता है तब भी कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, क्योंकि पत्र और बजट के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि एक तरह से वह सभा पटल पर इन पत्र को रखकर राष्ट्र की मद्द कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल वित्त मन्त्री जी की सहायता करना चाहता हूं। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के दिमाग में कुछ बैठ जाता है और जब तक कि उसे बाहर से मद्द नहीं मिलती वह मस्तिष्क में बैठी हुई बात से मुक्त नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके द्वारा उनको सम्बोधित करने की कोशिश कर रहा हूं।

वह इस बात से पहले ही सहमत हो चुके हैं। कि इस बात का बजट के साथ कोई संबंध नहीं है। सभा पटल पर दो पत्रों को प्रस्तुत करना उनकी इस बात को स्पष्ट करता है। फिर भी यदि वह हिचकिचा रहे हैं तो उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अगले चार दिनों में यह दो पत्र विश्व बैंक के सहयोग से भी बदल नहीं सकते। यदि वह वास्तव में सहमत होते हैं कि यह दो पत्र अगले चार दिनों में नहीं बदले जा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इन दो पत्रों को तत्काल सभापटल पर रखने में कोई रुकावट नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें क्योंकि वे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह बजट से संबंधित नहीं है, फिर भी वे 29 फरवरी से पहले इन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे।

वह एक सही व्यक्ति है और वह ऐसे प्रतिवादों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसा कि यही है। यही संसद सदस्यों को एक अन्य आशंका है कि इस विवादपूर्ण स्थिति को देखकर कोई भी इस सम्भावना तक आ सकता है कि क्या वास्तव में इन दो पत्रों को बदला भी जा सकता है अथवा नहीं हमें उनकी ईमानदारी पर विश्वास है। इसलिए हम समझते हैं कि उनके द्वारा या विश्व बैंक द्वारा ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है।

इस आधार पर मेरे एक मित्र होने के नाते मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पत्र को सभा पटल पर रख दें। अन्यथा मुझे उस तरफ से डर है क्योंकि वे क्या करेंगे। उन पर ऊंगली उठाई जाएगी और उनको ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इतिहास के 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। यदि अवसर आया तो वे विवाद समाप्त करने की बजाए पूरी सरकार गिर जाने देंगे। यही मैं आपसे कह रहा हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सदन के क्रियाकलापों को चलाने संबंधी नियमों के अनुसार सभा की कार्यप्रणाली के बारे में कोई विवाद नहीं है और अपने कार्यक्षेत्र में इस सभा की पराकाष्ठा के बारे में भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन उसी समय में हम इस बात को नहीं भूल सकते कि किसी से भी किसी तरह का पत्र-व्यवहार करना भी सरकार का विशेषाधिकार है। किसी भी ऐसे पत्र-व्यवहार को सदन में प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान) — श्री

निर्मल चटर्जी, मैं जानता हूं कि मैंने पहले एक बार ऐसा कहा था कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं इसे मानता हूं। लेकिन आपकी राय आपसे भी ज्यादा महान है और वह कभी कभी पिछली बार से भी अधिक अच्छी होती है। कृपया मेरी बात सुनिए।

मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह किसी भी प्राधिकरण के साथ देश के अन्दर अथवा देश के बाहर पत्र-व्यवहार करे।

यहां प्रश्न यह उठा है कि वित्त मन्त्री द्वारा देश के बाहर किसी भी ऐजेन्सी को लिखे गए पत्र में सम्मिलित बात क्या है। समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ है। मेरे मित्र जैसा कि हम अधिकतर देखते हैं ये अन्त में उनके फैसले के लिए रखे गए हैं। वे ऐसे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वयं ही मजे ले रहे हैं जोकि पत्र में सम्मिलित बातों पर आधारित नहीं हो सकता···(व्यवधान) माननीय वित्त मन्त्री यह कहने के लिए खड़े हुए कि उन्होंने पत्र लिखा है। लेकिन उन्होंने पत्र में शामिल बातों का उल्लेख नहीं किया ··(व्यवधान)···कृपया मेरी बात सुनिए। हम इस वास्तविकता को नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि जो कुछ भी प्रैस द्वारा प्रकाशित किया गया है वह जो कुछ पत्र में लिखा गया है उसके बिल्कुल विपरीत हो सकता है।

यदि आज वित्त मन्त्री जी द्वारा कोई स्वीकृति अथवा पत्र में शामिल बातों का कोई उल्लेख किया जाए तो यह उनको उस स्थिति में ले जाएगा जिसका कि माननीय सदस्य इस समय उन पर आरोप लगा रहे हैं।

यदि उन्होंने पत्र में शामिल बातों का उल्लेख किया होता केवल तभी उन पर सभापटल पर पत्र रखने के लिए जोर दिया जा सकता था। मैं यह नहीं समझ रहा कि वह किस तरह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर अपराधी बन सकते हैं। जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता, यह वास्तव में उनकी ड्यूटी है कि वह यह न बतायें कि उन्होंने किसी को क्या पत्र लिखा है।

हम उनके अधिकार के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह उनकी ड्यूटी है कि वह पत्र में शामिल बातों का उल्लेख न करे क्योंकि यह केवल देश में ही हल्ला उत्पन्न करेगा। उससे केवल बजट के बारे में एक तरह का मात्र अनुमान ही लगाया जा सकेगा।

जैसाकि मैंने कहा है, सिद्धान्ततः सदन की कार्यप्रणाली के बारे में कोई विवाद नहीं है और न ही सदन की सर्वोच्चता के बारे में ही कोई विवाद है। लेकिन हम उस नियम को जरूरत से अधिक विस्तार नहीं दे सकते। यदि इस प्रक्रिया में बहस के लिए कोई मुद्दा उठाने के लिए हम नियम से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम सदन की अनुलंघनीयता को, बजट तैयार करने की प्रक्रिया की अनुलंघनीयता को तथा देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचायेंगे। यही है जिस पर हमें स्पष्ट रूप से विचार करना है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं एक तरीका सुझाना चाहता हूं। या तो वित्त मंत्री अब सभा के समक्ष पत्र प्रस्तुत करें या मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को सुझाव दूंगा कि वह सभा के नेताओं से यह निश्चित करने के लिए बात करें कि क्या इसे बजट के प्रकाशित होने से पहले प्रस्तुत

करना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। क्योंकि केवल इसे तभी सभा से दूर रखने की बात सोच सकते हैं। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है और आप इसे अभी प्रस्तुत करें।

श्री पीटर जी. मरबनियांग (शिलांग) : इस मुद्दे पर सभा का लगभग एक घंटा चालीस मिनट का मूल्यवान समय बर्बाद हो गया है। इस मुद्दे पर सभा को निष्क्रिय कर दिया गया है। सभा के लिए एक निश्चित कार्य सूची होनी चाहिए तथा हम सभा का समय उन मामलों में बर्बाद नहीं कर सकते हैं जो कार्य सूची में शामिल न हों।

वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है और यदि उनके द्वारा लिखा पत्र विशेषाधिकार का हनन करता है तो मेरे मित्र सभा के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। विशेषाधिकार के हनन पर माननीय अध्यक्ष फैसला करेंगे।

सभा का कार्य कार्यसूची में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहिए। हमें इस तरह सभा के कार्य में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि आपने इससे पहले के वादविवाद को सुना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ बोले हैं तो कृपया इसे दुबारा नहीं दोहरायें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसीलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपने वाद-विवाद को सुना है। यदि आपने इसे नहीं सुना है तो मैं आपको पहले हुई बातें बताना चाहती हूं। मैं अपवाद नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा नहीं करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पूरी विनम्रता से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं नहीं समझती कि मुझे इन सभी मामलों में पाण्डित्य हासिल है या पूर्ण जानकारी है—बात केवल यह है कि मुझमें भी थोड़ी सामान्य सूझ-बूझ है। इस दृष्टिकोण से मैं समझती हूं कि इस वाद-विवाद का निपटारा केवल जनता कर सकती है। वह यह नहीं देखेगी कि यह दस्तावेज बजट से सबद्ध है या संबद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो 29 तारीख को किया जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह आरम्भ में ही हमें यह क्यों नहीं समझा देते हैं? यही मेरा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री के. पी. सिंह देव बोलेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री के. पी. सिंह देव जी उनकी तरफदारी करने की कोशिश न करें।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं तो केवल आपका तरफदारी कर रहा हूं। मैं वे बात उद्धृत करूंगा जो आपके लिए प्रासंगिक होगा। महोदय, समाचार पत्र में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा विश्व बैंक को लिखे पत्र से एक उद्धरण लिया गया लगता है। इस समाचार पत्र की रिपोर्ट को किसी ने भी प्रमाणित नहीं किया है नही ऐसा यहां किया गया है···(व्यवधान) क्या मैं इस संबंध में अपनी बात कहूं ? जब आप बोले तो मैंने आपका विरोध नहीं किया। आप जो मुझसे कहलाना चाहते हैं मैं वह नहीं कहूंगा। उन्होंने किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है, उन्होंने किसी भी बात को प्रमाणित नहीं किया है। इस सभा में किसी ने भी इस लेख या उद्धरण को प्रमाणित नहीं किया है। महोदय, माननीय सदस्य श्री जाज फर्नान्डिज के आपके द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका विरोध किया। न ही माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को प्रमाणित किया कि ये शब्द उनके थे। उन्होंने केवल यह कहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है। जो पत्र उन्होंने लिखा है उसके एक भी शब्द का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने तो केवल यह सूचना दी है कि एक कतिपय ढांचे और माइक्रो अर्थशास्त्र के संबंध में उन्होंने विश्व बैंक को एक पत्र लिखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने 'मैक्रो' कहा था।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं समझता हूं कि उन्होंने माईक्रो कहा था। यदि मैंने ठीक सुना है तो माईक्रो कहा था। खैर, हम वाद-विवाद पर गौर करेंगे। यदि मुझे अपनी कही गई कोई बात ठीक करनी है तो मैं उसे कल ठीक कर लूंगा।

जहां तक इस मुद्दे की बात है मैं तो कहूंगा कि यदि हमें माननीय मंत्रियों को सभापटल पर दस्तावेज रखने के लिए मजबूर करना पड़े और सरकार की सूचनायें समाचार-पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हों जो प्रमाणित नहीं हो, जिन्हें सभा में किसी ने प्रमाणित करना नहीं चाहा है तो यह बहुत ही पूर्वोदाहरण होगा। दूसरे, मैं यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं समझता कि आप ने भी रक्षा मंत्रालय में एक मंत्री के रूप में पदभार संभाला था। पहले विगत में हमने यह देखा था कि बजट पत्र में इस संबंध में कई अनप्रेरित कहानियां बनीं जिसमें उन्होंने माननीय मंत्रियों को या तो इससे इन्कार करवाने या इसकी पुष्टि करवाने की कोशिश की। मैं माननीय वित्त मंत्री से सहमत हूं कि उन्होंने इससे इन्कार करने या इसकी पुष्टि करने या इसे प्रमाणित करने का लोभ संवरण नहीं किया। मैं अपने मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को एक बहुत पुरानी कहावत कहना चाहूंगा जो इस प्रकार है :

उन मित्रों से न डरें जो आपसे दुश्मनी रखते हों बल्कि अपने उन मित्रों से डरें जो आपकी चापलूसी करते हों।

मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय आज सुबह से ही मेरा विचार है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य अंधेरे मे छलांग लगा रहे हैं। यह सच है कि इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति सभा की गरिमा और विशेषाधिकारों के बारे में चिन्तित हैं। मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्री को जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण जैसे संवेदनशील मामले से निपटाना हो तो सभा को विश्वास में लेना चाहिए, लोगो को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन साथ ही हमे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके इस बजट को बनाने की प्रक्रिया में सहायता देना इस सभा का कर्त्तव्य है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार किया है कि यह सच है कि "उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या विश्व बैंक के अध्यक्ष को पत्र लिखा है।" किसी भी मंत्री का इस संबंध में देश के बाहर और अन्दर के अभिकरणों से परामर्श करना स्वाभाविक है। और यदि हम वित्त मंत्री से या किसी अन्य मंत्री से ये सभी दस्तावेज लाने और उन्हें सभा मे प्रस्तुत करने के लिए कहें तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक बात नहीं होगी। लेकिन साथ ही मैं संसद के विशेषाधिकारों के बारे में विपक्ष की चिन्ता से पूरी तरह से सहमत हूं और यदि विपक्ष की यह धारणा है कि सरकार ने इस देश की प्रभुसत्ता विश्व बैंक के पास गिरवी रख दी है तो उनका यह कर्त्तव्य है कि इस सरकार को गिरा दिया जाए, यदि वित्त मंत्री ने सभा के विशेषाधिकार का कोई हनन किया है तो यह सभा का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष लायें। और इस सभा का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इस बजट को बनाने में वित्त मंत्री की सहायता करें। कौन यह फैसला करेगा कि इसका रहस्योद्घाटन करना या नहीं करना राष्ट्रीय हित में होगा। अतः इस बात की महत्ता को देखते हुए कि बजट की तैयारी और उसकी गुप्तता जरूरी है, उन्होंने इस पत्र के सम्बन्ध में जो बात स्वीकार की है हम उससे और वित्त मंत्री से सहमत हैं और 29 तारीख तक इन्तजार करेंगे। यदि कुछ गलत हुआ है तो हम निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इस तरह से अंधेरे मे बातें करना संसद के हित में नहीं है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर दूं कि हम अंधेरे में छलांग नहीं लगा रहे हैं। हम तो उस बात को तह में जा रहे हैं इस प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहे हैं जो इस संबंध में छुपी हुई है।

अतः हमारा इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न सम्मिलित है।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? मैं पहले ही उस पर एक विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : आपने अभी तक नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि यदि मंत्री महोदय पत्र से उद्धृत करते हैं तो मैं उन्हें इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि वह सभा पटल पर इसे रखें।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : यह वह स्थिति जिस पर नियम लागू नहीं होते हैं। (व्यवधान) यह तो अपवाद वाली स्थिति है और इस पर विशेष विचार करने वाली बात है।

मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूँगा माननीय मंत्री ने इस पत्र का होना स्वीकार किया है और अप्रत्यक्ष रूप से इसको उत्तर देने को भी स्वीकार किया है··· (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैंने कोई वायदा नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : चूंकि ये दोनों बातें एक साथ एक ही प्रेस रिपोर्ट में छपी हैं। अब हम उनके प्रति काफी नम्र हो रहे हैं हम उन पर जोर न डाल कर उन्हें शालीनता दिखा रहे हैं कि उन्हें सदन के समक्ष उस पत्र को भी प्रस्तुत करना चाहिए जो उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा 25 शर्तें निर्धारित करने के बाद विश्व बैंक को अपने उत्तर में लिखा था। यदि मैं सरकार की प्रक्रिया को समझता हूँ तो विश्व बैंक अध्यक्ष के पत्र के बाद वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार का पत्र अवश्य लिखना चाहिए। इसलिए, वास्तव में यह दो पत्रों का प्रश्न नहीं है यहां तीन पत्रों का प्रश्न है और हम उनके प्रति नम्र रवैया अपना कर उन्हें केवल दो पत्र ही सदन में रखने के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान) मेरा दूसरा मुद्दा मंत्री जी द्वारा पत्र लिखने की बात स्वीकार करने के बारे में है। यह सच है कि उन्होंने पत्र के कई शब्दों को स्वीकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप 29 तारीख तक इन्तजार क्यों नहीं करते ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : ठीक है, महोदय, उनका भी यही तर्क है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उसमें एक पक्ष (पार्टी) क्यों बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछ रहा हूं और यह समझने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैंने उन्हें निर्देश देना है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : माननीय वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कहा कि वे शब्द झूठे हैं; वे शब्द नहीं लिखे गये थे। वे झूठे शब्द उन्होंने नहीं कहे थे। इसलिए सरकार ने उन शब्दों से इन्कार नहीं किया है और न ही यह कहा है कि सरकार एक अखबार विशेष के विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी, जिससे यह पता चलता कि सरकार उस अंश की विषय वस्तु से सहमत है। अतः हमें विषय वस्तु को जानने का अधिकार है। हम तब तक सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे जब तक सदन के समक्ष उन पत्रों को रखा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अच्छा, मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उनके मन में आये और जो उनके विचार से महत्वपूर्ण थे, को प्रस्तुत करने में तथा सदन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत परिश्रम किया है। उनके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए न कि अवमानना की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, हमारे वित्त मंत्री महोदय, जिन्होंने

बजट लगभग तैयार कर लिया है और उसे सदन में प्रस्तुत करना है और उन्हें हां या नहीं और इसी तरह कुछ कहने के लिए कहा गया है और वित्त मंत्री वैसे भी हां या नहीं और इन्कार करने या इस तरह की बातें स्वीकार करने के लिए बहुत होशियार हैं। उनके इन्कार करने और स्वीकार करने से भी अनुमान लगाया जा सकता है। संक्षेप में वह कहते रहे हैं कि वह अपने पास कुछ नहीं रखेंगे और सदन के सभा पटल पर दस्तावेज रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है वह कह रहे हैं और उन्होने मुझे अपने कक्ष में भी बताया था कि वह कुछ भी कहेंगे तो कोई न कोई अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में, मैं स्वयं इस मुद्दे पर बहुत अधिक नहीं बोलना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं ऐसा भी कहा गया है कि किसी ने इस पर पांच बार बोला था जिससे उनकी उत्सुकता का पता चलता है जिसकी सराहना की गई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी को सदन में बजट के प्रस्तुतीकरण की पूर्व संध्या पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं वित्त मंत्री से चाहूंगा कि ऐसे मामलों में उनकी कठिनाइयों को थोड़ा विस्तार से उल्लेख करें और इसके साथ-साथ सदस्यों की भावनाओं को भी शांत करने का अनुरोध करूंगा उन्होंने प्रशंसा भी की है और उन्होंने कहा है कि सदस्यों को अपने अधिकारों के भीतर रहना चाहिए। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए, सदस्यों की भावनाओं को शान्त करना चाहिए। एक तरफ आपके पास इस सदन की अखण्डता को सुरक्षित करने के अधिकार हैं और दूसरी तरफ वह बजट प्रस्तुत करने की पूर्व संध्या के अवसर पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और बहुत अधिक मत बोलिये क्योंकि कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है। लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे इन बातों को समझ सकते हैं।

मैं वित्त मंत्री जी को सदस्यों की भावनाओं को शान्त करने और उनकी कठिनाइयों को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रेस में कई बातें सामने आयीं हैं और उस वक्तव्य के आधार पर कई आरोप लगाये गये हैं। आज मैं इन बातों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं विरोध करता हूं। क्योंकि तीन या चार दिन बाद मैं इस सदन में बजट प्रस्तुत करूंगा। और बजट से पता चलेगा कि मैं क्या हूं।" मैंने क्या किया है और मैं क्या करूंगा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जो कुछ करूंगा उसके आधार पर सदन, देश की जनता तथा इतिहास मुझे परखेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी, हम सब मनुष्य हैं और कभी-कभी मुझे आघात तब पहुंचता है जब कुछ आरोप मेरे विरुद्ध लगाये जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आप बहुत दबाव में कार्य कर रहे हैं और आपको संसद में आना होता है, बजट तैयार करना है तथा अन्य कई कार्य भी करने हैं। इसके साथ-साथ हमें उन बातों को छोड़ना है। हमें प्रशंसा करनी है और मेरे विचार भी

अन्य सदस्यों के समान है । लेकिन यदि आपकी कुछ कठिनाइयां हैं तो कृपया आप उन कठिनाइयों को बता सकते हैं ।

श्री मनमोहन सिंह : यही तो कठिनाई है । मैंने पहले भी कहा है कि मैं न तो किसी प्रेस रिपोर्ट को इन्कार कर सकता हूं और न ही उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं । क्योंकि पिछले एक महीने से बजट में क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा तथा इसी प्रकार की अन्य कई बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है । यदि मैं उस पर टिप्पणी करूंगा तो वह बजट का पूर्णतया उल्लंघन होगा । (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम बजट के पेपरों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । हम पत्रों के बारे में पूछ रहे हैं (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : हमें वित्त मंत्री के मुंह से शब्द निकलवाने के प्रयास नहीं करने चाहिए । यह उनके लिए अच्छा होगा कि विपक्ष की तरफ से उन पर दबाव डालने के बजाए उनके स्वभाव को शांत बनाये रखा जाये । हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक हित के तर्क का सहारा नहीं लिया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह 29 तारीख को पेपर प्रस्तुत करेंगे । इसे बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है । हमें अब इस पर चर्चा बन्द कर देनी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा है कि वह समाचार पत्र की रिपोर्ट को न तो इन्कार करने और न उसे स्वीकार करने की स्थिति में है । उन्होंने किसी भी रिपोर्ट को उद्धृत नहीं किया है । अतः हमें अब इस मामले पर चर्चा बन्द कर देनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कुछ दस्तावेज···

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इन सब बातों को समाप्ति होनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और महोदय मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री रूपचन्द पाल : विश्व बैंक के अधिकारियों के पास कुछ पत्र हैं । कुछ भारतीय समाचार पत्रों के पास भी वह पत्र है । लेकिन हम बदकिस्मत सांसदों के पास वह कुछ नहीं है (व्यवधान) मुझे आपका विनिर्णय चाहिए । क्या इससे सदन के प्रभुत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या इससे सदन के प्रभुत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या इससे इस सदन के सम्मान और प्रतिष्ठा को व्यवस्था नहीं पहुंचाता है । आप परिरक्षक है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताइये कि किस नियम के तहत इसे कर सकता हूं ।

श्री रूपचन्द पाल : आप इस सदन के परिरक्षक है । आपको इस सदन के सम्मान और

प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिये। क्या इससे सदन की बदनामी नहीं होती है ? आपको विनिर्णय देना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने संविधान की मर्यादा को बनाये रखने की शपथ ली है। यही मुद्दा है आपके पास समस्त शक्ति है। आपको संविधान का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इतना शक्तिशाली मत बनाइये। यह खतरे की बात है। यदि कोई नियम है या कोई संवैधानिक प्रावधान है तो इसे मुझे दिखाइये और मैं इसका पालन करूंगा। यदि कोई प्रावधान नहीं है तो मुझे शक्तिशाली मत बनाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप सोचते हैं कि संविधान की मर्यादा बनाये रखने की आपकी शपथ से ज्यादा अन्य कुछ महत्वपूर्ण है।

श्री रामविलास पासवान : आप वित्त मंत्री को पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वित्त मंत्री से ऐसा करने के लिए कहूं। मैं

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : आपने इस सदन की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने की शपथ ली है। आप परिरक्षक हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आपने उन्हें अपनी समस्याओं को विस्तार से बताने के लिए कहा है। क्या उन्होंने उसका विवरण दिया है ? (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वित्त मन्त्री ने पहले ही कह दिया है कि बजट की उपादेयता पूर्ण है। 29 तारीख को उन्हें बजट प्रस्तुत करना है और वे इसका खण्डन अथवा इसे स्वीकार कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने उन्हें इसकी व्याख्या करने के लिए कहा है। क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह कठिनाई है। कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैं खड़ा हूं, आपको बैठना होगा। यह हर समय क्या होता रहता है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या आप नाराज हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं। मुझे ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैं नाराज हूं। बस यही बात है। अन्यथा, आप लोग बैठेंगे नहीं।

कृपया स्थिति को समझें और अब मैं आपको इस पर अन्तिम निर्णय दे रहा हूं।(व्यवधान) मेरे विचार में उन्हें सतर्क रहना चाहिए और वे अधिक नहीं बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या आप उनकी टिप्पणियों से संतुष्ट हैं ? आपने उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका विचार है कि उस पत्र में बजट के बारे में कुछ संकेत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इसमें बजट के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है तो इसे संसद के समक्ष रखने में कोई हानि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब कह रहा हूं। इस पर यह अन्तिम विनिर्णय होगा और इसके बाद, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि आपने अपने विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और जो विचार माननीय वित्त मन्त्री ने भी अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं। जब आप एक दूसरे से कुछ अपेक्षा नहीं करते तो आप यह उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष निर्णय लें। कभी-कभी यह बहुत अच्छा नहीं होता और आप इस प्रकार अध्यक्ष को बहुत अधिक अधिकार भी दे देते हैं जिसकी अध्यक्ष की कोई इच्छा नहीं है। आप स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि उन्हें 29 तारीख को बजट प्रस्तुत न करना होता तो मैं उन्हें सदन में सभा पटल पर उन दस्तावेजों को रखने के लिए कहता। अब जबकि उन्हें 29 तारीख को बजट प्रस्तुत करना है, मैं नहीं मानता कि उनकी यह सावधानी अनावश्यक है।

(व्यवधान)

इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि बजट तथा दस्तावेजों को एक ही दिन, एक ही समय, सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सदस्यों को इस पर अच्छी तरह से चर्चा का अवसर मिले। बजट की गोपनीयता बनाये रखने के हित में, मैं नहीं चाहता कि आपके द्वारा उठाये गए मुद्दों पर वे 'हां' अथवा 'न' कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मामले।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ऐसा संभव नहीं होगा।

(व्यवधान)

5.14 म. प.

इस समय प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। (व्यवधान)। आप को समझना चाहिए। (व्यवधान) यदि आप नहीं चाहते, तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। (व्यवधान)। आप दो दिन प्रतीक्षा करें। (व्यवधान)। कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए मैं सभा स्थगित करता हूं।

5.16 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 फरवरी, 1992/7 फाल्गुन, 1913 शक के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्केट दिल्ली-6